दसवीं माला, खण्ड 7, अंक 14

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1991
19 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 11 से 22 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 14, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1991/19 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	1—9
*तारांकित प्रश्न संख्या : से 264		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	9—267
तारांकित प्रश्न संख्या : 263 और 265 से 283		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2967 से 2992, 2994 से 3033, 3035 से 3188, और 3190 से 3199		
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	... ...	267—269
देश में उर्वरक उद्योग की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किए जाने के बारे में		
खाद्य तेलों के मूल्यों के बारे में	... ...	269—279
चीनी प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के बारे में	... ...	279—286
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... ...	286—287
प्राक्कलन समिति	... ...	287
दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	... ...	288
पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	288—291
(एक) नार्थ आरकोट अम्बेडकर जिले में वेल्लोर के समीप अरनी कस्बे को रेल लाइन द्वारा कटपड़ी जंक्शन से जोड़ने की आवश्यकता		
श्री बी० अकबर पाशा	... ...	288
(दो) उड़ीसा में वन भूमि को उन आदिवासियों को, जो उस पर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से खेती करते आ रहे हैं, स्थायी रूप से देने की नीति बनाने की आवश्यकता		
कुमारी फ्रिडा तोपनो	... ...	288—289
(तीन) बिलासपुर, मध्य प्रदेश में मुख्यालय वाला एक रेलवे जोन खोलने की आवश्यकता		
श्री खेलन राम जांगड़े	... ...	289
(चार) वाहनों के कारण उत्पन्न प्रदूषण से ताज महल को बचाने की आवश्यकता		
श्री भगवान शंकर रावत	... ...	289—290
(पांच) देश में रेल दुर्घटनाएं रोकने के उपाय करने की आवश्यकता		
श्री दत्तात्रेय बंडारू	... ...	290
(छ:) बिहार में कोडरमा में अभ्रक उद्योग का विकास करने और एम०आई० टी० सी० ओ० का एम० एम० टी० सी० के साथ विलय करने की आवश्यकता		
श्री मुमताज अंसारी	... ...	290—291
(सात) असम पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना में प्रति व्यक्ति योजना निवेश को पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य पर्वतीय राज्यों में इस प्रकार के निवेश के समान बनाने की आवश्यकता		
डा० जयंत रंगपी	... ...	291
(आठ) केरल में उत्पादित काली मिर्च का न्यूनतम मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित करने और काली मिर्च की खेती करने वालों के लाभ के लिए अन्य उपाय करने की आवश्यकता		
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	... ...	291

विषय				पृष्ठ
मेघालय राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा मेघालय राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव-वापस लिया गया	...	...	...	292—303
श्री कबीर पुरकायस्थ	...	...	...	292—294
श्री फ्रैंक एन्थनी	...	...	...	294—296
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	...	...	...	296—299
श्री एम० एम० जैकब	...	...	...	299—302
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	...	...	...	303
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	...	...	303—344
आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति				
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	...	303—313
श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित	...	...	...	314—316
श्री दिग्विजय सिंह	...	...	...	317—324
श्री राम सुन्दर दास	...	...	...	324—327
श्री चिरंजीलाल शर्मा	...	...	...	327—331
श्री मदन लाल खुराना	...	...	...	331—337
श्री नीतीश कुमार	...	...	...	337—341
श्री दत्तात्रेय बंडारू		...	...	341—344

लोक सभा

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1991/19 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

*264. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री कड़िया मुण्डा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के फार्मास्युटिकल कर्मचारियों सहित ग्रुप "सी" और "डी" पदों पर भर्ती और पदोन्नति से संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी पदोन्नतियां की गयीं हैं; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई पिछला बकाया है तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्धारित आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1.1.1990 से 31.10.1991 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए और पदोन्नत किए गए समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

		भर्ती किए गए	पदोन्नत किए गए
1.	समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की संख्या	236	76
2.	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	94	29
3.	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	40	38
4.	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	24	11
5.	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	10	14

2. कुछ परा चिकित्सीय समूह "ग" पदों के बैकलॉग का मुख्य कारण अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ग और घ श्रेणियों में 236 व्यक्ति इस वर्ष भर्ती किए गए हैं और 76 लोगों को पदोन्नत किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो 236 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं, वे ट्रेनिंग के लिए भर्ती किए गए हैं या इनकी नियुक्ति सीधी फार्मासिस्ट के पदों पर की गई है और जिन 76 लोगों को पदोन्नत किया गया है, उनमें चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कितने लोगों को पदोन्नत किया गया है । वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं, यह आपने अपने उत्तर में नहीं बताया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछली कैरी फावंर्ड और वर्तमान वेकेंसीज कितनी हैं, कितने लोगों की भर्ती की गई है और कितने पद रिक्त हैं इनमें एस०सी०एस०टी० कोटा पूरा करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कोई विशेष अभियान चला रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इस वक्त इस वर्ष जो भर्ती की गई है, उसके बारे में पूछा है, लेकिन पहले जो प्रश्न पूछा है, उसमें उन्होंने पूछा है पिछले दो वर्षों की भर्ती के बारे में और हमने जो आंकड़े दिए हैं वे इस वर्ष के नही दिए हैं, बल्कि पिछले 2 वर्षों के दिए हैं । हमने इसमें लिखा है कि 236 व्यक्तियों की भर्ती की गई है और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह भर्ती ट्रेनिंग के लिए नहीं की गई है, बल्कि जो पद रिक्त थे, उन पर नियुक्ति करने के लिए यह भर्ती की गई है ···**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट नहीं हो सका है ।

श्री एम० एल० फोतेदार : आज टी० वी० नहीं है, आज तो युद्धविराम कीजिए । मैं आपको संतुष्ट करूंगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब टी० वी० रहता है, तब तो स्पीकर साहब हमें अवसर ही नहीं देते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : आपने जो प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर से मैं आपको पूरी तरह से सन्तुष्ट करूंगा । हमारी सरकार हरिजन-आदिवासियों के लिए जो पालिसी है ·····

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हरिजन-आदिवासी शब्द असंसदीय है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यह सही शब्द है ।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के जो पद भरे जा रहे हैं, उन्हें पूर्णतया सांवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप भरा जाएगा और हम इन पदों के भरने में अपने कर्त्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे ।

आपको पहले ही विदित है कि 1989 में श्री राजीव गांधी ने निश्चय रूप से इन पदों को भरने की इच्छा व्यक्त की थी । उन्होंने कहा था कि यदि पद रिक्त है, तो इसे तब तक रिक्त

रखा जाए जब तक कि इस प्रयोजन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। यहां पर इस मामले में, 236 पदों में से, अनुसूचित जाति का प्रतिशत मात्र 15 प्रतिशत है। हमने 40 प्रतिशत पदों को भर लिया है। संविधान कहता है कि 15 प्रतिशत न्यूनतम है। परन्तु वह सरकार को इनकी संख्या में वृद्धि करने से नहीं रोकता। हमने यह संख्या बढ़ाकर चालीस प्रतिशत कर दिया है। मेरे विचार से स्वास्थ्य विभाग की प्रगति इस अपेक्षा को पूर्ण करने में मुझे कहना चाहिए, प्रशंसनीय है अथवा सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के व्यापक हित में है।

दूसरी बात जो माननीय मंत्री महोदय ने कही है वह है रिक्तियों को आगे ले जाने के बारे में। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि श्री राजीव गांधी ने जो 1989 में निर्णय लिया था, हम उस वादे पर अडिग हैं और हम भविष्य में भी अपने वादे पर टिके रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि बैकलॉग का कारण अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फार्मासिस्ट की क्या अर्हता है? पहले फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के लिए जो चुने जाते थे वे हाई स्कूल जीव विज्ञान से हुआ करते थे, किन्हीं राज्यों में इंटरमीडिएट जीव विज्ञान से हुआ करते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एस० सी० एस० टी० युवक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के साथ नहीं मिल रहे हैं? दूसरा भाग, देश में कुछ दवा बनाने वाली कम्पनियां सरकार की हैं या सरकार के अधीनस्थ हैं, जैसे बंगाल कैमिकल्ज, यू० पी० डी० पी० एल० और आई० डी० पी० एल०, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में आयुर्वेद और होम्योपैथिक सेवाओं में आरक्षण की क्या स्थिति है? इसमें अब तक कितने प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है? कितनी जगह रिक्त हैं? इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक फार्मासिस्टों का संबंध है, यह पद रिक्त हैं। दिल्ली में, फार्मासिस्टों के पांच पद रिक्त हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। मुझे दिल्ली में अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा, जिसे इस पद पर नियुक्त किया जा सके इसलिए, हमने इन पदों को रिक्त रखा है। मैं माननीय सदस्यों से, महोदय आपके माध्यम से तथा सम्माननीय सभा के माध्यम से, यह अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को ढूंढ़ने में सहायता करें ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके। माननीय सदस्यों को केवल शोर-शराबा न करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को इन रिक्तियों को भरने के बारे में शिक्षित कर हमारी अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। सरकार उन्हें इन पदों पर नियुक्त करने को तैयार है। अतः, यदि उनके पास अनुसूचित-जनजाति के कोई उम्मीदवार है तो हम उनके लिए आयु सीमा में छूट देने को भी तैयार हैं। मान लीजिए, यदि उनके पास अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार है और न्यूनतम वांछित योग्यता एम० ए० या बी० ए० है, तो हम इसे घटाकर केवल मैट्रिक तक कर देगें, परन्तु वह अवश्य ही विज्ञान का विद्यार्थी होना चाहिए। अतः, उन्हें हमें उम्मीदवार देने चाहिएं और हम उन पदों को भर देगें।

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बकाया-रिक्तियों के बारे में उत्तर में अर्हता प्राप्त लोगों का उपलब्ध न होना कहा है। जब अर्हता-प्राप्त लोग उपलब्ध नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि पद रिक्त ही रहेंगे। अतः मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अर्हता प्राप्त लोग उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या सरकार की उन्हें योग्य बनाने और बकाया-रिक्तियों को भरने की कोई योजना है।

श्री एम० एल० फोतेदार महोदय, सरकार की एक विशेष योजना है कि हमने उनके लिए महा विद्यालय खोले हुए हैं, जहां उनके लिए पन्द्रह प्रतिशत कोटा आरक्षित है। उनका प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य आगे आएं, उन्हें लाएं और हम उन्हें प्रवेश दिलवा देंगे तथा उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, ताकि इन पदों को भरा जा सके। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह योजना उनके लिए खुली है, उनके लिए आरक्षण की सुविधा हैं, अतः उन्हें अवश्य ही आगे आना चाहिए और हमारी सहायता करनी चाहिए। सदस्यों को केवल शोर-शराबा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के इन सामाजिक-आर्थिक गरीब वर्गों की किसी स्तर तक ऊपर उठाने में सहायता करनी चाहिए, ताकि ये सरकारी सेवा में कुछ पद पा सकें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं एक बात बार-बार कहता हूँ कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीति की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। आप हमसे कैंडीडेट मांग रहे हैं। हमने 40 परसेंट कैसे पूरे कर दिए 1-1-90 से 1-10-91 तक। पहली जनवरी से लेकर अक्तूबर, 1990 तक के ये आंकड़े हैं। पहली जनवरी से लेकर अक्तूबर, 1991 तक जब 40 प्रतिशत कैंडीडेटस एविलएबल हो सकते हैं। तो पिछले चालीस सालों में आपको 15 परसेंट कैन्डीडेट कैसे ऐवेलेबल नहीं हुए। इसका मतलत यह है कि हम सिन्सयर थे तो हमने चालीस परसेंट का कोटा पूरा किया। ··· **(व्यवधान)** यह फैक्ट है। आपसे दो साल का आंकड़ा मांगा गया है। आपने दस महीने का आंकड़ा दिया। आपने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के समय का आंकड़ा दिया। एक जनवरी 1990 से एक 31 अक्तूबर 1991 तक··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, कृपया आपको प्रश्न पर आना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरी जानकारी है कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट था तो हमने शुरू किया था। उसको वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है इसलिए बाद का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। श्री सीता राम केसरी जी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं उन्होंने दो दिन पहले इस सदन में जवाब दिया था **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक हम सारा बैकलॉग पूरा कर देंगे :

[अनुवाद]

उनका यह कथन कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित है।

[हिन्दी]

हमने कहा कि आपके पास मैजिक है। उन्होंने कहा कि मैजिक है। 31 मार्च 92 तक हैल्थ-मिनिस्ट्री सारे बैकलॉग को कैसे पूरा करेगी। यह प्रपोजिशन की जवाबदेही नहीं है बल्कि सारे सूटेबल केन्डीडेट्स को 92 तक पूरा करें। कैसे उस चार्जेस को पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० फोतेदार : मॉ रेबन सदस्य मंत्री रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताओं और नीति का फर्क है ··· **(व्यवधान)** आप घबराइए नहीं, मैं आपके सवाल का पूर्ण उत्तर दे दूंगा। आपने फरमाया कि कई नेता हैं और नीयत की कमी है। हमारी ऐसी नीयत नहीं है कि हम किसी नेता का ··· ** ··· लोगों के साथ, हमारी नीयत साफ है कि हम गरीब लोगों की सेवा कर सकें। ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : कुछ तथ्य हैं। हमें प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच रहा का एक भाषण था एक भाषण से उत्तर दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : यादव जी, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मैं उन्हें उत्तर दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

इन्होंने कहा कि जो नीयत है, मैं आप से कहता हूं कि नीयत लोगों के सामने हैं, अवाम के सामने हैं। **

हमारी नीयत सेवा करने से जाहिर होती है, फर्क इतना है।

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान : मुझे एक आपत्ति है।

[हिन्दी]

डा० अम्बेडकर की तस्वीर सेन्ट्रल हाल में लगाना कोई मजाक नहीं है।

[अनुवाद]

इसे, ऊपरी तौर पर न लिया जाना चाहिए। डा० अम्बेडकर का चित्र संसद में लगाया है तो देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, डा० अम्बेडकर की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है। श्री शरद पवार यहां बैठे हुए हैं। डा० अम्बेडकर का अपमान नहीं किया जा सकता है। ·· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० अम्बेडकर के चित्र का उपहास न करें। ···· **(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें अपने कथन को वापिस लेना चाहिए। यह बहुत आपत्तिजनक है। मैं भी इसका कड़ा विरोध करता हूं। वह यह टिप्पणी देकर डा० अम्बेडकर का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। **(व्यवधान)** यही कुछ उन्होंने कहा है। यह निश्चित रूप से डा० अम्बेडकर को अपमानित करना है। **(व्यवधान)**

श्री एम० एल० फोतेदार : मेरी बात सुनिए। **(व्यवधान)** मैं उन्हें उत्तर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : वे डा० अम्बेडकर का नाम क्यों लाये ? मंत्री महोदय को अवश्य उत्तर देना चाहिए। उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए।

श्री श्रीकांत जेना : वे क्या उत्तर देने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री चन्द्र जीत यादव : यह डा० अम्बेड्कर का उपहास है और उनका अपमान है। यह सही तरीका नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं उन्हें उत्तर दे दूंगा। चिन्ता न करें। **(व्यवधान)**

मैं आपको उत्तर दूंगा और पूर्णतया आपको संतुष्ट करूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आप बैठिए। आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाएं नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

— — — —

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हाउस की भावना का प्रश्न है··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको कई प्रश्न पूछने हैं। अब यदि आप भाषण ही देते रहेंगे तो प्रश्न पूछने और उत्तर प्राप्त करने का समय नहीं बचेगा। कृपया आप पूरी तरह अपने प्रश्न पर चर्चा करें और ठीक-ठीक जवाब प्राप्त करें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम आपस में इन बातों को हल्के-फुल्के तौर पर लें। डाक्टर अम्बेडकर का चित्र वहां लगा है और मंत्री जी उनका सम्मान भी करते ही होंगे और ऐसा कहने के पीछे उनकी अवमानना करने का उनका कोई इरादा नहीं रहा होगा। यह वे अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहेंगे और कृपया हम इस बात को एक सीमा से अधिक न खींचे।

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री जी ने जिस तरह डा० अम्बेडकर का आभास कराया वह बहुत ही निंदनीय है। महोदय, मंत्री जी को अपना वह कथन

वापस लेना ही चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप दूसरे प्रश्नों को नहीं लेना चाहते ?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : जिस तरह से उन्होंने डा० अम्बेडकर की अवमानना की है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कुछ कहने दें। उन्हें कुछ कहने का मौका दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मैं पूरा जोर देकर यह कहता हूं कि कुछ लोगों ने उनके नाम का उल्लेख किया है—मैं कभी भी डा० अम्बेडकर नहीं कह सकता, मैं हमेशा 'बाबा साहेब अम्बेडकर' कहूंगा। किसी ने उनका नाम लिया था...

श्री रामविलास पासवान : किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है। किसने उनका नाम लिया ? (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। मंत्री जी को यह वापस लेना होगा। वह प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्हें अपना उक्त कथन वापस लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, आपको हमें संरक्षण देना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : 45 साल तक इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, हमने लगाई तो यह बात कह रहे हैं। इनको विदड्रा करना पड़ेगा। हम डा० अम्बेडकर के साथ को समझौता नहीं करेंगे, यह मजाक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री रामविलास पासवान : इनको विदड्रा करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। वह बाबा साहब अम्बेडकर का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : यह संसद है। उन्होंने डा० अम्बेडकर का अपमान करने का प्रयास किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी की सहायता नहीं कर रहे हैं। न ही आप मेरी सहायता कर रहे हैं। आप सत्ता पक्ष के हैं, आपको और भी अच्छी तरह पेश आना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने दें।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : डा० साहेब अम्बेडकर की हमने फोटो लगाई, इनकी छाती में दर्द हो रहा है। मिनिस्टर को क्षमा मांगनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया भगवान के लिए आप शांत हो जाएं। सदस्यों का एक समूह बैठा है जो केवल बीच में बोलना चाह रहे हैं। कृपया मुझे सदन को नियंत्रित करने दें। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं ? न तो आप उनका सहयोग कर रहे हैं और न मेरा। आप सदन क शोर को बढ़ा रहे हैं। कृपया शांत हो जाएं।

श्री पासवान, मैं कार्यवाही वृतांत को पढ़ूंगा। मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ भी अपमानजनक होगा जिसकी अनुमति दी गई हो। यदि ऐसा होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है। मैं इ‍ पढ़ूंगा और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुँचूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं होगा। मंत्री जी आप केवल प्रश्न का ही उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मंत्री जी की बात को हम एक दम सुनना नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : केन्द्रीय समिति के आप सभापति हैं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे ध्यानपूर्वक कार्यवाही वृत्तांत को पढ़ने दें। यदि इसमें कुछ भी आपत्ति जनक होगा तो मैं उसे हटा दूंगा। पहले आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, उन्हें ही बताने दें। मंत्री जी को ही बताने दें कि उन्होंने किसके फोटो का उल्लेख किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : जब तक वह अपनी टिप्पणी वापस नहीं ले लेते हम मंत्री जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उन्हें यह बताने दें कि किसके चित्र का उन्होंने उल्लेख किया है। **(व्यवधान)**

11.21 म० पू०

इस समय श्री रामविलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य और सभापटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आपको अपनी सीट पर चले जाना चाहिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, इस तरह नहीं चल सकता है। कृपया उन्हें अपने स्थान पर जाने के लिए कहें। वे ऐसा ही कर रहे हैं। **(व्यवधान)** सभा को स्थगित किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को 12.00 मध्यान्ह पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित करता हूं।

11.29 म० पू०

तत्पश्चात लोकसभा 12.00 मध्यान्ह तक के लिये स्थगित हुई।

— — — —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यावसायिक अध्ययन हेतु केन्द्रीय संस्थान

[अनुवाद]

***263. श्री दिग्विजय सिंह :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के प्रसार हेतु व्यावसायिक अध्ययन के लिए केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थान कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह : (क) और (ख) व्यावसायिक अध्ययन के लिए केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी और शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान (सी० आई० वी० ई०) की स्थापना के उद्देश्य

से एन० सी० ई० आर० टी० में शिक्षा के व्यावसायिकरण के मौजूदा विभाग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

नन्दादेवी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का बन्द होना

[हिन्दी]

***265. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :**

क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नन्दा देवी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को पर्यटकों के लिए कब से बन्द किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं को लुप्त होने से बचाने के लिए भी इस प्राणी उद्यान को पुनः खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का प्रबन्ध और नियन्त्रण सम्बन्धित राज्य सरकार के पास होता है। नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान की नाजुक पारि-प्रणाली की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस उद्यान को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन के निदेशानुसार 1983 से पर्यटकों के लिए बन्द कर दिया गया है।

नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो नन्दादेवी जीवमंडल रिजर्व का कोर क्षेत्र भी है अपनी स्थिति, स्थलाकृति, जलवायु और वनस्पति आच्छादन के कारण गढ़वाल हिमालय में एक अदभुत पारि प्रणाली है। पहले इस उद्यान में प्रवेश करने वाले पर्वतारोही जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तथा शिविर बनाने के लिए वनस्पति काट दी जाती थी और वहां गंदगी फैला दी जाती थी। पर्वतारोही दलों के साथ आने वाले पशु पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों में चरा करते थे। पिछले अनुभव और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि उद्यान में पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति दी गई तो वहां इस तरह की गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता है। नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता

[अनुवाद]

***266. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 तथा 1990 में एलोपैथी, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के कितने पंजीकृत चिकित्सक (स्नातक तथा लाइसेंसधारी अलग-अलग) थे;

(ख) इसी अवधि में सरकारी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों की संख्या क्या थी;

(ग) इसी अवधि में उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या क्या थी तथा प्रति एक लाख जनसंख्या को कितने बिस्तर उपलब्ध थे;

(घ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध डाक्टरों, अस्पतालों/डिस्पेंसरियों तथा बिस्तरों की प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) सन् 2000 तक कितने डाक्टरों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा बिस्तरों की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

	1.1.1989 तक की स्थिति	1.1.1990 तक की स्थिति
(क) पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या		
(1) एलोपैथी		
स्नातक	3,33,758	3,46,714
—लासैंसिएट	37,000	37,000
(2) आयुर्वेद		
—संस्थागत अर्हता-प्राप्त	1,94,589	2,16,256*
—गैर-संस्थागत अर्हता-प्राप्त	1,00,652	1,00,926*
(3) होम्योपैथी		
—संस्थागत अर्हता-प्राप्त	'67,485	68,103*
—गैर-संस्थागत अर्हता-प्राप्त	81,381	79,976*

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) सरकारी अस्पतालों और औषधालयों की संख्या		
(1) अस्पताल	4.504	4,526
(2) औषधालय	13,531	12,639—/

—/(सूचनापूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछेक राज्य सरकारों ने अद्यतन आंकड़े नहीं भेजे हैं)

(ग) उपलब्ध पलंगों की कुल संख्या तथा प्रति लाख आबादी पर पलंगों की उपलब्धता		
(1) उपलब्ध पलंगों की कुल संख्या (सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल दोनों के लिए)	5,98,059	6,02,490

	1.1.89 तक की स्थिति	1.1.90 तक की स्थिति
(2) प्रति लाख आबादी पर पलंगों की संख्या	74	74,5

(टिप्पण : कुछेक राज्यों से आंकड़े न मिलने के कारण सूचना अद्यतन नहीं है)

(घ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध डाक्टरों, अस्पतालों/औषधालयों की प्रतिशतता

(I) डाक्टर —31-3-91 की स्थिति के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत 2,416 विशेषज्ञों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 21,428 डाक्टर कार्यरत थे। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यरत प्राइवेट चिकित्सकों सहित डाक्टरों के ब्यौरों के अनुसार कोई भी विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

	1-1-89 के अनुसार शहरी क्षेत्र		1-1-90 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
(II) अस्पताल (सरकारी तथा प्राइवेट दोनों)	7,005	68,86	·3,167	31,13
(III) औषधालय	15,557	55.03	12,747	45.00
(IV) अस्पताली पलंग	5,06,768	84.11	95,722	15.89
औषधालयों में पलंग	9,286	40.50	13,642	59.50

(ङ) सन् 2000 ई० तक डाक्टरों, अस्पतालों, औषधालयों तथा पलंगों की आवश्यकताएं

सन् 2000 ई० तक उक्त आवश्यकताओं को विशेष तौर से निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं संचारी तथा गैर संचारी रोगों की व्याप्तता, जनसंख्या का आकार तथा इसकी संरचना आदि जैसे कई घटकों पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कदाचार

***267. श्री रविराय :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 में बड़े पैमाने पर नकल किए जाने के कारण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली में कई केन्द्रों पर परीक्षायें रद्द कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भविष्य में परीक्षाओं में ऐसे कदाचार रोकने के लिए कुछ अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बोर्ड द्वारा मार्च, 1991 में आयोजित परीक्षाओं के दौरान, दिल्ली स्थित 18 केन्द्रों में माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा X) तथा दिल्ली स्थित 2 केन्द्रों में सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा-XII) रद्द की गई थी।

(ग) और (घ) अल्पावधिक उपायों में से सबसे महत्वपूर्ण उपाय एक ही रूप रेखा (ब्लू प्रिंट) पर आधारित प्रश्न पत्रों के बहुविध सेटों का प्रयोग करना है। दिल्ली में 1992 की परीक्षाओं से प्रश्न पत्रों के बहुविध सेट आरम्भ किए जा रहे है। दीर्घकालिक उपायों के अंग के रूप में, बोर्ड परीक्षा के एक वैकल्पिक मॉडल को परखने का कार्य कर रहा है जिसमें छात्रों को योग्यता क्रम देने का अधिकार स्कूलों को दिया जायेगा जबकि छात्रों के अंक मापने का अधिकार बोर्ड द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

महिलाओं में शिक्षा का प्रसार

*268. कुमारी विमला वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नई शिक्षा नीति के के अन्तर्गत क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में महिलाओं में शिक्षा का स्तर क्या है; और

(ग) विशेष रूप से पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने हेतु उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में, महिलाओं के अधिकार प्रदान करके प्रारम्भिक शिक्षा, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में उनका नामांकन तथा उन्हें उन कार्यक्रमों में बनाए रखकर महिलाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति में असमानता के निवारण पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या के लिए राज्यवार महिला साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अभी हाल ही में देश भर में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई कार्य नीतियां बनाई गई हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। इनमें से कुछ कार्य नीतियां निम्नानुसार हैं :—

(I) महिला समाख्या : इस कार्यक्रम में बुनियादी तौर पर ऐसे तंत्रों के निर्माण पर बल दिया

गया है, जिनमें महिलाओं को अपनी शिक्षा की योजना बनाने तथा उसको अनुवीक्षण करने तथा ज्ञान की एक नए आयाम तक पहुंचने के अवसर प्रदान किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, ग्रामीण स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सामग्री के उत्पादन और शैक्षिक निवेशों को प्रदान करने में महिलाओं को शामिल करना है। यह परियोजना 10 जिलों में आरम्भ की गई है जिनमें कर्नाटक तथा गुजरात के 3-3 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं।

(II) स्कूल शिक्षा : स्कूल शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें स्कूलों में और अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड "स्कीम के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्कूलों में कम-से-कम एक महिला शिक्षक की नियुक्ति, पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के नि:शुल्क वितरण, सभी सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक कया अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में दसवीं कक्षा तक महिलाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

(III) अनौपचारिक शिक्षा : शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों में महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार ने 90% वित्तीय सहायता प्रदान की है बाकी की 10% सम्बन्धित राज्य सरकारें द्वारा वहन की जाता है।

(IV) प्रौढ़ शिक्षा : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करने के लिए उठाए गए विशेष कदमों में ये शामिल हैं :—

— साक्षरता के लिए महिला स्वयंसेवकों तथा महिला शिक्षार्थियों को जुटाने के उद्देश्य से समुचित वातावरण तैयार करने के लिए विशेष प्रयास।

— पठन/पाठन सामग्री प्रशिक्षण आदि की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम विषयवस्तु में महिला समानता तथा अधिकार देने जैसे संदेशों को शामिल करना।

— प्रौढ़ शिक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति,

— महिला प्रशिक्षकों तथा प्रेरकों के लिए उनके शैक्षिक स्तरों में उन्नति के उद्देश्य से सतत

— शिक्षा का प्रावधान।

— साक्षरता से लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों, विशेष कर महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली एजेंसियों को बहुत बड़ी संख्या में शामिल करना;

— साक्षरता दक्षताओं को बनाए रखने और अपनी जीवन दशा सुधारने के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए सतत शिक्षा के माध्यम से अवसरों का प्रावधान।

— महिला साक्षरता और उनके अधिकारों पर फिल्में तैयार करना तथा उन्हें प्रेरित करने और सिखाने—दोनों ही उद्देश्यों से दूरदर्शन पर प्रस्तुत करना।

विवरण

7 वर्ष और इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या की महिला साक्षरता दर को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	महिला साक्षरता दर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.37
3.	असम	43.70
4.	बिहार	23.10
5.	गोवा	68.20
6.	गुजरात	48.50
7.	हरियाणा	40.94
8.	हिमाचलप्रदेश	52.46
9.	जम्मू और कश्मीर	26.15*
10.	कर्नाटक	44.34
11.	केरल	86.93
12.	मध्य प्रदेश	28.39
13.	महाराष्ट्र	50.51
14.	मणिपुर	48.64
15.	मेघालय	44.78
16.	मिजोरम	78.09
17.	नागालैंड	55.72
18.	उड़ीसा	34.40
19.	पंजाब	49.72
20.	राजस्थान	20.84
21.	सिक्किम	47.23
22.	तमिलनाडु	52.29

1	2	3
23.	त्रिपुरा	50.01
24.	उत्तर प्रदेश	26.02
25.	पश्चिमी बंगाल	47.15
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
2.	चंडीगढ़	73.61
3.	दादरा और नगर हवेली	26.10
4.	दमन और दीव	61.38
5.	दिल्ली	68.01
6.	लक्षद्वीप	70.88
7.	पांडिचेरी	65.79
	भारत	39-42

*आकलन वाह्यगणन पर आधारित है।

ताजमहल पर प्रदूषण का प्रभाव

*269. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय दूर संवेदी ऐजेंसी के सहयोग से ताजमहल पर प्रदूषण के दुष्प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। अध्ययन के ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सल्फर डाई आक्साइड मुख्य प्रदूषक है, जबकि नाइट्रोजन के आक्साइडों से भी ताजमहल को क्षति पहुंच सकती है।

(2) ताजमहल के सतह की चमक समाप्त हो गई है और वर्षों से प्रदूषण के प्रभाव के कारण यह खुरदरा और हल्का रंगीन हो गया है।

(3) यह स्मारक समान रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। प्रदूषण की मात्रा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है। सल्फर डाई आक्साइड का प्रभाव गुम्बद जैसे ऊंचे स्थानों पर आधार जैसे निचले स्थानों की तुलना में बहुत कम है।

(4) सल्फर डाई आक्साइड के कारण ताजमहल के भीतरी भागों की अपेक्षा बाहरी भागों की क्षति अधिक हुई है।

ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) ताजमहल के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई गई है। इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी नये उद्योग को लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(2) आगरा के उद्योगों में भट्ठी के तेलों और डीजल जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबन्ध है। जाड़ों की रातों में ढलाई मशीनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती हैं।

(3) जनवरी, 1981 से ताजहमल में निरन्तर चलने वाला एक सल्फर-डाई आक्साइड निगरानी केन्द्र शुरू किया गया है, ताकि परिवेशी वायु में सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के संकेन्द्रण के बारे में पता लगाया जा सके।

(4) मथुरा तेल शोधक कारखाना, मथुरा और उसके आसपास के स्थानों में अपनी स्थापना से ही परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है।

(5) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है और उसका संचालन किया जा रहा है।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(7) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक विकसित किए गए हैं।

(8) उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति अपेक्षाओं का अनुपालन करने को कहा गया हैं ताकि उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखा जा सके।

(9) दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(10) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत सभी वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(11) जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

*270. श्री खारेलाल जाटव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के संबंध में सरकार की योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 235 करोड़ रुपये ।

विवरण

(क) इस समय चल रहे कार्यों, जिन्हें 1995-96 तक पूरा करने का लक्ष्य है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

खंड	कुल मार्ग कि०मी०	ऊर्जित मार्ग कि०मी०	शेष मार्ग कि०मी०	संबंधित राज्य	मार्ग कि०मी०
1	2	3	4	5	6
इटारसी-भुसावल	301	209	92	मध्य प्रदेश	92
दुर्ग-नागपुर	265	225	40	महाराष्ट्र	40
भोपाल-नागदा	239	159	80	मध्य प्रदेश	80
जोलारपेट्टै-बैंगलूरु	143	34	109	कर्नाटक	92
जोलारपेट्टै-ईरोड तथा सेलम-मेट्टूरडैम	221	153	68	आंध्र प्रदेश तमिलनाडु	17 68
दिवा-पनवेल	24	—	24	महाराष्ट्र	24
बीना-कटनी	263		263	मध्य प्रदेश	263
कटनी-बिलासपुर, अनूपपुर-बिश्रामपुर/चिरीमिरी	502	—	502	मध्य प्रदेश	502
काजीपेट-सनतनगर	167	—	167	आन्ध्र प्रदेश	167
सीतारामपुर-झाझा	154	—	154	पश्चिम बंगाल बिहार	16 138
सोननगर-पतरातू	291	—	291	बिहार	291
गुमिया-पतरातू	72	—	72	बिहार	72
साबरमती-गांधीनगर	28	—	28	गुजरात	28

1	2	3	4	5	6
दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना	314	—	314	पंजाब	108
				हरियाणा	178
				दिल्ली (सं०शा०क्षे०)	28
बोकारो स्टील सिटी-	398	—	398	बिहार	224
मुरी हटिया-बोंडामुंडा-				उड़ीसा	138
बरसुआन तथा बिमलगढ़ किरिबुरू				पश्चिम बंगाल	36
	जोड़ :		2602		2602

1.2 राज्यवार चल रहे विद्युतीकरण कार्यों का सारांश

राज्य	मार्ग कि० मी०
मध्य प्रदेश	937
महाराष्ट्र	64
बिहार	725
उड़ीसा	138
पश्चिम बंगाल	52
आंध्र प्रदेश	184
तमिलनाडु	68
कर्नाटक	92
हरियाणा	178
पंजाब	108
गुजरात	28
दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	28
	2602

शिक्षित बेरोजगारों के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना

अनुवाद

*271. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी संख्या में सहायक उद्योगों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ करने के इच्छुक युवा उद्यमियों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण के मामले

* 272. श्री काशीराम राणा :

श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत कितने-कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) कितने लोग दोषी पाये गए तथा कितने लोग दण्डित किए गए;

(ग) क्या वर्ष 1989 में जांच हेतु लिए गए नमूनों की संख्या उससे पहले के तीन वर्षों में लिए गए नमूनों की संख्या से कम थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना इस प्रकार है—

वर्ष	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन पंजीकृत रोगियों की संख्या	दोषी पाए गए और दंडित किए गए व्यक्तियों की संख्या
1988	9599	2376
1989	8126	1824
1990	2385	753

वर्ष 1989-90 की सूचना 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात हरियाणा, राजस्थान, उत्तर

प्रदेश, पांडिचेरी और जम्मू व कश्मीर (कश्मीर डिवीजन) से स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त न होने के कारण अधूरी है।

1990 के आंकड़ों में 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर (कश्मीर डिवीजन) कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पांडिचेरी की सूचना शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) 1986 से 1989 तक जांचे गए नमूनों की संख्या के बारे में सूचना इस प्रकार है—

वर्ष	जांचे गए नमूनों की संख्या
1986	1,21,969
1987	1,31,391
1988	1,30,390
1989	1,21,906

चूंकि 1989 के आंकड़े 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्पष्टीकरण/सूचना के न मिलने के कारण अधूरे हैं, जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, इसलिए 1989 के आंकड़ों की पिछले वर्षों से तुलना करना सही नहीं हो सकता।

नई शिक्षा नीति

*273. श्री सुधीर सावंत :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा वर्ग के विकास के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करते समय राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि महत्व दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करते समय भारतीय इतिहास और संस्कृति को सही व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ग) क्या स्कूल और कालेज दोनों स्तरों पर छात्रों के मन में एकता की भावना पैदा करने के लिए स्कूलों/कालेजों से लगी पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अपनाए जाने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इतिहास सहित विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को संशोधित किया। एन०सी० ई०आर०टी० द्वारा उन अधिकांश विषयों की नई पाठ्य-पुस्तकें शामिल की गई जिनका पाठ्यक्रम संशोधित किया है।

एयर इंडिया के किराये में वृद्धि

[हिन्दी]

274. श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के किरायों में कब-कब वृद्धि की गई थी और इन वृद्धियों के क्या कारण थे; और

(ख) एयर इंडिया ने किराये में कितने प्रतिशत वृद्धि की तथा इसके परिणाम स्वरूप कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, विभिन्न सैक्टरों के संबंध में भारत से अन्तर्राष्ट्रीय यात्री किरायों में 25% से 50% तक के बीच वृद्धि हुई है। मार्ग विशिष्टता मुद्रा विनिमय कारकों और परिचालन की लागतों के आधार पर प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय किरायों में वृद्धियों की सिफारिश की जाती है। किरायों में वृद्धि के फलस्वरूप अर्जित की गई अतिरिक्त राजस्व की सही राशि बताना कठिन है।

कोबाल्ट संयंत्रों द्वारा कैंसर के मरीजों का इलाज

275. श्री रामनारायण बैरवाह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कितने कोबाल्ट संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा इस हेतु कितनी धनराशि राज्यवार निर्धारित की गई है;

(ख) क्या राजस्थान में यह सुविधा अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान में नये कोबाल्ट-संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए कोबाल्ट संयंत्रों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोबाल्ट संयंत्रों की संख्या
1 2	3
1. आंध्र प्रदेश	7
2. असम	1

1	2	3
3.	बिहार	1
4.	चंडीगढ़	2
5.	गुजरात	2
6.	हरियाणा	1
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	5
9.	मध्य प्रदेश	1
10-	महाराष्ट्र	5
11.	मणिपुर	1
12.	मेघालय	1
13.	उड़ीसा	1
14.	तमिलनाडु	6
15.	उत्तर प्रदेश	5
16.	पश्चिम बंगाल	1
	योग :	41

कोबाल्ट यूनिटें स्थापित करने के लिए धन की उपलब्धता की शर्त पर विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं को प्रति यूनिट 12.00 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने हेतु इस मन्त्रालय की एक स्कीम है। वर्ष 1990-91 के दौरान इस राशि को बढ़ाकर प्रति यूनिट 20.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थाओं को राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	112
2.	असम	24

1	2	3
3.	गोवा	12
4.	हरियाणा	12
5.	हिमाचल प्रदेश	12
6.	जम्मू और कश्मीर	24
7.	कर्नाटक	24
8.	केरल	36
9.	मध्य प्रदेश	32
10.	मणिपुर	12
11.	महाराष्ट्र	72
12.	उड़ीसा	20
13.	पंजाब	32
14.	राजस्थान	24
15.	तमिलनाडु	48
16.	त्रिपुरा	20
17.	उत्तर प्रदेश	70
18.	पश्चिम बंगाल	12
19.	दिल्ली	34
20.	चंडीगढ़	24
	योग :	656 लाख

(ख) से (घ) राजस्थान में उपलब्ध कोबाल्ट थिरेपी सुविधाएं पर्याप्त नहीं समझी गई है। इस मन्त्रालय ने एम०बी०एस० अस्पताल, कोटा को एक कोबाल्ट यूनिट की स्थापना करने के लिए 12.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही दे दी है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर तथा रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर में ऑनकोलॉजी स्कंधों का विकास करने संबंधी एक प्रस्ताव पर अलग से विचार किया जा रहा है।

मलेरिया-औषधि की कमी

[अनुवाद]

*276. श्री चमन कुमार पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" के मुम्बई संस्करण में "गवर्नमेंट इगनोर्स शार्टेज आफ मलेरिया ड्रग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला तथा कमी को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1990 से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान प्राईमाक्विन गोलियों की कमी थी। यह गोली मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में उपयोग की जाने वाली मलेरिया-रोधी औषधों में से एक है। यह कमी आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आदेशों के अनुसार आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण हुई। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से प्राइमाक्विन गोलियों के आयात के लिए व्यवस्था की और अब इसकी पर्याप्त मात्रा खरीदी जा चुकी है।

2. प्राइमाक्विन गोलियों के भंडार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय ने 6-5-1991 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को मलेरिया के गम्भीर और प्रतिरोधी रोगियों के लिए ही प्राइमाक्विन के उपयोग को सीमित करने के लिए हिदायतें जारी की थीं। वे हिदायतें बाद में 11-9-1991 को वापिस ले ली गई।

स्कूल स्तर की पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम

[हिन्दी]

*277. श्री मयूब खां :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में लगी पाठ्य पुस्तकों से सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हटा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) एन० सी०ई०आर० टी० और सी० बी० एस० ई० से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई नाम नहीं हटाया गया है।

"एड्स" रोग की रोकथाम

[अनुवाद]

*278. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान लेटेक्स" ने देश में "एड्स" रोग की रोकथाम के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड ने कन्डोमनें की गुणवत्ता तथा संघंषनात्मक कार्यकलापों में सुधार करने के लिए 9-9-1991 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव 2241 लाख रुपए के परिव्यय का है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

		(लाख रुपए में)
1.	गुणवत्ता आश्वासन सम्बन्धी पद्धति में सुधार करने के लिए उपकरण की खरीद	806
2.	अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययन	35
3.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	525
4.	10,000 बेंडिंग मशीनों को लगाना	875
		2241

(ग) एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए परियोजना के एक व्यापक प्रस्ताव पर विश्व बैंक के साथ विचार किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इस परियोजना में कन्डोमों की गुणवत्ता में सुधार करना भी शामिल है जो हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा अपने उपर्युक्त प्रस्ताव में उल्लिखित कुछेक कार्य कलापों को कवर करेगा।

नये पर्यटन मार्ग

279. श्री पी० सी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "भारत भ्रमण वर्ष" के संदर्भ में कुछ मार्गों को पर्यटन मार्गों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; तथा केरल में ये मार्ग किन क्षेत्रों में हैं;

(ग) क्या इन मार्गों में कोवलम को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन वर्ष 1991 के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों तथा उद्योग से परामर्श करके अठारह नए परिपथ अभिनिर्धारित किए गए थे ताकि आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं को

सुदृढ़ किया जा सके। ये स्थापित परिपथों के विस्तार परिपथ हैं। इन परिपथों में केरल के 4 स्थानों को शामिल किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कोवलम एक स्थापित यात्रा परिपथ में पहले से ही है।

पंचायती राज और महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

280. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री अनादि चरण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज और महिलाओं के संबंध में पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन कब और कहां हुआ था;

(ख) इसमें लिए गए निर्णयों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन पर की गई या की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंचायतों, योजना बोर्डों आदि में महिलाओं के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) "पंचायती राज और महिलाएं" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 3-4 मई, 1989 को आयोजित किया गया।

(ख) से (घ) पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों जैसे विभिन्न निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण किए जाने पर आम सहमति प्रकट की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए आरक्षण सहित पंचायतों में आरक्षण के संबंध में संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 दिनांक 16.9.91 को लोक सभा में पेश किया है।

रेलवे सुरक्षा बल

[हिन्दी]

*281. श्री जनार्दन मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बल को आधुनिक बनाने तथा आधुनिक उपस्कर, वाहनों शस्त्र तथा गोला-बारूद और प्रशिक्षण उपकरणों से लैस करके इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

नीम हकीमों के खिलाफ अभियान

[अनुवाद]

*282. श्री एम० डेनिस :

डा० (श्रीमती) पद्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में नीम हकीमों पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में इस आशय के वांछिक उपबन्ध पहले से ही मौजूद है कि राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज चिकित्सकों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा और इस उपबन्ध के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की कैद अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों किए जा सकेगें।

भारत सरकार ने अयोग्य चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कार्य को रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वाण्छिक प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अयोग्य चिकित्सकोंको किसी भी प्रकार से मान्यता प्रदान करने के सख्त खिलाफ है क्योंकि इससे नीम हकीमी को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम को शुल्क-मुक्त दुकानों में कथित कदाचार

*283. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की शुल्क-मुक्त दुकानों में कदाचार तथा राजस्व की चोरी की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाई की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की शुल्क मुक्त दुकानों में कदाचार की कुछ शिकायतें मिली हैं। तथापि, राजस्व की चोरी की कोई शिकायत नहीं है।

(ख) दिल्ली और बंबई हवाई अड्डों की शुल्क मुक्त दुकानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों को

आयातित शराब तथा अन्य आयातित वस्तुओं की बिक्री भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि की पांच शिकायतें मिली हैं। इन पांच शिकायतों में से, तीन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, एक मामले में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा और एक मामले में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्रवाई की गई है/ की जा रही है।

(ग) नियंत्रण कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं जिनमें आकस्मिक जांच और कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना शामिल हैं। इसके अलावा, बिल तैयार करने तथा वस्तु-सूची तैयार करने की प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

बुल्लहपुर स्टेशन पर टिकटों की बिक्री

[हिन्दी]

2967. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी-भटनी रेल लाइन पर स्थित बुल्लहपुर स्टेशन पर वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान रेल टिकटों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ख) क्या उक्त स्टेशन पर रेल टिकटों की बिक्री में वर्ष 1990-91 के दौरान गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस घाटे को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान बुल्लहपुर स्टेशन पर टिकटों की बिक्री से वसूल की गई कुल राशि क्रमशः 34.45 लाख रुपये और 40.81 लाख रुपये थी।

(ख) जी हां।

(ग) आमान परिवर्तन कार्य तथा लम्बे समय तक चले जन-आंदोलन की वजह से नियमित गाड़ी सेवाओं में आए व्यवधान के कारण 1990-91 में आमदनी में गिरावट आई थी। बिना टिकट यात्रा करने के कुछ मामले भी ध्यान में आए थे। हानि को रोकने के लिए टिकटों की जांच तेज की जा रही है।

प्रदूषण शुल्क लागू करना

[अनुवाद]

2968. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के अनुपात में अवशिष्ट पदार्थों के सभी स्रोतों पर प्रदूषण/उपकर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक 1991 लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसमें जल की खपत और अशोधित बहिस्राव का विसर्जन करने वाले उद्योगों पर उपकर की दरों में वृद्धि किए जाने की व्यवस्था है, जबकि में बहि: स्राव शोधित करने वाले उद्योगों की उपकर की दरों में छूट दी गई है। इसका उद्देश्य जल प्रदूषण उपशमन सुविधाएं स्थापित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करना और एक विरल व बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन अर्थात स्वच्छ जल का संरक्षण करना है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के कालेजों की संख्या

2969. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को देश में, राज्यवार सरकारी तथा गैर-सरकारी यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलिजों की संख्या कितनी है तथा इनमें/कितने छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश पाते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की इन कॉलेजों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कॉलिजों को मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद की भांति एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो मान्यता प्राप्त, अस्वीकृत एवं मान्यता के लिए विचाराधीन श्रेणियों के अन्तर्गत कॉलिजों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए धनराशि का आवंटन

2970. **श्री आर्य फर्नान्डीज :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान बिहार में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई और उसका कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्हील और एक्सल की खरीद

2971. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से रेलवे के लिए एक्सलों और व्हीलों की खरीद पर खर्च हुए व्यय का देशवार ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे ने सरकारी क्षेत्र के एककों से इसकी कुल कितने प्रतिशत मांग की थी;

(ग) क्या सरकार ने रेलों के व्हीलों और एक्सलों के निर्माण हेतु कुछ निजी क्षेत्र के उद्योगों से प्रस्ताव करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितने प्रतिशत मात्रा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इस कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र की विद्यमान क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्यों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1988-89 — 58.92

1989-90 — 48.14

1990-91 — 45.03

(ग) और (घ) नई औद्योगिक नीति में ये मदें लाइसेंस मुक्त हैं और सरकार की ओर से कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है, भारतीय रेलें निजी क्षेत्र से भी छोटे सामान के चल स्टाक के लिए पहियों और सभी सामानों के लिए धुरों और टायरों की खरीद कर रही हैं, पहिया डिस्को के निर्माण और सप्लाई के प्रति निजी क्षेत्र में दिलचस्पी उत्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की स्वदेशी यूनिटों का पूर्णत: उपयोग करने के बाद ही आयात की योजना तैयार की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1988-89 से 1990-91 के दौरान पहियों और धुरों के आयात के देशवार मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

देश	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	0.29	—	—
पोलैंड	8.44	17.83	11.82

1	2	3	4
जापान	4.22	8.38	27.32
हंगरी	2.11	—	1.02
साउथ कोरिया	8.44	—	14.98
यू० के०	—	4.74	0.88
फ्रांस	0.43	10.39	—
इटली	6.03	8.45	16.23
रोमानिया	—	9.41	—
ब्राजील	19.30	24.72	0.48
चेकोस्लोवाकिया	—	—	0.99
युगोस्लाविया	—	—	0.50
अर्जेंटीना	1.39	—	4.36
जोड़ :	50.65	83.92	78.58

चेम्मला और आर्यंम करण स्टेशनों का विस्तार

2972. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्विलोंन-शेनकोट्टा छोटी लाइन पर चेम्मला और आर्यंम करण के पुराने रेलवे स्टेशनों का नवीकरण तथा विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अभयपुरी में पुल

2973. श्री उद्धव बर्मन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने उत्तर सीमांत रेलवे पर बोंगाईगांव रेलवे क्रासिंग के निकट अभयपुरी में फ्लाइ-ओवर-ब्रिज का निर्माण करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य के लिए प्रस्ताव योजना स्तर पर है, पुल के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तक अपना अन्तिम निर्णय नहीं बताया है।

पोलियो को दवाई और मस्तिष्क-ज्वर के टीके की मंजूरी

2974. श्री अर्जुनचरण सेठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा देश में विकसित पोलियो की पिलाने की दवाई और मस्तिष्क ज्वर के जापानी टीके को अभी केन्द्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को स्वीकृति के लिए कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) इन टीकों के प्रयोग की अनुमति कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा कोई भी देशी मुखसेव्य पोलियो वेक्सीन विकसित नहीं है। तथापि, 1987-88 से केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जापानी मस्तिष्कशोथ वेक्सीन का उत्पादन नियमित रूप से किया जा रहा है।

रक्तोत्पादों का उत्पादन करने वाले एकक

[हिन्दी]

2975. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रक्तोत्पादों का उत्पादन करने वाले एककों के बारे में 12 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : जी, हां।

(ख) उन यूनिटों में, जो रक्त उत्पादों का विनिर्माण कर रही है, एड्स संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावकारी जांच सुविधाएं हैं। सरकार ने पहले ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिनका विनिर्माताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये रक्त उत्पादन एड्स संक्रमण से मुक्त है, अनुपालन करना अपेक्षित है।

कर्नाटक में स्वास्थ्य सुविधाएं

[अनुवाद]

2976. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में वर्तमान सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और कर्नाटक में हुमनाबाद, बीदर और हुसगर में नये विशिष्ट अस्पतालों के निर्माण के लिए सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत सरकार को विश्व बैंक सहायता के लिए भेजने हेतु अक्तूबर, 1991 में कर्नाटक में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों में लगभग 172.00 करोड़ रुपये की लागत से सुधार करने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । इस परियोजना में जिला-स्तर के मौजूदा अस्पतालों तथा उप मण्डल स्तर के अस्पतालों और संस्थाओं में 13475 और पलंगों की व्यवस्था करने की बात सोची गई है। इसके अलावा दो नये प्रसूती अस्ताल खोलने का प्रस्ताव भी किया गया है जिनमें बीदर जिले में हुमनाबाद में एक अस्पताल खोलना शामिल है।

कोडरमा में कलकत्ता तथा दिल्ली जाने वाली गाड़ियों में आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

2977. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम लोगों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का कोडरमा स्टेशन से कालका तथा नीलांचल एक्सप्रेस में कलकत्ता तथा दिल्ली के लिए आरक्षण कोटा दुगुना करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोडरमा में दिल्ली के लिए 2311 कालका मेल और 8475 नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा कोटे, वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस स्टेशनों पर हावड़ा के लिए 2312 कालका मेल में किसी कोटे की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि यह लम्बी दूरी के यात्रियों में अत्यधिक लोकप्रिय है और इस स्टेशन से असुविधाजनक समय पर गुजरती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

युवाओं, महिलाओं तथा खेलकूद क्रियाकलापों के लिए अनुदान

2978. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष युवा कल्याण महिलाओं के उत्थान और शिक्षा तथा खेल-कूद के विस्तार पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) ऐसे क्रियाकलापों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धन राशि कितनी है;

(ग) क्या इन क्रियाकलापों के विकास कार्यक्रमों के लिए पिछड़े राज्यों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :

युवा कार्यक्रम	खेल	शिक्षा महिला और बाल विकास
(क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है	(क) राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय नीचे दिया गया है	सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रखी जाएगी।

(रुपये लाखों में)

वर्ष	योजनागत	गैर योजनागत
1988-89	4795	1613
1989-90	5257	1515
1990-91	3442	1464

युवा कार्यक्रम	खेल
(ख) 51,227 लाख रुपए का आबंटन प्रस्तावित है।	(ख) 727,00 लाख रुपए का आबंटन प्रस्तावित है।
(ग) और (घ) प्रस्तावों की जांच करते समय पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है। 1990-91 से पिछड़े जनजातीय युवाओं में क्रियाकलापों का संवर्धन नामक एक नयी योजना भी शुरू की गई है।	(ग) और (घ) पिछड़ेपन के आधार पर प्राथमिकता की कोई पद्धति नहीं है लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों को उच्च दर पर सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राज्यवार युवा कल्याण पर व्यय का विवरण

(रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
आन्ध्र प्रदेश	1,63,98,714	1,32,04,661	1,22,34,116
अरुणाचल प्रदेश	9,27,262	5,30,010	12,79,010
असम	46,80,203	45,82,240	57,56,906
बिहार	45,79,339	1,32,17,536	1,04,71,162
उड़ीसा	75,74,776	78,65,660	58,45,615
मध्य प्रदेश	1,65,09,433	1,28,17,405	1,00,83,987
उत्तर प्रदेश	2,95,86,823	2,65,04,085	2,11,11,075
महाराष्ट्र	1,13,81,846	89,95,841	1,01,64,082
केरल	92,62,001	59,24,551	70,68,078
कर्नाटक	1,28,40,828	76,56,558	1,05,76,261
तमिलनाडु	1,65,06,590	1,08,22,915	1,54,66,378
राजस्थान	1,05,16,552	74,04,530	92,63,840
पंजाब	86,72,104	80,44,278	79,48,464
हरियाणा	61,25,580	45,56,413	57,86,216
पश्चिम बंगाल	86,67,285	77,75,062	1,09,40,344
त्रिपुरा	11,32,833	17,09,940	6,81,878
मेघालय	12,62,996	21,86,375	10,09,148
मिजोरम	7,57,958	4,19,705	46,07,886
नागालैंड	18,21,216	16,49,750	7,44,809
जम्मू और कश्मीर	35,27,767	12,23,983	8,54,651
हिमाचल प्रदेश	63,96,243	54,62,078	29,20,432
गुजरात	91,39,800	71,36,076	77,35,784
सिक्किम	22,56,150	2,90,810	7,13,564
गोवा	16,03,791	5,67,355	6,23,903
मणिपुर	24,70,008	16,50,580	11,83,546

रांची होते हुए गुवाहाटी से राउरकेला तक रेलगाड़ी

[अनुवाद]

2979. श्री गोविंद चन्द्र मुंडा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में रांची होते हुए गुवाहाटी से राउरकेला तक कोई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी।

दिल्ली में परिक्रमा रेल सेवा

2980. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली में परिक्रमा रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने और इन सेवाओं को और प्रभावी बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब लागू करने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई हवाई अड्डे को बन्द करना

2981. श्री राम नाईक :

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 में मुम्बई हवाई अड्डे पर कई दिन तक उड़ानों का उतरना बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) यातायात में ऐसी बाधाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाएं जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। मैसर्स कांटीनेन्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के एक विमानन के दुर्घटना-ग्रस्त हो जाने के कारण, बम्बई हवाई अड्डे को 28.10.1991 को, केवल 1855 बजे से 2125 बजे तक, विमानों के आवागमन के लिए बन्द कर दिया गया था।

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं के मामले में, यातायात में कुछ व्यवधान आना अपरिहार्य हो जाता है। तथापि, दुर्घटनाग्रस्त विमान को धावनपथ से हटाने के लिए कार्यविधि पहले से ही निर्धारित है और इन अनुदेशों के अनुपालन पर जोर दिया गया है।

जनकपुर रोड में उपरिपुल

[हिन्दी]

2982. श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बिहार के सीतामढ़ी जिले में जनकपुर रोड स्टेशन पर रेलवे उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) : राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से इस सुविधा के लिए नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ अभी तक रेलवे को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बोइंग 747 की खरीद

[अनुवाद]

2983. श्री डी० माडेगौडा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बोइंग 747 संचालन में हैं तथा कितने संचालन में नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और बोइंग 747 विमान खरीदने का है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) नए विमान कब तक मिल जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया के विमान-बेड़े में 11 बोइंग 747 विमान हैं और ये सभी परिचालनरत हैं।

(ख) और (ग) एयर इंडिया ने चार बोइंग 747-400 विमान की खरीद के लिए एक खरीद करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिनकी डिलीवरी 1993 और 1994 में की जायेगी।

मुंबई में अंशकालीन टिकिट कलक्टर

2984. श्री गोविन्दार निकाम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा मुंबई में अंशकालिक टिकिट कलक्टरों को नियुक्त किया गया है;

(ख) उनको कितना प्रतिशत कमीशन दिया जा रहा है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी राशि एकत्रित की गई है;

(घ) क्या सरकार इस योजना को रेलवे के सभी जोनों में लागू कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक जोनवार इस समय ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1991 के दौरान जुर्माने के तौर पर कितनी राशि एकत्रित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बम्बई क्षेत्र में कुछ ऐसे रेल कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जो अपने सामान्य ड्यूटी घंटों के बाद स्वेच्छा से टिकट जांच का काम करने के लिए तैयार हैं।

(ख) उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है जो अधिक प्रभार और बिना बुक किए गए सामान के मामलों में वसूल की गई आमदनी के भिन्न-भिन्न स्लैबों के लिए 20 से 35 प्रतिशत के बीच होता है;

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान 42.80 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) अन्य रेलों पर इस योजना के बारे में अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई।

हैदराबाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शाखा

2985. श्री के० वोबका राव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक शाखा हैदराबाद में खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक खोला जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिद्धांत रूप में, देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन कार्यालयों के स्थान निर्धारण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विस्तार

2986. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितना अनुमानित खर्च आएगा; और

(ग) कितने समय तक इसका कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से (ग) जी, हां। आठवीं योजनावधि के दौरान लगभग 44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक जांच बाह्य रोगी विभाग, अतिरिक्त निजी वार्ड, शल्य चिकित्सा खंड, शव-गृह, एक पशु-गृह आदि स्थापित करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का विस्तार करने का प्रस्ताव है। उक्त विस्तार कार्य को चरणबद्ध ढंग से किए जाने का प्रस्ताव है और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के समाप्त होने से पहले इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है।

रेल किराए में वृद्धि

2987. श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के पठानकोट और जोगिन्दर नगर के बीच छोटी रेल लाइन के रेल किराया प्रभार में अन्य छोटी लाइनों की तुलना में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पठानकोट-जोगिन्दर नगर खंड पर बढ़ाई गई दूरी के आधार पर किराया लिया जाता है जो वास्तविक दूरी का डेढ़ गुना है;

(ख) दूरी बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि यदि वास्तविक दूरी के आधार पर किराया और मालभाड़ा लिया जाता है तो यह लाइन लाभप्रद नहीं रहेगी, प्रभार लेने के लिए दूरी में की गई वृद्धि के बावजूद रेलें इस खंड पर हानि उठा रही हैं, वास्तविक

दूरी में वृद्धि करने की ऐसी परिपाटी कुछ अन्य अलाभप्रद लाइनों पर भी प्रचलित है, भले ही वे किसी भी आमान की हों।

विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की संख्या

2988. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में इस समय कार्यरत विशेषज्ञों की डिस्पेंसरीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विशेषकर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और नई दिल्ली में और अधिक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इस समय वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिल्ली, नई दिल्ली में और वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

एक विशेषज्ञ कई औषधालयों से संबद्ध है जो वहां बारी-बारी से बैठता है।

के० स० स्वा० यो० संस्थाओं में विभिन्न प्रणालियों में कार्यरत विशेषज्ञों की संख्या नीचे दर्शाई गयी है क्योंकि औषधालय-वार सूचना देना संभव नहीं है :

एलोपैथिक विशेषज्ञ

संस्था का नाम		विशेषज्ञों की संख्या
1	2	3
के०स०स्वा०यो०, दिल्ली		73
,, ,,	बम्बई	13
,, ,,	कलकत्ता	4
,, ,,	मद्रास	4

1	2		3
,,	,,	हैदराबाद	6
,,	,,	बैंगलूर	4
,,	,,	पुणे	2
,,	,,	अहमदाबाद	2
,,	,,	नागपुर	7
,,	,,	पटना	2
,,	,,	कानपुर	3
,,	,,	लखनऊ	2
,,	,,	इलाहाबाद	5
,,	,,	मेरठ	1
,,	,,	जयपुर	6

दिल्ली के बाहर के०स०स्वा०यो० औषधालयों में कार्यरत कोई भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक अथवा यूनानी विशेषज्ञ नहीं है। के०स०स्वा०यो०, दिल्ली के आंकड़े इस प्रकार हैं :

वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक	--1
वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक	—4
वरिष्ठ यूनानी चिकित्सक	—शून्य

विश्व बैंक सहायता के साथ महिला पोलिटेक्निक योजना

2989. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से कितने महिला पोलिटेक्निक खोलने का विचार है और इन पोलिटेक्निकों की राज्यवार सूची क्या है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या ये पोलिटेक्निक शैक्षिक-वर्ष 1992-93 से कार्य करना शुरू कर देंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दी गई राज्य-वार सूची के अनुसार, विद्यमान पालिटेक्निकों में महिलाओं के लिए पृथाविंगों सहित 38 नये

महिला पोलिटेक्निकों को वर्ष 1990-98 के दौरान देश में तकनीकिशयन शिक्षा को सुदृढ़ करने से संबंधित परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक ऋण/ऋण सहायता से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक सहायता का 93 करोड़ रुपये का अनुमान है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्तावों के अनुसार विद्यमान पालिटेक्निक में महिलाओं के लिए अलग विंगों सहित 22 नए महिला पालिटेक्निक 1992-93 तक कार्यात्मक हो जाएगी।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किए जाने वाले विद्यमान पालिटेक्निकों में महिलाओं के लिए नए महिला पालिटेक्निक/अलग विंगों को राज्यवार सूची

क्र०सं०	राज्य का नाम	स्थापित किए जाने वाले नए महिला पालिटेक्निकों/विंगों की संख्या
1	2	3
	चरण-I	
1.	बिहार	1
2.	गुजरात	4
3.	कर्नाटक	1
4.	केरल	1
5.	मध्य प्रदेश	6
6.	उड़ीसा	2
7.	राजस्थान	3
8.	उत्तर प्रदेश	4
	कुल	22
	चरण-II	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	हरियाणा	1

1	2	3
4.	हिमाचल प्रदेश	—
5.	महाराष्ट्र	7
6.	पंजाब	3
7.	तमिलनाडु	—
8.	पश्चिम बंगाल	2
9.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	—
	कुल	16

कुल जोड़ (चरण-1+2)=38

रेलवे अधिकारियों की वेतनमान-वार संख्या

[हिन्दी]

2690. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1991 को जोनल रेलवे, रेलवे मानक संस्थान, रेलवे बोर्ड और रेलवे के अन्य उत्पादन/निर्माण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की विभाग-वार, वेतनमान-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया (अर्थात 31-3-90 की स्थिति) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन यूनिट, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ० अ०मा० सं०) तथा रेलवे बोर्ड में विभाग वार तथा वेतनमानवार अधिकाधिरियों तथा कर्मचारियों की संख्या का ब्योरा (31.3.1990 को)

ग्रुप "क"

(8,000/-रु० (निर्धारित) और 2200-4000 रु० के बीच वेतनमान)

विभाग	मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे	उत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दक्षिण रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे	पश्चिम रेलवे	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	डीजल कलपुर्जा कारखाना	डीजल रेल इंजन कारखाना	सवारी डिब्बा कारखाना	पहिया एवं धुरा संयंत्र	रेल कोच फैक्टरी	अ०अ०मा० सं०*	रेलवे बोर्ड	जोड़
प्रशासन	45	70	68	44	51	60	41	81	77	9	3	7	8	3	11	—	—	578
लेखा	27	28	35	19	12	26	46	41	38	8	4	16	7	3	9	—	—	319
इंजीनियरी	76	100	113	45	76	91	70	97	150	6	4	2	3	1	18	—	—	852
सिगनल एवं दूर संचार	42	49	30	23	30	40	26	64	58	—	—	—	—	—	2	—	—	364
परिवहन	24	30	48	25	19	30	21	42	42	—	—	—	—	—	—	—	—	281
वाणिज्य	26	35	49	17	11	36	18	27	32	—	—	—	—	—	—	—	—	251
यांत्रिक इंजी०	57	82	53	45	32	50	34	57	86	46	13	25	18	9	41	—	—	648
भंडार	27	37	24	19	18	24	18	26	34	23	5	21	9	2	15	—	—	292
बिजली	60	51	55	17	11	48	20	64	65	36	3	7	10	3	15	—	—	465
चिकित्सा	306	322	357	120	122	184	193	278	271	23	7	11	12	4	8	—	—	2218
रेल सुरक्षा बल	9	32	21	10	5	9	5	9	24	1	1	—	—	—	1	—	—	127
रेलवे बोर्ड/ अ०अ०मा०सं०*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	295	459
जोड़	699	836	853	384	387	598	492	786	877	152	40	79	67	25	120	164	295	6854

*विभागवार गठित नहीं किये गए हैं

ग्रुप 'ख'

(2375-3500 रु० तथा 2000-3500 रु० के बीच के वेतनमान)

विभाग	म०रे०	पू०रे०	उ०रे०	पूर्वोत्तर रे०	पू०सी० रे०	द०रे०	द०म० रे०	द०पू० रे०	प०रे०	चि०रे० का०	डी०पु० का०	डी०रे० का०	स०डि० का०	प०एवं यु०सं०	रे०को० फं०	अ०अ० मा०सं०	रे० बो०	जोड़
प्रशासन	97	66	101	49	46	75	81	104	73	8	3	10	10	8	4	—	—	735
लेखा	73	78	80	50	43	67	34	87	37	21	7	15	15	6	2	—	—	615
इंजीनियरी	210	142	256	89	101	157	142	197	161	6	10	6	6	2	5	—	—	1,490
सि० एवं दू० सं०	61	56	120	31	22	49	43	53	48	—	—	—	—	—	1	—	—	484
परिवहन	61	48	61	24	19	28	41	64	45	—	—	—	—	—	—	—	—	391
वाणिज्य	56	49	53	35	23	32	36	39	39	—	—	—	—	—	—	—	—	367
यांत्रिक इंजी०	109	109	127	42	32	42	61	100	74	32	13	23	39	16	13	—	—	832
भंडार	61	32	44	16	18	27	33	38	31	8	7	12	9	8	4	—	—	348
बिजली	90	71	62	16	20	36	36	89	41	16	3	13	15	6	4	—	—	518
चिकित्सा	—	15	1	15	2	37	1	24	17	2	—	—	—	1	—	—	—	115
रे०सु०ब०	17	—	11	12	11	13	14	91	—	1	—	1	2	1	1	—	—	105
अ०अ०मा०सं०* रेलवे बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205	218	423
जोड़	835	666	916	379	342	563	522	816	566	94	43	80	96	48	34	205	218	6.413

*विभागवार गठित नहीं किए गए हैं।

ग्रुप "ग"

(2375-3500 रु० तथा 825-1200 रु० के बीच के वेतनमान)

विभाग	म० रे०	पू० रे०	उ० रे०	पूर्वोत्तर रे०	पू० सी० रे०	द० रे०	द० ग० रे०	द० पू० रे०	प० रे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रशासन	5248	4267	7098	2488	2209	3391	4365	5391	5229
लेखा	2899	3443	4035	2112	1770	2680	2135	3975	3298
इंजीनियरी	10082	7556	9926	5095	5172	9582	6522	10777	9752
सि० एवं दू० सं०	4982	4978	5685	3512	1968	4930	3772	4188	5721
परिवहन	16272	18090	19125	8699	6741	11207	10524	16180	16633
वाणिज्य	11293	11833	11585	5149	4025	8180	6043	7399	9819
यांत्रिक इंजीनियरी	39693	48711	50091	20153	11024	29217	24708	37847	38179
भंडार	2631	3230	2446	1495	1444	1997	1564	2047	1907
बिजली	14351	17690	9802	4002	3070	8883	4854	14372	11822
चिकित्सा	1327	1370	1247	694	1012	1179	794	1316	1333
रे० सु० ब०	930	8820	8550	3953	3966	892	513	3923	6873
अ०अ०मा०सं०/* रेलवे बोर्ड*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ :	109708	129988	129590	57352	42401	82138	65794	107415	110566

*विभाग वार गठित नहीं किए गए हैं।

चि० रे० का०	डी० पु० का०	डी० रे० का०	स० वि० का०	प० एवं ध० सं०	रे० को० फ०	अ० आ० मा० सं०	रेलवे बोर्ड	जोड़
11	12	13	14	15	16	17	18	19
477	62	456	361	58	66	—	—	41,366
537	90	315	364	67	93	—	—	27,815
439	94	223	300	78	228	—	—	75,824
38	—	—	—	15	39	—	—	39,828
—	—	—	—	—	—	—	—	123,471
—	—	—	—	—	—	—	—	75,326
8395	1659	3587	9192	632	2503	—	—	325,591
714	119	490	359	90	135	—	—	20,668
1862	114	749	1419	161	338	—	—	93,508
156	25	42	32	32	39	—	—	10,598
240	24	23	50	106	121	—	—	38,984
—	—	—	—	—	—	2199	1309	4,008
12858	2187	5879	12077	1264	3562	2199	1309	876,787

ग्रुप "घ"

(800-1150 रु० और 750-940 रु० के बीच के वेतनमान)

विभाग	म० रे०	पू० रे०	उ० रे०	पूर्वोत्तर रे०	पू० सी० रे०	द० रे०	द० म० रे०	द० पू० रे०	प० रे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रशासन	682	1198	1436	786	515	655	741	1056	1162
लेखा	377	366	650	367	246	248	211	516	412
इंजीनियरी	41995	38972	47751	23240	14694	26786	26489	41375	39083
सि० एवं० दू० सं०	4467	5448	6075	2480	1403	1803	3059	4339	4637
परिवहन	11392	10908	10140	4020	4566	6102	5727	9600	10325
वाणिज्य	7587	2653	6589	3862	3275	3301	3054	4412	6912
यांत्रिक इंजी०	21039	19644	20536	11007	8250	10271	12903	18459	18779
भंडार	2503	2967	2696	1346	1302	2019	1167	2256	2537
बिजली	9959	8145	5913	2171	3542	3929	2781	7841	6986
चिकित्सा	4840	6216	7337	2373	4328	3587	3069	6299	4755
रे० सु० ब०	6338	338	3	24	204	4570	3395	4626	68
अ० अ० मा० सं०* रेलवे बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	111,179	96,855	109,126	51,676	42,325	63,271	62,596	100,799	95,656

* विभागवार गठित नहीं किए गए हैं।

चि० रे० का०	डी० पु० का०	डी० रे० का०	स० डि० का०	प० एवं धु० सं०	रे० को० फे०	अ० अ०* मा० सं०	रेलवे* बोर्ड	जोड़
11	12	13	14	15	16	17	18	19
119	9	271	134	24	32	—	—	8,820
49	22	75	35	15	15	—	—	3,604
753	116	365	483	118	388	—	—	302,628
11	—	—	—	7	21	—	—	33,750
—	—	—	—	—	—	—	—	72,780
—	—	—	—	—	—	—	—	41,645
1452	212	710	1747	142	316	—	—	145,467
395	22	273	480	34	92	—	—	20,089
535	24	204	191	21	67	—	—	52,309
541	34	62	25	44	132	—	—	43,642
309	10	258	417	—	1	—	—	20,555
—	—	—	—	—	—	1,095	554	1,649
4,164	449	2,213	3,512	405	1,064	1,095	554	746,939

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पद-रिक्तियां

[अनुवाद]

2991. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोफेसर/अतिरिक्त प्रोफेसर/सह-प्रोफेसर के कुछ अस्थाई पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक पद के लिए कितनी रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था तथा उनमें से कितनी रिक्तियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) क्या आरक्षित श्रेणियों में पदों की संख्या आरक्षण मानदंडों के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए विज्ञापित और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	पदों की श्रेणी	विज्ञापित पदों की संख्या	के लिए आरक्षण अनु० जाति	किया गया अनु० जनजाति
1.	प्रोफेसर	27	शून्य	शून्य
2.	अपर प्रोफेसर	14	शून्य	शून्य
3.	सह-प्रोफेसर	17	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यह सूचना दी गई है कि इस समय संकाय पदों के लिए आरक्षण प्रवेश स्तर अर्थात् केवल सहायक प्रोफेसर के स्तर पर ही किया जा रहा है।

कैंसर के रोगी

2992. श्री ए० चारलेस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैंसर के रोगियों में से अधिकांश रोगी समाज के कमजोर वर्गों के होते हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए दवाइयां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश में कैंसर रोगियों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनुमान है कि भारत में लगभग 1.5 से 2 मिलियन कैंसर रोगी हैं और लगभग आधे मिलियन नए रोगी हर वर्ष बढ़ते हैं।

(ग) से (ङ) ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिनसे पता चलता हो कि कैंसर रोगियों में अधिकांश संख्या समाज के कमजोर वर्गों की होती है। बहरहाल, सरकारी अस्पतालों में कैंसर के रोगियों को नि:शुल्क या रियायती दर पर उपचार प्रदान किया जाता है जो कि रोगियों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

"केरल में सामाजिक वानिकी योजना"

2994. श्री टी० जे० अंजलोस :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाए गए जिलों के नाम क्या हैं;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य हेतु रखे गए लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा केरल को इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि (1985-90) में केरल में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों का लक्ष्य और उपलब्धि निम्नप्रकार है :—

लक्ष्य	उपलब्धि
	(क्षेत्र हैक्टेयर में)
287500.00	310827.50

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल के सभी जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे कि अंतिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान

वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन विकास

2995. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में पर्यटन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि और इनके कार्य को पूरा करने के लिए समयावधि क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से चालसा और बांकुरा में पर्यटक परिसर के निर्माण वर्धमान में मार्गस्थ सुविधाओं, शंकरपुर में समुद्र तट विहार स्थल के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 162.45 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। सामान्यतः पर्यटन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होती है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को पर्यटन परियोजनाएं शीघ्रातिशीघ्र पूरी करने के लिए प्रेरित करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैलेंडर वर्ष का निर्धारण

[हिन्दी]

2996. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री दिनांक 7 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 7677 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक कैलेंडर वर्ष को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) एक वर्ष में कम-से-कम 180 दिवस पढ़ाई होने, एक शैक्षिक दिवस में कम-से-कम चार घण्टे पढ़ाई होने, निजी ट्यूशनों पर प्रतिबन्ध लगाने, समय-बद्ध शैक्षिक सत्र और परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जबकि मगध विश्वविद्यालय ने आयोग द्वारा परिचालित किए गए माडल शैक्षिक कैलेंडर को अपनाना स्वीकार कर लिया है, बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों ने इस

संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वि० अ० आ० की इस शर्त का कि एक शैक्षिक वर्ष में 180 शिक्षण दिवस होने चाहिए, सख्ती से पालन किया जाए। राज्य सरकार एक अथवा दो शैक्षिक वर्षों को बिना छुट्टी के वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ताकि पहले आयोजित न की गई परीक्षाओं को आयोजित किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक कैलेंडर को कार्यान्वित करने के मामले पर विश्वविद्यालयों के साथ कार्रवाई कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने व्यावसायिक नीति संहिता तैयार की है जिसे सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को परिचालित कर दिया गया है। नीति संहिता में यह प्रावधान है कि शिक्षक को कोई अन्य नौकरी तथा वचन बद्धता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जिसमें निजी शिक्षण तथा कोचिंग कक्षाएं भी शामिल हैं, जिनसे उनकी व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में हस्तक्षेप हो सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश भी परिचालित किए हैं जिनमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्यभार निर्धारित किया गया है। यह विश्वविद्यालयों तथा कालेजों एवं शिक्षकों को स्वयं सुनिश्चित करना है कि व्यावसायिक नीति संहिता तथा न्यूनतम कार्यभार संबंधी वि० अ० आ० के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

नव नालन्दा अनुसंधान संस्थान, बिहार

[अनुवाद]

2997. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में नव नालन्दा अनुसंधान संस्थान को अपने हाथ में लेने अथवा इसे व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। बिहार सरकार के परामर्श से नव नालंदा महाविहार को अपने हाथ में लेने की क्रिया-विधियां तैयार की जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"राष्ट्रीय संरक्षण नीति"

2998. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय संरक्षण नीति तैयार करने के लिए इसके ढांचे के बारे में सिफारिश करने हेतु गठित प्रमुख समिति की रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : राष्ट्रीय संरक्षण नीति तैयार

करने के लिए ढांचे की सिफारिश करने हेतु कोर समिति की रिपोर्ट को केन्द्रीय और राज्य सरकार विभागों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों में परिचालित किया गया था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण नीति और नीति विवरण का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

प्रतिभा पलायन

2999. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा अथवा रोजगार की तलाश के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से कितने प्रतिशत स्नातक विदेश चले गए;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत छात्रों ने वहां स्थायी रूप से बसना पसंद किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश से प्रतिभा पलायन को हतोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) ये विवरण उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1987 में प्रस्तुत भा० प्रौ० सं० की समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा तथा रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भा० प्रौ० सं० के स्नातकों की औसतन प्रतिशतता 20% है।

(ग) से (ङ) स्वदेश में वापिस बुलाने के लिए विदेश में बसे, भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और शिल्प वैज्ञानिकों का अस्थायी नियोजन अधिसंख्य पदों का सृजन, विदेशों से लौटने वाले वैज्ञानिकों और शिल्प वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए उपस्करों का आयात करने की सुविधाएं, वैज्ञानिक संस्थाओं को संवर्धित प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्रदान करना और निर्वासित राष्ट्रिकों के माध्यम से तकनीकी जानकारी के स्थानान्तरण की योजना आदि शामिल है।

विशाखापत्तनम मंडल का विकास

3000. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखापत्तनम मंडल में रेलवे के विकास के लिए आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वाल्तेर मंडल में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वाल्तेर मंडल में निर्माण-कार्य

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	प्रत्याशित लागत	1990-91 के अंत तक संभावित परिव्यय	1991-92 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4
नई लाइन			
कोरापुट-रायगड़ा (164 कि० मी०)	353.28	308.01	36
दोहरी लाइनें बिछाना			
कुमड-बोब्बिली	30.07	7.69	10
बोब्बिली-गजपति नगरम्	25.24	1.50	6
सिम्हाचलम नार्थ-कोट्टापालेम-बाई पासलाइन यातायात सुविधा संबंधी कार्य	4.15	.50	3
विशाखापत्तनम-इस्पात संयंत्र के यातायात को सम्हालने के लिए रेल सुविधाएं (चरण-1)	56.64	43.98	3.26
1.2 एम० टी० स्टेट हेतु विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के परिधीय यार्ड के लिए रेल सुविधाएं (चरण-1)	41.38	38.15	3.22
रायपुर-टिटलागढ़-टोकनरहित ब्लाक संचलन प्रणाली	1.80	.75	.12
के० के० लाइन के कोरापुट-किरांदुल खंड पर लाइन क्षमता संबंधी कार्यों को अनुकूल बनाना (चरण-1)	18.45	12.01	6.43
3.4 एम० टी० विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परिधीय यार्ड के लिए रेल सुविधाएं (चरण-II)	20.77	10.46	3.94
रायपुर-टिटलागढ़-सात ब्लाक खंडों में टोकनरहित ब्लाक संचलन प्रणाली (चरण-II)	.85	.15	.01

1	2	3	4
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परिधीय यार्ड के लिए रेल सुविधाएं (3.4 एम० टी०) (चरण-II)	8.49	—	.08
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए बाह्य रेल सुविधाएं (चरण-II)	23.73	—	.48
विद्युतीकरण			
सिम्हाचलम नार्थ-वाल्तेरू-विद्युतीकरण लागत	.89	—	.10
वाल्तेरू-किरांदुल-रेलवे की अपनी ट्रांसमिशन लाइनें चला करके तथा बिजली सप्लाई प्रबन्ध को सुदृढ़ करके मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से सिंगल प्वाइंट की सप्लाई (चरण-I)	6.61	.10	.40
वाल्तेरू-किरांदुल-सब स्टेशनों पर स्विच कैपेसिटर बैंक	2.70	.24	.80
के० के० लाइन पर लाइन क्षमता संबंधी कार्यों को अनुकूल बनाना (चरण-II)	5.20	—	.10

टूंडला में बर्थों का आरक्षण कोटा

3001. सुरेशानन्द स्वामी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद जाने वाली रेलगाड़ियों में टूंडला जंक्शन पर रेलगाड़ियों में चढ़ने वाले यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए बर्थों के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता;

(ग) इलाहाबाद जाने वाली गाड़ियों के लिए टूंडला में उपलब्ध आरक्षण कोटा मौजूदा मांग के स्तर को पूरा करने के लिए सामान्यत: पर्याप्त समझा जाता है;

'महिला राष्ट्रीय समिति

3002. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री अनादि चरण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला राष्ट्रीय समिति पिछली बार कब गठित की गई थी;

(ख) इसकी संरचना क्या है तथा इसे सौंपे गए/इसके द्वारा किए गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इसके पुनर्गठन का कोई विचार है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बॅनर्जी : (क) राष्ट्रीय महिला समिति का गठन, पिछली बार 11 फरवरी, 1988 को इसके गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है .

(ग) जी, हां।

विवरण

11 फरवरी, 1988 को गठित राष्ट्रीय महिला समिति का सृजन

(1)	प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
(2)	मानव संसाधन विकास मंत्री	उपाध्यक्ष
(3)	भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य
(4)	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री	सदस्य
(5)	सुश्री स्वरूप बक्शी, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001	सदस्य
(6)	सुश्री लाल्हलीम्पुई, समाज कल्याण एवं रोजगार राज्य मन्त्री, मिजोरम सरकार, आईजवाल	सदस्य

(7)	श्रीमती सुमति उरांव, संसद सदस्य (लोक सभा) 3, डॉ० हरीशचन्द्र माथुर लेन, नई दिल्ली।	सदस्य
(8)	श्रीमती गीता मुखर्जी, संसद सदस्य, लोक सभा, 519, वी० पी० हाऊस, नई दिल्ली।	सदस्य
(9)	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, संसद सदस्य, लोक सभा, सी-1/16, पंडारा पार्क, नई दिल्ली	सदस्य
(10)	श्रीमती निर्मला शेखावत, संसद सदस्य, लोक सभा, 164, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य
(11)	श्रीमती जयन्ती नटराजन, संसद सदस्य, राज्य सभा, ए बी-8, पंडारा पार्क, नई दिल्ली	सदस्य
(12)	श्रीमती नजमा हैप्तुल्ला संसद सदस्य, राज्य सभा, 4. अकबर रोड, नई दिल्ली	सदस्य
(13)	श्रीमती अमरजीत कौर, संसद सदस्य, राज्य सभा, 23, इन्दिरा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
(14)	श्रीमती इला आर० भट्ट, संसद सदस्य, राज्य सभा, 90, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य

(15)	श्रीमती शीला कौल, संसद सदस्य, लोक सभा, 5, अशोक रोड, नई दिल्ली	सदस्य
(16)	श्रीमती अरुणा आसफ अली पैट्रियट, लिंक हाऊस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
(17)	श्रीमती सरोजिनी वरदप्पन, 48, बीमेन रोड, माइलापुर, मद्रास	सदस्य
(18)	डॉ० अर्चना शर्मा' 35, बल्लीगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता	सदस्य
(19)	श्रीमती जया अरुणाचलम् 55, भीमसेन गार्डन रोड, माइलापुर, मद्रास-4	सदस्य
(20)	सुश्री अपर्णा सेन, संपादक-सनंदा, आनन्द बाजार पत्रिका, 6, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता	सदस्य
(21)	श्रीमती आलोका मित्रा, 10-ए, अलीपुर ऐवेन्यू, कलकत्ता.29	सदस्य
(22)	सुश्री नन्दिता हक्सर, 56, मुनिरका ऐन्क्लेव, नई दिल्ली-67	सदस्य
(23)	श्रीमती सुस्मिता श्रीवास्तव, अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
(24)	सुश्री मृणाल पाण्डे, बी-249, ऐशियन खेलगांव, नई दिल्ली	सदस्य

(25) डॉ० निर्मला देशपाण्डे,
2, साऊथ ऐवेन्यू,
नई दिल्ली — सदस्य

(26) श्रीमती सी० सिवासंकरी,
7, फर्स्ट लिंक स्ट्रीट,
करपाग्राम गार्डन,
मद्रास-20 — सदस्य

(27) प्रो० फिलोमेना रेड्डी,
गृह विज्ञान विभाग,
श्रीवेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय,
तिरुपति — सदस्य

(28) सुश्री शीला बर्से'
सं० 3-ए, रत्नदीप,
29, जुहू तारा रोड,
मुम्बई। — सदस्य

(29) सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग — सदस्य

समिति के विचारार्थ विषय :

(क) भारतीय महिलाओं को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को समय-समय पर आवश्यक नीति संबंधी, विधायी और प्रशासनिक उपायों के संबंध में सलाह देना तथा महिलाओं को अपनी निहित क्षमता पहचानने और विकास प्रक्रिया में योगदान देने के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के तरीकों का सुझाव देना; तथा

(ख) इस उद्देश्य से तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

साहित्यिक कार्य के रूप में साफ्टवेयर

3003. श्री चेतन पी० एस० चौहान,

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साफ्टवेयर को प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत साहित्यिक कार्य के रूप में पहचाना जाता है;

(ख) क्या साफ्टवेयर की साहित्यिक चोरी को रोकने के लिये सरकार का विचार प्रतिलिपि

अधिकार अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) साफ्टवेयर की साहित्यिक चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये अन्य क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) कम्प्यूटर कार्यक्रमों को कापीराइट अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत साहित्यिक कृतियों के रूप में सुरक्षा की जाती है। सरकार कम्प्यूटर कार्यक्रमों से संबंधित प्रावधानों में सुधार लाने सम्बन्धी संशोधनों और इस अधिनियम को सामान्यतया तथा विशेष रूप से कम्प्यूटर कार्यक्रमों के सन्दर्भ में लागू करने को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में एक कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद गठित की गई है जिसमें कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह परिषद सरकार को कापीराइट अधिनियम को लागू करने में सुधार लाने के उपायों के सम्बन्ध में सलाह देगी।

मांट्रियल में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन

3004. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 में मांट्रियल में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की सभा का 28वां सत्र सम्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था; और

(ग) इसमें भारतीय प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की महासभा का 28वां (असाधारण) अधिवेशन 22-10-90 से 26-10-90 तक मांट्रियल में हुआ था। इस अधिवेशन में 14 पर्यवेक्षक प्रतिनिधि मण्डलों के अतिरिक्त 114 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भाग लिया।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि निम्नलिखित मुद्दों पर बोले :—

(1.) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के सदस्यों की संख्या 33 से बढ़ाकर 36 करना।

(2) विमान के शोर की समस्या पर एकीकृत प्रस्ताव से संबंधित नीति।

(3) मुद्रास्फीति, लागतों में वास्तविक वृद्धि, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव और वेतन तथा पेंशन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णयों जैसे आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप 1990-1991 और 1992 के तीन वर्षों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बजट में वृद्धि करना।

सामलकोट और काकीनाडा के बीच संपर्क गाड़ी चलाना

[अनुवाद]

3005. डा० के० वी० आर० चौधरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामलकोट से काकीनाडा तक रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सामलकोट स्टेशन पर यात्री गाड़ियों को रोकने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मुख्य लाइन की गाड़ियों के संपर्क के लिए 9-10-91 से एक अतिरिक्त जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चलाई गई है।

(ग) जी हां।

(घ) सामलकोट स्टेशन पर किसी अतिरिक्त गाड़ी को ठहराव देने का औचित्य नहीं पाया गया।

अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

3006. कुमारी उमा भारती :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री मध्य प्रदेश में जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के बारे में 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4849 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राथमिकता देने में कौन से मानदंड अपनाए जाते हैं अथवा अपनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : अनुसंधान केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के लिए सामान्य मानदण्ड हैं— राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, ऐसे रोग जिनका आयुर्वेद से बेहतर उपचार हो सकता हो, औषधों की गुणवत्ता तथा धन की उपलब्धता बशर्ते उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार समिति, वित्त समिति और शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त हो।

हृदय रोगियों के मामले

[हिन्दी]

3007. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोग के मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) हालांकि इस संबंध में अधिप्रमाणित आंकड़े, उपलब्ध नहीं हैं, तथापि, चिकित्सियनों द्वारा काफी अधिक संख्या में हृदय रोग के रोगियों को देखे जाने की सूचना मिली है।

सरकार ने रुमेटिक ज्वर/रुमेटिक हृदय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक कार्डियोवास्कुलर रोग कार्यक्रम शुरू किया है।

जन साधारण में हृदय रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विस्तृत स्वास्थ्य शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है।

हरियाणा में फार्मेसी कालेज

3008. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में मान्यता प्राप्त फार्मेसी कालेजों की संख्या कितनी है और इन कालेजों में प्रवेश पाने संबंधी प्रणाली क्या है;

(ख) क्या उन कालेजों में हास्टल सुविधाएं विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन फार्मेसी कालेजों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुनसिंह) : (क) से (ग) हरियाणा में 6 ((छः) मान्यताप्राप्त संस्थाएं फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करती हैं जहां पर दाखिले योग्यता के आधार पर किए जाते हैं और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। सोनीपत स्थित हिन्दू फार्मेसी कालेज को छोड़कर सभी संस्थाओं में छात्रावास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विकलांग व्यक्तियों को रेल भाड़े में छूट

[अनुवाद]

3009. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को यदि वे बिना मार्गरक्षी के यात्रा करते हैं; दी जाने वाली रेल भाड़े में छूट वापस ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार मार्गरक्षी का ध्यान किए बिना इस छूट को आगे जारी रखना चाहती है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, जो किसी सहयोगी की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं, को रियायत अनुमेय है, इस रियायत के लिए लागू शर्तों में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह रियायत उन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए है जो किसी सहयोगी की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते, सहयोगी भी इस रियायत का पात्र है।

मद्रास तीव्र परिवहन व्यवस्था

3010. श्री एन० डेनिस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास तीव्र परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए भूमि दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे अधिग्रहण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अभी राज्य सरकार द्वारा परियोजना संरेखण के कि०मी० 7.15 से कि०मी० 7. 5 और कि०मी० 8.0 से 8.85 तक की भूमि सौंपी जानी है, इस मामले को राज्य सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है।

जम्मू और लेह के बीच सीधी उड़ान

3011. डा० सी० सिलवेरा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने जम्मू और लेह के बीच सीधी उड़ान शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस का अपनी उड़ानों द्वारा अन्य समान दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने 1-11-1991 से जम्मू और लेह के बीच सप्ताह में तीन बार की बी-737 सेवा आरम्भ की है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस पहले ही देश के उन दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए परिचालन कर रही है जहां पर्याप्त आधार संरचनात्मक सुविधाओं और यातायात की संभावनाएं मौजूद हैं। अन्य

नये स्टेशनों के लिए इसकी सेवाएं आरम्भ करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

'जड़ी-बूटी का संरक्षण'

3012, कुमारी दीपिका चिखलिया :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

डा० आर० मल्लू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां गंभीर खतरे में हैं, गंभीर संकट आ गए हैं तथा वे समाप्ति के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है तथा उनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभिकरण

3013. श्री जीवन शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों-गृहों, पोलीक्लिनिकों और प्रसूति उप-केन्द्रों और उप क्लिनिकों तथा पंजीकृत प्राइवेट नर्सिंग होम के प्रभावी नियंत्रण और बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें किसी एक अभिकरण के नियंत्रणाधीन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार अस्पतालों, औषधालयों, नर्सिंग होमों आदि को एक ही एजेंसी के अधीन लाने को उचित नहीं समझती।

सुरा कांड

3014. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने कपूर आसव पर प्रतिबन्ध लगाने के/लिए उनके मंत्रालय

को काफी समय पहले ही चेतावनी दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस चेतावनी पर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) बाजार से उठाए गए एल्कोहल के घटक वाले आयुर्वेदिक औषधों के कुछेक नमूनों के विश्लेषण से प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर आयुर्वेदिक विशेषज्ञों द्वारा नकली औषधों के उत्पादन को कारगर ढंग से नियन्त्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु सिफारिश की गई थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा बिहार के भारतीय चिकित्सा निदेशकों, तथा औषध नियंत्रक, दिल्ली को दिनांक 15.3.90 के पत्र द्वारा सलाह दी गई थी कि वे आयुर्वेदिक औषध के नाम से एल्कोहलिक घटकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्पाद शुल्क विभाग की मदद लें।

समुद्री तटों पर पर्यटन विकास

[हिन्दी]

3015. श्री राम शरण यादव :

श्री गोपीनाथ गजपति :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की समुद्री तटों के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में समुद्री तटों के विकास का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) समुद्रतटों सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटन का विकास करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और आपसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता देता है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में समुद्रतटों के लिए जिन स्कीमों के वास्ते सहायता दी गई है, उनका विवरण इस प्रकार है :—

1. कोणार्क में यात्री निवास।

2. कोणार्क में ओपन एयर थियेटर और पेय जल सुविधाएं।

3. कोणार्क के लिए टैन्ट।

4. पुरी में भारत पर्यटन विकास निगम का संयुक्त उद्यम होटल।

5. पुरी में युवा होस्टल और पर्यटक बंगला।

वर्ष 1991-92 के लिए कोणार्क समुद्रतट पर टैन्टों की व्यवस्था करने और गोपालपुर समुद्र-

तट पर जल-क्रीड़ा सुविधाओं की स्थापना करने के लिए 20.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

लक्षद्वीप में कालेजों का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

3016. श्री पी० एम० सईद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लक्षद्वीप में कालेजों का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) लक्षद्वीप में सीनियर सैकेण्डरी स्तर तक की कक्षाओं वाले दो जूनियर कालेज है। वर्तमान में उनका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि डिग्री कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की भर्ती की संख्या बहुत न्यून है और सीनियर सैकेण्डरी स्तर पर परिणाम काफी उत्साहजनक नहीं है, अतः वर्तमान में उनका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी दिल्ली में पर्यटन स्थान

[हिन्दी]

3017. श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में कोई पर्यटन स्थान विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) दिल्ली में पर्यटन का विकास करना मुख्यतः दिल्ली प्रशासन की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय सहायता हेतु दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली प्रशासन ने लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र में एक काफी होम का निर्माण किया है, काफी होम के मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तथा उत्तरपूर्वी दिल्ली में जल-क्रीड़ा केन्द्र के रूप में भालस्वा झील का विकास कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन सम्बन्धी मामलों का निपटान

[अनुवाद]

3018. प्रो० राम कापसे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त, श्रेणीवार, रेल कर्मचारियों के उन मामलों की संख्या क्या है जो 31 मार्च, 1991 को पिछले एक वर्ष' दो वर्ष और तीन वर्षों के अधिक समय से भी भुगतान के अन्तिम निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने सेवा निवृत्त की देय राशि को शीघ्रता से निपटाने/भुगतान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे कब तक लागू किया जाना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक

3019. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी कर्मचारियों के काम के घंटे क्या है;

(ख) क्या सरकार का उनको मानदेय/आय की स्रोत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट उत्तीर्ण आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों का ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रति दिन केन्द्र में चार घण्टे कार्य करती हैं और रोजाना आधा घण्टा घरों का दौरा करने जाती हैं। वे स्थानीय समुदाय की स्वयंसेवी अंशकालिक कार्यकर्ता होती है।

(ख) और (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय की दर में वृद्धि के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे ऐसे उपयुक्त भर्ती नियम बनाने पर विचार करें जिनके तहत पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जा सके।

स्वायत्तशासी कालेजों का कार्यकरण

[हिन्दी]

3020. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्तशासी कालेजों के कार्यकरण का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कालेजों की योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट मार्च, 1991 में प्रस्तुत की। समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं :—

— योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन लाना है, यह आठवीं योजना के दौरान जारी रखी जानी चाहिए।

— योजना के प्रभावशाली अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

— विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन तथा विधान तैयार करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान करने का उपयुक्त प्रावधान किया जा सके।

— राज्य सरकारों को सरकारी स्वायत्त कालेजों से अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं करना चाहिए तथा अनुरक्षण उद्देश्यों के लिए ब्लॉक अनुदानों की पद्धति पूर्ण करने के अतिरिक्त इन कालेजों के अध्यापकों के बढ़ते हुए कार्यभार की समस्याओं को भी देखना चाहिए।

— राज्य सरकारों व विश्वविद्यालयों को मामलों के समन्वयन व समाधान के लिए स्वायत्त कालेजों के प्रधानाध्यापकों के साथ नियमित बैठके आयोजित करनी चाहिए।

— विश्वविद्यालय को नए पाठ्यक्रमों व पाठ्यक्रम संयोजन में लचीलेपन के संबंध में स्वायत्त कालेजों के निर्णय स्वीकार करने चाहिएं।

— स्वायत्त कालेजों को विकास कार्य तथा वित्त समितियों और योजना व मूल्यांकन समितियों को सक्रिय बनाने के लिए सापेक्ष महत्व की योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

— आयोग ने 6 जून, 1991 को हुई अपनी बैठक में समिति की रिपोर्ट स्वीकार की तथा आठवीं योजना में स्वायत्त कालेजों की योजना जारी रखना स्वीकार किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

3021. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में तमिलनाडु के किन-किन स्थानों के नाम हैं; और

(ख) इन स्थलों का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तमिलनाडु में बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ पर हैं जैसे—मद्रास, मामल्लापुरम, तंजावुर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, चिदम्बरम आदि।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान राज्य में पर्यटन आधारिक संरचना के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को 473.67 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसी प्रकार 1990-91 के दौरान 134.47 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। 1991-92 के लिए ऐसी ही स्कीमों के लिए 142 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

"झुडपी जंगल को वन (संरक्षण) अधिनियम, के दायरे से अलग रखना"

3022. श्री प्रफुल पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में स्थित "झुडपी जंगल" को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे से अलग रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और झुडपी जंगल के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र आता है;

(ग) झुडपी जंगल के कारण किन-किन सिंचाई और सड़क परियोजनाओं का कार्य रुका हुआ है; और

(घ) उक्त अधिनियम के क्षेत्र से झुडपी जंगल को अलग रखने के लिए स्वीकृति देने सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में झुडपी जंगल के तहत कुल वन आवरण क्षेत्र 9,23,913,10 हेक्टेयर है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि झुडपी जंगल वर्गीकृत श्रेणी ग, श्रेणी घ, श्रेणी ङ, और अवर्गीकृत वन को गैर वन क्षेत्र माना जाए।

(ग) 30.11.1991 को केन्द्र सरकार के पास झुडपी जंगल प्रयोग में लाने से सम्बन्धित कोई सिंचाई या सड़क परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनको सलाह दी गई थी कि वे मामले पर गहराई से विचार करें। भुवपी जंगल के सम्पूर्ण मुद्दे को देखने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्तर-विषयी टीम नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस मुद्दे पर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ नवम्बर, 1991 के दौरान बम्बई और नागपुर में विस्तार से चर्चा की गई। यह निश्चय किया गया था कि समिति की रिपोर्ट की राज्य सरकार द्वारा जांच की जाएगी और उनकी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी, जिसके प्राप्त हो जाने के पश्चात, केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इस मामले पर राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से चर्चा की जा रही है।

कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएं

3023. श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कालेजों/स्कूलों/केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उसके पहले चरण के कार्यान्वयन में कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (सी० एल० ए० एस० एस०) के अधीन परियोजना वर्ष 1984-85 से कार्यान्वित की जा रही है, वर्ष 1989-90 तक 325 केन्द्रीय विद्यालयों सहित 2598 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का चयन किया गया है। विगत 1990-91 से परियोजना के अधीन किसी नये स्कूल का चयन नहीं किया गया है। परियोजना के अधीन चुने गए प्रत्येक स्कूल को पांच बी० बी० सी० माइक्रो कम्प्यूटर दिए जाते हैं जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूली छात्रों को 'हाथ-से' अनुभव प्रदान करवाना तथा उन्हें कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से परिचित करवाना है। वर्ष 1990-91 तक परियोजना पर 3834.25 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

नवोदय विद्यालय समिति ने पहले चरण में 73 विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था जिसकी वार्षिक अनुमानित लागत 123 लाख रुपये है।

'तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र' योजनाओं के अन्तर्गत इंजीनियरी कालेजों/तकनीकी संस्थानों को कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास हेतु तथा कम्प्यूटर योजना/प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर एडीड डिजाइन/कम्प्यूटर एडीड मैनुफैक्चर (कैड/कैम), यंत्रमानविक तथा आरटीफिशियल इन्टैलीजेन्स तथा कम्प्यूटर इंटीग्रेटीड मैनुफैक्चरिंग (सी० आई० एम०) जैसे कम्प्यूटर सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सातवीं योजना के दौरान, सरकार द्वारा 25.40

करोड़ रुपये की 194 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान, 3.72 करोड़ रुपये मूल्य लागत पर 58 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। सातवीं योजना के दौरान 255 पोलीटेक्नीकों को '0' स्तर कम्प्यूटरों की खरीद के लिए 7.95 करोड़ रुपये की धनराशि भी मुक्त की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) ने सातवीं योजना के दौरान 790 कालेजों को कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास हेतु 6.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, आयोग ने आठवीं योजना के दौरान 1000 और कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। वि० अनु० आ० विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटरों के अधिग्रहण हेतु जब भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो सहायता प्रदान करता है, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो, अतः ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम दिए जाने संभव नहीं हैं, जो आठवीं योजना के दौरान सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

निम्नकोटि की वन भूमि का सुधार

3024. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण सम्प्रदायों तथा स्वयंसेवी एजेंसियों को निम्न श्रेणी की वन भूमि के सुधार के लिए कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो नीति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि ग्रामसमुदाय और स्वैच्छिक एजेंसियों को भोगाधिकार की हिस्सेदारी तथा अन्तिम उपज के आधार पर अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार में सहायता करनी चाहिए। इन मार्गनिर्देशों के आधार पर बिहार, गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान सरकार ने वन-रोपण कार्यक्रम में लोगों को सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष स्कीमें तैयार की हैं। अन्य राज्यों से भी समान कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

"वनरोपण कार्यक्रम"

3025. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनरोपण को दुगुना करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितने क्षेत्र को अलग रखा गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए कोष में से धन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख) सातवीं पंच-वर्षीय योजना (1985—90) के दौरान सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के माध्यम से लगभग 8.8 मि॰ हैक्टेयर कुल क्षेत्र पर कार्य पूरा किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे कि अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

"सरिस्का में खनन कार्य का पर्यावरण पर प्रभाव"

3026. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री विजय कुमार हान्डिक:

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की मन्त्री कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्थित सरिस्का में खनन कार्यों का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरिस्का में वन्य जीवन के लिए क्या कार्य करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सरिस्का में खनन गतिविधियों को रोकने से सम्बन्धित मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर एक रिट याचिका के अधीन है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के उपबन्धों के तहत वन्य-जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों द्वारा गहन गश्त लगाई जा रही है।

मुगलसराय-पटना-आसनसोल लाइन का विद्युतीकरण

3027. श्री हरिकिशोर सिंह :

श्री सूर्यनारायण यादव :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय-पटना-आसनसोल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है, कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और इस परियोजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) आसनसोल-सीतारामपुर खंड का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है मुगलसराय-पटना-सीतारामपुर खंड का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है, सीतारामपुर-झाझा खंड, जो मुगलसराय-सीतारामपुर खंड का एक भाग है, के

विद्युतीकरण का कार्य प्रथम चरण के रूप में शुरू किया जाएगा जिस पर 55.2 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

झाझा से मुगलसराय के आगे इसे बढ़ाने का कार्य संसाधनों की उपलब्धता तथा उच्च घनत्व के अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की तुलनात्मक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

सुदूर पूर्व देशों को एयर इंडिया की नई उड़ानें

3028. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सुदूर पूर्व के देशों का एयर इंडिया की उड़ानों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर नई उड़ानें शुरू की गई हैं;

(ग) क्या ये सभी हवाई मार्ग लाभकारी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मार्गों पर नई उड़ानें शुरू करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया के भारत-सिंगापुर मार्ग पर अपनी प्रति सप्ताह 7 उड़ानों में वृद्धि करके प्रति सप्ताह 10 कर दिया है और भारत-जापान मार्ग पर प्रति सप्ताह 4 से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 6 कर दिया है।

(ग) यह वृद्धि केवल 6 सप्ताह पूर्व (अर्थात् 27-10-1991 से) प्रभावी की गई थी और इसकी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए अत्यन्त छोटी अवधि है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मकबरा

3029. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के चन्दन के कुछ स्तम्भों को हटा दिया गया है;

(ख) क्या इन कीमती स्तम्भों को हटाकर उनके स्थान पर सफेद संगमरमर के स्तम्भ लगाने में कुछ व्यक्तियों/संगठनों का हाथ था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह मामला उप-आयुक्त पुलिस, दक्षिण जिला, दिल्ली के साथ उठाया गया था। सूफी सन्त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के जिन असली काष्ठ-स्तम्भों के स्थान पर संगमरमर के स्तम्भ लगाए गए हैं, वे दरगाह के तोशाखाना में हैं।

कार्यान्वयन के लिए लम्बित पड़ी रेल परियोजनाएं

3030. डा० विश्वनाथम कनिथी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार उन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो कार्यान्वयन के लिए लम्बित पड़ी हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संसाधनों की तंगी के कारण 4 अनुमोदित प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं। रेलवेवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

पूर्वोत्तर रेलवे	2
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1
दक्षिण पूर्व रेलवे	1

(ग) संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तथा कुछ चालू बड़ी परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इन निर्माण कार्यों को शुरू किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

3031. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित कार्यान्वित की गई स्वास्थ्य योजनाओं तथा और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है और इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराहेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जिला स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, दृष्टिहीनता तथा कैंसर जैसे रोगों को नियंत्रित/उन्मूलन करने के लिए समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों के लाभ के लिए राज्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के माध्यम से देश भर में निचले स्तर तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, मुख सेव्य पुनर्जलपूरण चिकित्सा कार्यक्रम तथा रोग निरोधक

योजना ऐसे कार्यक्रम हैं जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये सभी योजनाएं शिशुओं, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की सम्पूर्ण पात्र जनसंख्या के लिए हैं।

जिलेवार लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में किए गए व्यय की मानीटरिंग भी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा स्थित स्मारकों की सुरक्षा

3032. श्री मृत्युञ्जय नायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा स्थित सुरक्षित स्मारकों के जिलावार नाम क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में उन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या कुछ स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

1988-89	रु० 18,60,359.00
1989-90	रु० 23,[illegible]0,320.00
1090-91	रु० 25,06,032.00

(ग) (क) जी, नहीं।

(घ) फिर भी, भावी पीढ़ियों के लिए स्मारकों के परिरक्षण की दृष्टि से, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर संरक्षण के उपाय किए जाते हैं।

विवरण

उड़ीसा राज्य

क्र० सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
		जिला बोलंगीर
1.	रानीपुर झरियल	चौसठ जोगिनी मंदिर और तीन छोटे-छोटे मंदिर

1	2	3
		जिला कटक
2.	अम्रहाट, बम्डाल्स, चौदर, छत्तीसा, गोविन्द जू पटना, जाज भैरव कपालेश्वर, केदारेश्वर मुंडमाल	जर्जर गढ़ी
3.	चन्द्रेश्वर	बौद्ध मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष
4.	अमाजीपुर (बलिया तालक)	भुवनेश्वर महादेव का मंदिर
5.	चम्पिया	पहाड़ी जिसमें बौद्धकालीन अनेक बहुमूल्य मूर्तियां प्रतिमाएं, शिलालेख आदि हैं। सबसे ऊपर, मठ और महाकाल का एक छोटा मंदिर है।
6.	कटक	बाराबत्ती गढ़ी के प्राचीन स्मारक तथा सभी प्राचीन इमारतों, प्रवेश द्वारों आदि के भग्नावशेष, मस्जिद को छोड़कर।
7.	बाधापटना	चूरमगढ़ किला जिसे वहां के लोग सारंगगढ़ कहते हैं; राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत क्षेत्रों को छोड़कर।
8.	जाजपुर	उपमंडलीय आफिसर्स क्वार्टरों के हाते में चार विशाल विशाल प्रतिमाएं, अर्थात 1. चामुंडा 2. इन्द्राणी 3. कलियुग 4. वाराही
9.	—वही—	तीस बौद्ध प्रतिमाएं

1	2	3
10.	ललतीगिरि *(ललितागिरि)	बौद्ध मंदिरों और प्रतिमाओं के अवशेष
11.	रत्नगिरि	पहाड़ी जिससे अनेक बहुमूल्य मूर्तियां और प्रतिमाएं हैं।
12.	सिरियापुर	माहरत्ता पुल, जिसे वहां के लोग अठराबल्ला (अठारह एकड़ का पुल) और तेंतुलोमल पुल भी कहते हैं।
13.	—वही—	एक शिला जिसे चन्द्रशेखर स्तंभ कहते हैं।
14.	सिहनाथ पीठ, मौजा गोपीनाथपुर	सिहनाथ महादेव मंदिर
15.	मगुरा प्रममंडल	पंच पांडव मंदिर
16.	रामेश्वर	दुर्गा मंदिर
17.	मड़मल पत्तन	बाणेश्वरनासी स्थित प्राचीन स्थल
		जिला ढेनकनाल
18.	बजकोट	भिमेश्वर महादेव मंदिर
19.	रसोल	शिलोत्कोण विष्णु
		जिला गंजाम
20.	कोट्टाकोल्ला	गगाधर स्वामी मंदिर
21.	—वही—	जगदीश्वर स्वामी मंदिर
22.	महेन्द्रगिरि	भीम मंदिर
23.	—वही—	कुंती मंदिर
24.	—वही—	युधिष्ठिर मंदिर
25.	पांडिया	जोगड़ा स्थित अशोक शिला अभिलेख
		जिला मयूरभंज
26.	बैंधपुर	प्रागैतिहासिक स्थल
27.	हरिपुर	प्राचीन किले के अवशेष
28.	कुचाई	प्रागैतिहासिक स्थल
29.	कुलियाना	—वही—

1	2	3
		जिला क्यूंझर
30.	सीताबिंजी	शिला पर चित्र, जिसे वहां के लोग रावण छाया कहते हैं तथा अन्य प्राचीन स्मारक एवं अवशेष
		जिला कालाहांडी
31.	असुरगढ़	असुरगढ़ किले का प्राचीन स्थल
	*इस स्थान का वर्तमान नाम	
		जिला फुलबनी
32.	गंधरवाणी	नीलम महादेव एवं सिद्धेश्वर के मंदिर
33.	बौद्ध टाउन	पश्चिम सोमनाथ, भुवनेश्वर एवं कपिलेश्वर के मंदिर
		जिला पुरी
34.	बारागढ़	भास्करेश्वर मंदिर
35.	—वही—	परिसर में अपने छोटे देवालयों सहित ब्रह्मेश्वर मंदिर
36.	—वही—	बाबाकेश्वर मंदिर
37.	—वही—	रामेश्वर मंदिर
38.	बेसुआर्चई	अपने छोटे देवालयों सहित माधेश्वर मंदिर
39.	भुवनेश्वर	अनन्त वासुदेव मंदिर
40.	—वही—	बांकेश्वर मंदिर
41.	—वही—	बोइटल मंदिर
42.	—वही—	चित्रकर्णी मंदिर
43.	—वही—	अपने छोटे देवालयों सहित जागेश्वर मंदिर
44.	—वही—	भगवान लिंगराज मंदिर सहित परिसर के सभी छोटे मंदिर अर्थात् 1. अमानिया कुआं 2. अष्टमूर्ति 3. चन्द्रेश्वर देव 4. गोपालनि मंदिर 5. लादुकेश्वर मंदिर 6. पार्वती मंदिर 7. सावित्रि देवी मंदिर 8. सकरेश्वर मंदिर 9. सावीवोसी मंदिर

1	2	3
45.	—वही—	मैत्रेश्वर मंदिर परिसर के सभी छोटे मंदिरों सहित
46.	—वही—	अपने छोटे देवालयों सहित मार्कण्डेश्वर मंदिर
47.	—वही—	मार्कंडेश्वर मंदिर
48.	—वही—	अपने छोटे देवालयों सहित मुक्तेश्वर मंदिर लेकिन मुरिच कुंड को छोड़कर
49.	—वही—	परमगुरु मंदिर
50.	—वही—	पापनाशिनी तालाब
51.	—वही—	परशुरामेश्वर मंदिर
52.	—वही—	राजा-रानी मंदिर
53.	—वही—	सहस्रलिंग तालाब
54.	—वही—	सारी मंदिर सं०
55.	—वही—	सिद्धेश्वर मंदिर
56.	—वही—	सिसिरेश्वर मंदिर
57.	चौरासी	बराही मंदिर
58.	चुरंगा, शलुंका कृष्णानगर	चूरनगढ़ किला, राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र को छोड़कर
59.	धोति	अशोक के आदेश के शिलालेख एवं हाथी की मूर्ति
60.	—वही—	शैलकृत छोटी कोठरी और ताख तथा शांतिकर का एक शिलालेख
61.	हीरापुर	महामाया मंदिर के नाम से जाना जाने वाला चौंसठ योगिनि मंदिर
62.	जागमारा	उदयगिरि और खंडगिरि पहाड़ियों पर स्थित सभी प्राचीन गुफाएं, संरचनाएं एवं अन्य स्मारक अथवा अवशेष, किन्तु खंडगिरि पहाड़ी के छोर पर पारसनाथ मंदिर को छोड़कर तथा बाराभुजी के समक्ष मंदिर और त्रिशूल गुफाओं को भी छोड़कर
63.	कोणार्क	ब्लाक पनोड़ा के प्राचीन स्मारक तथा सभा प्रधान इमारतों, प्रतिमाओं, संरचनाओं, तहखानों, स्तम्भों, नक्काशियों, दीवारों, प्रवेश द्वारों आदि के भग्नावशेष

1	2	3
64.	पुरी	मधुपर नाले पर अट्ठारह द्वारों वाला पुल जिसे अट्ठारह नाला पुल भी कहते हैं
65.	—वही—	श्री जगन्नाथ मंदिर एवं उसके साथ के देवालयों
66.	रघुनाथपुर	दक्ष प्रजापति मंदिर
67.	शिशुपालगढ़	परकोटे के भीतर एवं बाहर प्राचीन अवशेष
		जिला संबलपुर
68.	विक्रमखोल	विक्रमखोल शिलालेख

युवा पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय नीति

अनुवाद

3033. श्री मुकुल वासनिक :

डा० सी० सिलवेरा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की युवा पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं, और इनकी प्राप्ति हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है;

(ग) क्या सरकार ने देश में युवा पर्यटन संबंधी आंकड़ों को तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हाल ही में नयी दिल्ली में हुए युवा पर्यटन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल, युवा पर्यटन पर कोई निश्चित राष्ट्रीय नीति तैयार करने की कोइ योजना नहीं है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में सम्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय युवा पर्यटन सम्मेलन में युवा पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करने के लिए जो अनेक सिफारिशें की गई हैं उनकी यह मंत्रालय ऐसी एक नीति तैयार करने के लिए जांच करेगा।

(ग) और (घ) 1981 में कुल एक करोड़ 40 लाख स्वदेशी पर्यटको में से 38.1 प्रतिशत स्वदेशी युवा पर्यटक थे। 1981 से 1991 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। युवा पर्यटन के सम्बन्ध में 13 से 29 वर्ष के आयु समूह को ध्यान में रखा गया है।

(ङ) हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय युवा पर्यटन सम्मेलन में निम्नलिखित देशों ने भाग लिया :—

1. अंगोला
2. अफगानिस्तान
3. अर्जेनटीना
4. आस्ट्रिया
5. बंगलादेश
6. बहरीन
7. बेल्जियम
8. बेनिन
9. बुलगेरिया
10. बर्किना फासो
11. कनाडा
12. चिली
13. चीन
14. कोलम्बिया
15. कांगो
16. क्यूबा
17. चेकोस्लाविया
18. डी० पी० आर० कोरिया
19. मिस्र
20. इथोपिया
21. फिनलैंड
22. फ्रांस
23. जर्मनी
24. घाना
25. यूनान
26. हंगरी
27. भारत
28. इंडोनेशिया
29. ईरान
30. इटली
31. कीनिया
32. लेबनान
33. मलावी
34. मलेशिया
35. माल्टा
36. मारीशस
37. मैक्सिको
38. मोरक्को
39. नेपाल
40. नाइजीरिया
41. पाकिस्तान
42. पोलैंड
43. पुर्तगाल
44. कोरिया गणराज्य
45. रोमानिया
46. सान मारिनो
47. सेनेगल
48. स्पेन
49. श्रीलंका
50. स्विटजरलैंड

51. टर्की
52. युगांडा
53. यू० एस० एस० आर०
54. तंजानिया
55. वियतनाम
56. यमन
57. यूगोस्लाविया
58. जाम्बिया
59. होली-सी

बेस और रेफरल अस्पतालों का खोला जाना

3035. श्रीरामकृष्ण कोंताला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक एक लाख की आबादी पर एक बेस अस्पताल एवं प्रत्येक पांच से दस लाख की आबादी पर रेफरल अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से सम्बद्ध सरकारी अस्पतालों में बीमे से जुड़ी स्वास्थ्य जांच योजनाओं को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं। तथापि, 80,000-1,20,000 की जनसंख्या को सेवा सुलभ कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान

3036. श्री के० प्रधानी :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बीमारियों का पता लगाने के लिए उन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है जहां अधिकतर लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में आम तथा लम्बी बीमारी के मामले सामने आने की सम्भावना है;

(ग) तो क्या परिषद को विभिन्न बीमारियों के अनुसंधान मामले पंजीकृत कराने के लिए

उन्होंने सर्वेक्षण कराया है तथा इन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किन-किन क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सूचना संलग्न में विवरण दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण तथा दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां समाज के अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। नैदानिक अनुसंधान सम्बन्धित कार्य किया जाना शामिल है। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए कोई विशेष अनुसंधान योजना नहीं है, फिर भी गश्ती नैदानिक अनुसंधान संबंधी कार्य के लिए स्पॉटों का चयन करने सम्बन्धी मुख्य मानदण्ड (क) वे क्षेत्र जहां कोई चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा (ख) वे क्षेत्र जहां अधिकतर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी रहती है।

यह सूचित किया गया है कि इस गश्ती नैदानिक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम में से इस परिषद को काफी संख्या में सामान्य तथा चिरकारी रोगों के रोगी मिलते हैं। नैदानिक अनुसंधान के अन्तर्गत विशिष्ट समस्याओं के अनुसंधान सम्बन्धी मामलों का पंजीकरण एवं अध्ययन भी किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले गांवों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

गश्ती नैदानिक अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्रों की सूची

1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	डोमुडुमु
		कोतवाल गुड़ा
		पटेल गुड़ा
		काशियापुरम
		तक्षशिला
		उलेनका कोंडा
2.	तमिलनाडु	तैयुर
		कुनराधुस
		तिरनीरमलाई
3.	उड़ीसा	पनीकोइली
		पालिया
		बिंधा

1	2	3
4.	बिहार	पानापुर
		अबुल्लाहपुर
5.	महाराष्ट्र	मदनपुरा (शहरी गंदी बस्तियां)
6.	लखनऊ	कासमंडी खुर्द
7.	पश्चिम बंगाल	तिलजला
		शिबपुर
8.	असम	रटाबाड़ी
		बधारिबेरा
9.	केरल	इरममकारा
		कांगीरामत्तम
10.	मध्य प्रदेश	हरीरपुर

'हरियाणा में नीलगाय का शिकार'

3037. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में नीलगायों की संख्या में वृद्धि के कारण उनके शिकार की अनुमति दी गई है।

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें देश के अन्य भागों में जहां उनकी संख्या बहुत कम है, स्थानांतरित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नीलगाय को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची-3 में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 12 के तहत राज्य सरकार को अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किए गए वन्यजीवों को छोड़कर अन्य सभी वन्य पशुओं को पकड़ने और वैकल्पिक उपयुक्त वासस्थल में ले जाने की अनुमति देने की पूरी शक्तियां हैं। राज्यों के बीच आपसी परामर्श से अन्तर-राज्यीय अन्तरण किया जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट हिन्दी प्रेमी मंडल को सहायता

3038. श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिस्ट्रिक्ट हिन्दी प्रेमी मंडल, बेल्लारी को वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन और विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, हिन्दी की प्रोन्नति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के वास्ते जिला हिन्दी प्रेमी मंडल बेल्लारी के अनुरोध को राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशें के अभाव में संस्वीकृत नहीं की जा सकी। तथापि, वर्ष 1991-92 के लिए इस स्वैच्छिक संगठन को 36,450 रुपए का अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

'सामाजिक वानिकी कार्यक्रम'

3939. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वियन में मिली सफलता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अब तक राज्यवार कितनी-कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की प्रगति की अनुवीक्षा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है जिनके पास कि अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए अपना कार्यतंत्र उपलब्ध होता है। हाल ही में राज्य सरकारों को बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यकलापों के अनुवीक्षण और मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गई है।

सामाजिक वानिकी कार्यकलापों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इन कार्यकलापों के फलस्वरूप बायोमास के उत्पादन, ग्रामीण रोजगार तथा आय में वृद्धि हुई है, फार्म वानिकी/कृषि वानिकी को बढ़ावा मिला है, कार्यकलापों में महिलाओं और स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है, वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने में वन विभागों और निजी व्यक्तियों की तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता को सुदृढ़ बनाने में सफलता मिली है, आदि।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की राज्यवार उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की राज्यवार उपलब्धियां

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उपलब्धि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	727579.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	31276.50
3.	असम	115107.00
4.	बिहार	666970.50
5.	गोवा	16879.00
6.	गुजरात	740605.50
7.	हरियाणा	159346.50
8.	हिमाचल प्रदेश	164760.50
9.	जम्मू और कश्मीर	113306.00
10.	कर्नाटक	666984.50
11.	केरल	310827.50
12.	मध्य प्रदेश	992115.00
13.	महाराष्ट्र	858193.00
14.	मणिपुर	44162.50
15.	मेघालय	57067.00
16.	मिजोरम	102777.50
17.	नागालैंड	82675.00
18.	उड़ीसा	552234.50
19.	पंजाब	132301.00
20	राजस्थान	284945.00
21.	सिक्किम	30045.50

1	2	3
22.	तमिलनाडु	429243.50
23.	त्रिपुरा	63356.50
24.	उत्तर प्रदेश	118°689.00
25.	पश्चिम बंगाल	303404.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	26585.50
27.	चंडीगढ़	727.50
28.	दादर व नगर हवेली	8349.50
29.	दमन और दीव	202.00
30.	दिल्ली	10749.50
31.	लक्षद्वीप	296.50
32.	पाण्डिचेरी	2777.00
	योग	8885539.50

रेल सम्पत्तियों को पट्टे पर देना

3040. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रेलवे की भूमि पर स्थित बाजार परिसरों के पट्टे/किराये की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभागीय प्रयोजनों के लिए और निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही दुकानों के लिए उपयोग की जा रही रेलवे की अतिरिक्त भूमि कितनी-कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दुकानों के लिए लाइसेंस पर दी गई भूमि के लाइसेंस शुल्क में संशोधन महानगरों, राज्य की राजधानियों और बड़े वाणिज्यिक शहरों की भूमि के मामले में हर 3 वर्ष बाद और अन्य स्थानों के मामले में हर 5 वर्ष बाद किया जाता है।

(ग) रेलों के पास कोई फालतू भूमि नहीं है क्योंकि खाली भूमि और पट्टे/लाइसेंस पर दी गई भूमि की रेलों को भावी विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यकता है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केन्द्रीय भवन स्थल पर अवैध निर्माण

3041. श्री मदन लाल खुराना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भवन स्थलों के विस्तृत ब्यौरे क्या हैं जहां अवैध निर्माण किए गए हैं, और

(ख) ये अवैध निर्माण कब से है तथा इन्हें हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमजीवी एक्सप्रेस का दिल्ली देरी से पहुंचना

[हिन्दी]

3042. डा० परशु राम गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी एक्सप्रेस (पटना-दिल्ली) के दिल्ली में समय पर आगमन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गाड़ियों का समय पर चालन सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश पहले से ही विद्यमान है। बहरहाल, समय-समय पर समय-पालन अभियान चलाये जाते हैं और ऐसा अभियान 16.11.1991 से 7 दिनों के लिये चलाया गया था।

मुगलसराय-सोननगर मार्ग पर नई लाइन

[अनुवाद]

3043. श्री छेदी पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुगलसराय और सोननगर के बीच इस मार्ग पर यातायात की अधिकता को देखते हुये तीसरी लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) यह परियोजना 165 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1990-91 रेलवे बजट में शामिल कर ली गई थी और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात में विषाक्त भोजन के मामले

3044. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री गुरुदास कामत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात में विषाक्त भोजन की घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या खाये गये भोजन के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए परीक्षण विभाग को भेजे गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन और गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :

चंडीगढ़ प्रशासन

बिस्कुटों के उपयोग के परिणामस्वरूप कुल 445 छात्र प्रभावित हुये थे। इस मामले की जांच की गई थी और नमूनों के रासायनिक और जीवाणु विज्ञान संबंधी विश्लेषण करने से पता चला कि ये बिस्कुट कॉलीफार्म जीवाणु से प्रदूषित थे।

दिल्ली प्रशासन

माह नवम्बर, 1991 में प्रेस में कथित खाद्य विषाक्तता के एक मामले की सूचना मिली। इस प्रेस रिपोर्ट में बतलाया गया कि "बालूशाही" के उपयोग के पश्चात् अस्पताल में 14 व्यक्तियों को दाखिल किया गया जहां से पता चला कि यह मामला खाद्य विषाक्तता का नहीं था बल्कि मिठाई में शामकों की अधिक मात्रा मिलाकर धोखाधड़ी का मामला था।

खाद्य एवं औषध प्रशासन, गुजरात

15.9.91 को बड़ौदा में एक घटना घटित हुई जिससे छह व्यक्ति प्रभावित हुए। कोई नमूना नहीं लिया गया क्योंकि "दूधपाक" को तैयार होने के 24 घंटों के पश्चात् उपभोग किया जाना ही सम्भाव्य कारण था।

हिमाचल प्रदेश के लिए वायुदूत सेवाएं

3045. प्रो० प्रेम कुमार धूमल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वायुदूत सेवाओं को जारी रखने और इनमें वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) . (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला, कुल्लू और धर्मशाला के लिए परिचालन कर रहा है। वाणिज्यिक और परिचालानात्मक करणो से, इस समय हिमाचल प्रदेश के लिए वायुदूत की सेवाओं में वृद्धि करना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक कच्चे माल का मूल्य

[हिन्दी]

3046. श्री राजवीर सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री पर कर में वृद्धि की गए है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां। कच्ची सामग्री के मूल्य में सामान्य वृद्धि हुई है। इसके अलावा 1991-92 के बजट में विशेष उत्पाद शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत यथामूल्य किया गया था। यह वृद्धि होम्योपैथिक औषधों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार की कच्ची सामग्री पर लागू होती है जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अन्तर्गत होम्योपैथिक औषधों पर मूल्य सम्बन्धी नियंत्रण नहीं रखा जाता है।

कासगंज-कासोपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों को मथुरा तक बढ़ाना

3047. श्री बलराज पासी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासगंज-काशीपुर के बीच आने जाने वाली 103 तथा 104 नम्बर यात्री गाड़ियों को मथुरा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी।

लड़कियों को शिक्षित करने के लिए योजना

3048. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन परिवारों के 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों को शिक्षा देने के लिए अनेक योजनायें आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में सिर्फ गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं। तथापि, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें प्राथमिक स्कूलों के लिए अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यपुस्तकों तथा वर्दी का नि:शुल्क वितरण सभी राजकीय, स्थानीय निकाय तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों में कक्षा VIII तक तथा अधिकतर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कक्षा X तक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 10 राज्यों में बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिये 90% सहायता दी जाती है तथा शेष 10% संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए राज्यों को मुक्त की गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

	(लाख रु० में)
आन्ध्र प्रदेश	21.86
असम	8.41
बिहार	52.25
मध्य प्रदेश	70.17
उड़ीसा	8.13

राजस्थान	29.34
उत्तर प्रदेश	92.07
मणिपुर	1.62
मिजोरम	0.05

हिमाचल में पर्यटन विकास

[अनुवाद]

3049. श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय पर्यटन सलाहकार बोर्ड ने सिक्किम सहित हिमाचल में पर्यटक स्थलों के विकास के लिये सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) हिमालय पर्यटन सलाहकार परिषद ने आधारिक संरचनात्मक विकास, संचार, परिवहन और पर्यावरणीय समस्याओं तथा हिमालयवर्ती राज्यों में साहसिक पर्यटन के संवर्धन की नीति से संबंधित मुद्दों पर विचार किया है। चतुर्थ "हिमताब" की विभिन्न सिफारिशों/निर्णयों पर कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की जानी है।

दक्षिण दिल्ली में प्राचीन स्मारक

3050. श्री मुकुल वासनिक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली के निवासियों के बीच कुछ स्मारकों से संबंधित विवादग्रस्त भूमि का झगड़ा चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) कुछ लोगों ने संरक्षित स्मारक अर्थात शेख कबीरुद्दीन का मकबरा, जिसे रकाबवाला गुम्बद भी कहते हैं, मालवीय नगर, नई दिल्ली से सम्बद्ध एक भूमि-भाग पर मालिकाना दावा किया है। उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है और मामला विचाराधीन है।

यात्रा टिकट इंस्पेक्टरों को "सहायक स्टाफ" की सुविधाएं देना

[हिन्दी]

3051. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों में यात्रा टिकट इंस्पेक्टरों को "सहायक स्टाफ" सुविधा देने जैसे कि गार्डों और ड्राइवरों को दी जा रही है, का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) चल टिकट परीक्षकों को उनकी ड्यूटी का निर्वाह करने में रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस सहित विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों द्वारा मदद की जाती है। इनके लिए अलग से सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं समझा जाता है।

राजस्थान में भीलवाड़ा को विमान सेवा से जोड़ना

[अनुवाद]

3052. श्री शिवचरण माथुर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में भीलवाड़ा को विमान सेवा से जोड़ने का है;

(ख) क्या हवाई पट्टी, टर्मिनल भवन तथा नियंत्रण टावर का निर्माण एयरलाइंस के विनिर्देशों के अनुरूप किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां से विमान सेवा कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 1989-90 में भीलवाड़ा में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया था जो डोर्नियर विमानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त है। टर्मिनल भवन और परिचालन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन/आशोधन किये जाने अपेक्षित हैं।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से इस समय भीलवाड़ा को विमान सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

बिहार में पुल

[हिन्दी]

3053. श्री राम टहल चौधरी :

श्री राम शरण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) बिहार में रेलवे पुलों की संख्या 150 वर्षों से अधिक पुरानी है;

(ख) इनमें से ऐसे पुलों की संख्या क्या है जिनकी मरम्मत होनी है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य से कोई उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है; और

यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता, बहरहाल, 41 पुराने पुलों की हालत के आधार पर मरम्मत के लिए पहचान की गई हैं;

(ग) पुराने पुलों के संबंध में गहराई से अध्ययन करने के लिए 1986 में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें उत्तरी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त, निदेशक मानक (पुल), अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन और उत्तर और दक्षिण पूर्व रेलों के मुख्य पुल इंजीनियर शामिल थे और कार्यान्वयन के लिए इसकी रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी ?

फाफामऊ स्टेशन का विस्तार

3054. श्री राम पूजन पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाफामऊ जंक्शन का विस्तार करने और वहां पर गंगा गोमती एक्सप्रेस का स्टाप प्रदान करने हेतु अनेक अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; ओर

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा तथा धनराशि को उपलब्धता के आधार पर रेलवे स्टेशन के विस्तार के बारे में विचार किया जाता है - फाफामऊ जंक्शन की स्टेशन इमारत अच्छी हालत में है और वहां पर दो प्रतीक्षालयों, पर्याप्त संख्या में बेंचों, पर्याप्त संख्या में पीने के पानी के नलों, बिजली की बत्तियों और पंखों, प्लेटफार्म के सायबानों तथा महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालयों की व्यवस्था है। स्टेशन पर उपलब्ध ऐसी सुविधाएं वर्तमान यातायात के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। फाफामऊ में गंगा गोमती का ठहराव औचित्यपूर्ण नहीं है।

पश्चिमी महाराष्ट्र में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

3055. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भविष्य में पश्चिमी महाराष्ट्र विशेष रूप से शोलापुर जिले में, ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को देय वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) उस क्षेत्र में कार्यरत ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या कितनी है और स्वास्थ्य गाइडों के

कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत सरकार महाराष्ट्र सहित सारे देश में ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्कीम को नया रूप देने के लिए विभिन्न कदमों पर विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में 31 मार्च, 1991 को कार्य कर रहे कुल ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या 42512 सूचित की गई है। इनमें से 18279 पश्चिमी क्षेत्र में कार्य कर रहे बताए गए हैं।

बिहार के चम्पारन जिलों के स्टेशनों का विकास

[हिन्दी]

3056. **श्री महेन्द्र बैठा :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन जिलों के अनेक स्टेशनों के प्लेटफार्मों के विकास के पर कितनी धनराशि व्यय की गई और चालू वर्ष के दौरान कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) भविष्य में इन स्टेशनों का विकास तथा आधुनिकीकरण करने के सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें व्यय के आंकड़े सिविल जिलेवार नहीं रखती है। रेलें चम्पारन जिले के स्टेशनों सहित स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं। इन स्टेशनों का विकास/आधुनिकीकरण भी आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है जो यातायात में वृद्धि तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

अवैध बच्चों का जन्म

[अनुवाद]

3057. **डा० (श्रीमती) पदमा**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अवैध बच्चों के जन्म की घटनाओं की जांच की है;

(ख) राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की जांच करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी घटनाओं की जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का स्कूलों मे ऐसी घटनाओं के सामाजिक पहलुओं की शिक्षा देने के लिए इस विषय को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से भी

इसकी जानकारी देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के युवा कार्य तथा खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रकार की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू युवक केन्द्र

3058. श्री के० मुरलीधरन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान नेहरू युवक केन्द्र जिलावार कहां-कहां खोले जायेंगे;

(ख) उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) अनुदान आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) संगठन ने नये केन्द्र खोलने के निर्णय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। तथापि, प्रत्येक जिले में एक केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

(ख) चूंकि नये केन्द्र खोलने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए इस प्रयोजनार्थ 1991-92 के दौरान कोई विशिष्ट धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) अनुदान संगठन द्वारा बनाई गई कार्य योजना के आधार पर आवंटित किया जाता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। प्रत्येक केन्द्र की स्थापना लागत और कार्यक्रम व्यय के पूरा करने के लिए लगभग 2.00 लाख रुपये की वार्षिक आवश्यकता होती है। इसमें से लगभग 1.25 लाख रुपये कार्यक्रमों पर खर्च किए जाते हैं।

नदी जल का प्रदूषण

3059. श्री के० वी० तंगकाबालू :

श्री टी० जे० अंजलोस :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदियों का सत्तर प्रतिशत जल प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) जिन नदियों का जल प्रदूषित है, उनके राज्यवार नाम क्या हैं, और उनमें कितना प्रदूषण है;

(घ) इन नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) इस उद्देश्यार्थ प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश के कुल प्रदूषित नदी जल की प्रतिशतता का कोई सही निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) नदियों में जिन स्थानों पर शहरी मल जल गिराया जाता है और औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जित किए जाते हैं उनसे नीचे के भाग सामान्य तौर पर प्रदूषित होते है। अधिकांश शहरी मल जल अशोधित या आंशिक शोधन के बाद विसर्जित किया जाता है। औद्योगिक बहि:स्रावों का कुछ हिस्सा भी अपेक्षित स्तर तक शोधित नहीं किया जाता है जिससे नदी जल की गुणवत्ता प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अलावा कृषि अवशेष जिनमे कीटमाशक, नाशी कीटनाशक और उर्वरक होते हैं, धोबी घाटों तथा मनुष्य और पशुओं के नहाने से भी नदी जल के प्रदूषण भार में वृद्धि होती है।

(ग) नदी जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने नदियों के कुछ अत्यधिक प्रदूषित भागों की शिनाख्त की है। इन प्रदूषित भागों और महत्वपूर्ण प्राचलों की राज्यवार सूची नीचे दी गई है :—

नदी	राज्य	प्रदूषित भाग	महत्वपूर्ण प्राचल
1	2	3	4
साबरमती	गुजरात	1. अहमदाबाद शहर से एकदम ऊपर की ओर साबरमती आश्रम तक	डी० ओ०, बी० ओ० डी० कोलीफार्म
		2. साबरमती आश्रम से धोधा	—वही—
सुवर्ण रेखा	बिहार	हटिया बांध से बारगोरा तक	—वही—
गोदावरी	महाराष्ट्र	1. नासिक से नीचे की ओर नान्देड़ तक	बी० ओ० डी०
		2. नासिक और नान्देड की नगर सीमा	—वहीं—
कृष्णा	महाराष्ट्र	कराद से सांगली	बी० ओ० डी०
सतलज	पंजाब	1. लुधियाना से नीचे की ओर हरिके तक	डी० ओ०, बी० ओ० डी०
		2. नांगल से नीचे की ओर आनन्द-पुर तक	अमोनिया

1	2	3	4
यमुना	उत्तर प्रदेश	(क) दिल्ली से चम्बल के संगम तक	डी० ओ०, बी० ओ० डी० कालीफार्म
	दिल्ली, उ० प्र०	(ख) दिल्ली, मथुरा और आगरा की नगर सीमाओं में	—वही—
हिण्डन	उ० प्र०	सहारनपुर से यमुना के संगम तक	डी० ओ०, बी० ओ० डी० विषाक्तता
चम्बल	राजस्थान	नागदा से नीचे की ओर और कोटा से नीचे की ओर (दोनों स्थानों पर लगभग 15 कि० मी०)	बी० ओ० डी०, डी० ओ०
दामोदर	बिहार और पश्चिम बंगाल	धनबाद से नीचे की ओर हुल्दिया तक	बी० ओ० डी०, विषाक्तता
गोमती	उ० प्र०	लखनऊ से गंगा के संगम तक	डी० ओ०, बी० ओ० डी०, कालीफार्म
काली	उ० प्र०	मोदी नगर से नीचे की ओर संगम तक	बी० ओ० डी०, कालीफार्म

(घ) सरकार द्वारा नदी जल गुणवत्ता को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बहि:स्राव मानक निर्धारित किए गए हैं,
2. परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है,
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं,
4. उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति की अपेक्षाओं का अनुपालन करने को कहा गया है, ताकि बहि:स्राव और उत्सजन के विसर्जन को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखा जा सके,
5. नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए हैं,
6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं,
7. छोटे पैमाने के उद्योगों के समूहों को सांझा बहि:स्राव संयंत्र लगाने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है,
8. राज्य सरकारों के परामर्श, से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों की 17 श्रेणियों के

प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत इन श्रेणियों की यूनिटों के लिए 31-12-1991 तक मानकों को पूरा करना अपेक्षित है,

9. गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गंगा कार्य योजना के तहत एक विशेष परियोजना चलाई गई।

(ग) गंगा कार्य योजना के तहत प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

क० सं०	वर्ष	उ० प्र०	बिहार	पश्चिम बंगाल
1.	1985-86	4.61	0.45	1.00
2.	1986-87	15.99	2.48	5.92
3.	1987.88	19.09	6.31	16.41
4.	1988-89	16.54	12.41	25.79
5.	1989-90	22.62	8.80	26.24
6.	1990-91	19.85	0.12	24.39

यशवंतपुर-बंगारपेट रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3060. श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यशवन्तपुर और बंगारपेट के बीच पुरानी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की काफी समय पहले से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) येलहंका-बंगारापेट छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए 1985 में सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि सर्वेक्षण से यातायात की अपर्याप्त सम्भावनाओं का पता चला था और संसाधनों की तंगियों के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुम्बई-कोचीन क्षेत्र में अनियमित उड़ानें

3061. प्रो० के० वी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है कि पिछले तीन महीनों के दौरान इंडियन

एयरलाइंस की उड़ानें विशेषरूप से मुम्बई-कोचीन क्षेत्र में नियमित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान विशेषरूप से इस क्षेत्र में कितनी उड़ानें रद्द की गई/विलम्ब हुआ तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के नेटवर्क पर अगस्त से अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान कुल 21,826 उड़ानों में से 4,067 उड़ानों में विलम्ब हुआ और 653 उड़ानें रद्द कर दी गईं । इस अवधि में बम्बई और कोचीन के बीच कुल 183 उड़ानों में से 30 उड़ानों में देरी हुई और 5 उड़ानें रद्द की गईं । इंजीनियरिंग, खराब मौसम, अपर्याप्त हवाई अड्डा सुविधाओं, परिणामी और विविध कारणों से इन उड़ानों में विलम्ब हुआ, इन्हें रद्द करना पड़ा ।

(ग) "आन टाइम" निष्पादनों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

— आन-टाइम निष्पादनों का बारीकी से निरीक्षण करना ।

— विमानों के रख-रखाव पर अधिक समय देना ।

—1-11-1991 से लागू समयसारणी को जिसमें उड़ानों के बीच अन्तराल बनाए रखने के लिए संशोधित ब्लॉक सारणी और बढ़ाई गई, ग्राउंड सारणी शामिल की गई है, युक्ति-युक्त बनाना ।

— क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में हुई त्रुटियों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना ।

कटक में एकीकृत बाल विकास योजना

3062. श्री श्रीकांत जेना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक जिले ने स्वीकृत बाल विकास योजना को लागू करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और किस सीमा तक इन लक्ष्यों को उपलब्ध किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां । कटक जिले में सभी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं समय से प्रचालित कर दी गई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उड़ीसा के कटक जिले में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं प्रचालित किए जाने

के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार है : --

जिले का नाम		चालू किए जाने का वर्ष		
		1988-89	1989-90	1990-91
राज्य : उड़ीसा				
कटक	लक्ष्य	1	0	1
	उपलब्धियां	1	0	1

भरतपुर में ऐतिहासिक तोपें

[हिन्दी]

3063. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरतपुर (राजस्थान) में ऐतिहासिक तोपों को सुरक्षित रखने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भरतपुर किले के फतेहबुर्ज में एक तोप पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिसकी देखभाल और संभाल की जा रही है। भरतपुर में अन्य तोपें राज्य सरकार के संरक्षण में हैं।

राजस्थान में आप्रेशन ब्लैक बोर्ड

3064. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम फेस-IV के बारे में राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधान विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के चौथे चरण के अन्तर्गत राजस्थान के 25 ब्लॉकों में 2,322 प्राइमरी स्कूलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव था, जिसमें एकल शिक्षक स्कूलों में 1,295 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा 295 एक कमरे वाले स्कूलों की कक्षाओं और 2 भवन रहित स्कूलों के निर्माण की आवश्यकता थी। अब तक इस प्रस्ताव को संस्वीकृति दे दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होटल

[अनुवाद]

3065. श्री डी० एम० सी० बालायोगी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर थके हुए ड्राइवरों तथा यात्रियों के लिए अतिथि गृह और विश्राम गृह बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आन्ध्र प्रदेश में पालमनेर, गुजरात में वापी, मध्य प्रदेश में खालघाट, महाराष्ट्र में मनोर, उड़ीसा में रामेश्वर और तमिलनाडु में सत्तूर के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में नर्सिंग होम की स्थापना

[हिन्दी]

3066. श्री राम विलास पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 नवम्बर, 1991 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीन एक नर्सिंग होम की आधारशिला रखी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका नाम बाबा साहिब डा० भीमराव अम्बेडकर नर्सिंग होम रखने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक 100 बिस्तरों वाले "पे वार्ड्स और अस्पताल यूटिलिटी सर्विसेज ब्लाक" के निर्माण के लिए 19 नवम्बर, 1991 को आधारशिला रखी गई है।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को भत्ते

[अनुवाद]

3067. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को वे सब विशेष लाभ नहीं दिए जाते जो सरकार के सिविल कर्मचारियों को उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) साधारणतया उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाएं और विशेष भत्ते केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को भी प्रदान किए जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन सुविधाओं को अपनी जरूरतों के अनुकूल बनाते हुए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कार्यरत केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए सेवा की अवधि के आधार पर 2 या 3 वर्ष के कार्यकाल की जगह स्नातकोत्तर और इससे ऊपर के शिक्षकों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का समरूप कार्यकाल प्रदान किया। इसके अलावा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेषरूप से भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए विशेष (कार्य) भत्ता भी नहीं प्रदान किया गया। स्नातकोत्तर शिक्षक से नीचे के स्तर वाले शिक्षक क्षेत्र के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। अतः इन्हें टेनर पोस्टिंग की सुविधा भी नहीं प्रदान की गई।

मध्य प्रदेश में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

3068. श्री भीम सिंह पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन स्थानों पर कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या वर्ष 1992 के दौरान मध्य प्रदेश में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किए गए उप-केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	उप-केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1988-89	1000	200
1989-90	2085	202
1990-91	26	70

(ख) 1991-92 के दौरान राज्य में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी उप-केन्द्र को खोलने के लिए कोई वित्तीय अबंटन नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानवार ब्योरों को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भोपाल हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

3069. श्री सूरज भानु सोलंकी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल हवाई अड्डे को आधुनिकीकरण, विस्तार करने के लिए सरकार का विचार गई योजनाएं बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की जा रही है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ नियत की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5.00 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान धावनपथ को 6,700 फुट तक बढ़ाने का काम पहले ही आरम्भ कर दिया है। उन्होंने वर्तमान टर्मिनल भवन में फेर-बदल के लिए भी योजना तैयार की है। इस कार्य को निधियों की उपलब्धता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा।

स्नातक इंजीनियरों की प्रोन्नति सम्भावनायें

[अनुवाद]

3070. श्री वाड्डे शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत स्नातक इंजीनियरों की प्रोन्नति सम्भावनाएं काफी सीमित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके पदोन्नति के उद्धार अवसर प्रदान करने एवं उनकी अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ग्रुप "सी" (श्रेणी-III) में कार्यरत स्नातक इंजीनियर, जिन्होंने एक ग्रेड, जिसकी न्यूनतम सीमा 1400 रुपये प्रति माह है, में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, अपनी वरिष्ठता के अनुसार मिलने वाली ऐसी पदोन्नति से पहले, ग्रुप "बी" (राजपत्रित) के पदों में पहले पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया में विमान खान-पान सेवा के लिए पेशेवर लोगों की भर्ती

3071. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की विमान खान-पान सेवाओं में कार्यरत पेशेवर लोगों की संख्या क्या है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को एयर इंडिया में विमान खान-पान सेवाओं में सुधार करने के लिए पेशेवर लोगों की भर्ती के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया की विमान खान-पान सेवाओं में कार्यरत पेशेवर लोगों की संख्या 26 है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में रेलवे वाणिज्यिक नियमावलियां

3072. श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं के सम्बन्ध में रेलवे वाणिज्यिक नियमावलियों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र में स्टेशनों की स्थिति क्या है; और

(ग) इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों पर सुलभ कराई जाने वाली यात्री सुविधाओं की सूची वाणिज्यिक संहिता में दी जाती है और इनकी व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाती है जो धनराशि की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं, महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाले स्टेशनों सहित सभी स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, सुविधाओं में वृद्धि/उन्नयन, एक सतत् प्रक्रिया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम

3073. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 पद्धति पर सामान्य बीमा नियम में

शुरू किए गए व्यवसायिक परीक्षा का इस वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सफल उम्मीदवारों को अब एक वर्ष की अपरेन्टिसशिप के प्रशिक्षण लेना है;

(ग) यदि हां, तो उनका यह अपरेन्टिसशिप प्रशिक्षण कब तक शुरू हो जाएगा और इन उम्मीदवारों को किन-किन केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा; और

(घ) प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रशिक्षु सहायकों की चयन-प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम नवम्बर, 1991 में शुरू होना है। प्रशिक्षण दिल्ली, चण्डीगढ़, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में नियंत्रित कम्पनियों के क्षेत्रीय/प्रभागीय/शाखा कार्यालयों में दिया जाएगा।

(घ) 1,000/-रुपये प्रतिमाह।

धूम्रपान निषेध क्षेत्र

[हिन्दी]

3074. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रशासकीय अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं जिन्हें कुछ चुनिंदा सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पतालों, औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सी-यानों तथा वातानुकूलित शयन-यानों, उपनगरीय रेलगाड़ियों और वातानुकूलित बसों में लागू किया जाएगा।

दिल्ली-कानपुर के लिए नई रेल गाड़ियां

3075. श्री केशरी लाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली से कानपुर से होते हुए कितनी एक्सप्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) केवल दिल्ली और कानपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इस मार्ग पर कोई नई रेलगाड़ी शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 21+ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की कमी ।

वायुदूत की विमान सेवा में घाटा और गुजरात में इसके हवाई सम्पर्क

[अनुवाद]

3076. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के विभिन्न हवाई अड्डों को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय वायुदूत सेवा घाटे में चल रही है;

(घ) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से 31 अक्तूबर, 1991 तक प्रति माह हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस घाटे के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 1991 तक वायुदूत का संचित घाटा लगभग 128.00 करोड़ रु० होने का अनुमान है । इस समय वायुदूत को लगभग 2.70 करोड़ रुपये प्रति मास घाटा हो रहा है । इस घाटे के मुख्य कारण हैं, कम दूरी के प्रचालन, पुराना और गैर-किफायती विमान-बेड़ा और अलाभकारी किराया ढांचा ।

मुगलसराय और पटना के बीच पुन: रेलगाड़ी चलाना

3077. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय और पटना के बीच कुछ पैसेंजर गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) बन्द की गई गाड़ियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इन गाड़ियों को पुनः चलाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इन गाड़ियों को कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गाड़ी सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से हावड़ा और मोकामा तथा मोकामा और बक्सर के बीच अलग-अलग गाड़ी चलाने के लिए 319/320 हावड़ा-मुगलसराय पैसेंजर गाड़ी को 22-12-87 से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। मुगलसराय और दिलदारनगर तथा दिलदारनगर और पटना के बीच अलग-अलग गाड़ी चलाने के लिए 400 डाउन मुगलसराय पटना पैसेंजर गाड़ी को भी दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान उपयोगकर्ताओं के हित में।

मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालय

3078. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1991 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में नवोदय विद्यालय चल रहे थे;

(ख) क्या 31 मार्च, 1992 तक बचे हुए जिलों में भी नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से 31.10.1991 तक 29 जिलों में नवोदय विद्यालय काम कर रहे थे।

(ख) और (ग) एक चरणबद्ध तरीके से नवोदय विद्यालयों का खोला जाना प्रस्तावों की उपयुक्तता, भौतिक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए 31.3.1992 तक मध्य प्रदेश के शेष सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों का खोला जाना संभव नहीं हो सकता।

प्राचीन एवं ऐतिहासिक मन्दिरों का संरक्षण

3079. श्री दत्तात्रेय बंडारु :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में अनेक ऐतिहासिक तथा प्राचीन स्मारक और मन्दिर जर्जर स्थिति में आ गये हैं तथा प्रकृति के थपेड़ों से नष्ट होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मन्दिरों एवं स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण भारत के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक जर्जर अवस्था में नहीं हैं। फिर भी, मौसम सम्बन्धी और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण प्रभावित स्मारकों पर लगातार ध्यान दिया जाता है ताकि उनका संरक्षण और परिरक्षण किया जा सके।

बदाऊं के पास रेल फाटक पर ऊपरि पुल

[हिन्दी]

3080. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदाऊं जंक्शन के पास रेल फाटक पर सड़कोपरि पुल के निर्माण की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस संबंध में नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र

3081. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत डेढ़ वर्ष के दौरान इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी राशि प्रदान की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग के साथ उनकी चर्चा के आधार पर 1990-91 में 25 तथा 1991-92 में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी।

तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य के लिये उप-केन्द्रों की स्थापना का कोई लक्ष्य

नहीं रखा जा सका।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए धन योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सीधे प्रदान किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 1990-91 में 541 लाख रुपये तथा 1991-92 में 775 लाख रुपये का आबंटन किया गया था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी भी राज्य को उपकेन्द्र खोलने के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है।

सुरा पीड़ितों का गायब होना

3082. श्री मुमताज अंसारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में हिन्दुराव अस्पताल से अनेक सुरा पीड़ित व्यक्तियों के रहस्यमय रूप से गायब होने के समाचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है और इनका पता लगाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सुरा विषाक्तता से ग्रस्त 11 व्यक्ति हिन्दू राव अस्पताल से भाग गये हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. श्री रामसेवक, सुपुत्र श्री विजय, निवासी जहांगीरपुरी।
2. अज्ञात
3. श्री भगवती प्रसाद, सुपुत्र श्री दुर्गा प्रसाद, निवासी जहांगीरपुरी।
4. श्री परमजीत, सुपुत्र श्री सुरिंदर, निवासी जहांगीरपुरी
5. श्री नरिंदर, सुपुत्र श्री नाथू सिंह, निवासी आदर्श नगर।
6. श्री सूरज, सुपुत्र श्री मयूर, निवासी आदर्श नगर।
7. श्री हरी प्रसाद, सुपुत्र श्री धीरज, निवासी बलसवा।
8. श्री चन्द्र शेखर, सुपुत्र श्री अमीर चन्द, निवासी हैदरपुर।
9. अज्ञात
10. श्री सुरेश कुमार, सुपुत्र श्री बंसी राम, निवासी मुकीमपुरी।
11. अज्ञात

चिकित्सीय-कानूनी मामलों से निपटने के लिए अस्पताल के आपाती विभाग में स्थित पुलिस केन्द्र को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इन रोगियों के बारे में तत्काल सूचित किया गया था।

ग्रामीण विद्यापीठों की स्थापना

?083. श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विद्यापीठ स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू करने का है;

(ख) देश में इस समय कितने ग्राम विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इस वर्ष तथा अगले वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार का नये ग्राम विद्यापीठों को कितनी अनुदान सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में महात्मा गांधी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों की रूपरेखाओं के आधार पर ग्रामीण संस्थान/विश्व-विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अनुसरण में ग्रामीण संस्थानों के विकास के सुसमन्वित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परिषद गांधीवादी मूलभूत शिक्षा में कार्यरत ग्रामीण संस्थानों और अन्य एजेंसियों का पता लगाएगी और उनके विकास में उनकी सहायता करेगी और वित्तीय तथा अन्य सहायता के माध्यम से नई संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित भी करेगी।

विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, ग्रामीण उच्च शिक्षा में 55 संस्थान हैं। इनमें तीन समझे जाने वाले विश्वविद्यालय भी हैं।

चालकुड़ी में पैदल पार पुल

[अनुवाद]

3084. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मण :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर जिले के चालकुड़ी में बन्द पड़े रेल फाटक के स्थान पर पैदल पार पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम दशक

3085. श्री अन्ना जोशी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का संयुक्त राष्ट्र

सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम दशक मनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कोई विशिष्ट निकाय/आयोग गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों से भी इस बारे सहयोग में मांगा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस दिशा में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों के लिए संसाधन जुटाने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विश्व दाय सप्ताह और विश्व दाय दिवस मनाने और सिल्क रूट प्रोग्राम के एक अंग के रूप में सेमिनारों और प्रदर्शनियों के आयोजन जैसे कार्यकलापों को दशाब्दी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) संस्कृति-सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इन्टैक) ने सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया।

(छ) दशाब्दी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संसाधन वर्तमान बजट प्रावधान में से ही जुटाए जा रहे हैं।

डाक्टरों का विदेश चले जाना

3086. कुमारी विमला वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सरकारें गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारतीय डाक्टरों तथा अन्य अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों की भर्ती कर रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश ने प्रति वर्ष ऐसे कितने-कितने कर्मियों की नियुक्ति की;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी सरकारों के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ ऐसे समझौते किए गए हैं तथा उन्होंने कितने डाक्टरों की नियुक्ति की और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

3087. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा देश में प्रत्येक राज्य में ऐसे संस्थान खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षणों को संस्थागत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई० आई० टी०) और पॉलिटेक्निकों की स्थापना राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में है। देशभर में ऐसे संस्थानों की लगातार वृद्धि हुई है। देश में 500 से अधिक मान्यता-प्राप्त पॉलिटेक्निक और 2240 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त नौ क्षेत्रीय संस्थाओं सहित दिल्ली में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है। सैकेण्डरी शिक्षा की व्यावसायिकरण योजना के अन्तर्गत +2 स्तर पर विविध प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। अब तक 27 से अधिक राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में फैले 3891 स्कूलों में 10628 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त श्रमिक विद्यापीठों, जन शिक्षण निलयमों, आई० टी० आई०, पॉलिटेक्निकों, स्वैच्छिक संगठनों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अल्प अवधि के अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) एन० सी० ई० आर० टी० ने अखिल भारतीय स्तर के पांच शैक्षिक सर्वेक्षण पहले ही चला रखे हैं। छठा 1992-93 में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित है।

दिल्ली में पब्लिक स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस

3088. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों से ऊंची फीस और बिल्डिंग फंड और अन्य शुल्कों के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं तथा शिक्षकों को कम वेतन देकर उनका शोषण कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस व्यापक शोषण को समाप्त करने हेतु कोई उपाय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) दिल्ली में मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ ऐसी शिकायतें कभी-कभी मिलती हैं ।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों पर नियन्त्रण का प्रयोग करता है । इसके साथ-साथ अधिनियम निम्नलिखित सुरक्षा प्रदत्त करता है :—

(i) मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ते इत्यादि, तथा अन्य निर्धारित लाभ सरकारी स्कूल के कर्मचारियों से कम नहीं होने चाहिए ।
(धारा 10) (1)

(ii) कोई भी कर्मचारी शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना नौकरी से बरखास्त या हटाया नहीं जा सकता । (धारा 8) (2)

(iii) शिक्षा निदेशक के पूर्व मंजूरी के बिना मध्य-सत्र के दौरान शिक्षा-शुल्क बढ़ाया नहीं जा सकता । (धारा 17) (3)

(iv) यदि अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सौंपे गए उत्तरदायित्व को निभाने में स्कूल लापरवाही बरतता है तो स्कूल का प्रबन्ध (कुछ संरक्षणों की शर्त पर) हाथ में लिया जा सकता है । (धारा 20)

(v) मान्यता-प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण (धारा 24)

दिल्ली प्रशासन ने दिनांक 10.12.90 तथा 29.4.91 को सभी मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों को उच्च शिक्षा लेने, दान तथा बिल्डिंग फंड आदि लेने के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं ।

हजारीबाग स्टेशन पर वस्तुओं की चोरी

[हिन्दी]

3089. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग स्टेशन से रेल डिब्बों को तोड़ कर प्रतिमाह लाखों रुपये मूल्य की वस्तुओं की चोरी हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसमें शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान सेवाओं का विस्तार

3090. प्रो० रासासिंह रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में विमान सेवाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। विमान क्षमता और अन्य संसाधनों की कमी के कारण, निकट भविष्य में विमान सेवाओं का विस्तार करना सम्भव नहीं है।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत में लाभ/हानि

3091. प्रो० रासासिंह रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत द्वारा अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक एयरलाइन्स द्वारा उक्त अवधि में अर्जित लाभ उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटा उठा रही एयरलाइनों को बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो घाटा उठा रही एयरलाइन्स की कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत द्वारा अर्जित राजस्व और उनके लाभ/हानि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये)

		एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाइन्स	वायुदूत लिमिटेड
1988-89	राजस्व	1205.11	996.75	× 25.52
	लाभ/हानि	43.31	36.08	⊠ (26.57)
1989-90	राजस्व	1428.38	1125.15	× 26.96
	लाभ/हानि	70.89	(15.04)	⊠ (35.82)
1990-91	राजस्व	1747.36	1168.63	× ⊠ 29.35
	लाभ/हानि	81.23	(64.39)	⊠ × (36.50)

× अनन्तिम/बिना लेखा-परीक्षित

× ⊠ संशोधित अनुमान

इंडियन एयरलाइन्स के घाटे के मुख्य कारण ए—320 विमानों को ग्राउंड किया जाना, इस बेड़े की मूल्यह्रास की उच्च लागतें, विनियम समायोजन की मुद्रा दर और विमानन टरबाईन ईंधन (एटाएफ) कीमतों में वृद्धि है। वायुदूत के मामले में पुराने और ईंधन की अधिक खपत करने वाले विमान तथा कम दूरी के सैक्टरों एवं अगम्य क्षेत्रों के लिए परिचालन मुख्य कारण हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इनके निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं:—

इंडियन एयरलाइन्स

(1) यात्री मांग के अनुरूप विमानों का समय निर्धारित किया जाना तथा यात्री/समग्र भार गुणक में सुधार;

(2) ए—320 विमानों की उड़ान पुनः शुरू किया जाना; और

(3) विमानन टरबाईन ईंधन की कीमतों तथा विनियम समायोजन की मुद्रा दर में वृद्धि के कारण लागतों का निष्प्रभावीकरण।

वायुदूत लिमिटेड

वायुदूत की पुनः संरचना के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में खेल सुविधायें

[अनुवाद]

3092. श्री सुधीर सावन्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में खेलों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कितना अनुदान दिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) खेल अवस्थापना योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और जारी किए गए अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंजूर की गई केन्द्रीय सरकार की राशि
1988-89	71	337.00 लाख रुपये
1989-90	80	97.75 लाख रुपये
1990-91	23	12.20 लाख रुपये

जारी की गई सहायता की राशि में पूर्व वर्षों में अनुमोदित परियोजनाओं की द्वितीय तथा अनुवर्ती किश्तें शामिल हैं।

बेलापुर स्टेशन का निर्माण

3093. श्री राम नाईक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मुम्बई में मनखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन पर बेलापुर स्टेशन का निर्माण कार्य बहुत मन्द गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण तथा किस समय तक इसको पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नगर एवं औद्योगिक विकास निगम, जो बेलापुर में स्टेशन इमारत का निर्माण कर रहा है, के अनुसार विलम्ब उनके ठेकेदारों की विफलता के कारण है, नगर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा अपने हिस्से का काम पूरा करने के लिए दिए गए संशोधित लक्ष्य के आधार पर बेलापुर स्टेशन के अगस्त, 1992 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली तक रेलगाड़ी

[हिन्दी]

3094. श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में मुजफ्फरपुर जंक्शन से नई दिल्ली तक एक नई सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी।

श्रमिक विद्यापीठ और आई० टी० आई०

[अनुवाद]

3095. श्री एकनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक विद्यापीठ से पास होने वाली बालिकाओं को आई० टी० आई० में प्रवेश देने के मामले में उन्हें प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों में अधिक संख्या में श्रमिक विद्यापीठ और आई० टी० आई० खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लड़कियों के लिए दाखिले के लिए जो कि गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेना होगा।

(घ) इस समय, दिल्ली और देश में अन्य कहीं भी श्रमिक विद्यापीठ खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई० टी० आई० की स्थापना करना, राज्य का विषय है। लेकिन केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, जिसका कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है, राज्यों में 100 नये महिला आई० टी० आई० खोले जा रहे हैं।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	आई०टी० आई०की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13
2.	असम	3
3.	गुजरात	4
4.	हरियाणा	5
5.	केरल	5
6.	मध्य प्रदेश	10
7.	उत्तर प्रदेश	9
8.	पश्चिम बंगाल	4
9.	महाराष्ट्र	9
10.	बिहार	8

1	2	3
11.	कर्नाटक	10
12.	तमिलनाडु	5
13.	राजस्थान	4
14.	उड़ीसा	6
15.	पंजाब	5
	कुल	100

धनराशि के दुरुपयोग की जांच

3096. श्री बो० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कानपुर और आगरा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों को दी गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या धनराशि गबन किए जाने के गम्भीर मामलों का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत ऐसे कालेजों को आबंटित धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या कुछ प्रबन्ध ग्रुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह की अवहेलना करते रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा गठित एक समिति ने निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच की और इस सम्बन्ध में डी० एस० कालेज अलीगढ़ और एस० वी० कालेज अलीगढ़, जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है का दौरा किया। समिति द्वारा प्रस्तुत इन रिपोर्टों के आधार पर किये गये कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के लेखों को ठीक तरह से नहीं रखते, आयोग ने आगे वि० अ० आ० के और अनुदान देने पर जून, 1991 में रोक लगा दी।

जहां तक दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय, फिरोजाबाद जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वि० अ० आ० के विकास अनुदान के और अधिक भुगतान पर मार्च, 1991 में एक अस्थायी रोक लगा दी गई है और मामले को आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के पास भेज दिया गया है। आर्य कन्या महा-

महाविद्यालय हरदोई, जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, के मामले को भी तथ्यों का पता लगाने के लिए कुलपति के पास भेज दिया गया है।

आयोग योजना-दर-योजना के आधार पर सभी पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को उनके सामान्य विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 7वीं योजना के दौरान डी० एस० कालेज, और एस० वी० कालेज अलीगढ़ को आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदान निम्नलिखित है :—

1. डी० एस० कालेज　　16,14,481 रु०

2. एस० वी० कालेज　　12,15,347 रु०

दाऊ दयाल महिला विश्वविद्यालय, फिरोजाबाद और आगर कन्या महाविद्यालय, हरदोई के संस्वीकृत अनुदान के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

धनराशि का दुरुपयोग

3097. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदूषण को रोकने इत्यादि के लिए जारी की गई धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए संस्थागत वित्त विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के एक प्रमुख घटक में उद्योगों को प्रदूषण शोधन प्रणालियां स्थापित करने और उनमें सुधार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम के जरिए ऋण की व्यवस्था शामिल है। यह परियोजना 6 नवम्बर, 1991 से शुरू हो गई है। इस परियोजना के तहत राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में इस मंत्रालय में अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इधर-उधर पड़े वैगन

3098. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1991 के "स्टेटसमैन" में "स्ट्रे वैगन्स ए प्री पूजा बाउन्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और वर्ष 1991 (आज तक) में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या सम्बन्धित पार्टी को मुआवजा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 16-9-1991 को धनबाद मण्डल की साउथ टिसरा कोयलाखान साइडिंग पर सिलिंडर तेल, मिट्टी के तेल के ड्रम, कुछ ग्रीस, झाड़ू और फिनोल से लदे बन्द माल डिब्बे को खुला पाया गया था और श्रमिकों द्वारा कुछ वस्तुएं चुरा ली गई थीं, पुलिस द्वारा माल डिब्बे का चार्ज लेने से पहले 2800 रुपये मूल्य का सामान चुरा लिया गया था, 1991 के दौरान अब तक इस तरह का कोई अन्य मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ग) चूंकि यह विभागीय सामग्री थी इसलिए मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता, धनबाद मण्डल द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) यार्डों के रेकों के चलने से पहले उनकी जांच का काम तेज कर दिया गया है।

गुजरात में परती भूमि विकास परियोजना

[हिन्दी]

3099. **श्री काशीराम राणा** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में समेकित परती भूमि विकास परियोजना के अन्तर्गत कितने जिलों की पहचान की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(ग) उन जिलों के नाम क्या है जिन्हें अगले वर्ष इस परियोजना में सम्मिलित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में गुजरात के भावनगर, पंचमहल, जूनागढ़, जामनगर तथा सुरेन्द्र नगर जिलों के लिए समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनावार लक्ष्य निम्नप्रकार हैं :- -

1.	भावनगर जिले के लिए परियोजना	1990-91	725 हैक्टेयर
2.	पंचमहल, जूनागढ़, जामनगर और सुरेन्द्रनगर जिलों के लिए परियोजना	1990-91	1700 हैक्टेयर
3.	सुरेन्द्रनगर जिले के लिए परियोजना	1991-92	100 हैक्टेयर

(ग) इन जिलों में पहले ही स्वीकृति की जा चुकी परियोजनाओं का वर्ष 1992-93 में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में मैरीन नेशनल पार्क

[अनुवाद]

3100. श्री सुधीर सावंत :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवान में एक मैरीन नेशनल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने में देरी के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना और प्रबन्ध के लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवान में एक मरीन वाइल्ड लाईफ सैंक्चुअरी है। सैंक्चुअरी का दर्जा बढ़ाकर नेशनल पार्क बनाने के बारे में राज्य सरकार से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईरान से लूटे गए हीरे व जवाहरातों की वापसी

[हिन्दी]

3101. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18वीं सदी के दौरान ईरानी आक्रान्ता हीरे, जवाहरात और अन्य कीमती चीज लूटकर ले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन्हें वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन लूटी गई चीजों को फिर से प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, चूंकि यह सम्भव नहीं है।

महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के अधिकार का क्रियान्वयन

[अनुवाद]

3102. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद, उच्च अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा महिलाओं के अधिकार के संबंध में किए गए सर्वेक्षण की ओर

दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विलम्ब प्रभार में छूट देने हेतु सक्षम प्राधिकारी

3103. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलम्ब प्रभार के भुगतान में छूट देने अथवा उसे माफ करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन हैं तथा विलम्ब प्रभार की धनराशि का पुन: आकलन करने/इसे माफ करने के लिए प्रत्येक प्राधिकारी को कितनी शक्ति प्रदान की गई है;

(ख) उत्तर रेलवे में पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के प्राधिकार के दुरुपयोग के बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनपर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन द्वारा शक्तियों के समुचित रूप से उपयोग किए जाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विलम्ब प्रभारों को माफ/वापस करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी तथा इन प्राधिकारियों की अधिकार-सीमा निम्न प्रकार है :—

विलम्ब प्रभारों को माफ/वापस करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	प्रति माल डिब्बा विलम्ब शुल्क माफ/वापस करने से संबंधित अधिकतम अधिकार
1	2
महाप्रबंधक	पूर्ण शक्तियां
मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक/ मुख्य परिचालनिक अधीक्षक/ मुख्य विपणन अधीक्षक/ मुख्य दावा अधिकारी/ मंडल रेल प्रबंधक	25,000 रु०

1	2
अपर मंडल रेल प्रबंधक और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी	6,000 रु०
वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	3,000 रु०
सहायक अधिकारी	1,500 रु०

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) इस सम्बन्ध में रेल अधिकारियों द्वारा अधिकारों का समुचित प्रयोग करने के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

छुट्टी यात्रा रियायत लेने वाले कर्मचारियों के लिए विश्रामगृहों की सुविधा

3104. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को रियायती दर पर रेलवे विश्रामगृह प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्रामगृहों की वर्तमान शुल्क दरें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्राम कक्ष प्रभार बहुत ही उचित और न्यूनतम है इनमें किसी प्रकार की रियायत देने की गुंजाइश नहीं है।

(ग) विश्राम कक्ष प्रभार हर स्टेशन पर अलग-अलग होते हैं जो स्थान, विश्राम कक्ष की किस्म तथा उसमें उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है।

कोटद्वारा और देहरादून से लखनऊ के लिए आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

3105. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटद्वारा और देहरादून से लखनऊ के लिए 10 डाउन रेलगाड़ी सहित अन्य रेलगाड़ियों में कितना आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इन दोनों स्टेशनों से आरक्षण कोटे में काफी कमी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्टेशनों से पुनः पहले जैसा आरक्षण कोटा लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लखनऊ के लिए कोटद्वार और देहरादून में निम्नलिखित आरक्षण कोटे उपलब्ध हैं :—

गाड़ी	पहला दर्जा	वातानुकूल 2 टियर	दूसरा दर्जा शायिकाएं
कोटद्वार			
3010 दून एक्सप्रेस	—	2	40
देहरादून			
3010 दून एक्सप्रेस	13	35	60
4266 वाराणसी एक्सप्रेस	12	—	122

(ख) लखनऊ के लिए कोटद्वार को 3010 डाउन में आवंटित कोटा 1-7-1991 से केवल दूसरे दर्जे में 64 से घटाकर 40 तथा वातानुकूल 2 टियर में 4 से घटाकर 2 शायिक किया गया था। साथ ही साथ वातानुकूल 2 टियर में देहरादून का कोटा 28 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) आरक्षण कोटे के उपयोग के आधार पर समायोजन किए गए हैं।

गढ़वाल में राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

3106. श्री भुवनचन्द्र खण्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल के पर्वतीय जिलों के किन क्षेत्रों को अब राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है; और

(ख) इन जिलों में चलाए गए वानिकी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 गढ़वाल के जिलों सहित पूरे देश में लागू है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में निम्नलिखित वानिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है :—

1. औद्योगिक एवं सुखदी की लकड़ी का वृक्षारोपण।

2. ईंधन एवं चारा वृक्षारोपण

3. चारा विकास तथा वृक्षारोपण

4. ऊर्जा वृक्षारोपण

5. वन पंचायतों के जरिये वृक्षारोपण

6. राम गंगा घाटी में नदी घाटी परियोजना

7. सिंधु गंगा घाटी में बाढ़ प्रवण नदी स्कीम

8. समेकित परती भूमि विकास परियोजना

9. उत्तर प्रदेश की मसूरी पहाड़ियों की बन्द खानों में वृक्षारोपण

10. टिहरी बांध वृक्षारोपण परियोजना

11. कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र में सिविल एवं सोयम वनों का विकास।

पूयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना

3107. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य की पूयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी न देने के पहले निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना को मंजूरी देने के विरुद्ध कुछ पर्यावरणवादों और वैज्ञानिकों ने विरोध प्रकट किया था;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप होने वाले पारिस्थितिकीय असंतुलन का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सच है कि इस परियोजना से पश्चिमी घाट प्रणाली में रुकावट आएगी, सदाबहार मानसून वनों की हजारों एकड़ भूमि नष्ट होगी और इस क्षेत्र के पेड़-पौधे पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इन असंतुलनों को ठीक करने के लिए केरल सरकार को सलाह देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं और इन पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) पुन: विचार के लिए राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल वन अनुसंधान संस्थान ने पूयानकुट्टी पन बिद्युत बांध परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय प्रभाव पर अध्ययन किए हैं।

(घ) परियोजना के लिए 3001.8 हैक्टेयर वन भूमि अपेक्षित है जिसमें 2,800 है० भूमि डूब क्षेत्र के लिए है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है।

शिक्षा पर व्यय

3108. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में शिक्षा पर कुल कितना-कितना व्यय किया;

(ख) इन परिव्ययों में से हाई स्कूल, कालेज/विश्वविद्यालय की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है और प्रति वर्ष यह कितने प्रतिशत था; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की गई।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दे दी गयी है, जिसे सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

अन्य विभागों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

शिक्षा पर व्यय (करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	1988-89 (वास्तविक)	कुल व्यय की प्रतिशतता	1989-90 (वास्तविक)	कुल व्यय की प्रतिशतता	1990-91 (संशोधित प्राक्कलन	कुल व्यय की प्रतिशतता
1. माध्यमिक/ सीनियर माध्यमिक शिक्षा	312.36	13.30	313.36	20.72	387.13	23.49
2. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	562.62	35.26	486.23	32.15	464.88	28.21
3. तकनीकी शिक्षा	282.08	17.67	278.76	18.43	312.69	18.97
4. प्रौढ़ शिक्षा	86.81	5.44	90.01	5.90	136.58	8.29
केन्द्र में शिक्षा विभाग का कुल व्यय	1595.50		1512.06		1647.77	

देश में शिक्षा अनुपात

3109. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार उन पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग जनसंख्या (लाखों में) और उनका प्रतिशत क्या है जिन्होंने प्राथमिक स्कूल शिक्षा, माध्यमिक स्कूल शिक्षा, मैट्रिक अथवा हायर सेकेन्डरी स्तर तक अध्ययन किया है;

(ख) उन पुरुष और महिलाओं की पृथक-पृथक जनसंख्या (लाखो में) तथा प्रतिशतता क्या है जिन्होंने गैर-तकनीकी डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र, जो डिग्री के बराबर नहीं है, प्राप्त किया है;

(ग) उन पुरुष और महिलाओं की पृथक-पृथक जनसंख्या (लाखों मे) तथा प्रतिशतता क्या है जिन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्रियां तथा डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है; और

(घ) उन पुरुषों और महिलाओं की पृथक-पृथक जनसंख्या (लाखों में) तथा प्रतिशतता क्या है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) प्रासंगिक वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1981 की जनगणना पर आधारित सूचना नीचे दर्शायी गई है :

(आंकड़े लाखों में)

	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4
प्राथमिक	728.47 (10.95)	467.70 (13.59)	260.77 (8.11)
मिडिल	422.00 (6.34)	288.80 (8.89)	133.40 (4.15)
मैट्रिकुलेशन और उच्चतर माध्यमिक/ इंटरमीडिएट/ प्री-यूनिवर्सिटी	377.17 (5.67)	278.11 (8.08)	99.06 (3.08)
गैर तकनीकी डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र जो डिग्री और इस से ऊपर के समकक्ष न हो	1.76 (0.03)	1.09 (0.03)	0.67 (0.02)

1	2	3	4
स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां तथा डाक्टरेट	93.55 (1.40)	70.37 (2.04)	23.18 (0.72)
औपचारिक शिक्षा से वंचित जनसंख्या	4242.56 (63.77)	1826·45 (53.11)	2416.11 (75.18)

टिप्पणी : कोष्ठकों में निर्दिष्ट आंकड़े जन संख्या की अनुवर्ती प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

देश में प्रति व्यक्ति पोषक तत्व

3110. श्री के० पी उन्नीकृष्णन :

श्री वाड्डे शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक भारतीय वयस्क (पुरुष और स्त्री अलग-अलग) और बालक (1 से 10 वर्ष तक) को प्रतिदिन औसतन कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसकी उपभोग के दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्नत देशों में पोषक तत्वों के स्तर और प्रोटीन के उपभोग की तुलना में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रोटीन (पशु प्रोटीन) सहित की उपभोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान कुपोषण के मामलों में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप प्रोटीन उपभोग के स्तर में गिरावट आई है; और

(घ) देश कुपोषण की समस्या हल करने के लिए मुख्य पोषक तत्वों के औसत उपभोग में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय वयस्कों और बच्चों (1—10 वर्ष) की पोषण (प्रोटीन और कैलोरीज) की दैनिक औसत आवश्यकता इस प्रकार है :—

	बच्चे (आयु वर्षों में) 1-3	4-6	7-9	वयस्क पुरुष	वयस्क महिलाएं
उपभोग की जाने कैलोरीज (केकैल)	904	1258	1525	2478	2145
प्रोटीन	23.8	33.9	40.4	65.2	57.3
आवश्यक कैलोरीज (केकैल)	1240	1690	1950	2900	2200
प्रोटीन	21	29	40	60	50

उपभोग के आंकड़े वर्ष 1989-90 के दौरान 7 राज्यों में राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा बार-बार किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित हैं। सर्वेक्षण किए गए राज्य हैं:— आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, और मध्य प्रदेश।

(ख) राज्य स्तर पर जहां वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो ने बार-बार सर्वेक्षण किए हैं, प्रति व्यक्ति प्रोटीन लेने (पशु प्रोटीन सहित) की मात्रा का ब्योरा इस प्रकार है :—

राज्य	प्रोटीन लेने की मात्रा प्रति० सी० यू०	(ग्रा०/दिन) प्रति कैपट
केरल	52.9	45.5
तमिलनाडु	45.6	39.2
कर्नाटक	65.4	56.2
आंध्र प्रदेश	55.7	47.9
महाराष्ट्र	61.7	53.1
गुजरात	69.3	59.6
मध्य प्रदेश	82.5	71.8
पूल्ड	61.8	53.1
अनुमोदित की गई आहार लेने की मात्रा	60.0	51.6

ये आंकड़े प्रति व्यक्ति कैलोरी लेने (प्रति कैपट=प्रति सी० यू० × 0.86) के साथ-साथ प्रति उपभोग यूनिट के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। ये आंकड़े पश्चिम के (धनी) देशों के आंकड़ों से काफी कम हैं।

(ग) बार-बार किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार स्कूल-जाने की उम्र से छोटे बच्चों के मानव मितिक (आयु के लिए भार) के साथ-साथ सैद्धान्तिक स्तर के संदर्भ में पिछले वर्षों में कुपोषण कम है।

(घ) असुरक्षित वर्गों में पोषकों के औसत उपभोग में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं।

(I) गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवस्था के दौरान स्कूल जाने की उम्र से छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच में नाजुक अन्तर को भरने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक आहार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है।

(II) स्कूल-जाने की उम्र से छोटे बच्चों (1-5 वर्ष) में विटामिन 'ए' की कमी रोकने के लिए विटामिन 'ए' के वितरण का कार्यक्रम।

(III) आयरन और फॉलिक एसिड गोलियों के वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम (रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम) :— गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और 10 वर्ष तक के बच्चों और परिवार नियोजन के स्वीकार कर्ताओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण।

(IV) आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों के लिए आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति

(V) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति।

वायरल ज्वर

3111. कुमारी विमला वर्मा :

श्री बी० देवराजन :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वायरल ज्वर के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सूचना मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बीमारी के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का अध्ययन यह दर्शाता है कि ऐसे संकेत हैं कि वाइरल ज्वर देश में बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय विषाणुज विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिला है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जापानी मस्तिष्क शोथ की महामारी की सूचना ऐसे क्षेत्रों से मिली है जहां यह पहले विद्यमान नहीं थी। राष्ट्रीय विषाणुज विज्ञान संस्थान, पुणे क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लूर तथा एस० टी० एम० कलकत्ता द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिला है कि डेंगू रक्तस्रावी ज्वर तथा डेंगू शॉक सिन्ड्रोम तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में सूचित किए गए हैं। पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों से भी ऐसे रोगियों की सूचना मिली जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक डेंगू के फैलने के संकेत थे।

(ख) से (घ) जहां कहीं भी वाइरल ज्वरों की कोई महामारी होती है, राज्य प्राधिकारी उसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। वाइरल ज्वर न तो अधि सूचनीय रोग है और न यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्तरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण 1979 की नवें संशोधन पर आधारित रुग्णता दर तथा मृत्यु-दर की साणीयन के लिए राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। अतः वाइरल ज्वर के होने के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के जापानी एन्सेफालाइटिस के मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

तकनीकी रूप से रसा-रोगनिरोधक के लिए कोई प्रभावकारी तंत्र नहीं है और वर्तमान में कोई (वाइरल-रोधी) उपचारात्मक औषधि नहीं है। टीकाकरण की अपनी सीमाएं भी हैं। चूंकि वेक्षी टीकों पर अभी परीक्षण चल रहा है इसलिए नियंत्रण उपाय जापानी मस्तिष्क शोथ के वैक्टर नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मलेरिला नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय निम्नलिखित कार्य कर रहा है:—

1. मस्तिष्क शोथ की नेमी मस्तिष्क मानीटरिंग के अतिरिक्त प्रतिदिन की मॉनीटरिंग महामारी के दौरान की जा रही है।

2. राज्यों को महामारिक विज्ञान सम्बन्धी रुझानों के आधार पर अग्रिम चेतावनियां दी जा रही हैं।

— पत्राचार और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधिकारियों के आवधिक दौरों के माध्यम से राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता दी जा रही है।

— राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आपूर्ति की गई कीटनाशी और छिड़काव उपकरण/फॉगिंग मशीनें महामारियों के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

— राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली एम० टी० एम० कलकत्ता तथा ए० आई० आई० एच० पी० एच० कलकत्ता को जानपदिक विज्ञान सम्बन्धी जांचों तथा वाइरस की पुष्टिकरण के काम में शामिल किया गया है।

— संगठित रूप में जापानी ऐन्सेफालाइटिस नियंत्रण कार्यकलापों को करने के लिए एक कार्य योजना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई जापानी मस्तिष्क शोथ के बारे में विशेषज्ञ समिति, की बैठक की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा संगठित रूप से जापानी मस्तिष्क-शोथ नियंत्रण कार्यकलापों के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

विवरण

जापानी मस्तिष्क शोथ के रोगियों और उसके कारण हुई मौतों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1988 रोगी	1988 मौतें	1989 रोगी	1989 मौतें	1990 रोगी	1990 मौतें	1991 (अनन्तिम) रोगी	1991 (अनन्तिम) मौतें	निम्नलिखित तिथियों तक सूचित किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	102	56	1310×	453×	281	116	98	20	1, अक्तूबर
2.	आंध्र प्रदेश	135	50	3	2	667	293	18	13	अगस्त
3.	बिहार	201	53	212	76	220	72	82	20	अगस्त
4.	गोवा	18	2	7	—	16	2	45	6	15, अक्तूबर
5.	हरियाणा	—	—	—	—	294	205	1	—	सितम्बर
6.	कर्नाटक	81	27	49	18	130	43	84	23	12, अक्तूबर
7.	मणिपुर	8	—	13	3	33	8	5	—	3, अगस्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	महाराष्ट्र	—	—	1	1	—	—	54	4	11, अगस्त
9.	उड़ीसा	—	—	254	102					
10.	तमिलनाडु	247	122	821	194	243	170	43	22	अगस्त
11.	उत्तर प्रदेश	4485	1413	1574	548	183××	73××	1718××	571××	3, नवम्बर
12.	पश्चिम बंगाल	1590	681	2745	1025	849	309	10	2	फरवरी
13.	अन्य	—	—	—	—	—	—			
	कुल :—	6867	2404	6489	2422	2916	1291	2153	681	

टिप्पणी :— (1) ×असम के अस्पतालों में अरुणाचल प्रदेश के दाखिल किए गए 1989 के 7 रोगी और 4 मौतें शामिल हैं।

(2) ×× उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बिहार और नेपाल के दाखिल किए गए 1991 के 46 रोगी और 13 मौतें शामिल हैं।

(3) — = शून्य (4) टोली = अब तक शून्य।

नसबंदी आपरेशन

[हिन्दी]

3112. श्री साईमन मरांडी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए नसबन्दी आपरेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने आपरेशन असफल रहे;

(ग) क्या जबरन नसबन्दी आपरेशन करने के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान सूचित किए गए पुरुष नसबन्दी आपरेशनों की संख्या तथा असफल मामलों की संख्या इस प्रकार है : —

वर्ष	किए गए पुरुष नसबन्दी आपरेशन	असफल मामले
		(अनन्तिम)
1988-89	617,381	65
1989-90	341,256 (अनन्तिम)	20
1990-91	249,017 (अनन्तिम)	26

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

क्यूल-बर्धमान लाइन को दोहरी लाइन में बदलना

3113. श्री साईमन मरांडी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर क्यूल जंक्शन तथा बर्धमान के बीच रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने के कार्य को स्वीकृति दी गयी है तथा इस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) इसका कार्य पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ढुलाई क्षमता में सुधार लाने के लिए मौजूदा इकहरी लाइन वाले खण्डों को दोहरा किया जाता है और जिसमें गहन माल-भाड़े वाले खण्डों को प्राथमिता दी जाती रही है। किऊल-बर्द्धमान खण्ड की केवल किऊल-जमालपुर-भागलपुर लाइन पर कहीं-कहीं दोहरीकरण करना आवश्यक पाया गया था।

इस कार्य को 1980-81 में अनुमोदित किया गया था और 1981-82 में चालू किया गया।

(ख) सितम्बर, 91 तक वास्तविक प्रगति 90% हुई। इस परियोजना पर 31.3.91 तक 30.48 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं और 91-92 के लिए 1 करोड़ रु० का परिव्यय है।

(ग) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है -

(घ) 1991-92.

एड्स के रोगी

[अनुवाद]

3114. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवम्बर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "ओवर वन लेक हैव एड्स इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न भागों से पता चले मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार ने 9 नवम्बर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "ओवर वन लेक हैव एड्स इन इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है।

31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार अत्यधिक खतरे वाले जिन कुल 11,36,489 व्यक्तियों की जांच की गई थी उन में से 6106 व्यक्तियों में एच० आई० वी० संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। जांचे गए व्यक्तियों की संख्या, एलिसा पाजिटिव रोगियों की संख्या और वैस्टर्न ब्लॉट जांच के आधार पर एच० आई० वी० संक्रमण के पुष्टिकारक रोगियों की संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में एच० आई० वी० संक्रमण के लिए सीरा-निगरानी

(31.10.91 तक की अवधि) अनन्तिम

राज्य	जांचे गए रोगी	एलिसा पॉजिटिव रोगी	वैस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव रोगी
1	2	3	4
×× आंध्र प्रदेश			
×× उप-योग××	25555	125	87
×× असम			
×× उपयोग××	4036	3	3
×× बिहार			
×× उप-योग××	4931	0	0
×× चंडीगढ़			
×× उप-योग××	35885	113	103
×× दिल्ली			
×× उप-योग××	152971	585	464
×× गोवा			
×× उप-योग××	32540	161	71
×× गुजरात			
×× उप-योग××	55768	57	39
×× हरियाणा			
×× उप-योग××	43946	26	18
×× हिमाचल प्रदेश			
×× उप-योग××	4813	3	3
×× जम्मू और कश्मीर			
×× उप-योग××	0	0	2

1	2	3	4
×× कर्नाटक			
×× उप-योग××	49320	135	63
×× केरल			
×× उप-योग××	14550	24	19
×× मध्य प्रदेश			
×× उप-योग××	23750	69	34
×× महाराष्ट्र			
×× उप-योग××	220026	4278	2043
×× मणिपुर			
×× उप-योग××	7201	1485	1347
×× मिजोरम			
×× उप-योग××	820	14	12
×× नागालैंड			
×× उप-योग××	302	33	38
×× उड़ीसा			
×× उप-योग××	6109	6	0
×× पांडिचेरी			
×× उप-योग××	19927	825	194
×× राजस्थान			
×× उप-योग××	1222	4	0
×× तमिलनाडु			
×× उप-योग××	374930	2855	1429
×× उत्तर प्रदेश			
×× उप-योग××	18263	228	122
×× पश्चिम बंगाल			
×× उप-योग××	39624	89	20
×× उप-योग ×××	1136489	10068	6106

महिलाओं में हृदय रोग

[अनुवाद]

3115. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1991 के समाचारपत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में वूमैन मोर प्रोन टू हर्ट ऐलमेंट्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा हृदय रोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। बहरहाल, इस बारे में कोई सांख्यिकी प्रमाण नहीं है कि महिलाओं को हृदय की बीमारियां अधिक होती हैं और महिलाओं में हृदय रोग की घटनाएं बढ़ रही हैं।

बच्चों को शिक्षा

3116. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निर्धारित लक्ष्य में कहा गया था कि "यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 1990 तक 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चे अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पांच वर्षों की स्कूली शिक्षा या समकक्ष प्राप्त कर चुके होंगे। इसी प्रकार, वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चो को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।"

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा पांच वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी करने से सम्बन्धित आंकड़े एन० आई० ई० पी० ए० द्वारा प्रतिवर्ष अध्ययन के माध्यम से एकत्रित किए गए थे। एकत्रित किए गए आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

शिक्षा का सर्वसुलभीकरण न हो पाने के मुख्य कारण हैं—सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां

जो बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करती हैं, सांस्कृतिक अवरोध जो लड़कियों को घर से बाहर न निकलने के लिए बाध्य करते हैं, पारिस्थितिक मांगें जिनके कारण बच्चे ईंधन, चारा एवं पानी एकत्रित करने आदि जैसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। स्कूल से सम्बन्धित कारण भी हैं जैसे कि स्कूलों में बहुत कम भौतिक सुविधाएं, शिक्षण का ठीक न होना, घर के नजदीक स्कूलों की कमी आदि।

(घ) 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष 1995 है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आयु वर्ग (III) के कक्षा V तक की शिक्षा पूरी कर लेने वाले बच्चों की प्रतिशतता (31-12-90 को)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	⊠
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.74
3.	असम	61.45
4.	बिहार	■
5.	गोवा	83.84
6.	गुजरात	74.5
7.	हरियाणा	65.72
8.	हिमाचल प्रदेश	80.18
9.	जम्मू व कश्मीर	71.77
10.	कर्नाटक	67.64
11.	केरल	112.79
12.	मध्य प्रदेश	×
13.	महाराष्ट्र	64.98
14.	मणिपुर	54.82
15.	मेघालय	34.88
16.	मिजोरम	88.68
17.	नागालैंड	■

1	2	3
18.	उड़ीसा	63.01
18.	पंजाब	62.[3
20.	राजस्थान	42.52
21.	सिक्किम	28.97
22.	तमिलनाडु	94.74
23.	त्रिपुरा	29.13
24.	उत्तर प्रदेश	×
25.	पश्चिम बंगाल	×
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	70.11
27.	चंडीगढ़	55.63
28.	दादरा और नागर हवेली	40,55
29.	दमन तथा दीव	97.54
30.	दिल्ली	58.34
31.	लक्ष द्वीप	80.39
32.	पांडिचेरी	96.12

× आंकड़े एन० आई० ई० पी० ए० द्वारा सप्लाई नहीं किए गए थे।

चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा होम्योपैथिक कालेजों का प्रबन्ध ग्रहण करना

3117. **श्री पवन कुमार बंसल :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में लगातार मांग की जाती रही है कि चण्डीगढ़ के होम्योपैथिक कालेज का अधिग्रहण चण्डीगढ़ प्रशासन करे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी

3118. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गांवों और श्रमिक बस्तियों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को अतिरिक्त अंक देने की एक योजना को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को अपनाने वाले स्कूलों को क्या आधारभूत सहायता प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड ने वर्ष 1991-92 के चालू शैक्षिक सत्र में IX और XI की कक्षाओं द्वारा एक विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान शुरू किया है जिसे वर्ष 1992-93 के शैक्षिक सत्र से IX से XII तक बढ़ा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निरक्षरता दूर करने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों में बड़ी संख्या में पढ़ने वाले छात्रों को जुटाना है। इस अभियान में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में, अंकों के रूप में, अनुकूल प्रोत्साहनों की एक अन्त:निर्मित योजना बनाई गई है। ये प्रोत्साहन अंक स्कूलों द्वारा XI और XI कक्षाओं के छात्रों को दिए जाएंगे और बोर्ड द्वारा X और XII की कक्षाओं के छात्रों को निम्न प्रकार दिए जाएंगे :—

(I) एक वर्ष के भीतर एक प्रौढ़ को साक्षर करने के लिए 5 अंक।

(II) एक वर्ष के भीतर दो प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए 8 अंक।

(III) एक वर्ष के भीतर तीन या तीन से अधिक प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए 10 अंक।

(ग) इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए स्कूलों का नियंत्रण करने वाले प्रशासनिक संगठनों जैसे केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालयों की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति, सरकारी (राजकीय) स्कूलों की स्थिति में संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशालय; स्कूलों को सहायता प्रदान करेंगे। स्वतंत्र स्कूलों के मामलों में सम्बन्धित स्कूल अपने निजी स्तर पर आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

देश के विभिन्न भागों में स्थापित प्रौढ़ शिक्षा के राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा छात्र स्वयंसेवियों को निरक्षरों को पढ़ाने के लिए आवश्यक किटें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यविधि अपनाने की आशा स्कूलों से की गई है।

इस सम्बन्ध में बोर्ड विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर रहा है और इस कार्यक्रम का अनुवीक्षण करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।

गुजरात में रेल परियोजनायें

3119. श्री काशीराम राणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में जिन रेल परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया है उनका ब्यौरा क्या है, तथा इन पर कितनी लागत आएगी और प्रत्येक परियोजना का कार्य किस तिथि तक पूरा हो जाएगा;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य पूरा होना बाकी है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य सम्भवत: कब तक पूरा हो जाएगा और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 297 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई प्रमुख रेल परियोजना गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मकसी के बीच निर्मित की जा रही नई रेल लाइन है (कुल लम्बाई 316 कि० मी० है और जिसमें से 82 कि० मी० गुजरात में पड़ती है) । कार्य प्रगति पर है । इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ख) और (ग) गुजरात में चल रही प्रमुख रेल परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई	अनुमोदित नवीनतम लागत	मार्च, 1991 तक किया गया व्यय
1.	कपड़वंज-मोडासा (नई लाइन)	60 कि० मी०	36 करोड़ रु०	6.35 करोड़ रु०
2.	गोधरा-दाहोद-इंदौर (नई लाइन)	316 कि० मी० (गुजरात में 82 कि० मी०)	297 करोड़ रु०	4.10 करोड़ रु०
3.	वीरमगाम-भिलडी (नई लाइन और आमान परिवर्तन)	130 कि० मी०	155.66 करोड़ रुपये	हाल ही में स्वीकृत की गई
4.	नडियाद-कपड़वंज (आमान परिवर्तन)	45 कि० मी०	18.80 करोड़ रुपये	5.50 करोड़ रु०

कोई विलम्ब नहीं हुआ है। वर्षानुवर्ष संसाधनों के आवंटन के आधार पर प्रगति विनियमित की जाती है ।

गुजरात में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

3120. श्री काशीराम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से गुजरात में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का विस्तार करना

[अनुवाद]

3121. श्री सुधीर सावंत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने में क्या भूमिका अदा की है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय जनसंख्या के बड़े भाग को तथा विशेषरूप से असुविधा प्राप्त वर्गों को, जो दूरवर्ती व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का 23% ग्रामीण क्षेत्रों से है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीयी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए प्रारम्भिक शैक्षिक कार्यक्रमों में कुछ राज्यों में ब्लाक विकास अधिकारी के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण विकास में प्रमाण पत्र शामिल है। विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1992 से ग्रामीण विकास में डिप्लोमा आरम्भ करने की घोषणा की है। आठवीं योजना के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ग्रामीण क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित कई नए कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण देश में 16 क्षेत्रीय व 170 अध्ययन केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया है। विभिन्न विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अध्ययन केन्द्रों का राज्यवार स्थापन

क्र० सं०	राज्य का नाम	अध्ययन केन्द्र का नाम	
1	2	3	
(I)	आन्ध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद (बेगमपेट)
		2.	तिरुपति
		3.	विजयवाड़ा
		4.	गंतूर
		5.	वारांगल
		6.	अनन्तपुर
		7.	हैदराबाद (सोमजी गुड़ा)
		8.	आदोनी
		9.	विशाखापट्टनम
(II)	अरुणाचल प्रदेश	1.	ईटानगर
(III)	असम	1.	गोहाटी
		2.	देरगांव
		3.	तिनसुखिया
(IV)	बिहार	1.	जमशेदपुर
		2.	धनबाद (आई० एस० एम०)
		3.	मुजफ्फरपुर
		4.	भागलपुर
		5.	रांची
		6.	पटना
		7.	धनबाद (स्टील सिटी)
(V)	गोआ	1.	मारगांव
(VI)	गुजरात	1.	राजकोट
		2.	बड़ोदरा

1	2	3	
		3.	अहमदाबाद-I
		4.	अहमदाबाद-II
		5.	सूरत
		6.	भुज
		7.	गोधरा
		8.	भावनगर
		9.	महसाना
		10.	आनन्द
(VII)	हरियाणा	1.	सोनीपत
		2.	पानीपत
		3.	भिवानी
		4.	रोहतक
		5.	गुड़गांव
		6.	फरीदाबाद
		7.	यमुनानगर
(VIII)	हिमाचल प्रदेश	1.	मंडी
		2.	सोलन
		3.	हामिरपुर
		.	शिमला
		5.	धर्मशाला
		6	चंबा
(IX)	जम्मू तथा कश्मीर	1.	जम्मू
		2.	जम्मू तावी
(X)	कर्नाटक	1.	बंगलौर
		2.	मंगलौर
		3.	धाड़वाड़
		4.	गुलबर्गा
		5.	मैसूर

1	2	3	
		6.	शिमोगा
		7.	बीजापुर
		8.	बेलगांव
(XI)	केरल	1.	त्रिवेंद्रम
		2.	कोचीन
		3.	कालीकट-I
		4.	पाथनामथिट्टा
		5.	कोट्टायाम
		6.	कन्नूर
		7.	त्रिचूर
		8.	कालीकट-II
(XII)	मध्य प्रदेश	1.	भोपाल
		2.	जबलपुर
		3.	दुर्ग
		4.	ग्वालियर
		5.	बिलासपुर
		6.	इंदौर
		7.	सागर
		8.	रेवा
		9.	जगदलपुर
		10.	रायपुर
		11.	बेतूल
(XIII)	महाराष्ट्र	1.	बम्बई (माहिम)
		2.	बम्बई (विले पार्ले ईस्ट)
		3.	बम्बई (मुलंद ईस्ट)
		4.	पूना
		5.	सतारा
		6.	कोल्हापुर

1	2	3	
		7.	नागपुर
		8.	नासिक
		9.	अमरावती
		10.	औरंगाबाद
(XIV)	मणिपुर	1.	इम्फाल-I
		2.	इम्फाल-II
(XV)	मेघालय	1.	शिलांग
		2.	तुरा
(XVI)	मिजोरम	1.	आइजोल
(XIVI)	नागालैंड	1.	कोहिमा
(XVIII)	उड़ीसा	1.	भुवनेश्वर
		2.	बेरहमपुर
		3.	बालासोर
		4.	बोलंगीर
		5.	राउरकेला
		6.	अंगुल
		7.	सांबलपुर
		8.	कटक
		9.	फूलबानी
		10.	कोरापुट
(XIX)	पंजाब	1.	जालंधर
(XX)	राजस्थान	1.	उदयपुर
		2.	जयपुर
		3.	कोटा
		4.	जोधपुर
		5.	बीकानेर

1	2	3	
		6.	अजमेर
		7.	बाँसवाड़ा
		8.	अलवर
		9.	जालौर
(XXI)	सिक्किम	1.	गंगटोक
(XXII)	तमिलनाडु	1.	मद्रास (इंदिरानगर)
		2.	मद्रास (रायलपेटाह)
		3.	कोयम्बटूर
		4.	मदुरै
		5.	तिरूचिरापल्ली
		6.	सलेम
		7.	टुटिकोरिन
		8.	मायलादु, दुराई
		9.	विरुपदुदूर
		10.	मद्रास (किलापोक)
(XXIII)	त्रिपुरा	1.	अगरतला
(XXIV)	उत्तर प्रदेश	1.	लखनऊ
		2.	आगरा
		3.	इलाहाबाद
		4.	बरेली
		5.	देहरादून
		6.	कानपुर
		7.	मोदीनगर
		8.	वाराणसी
		9.	गोरखपुर
		10.	सुल्तानपुर

1	2	3	
		11.	हल्द्वानी
		12.	झांसी
		13.	अलीगढ़
		14.	मुरादाबाद
		15.	गोपेश्वर
		16.	बलिया
		17.	अल्मोड़ा
		18.	गाजियाबाद
		19.	मथुरा
(XXV.)	पश्चिम बंगाल	1.	कलकत्ता (बोस रोड)
		2.	कलकत्ता (पार्क स्ट्रीट)
		3.	कांचरापारा
		4.	कलकत्ता (94/2 पार्क स्ट्रीट)
		5.	सिलीगुड़ी
		6.	कलकत्ता (सर्कुलर रोड)
		7.	पुरूलिया
		8.	माल्दा
		9.	बर्दवान
(XXVI)	अंडमान तथा निकोबार	1.	पोर्ट ब्लेयर
(XXVII)	चंडीगढ़	1.	चंडीगढ़
(XXVIII)	दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र	1.	शिवाजी कालेज
		2.	विश्व युवक केन्द्र
		3.	श्री वेंकटेश्वर कालेज
		4.	किरोड़ी मल कालेज
		5.	ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन
		6.	स्कूल आफ एवियेशन साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी

1	2		3
		7.	मास कम्यूनिकेशन सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया
		8.	रामलाल आनन्द कालेज
		9.	देशबंधु कालेज
		10.	हिन्दु कालेज
		11.	विवेकानन्द महिला कालेज
		12.	जीसस एंड मेरी कालेज
		13.	दिल्ली कालेज आफ आर्ट्स एण्ड कामर्स
		14.	दिल्ली कालेज आफ आर्ट्स
		15.	जाकिर हुसैन कालेज
		16.	श्री अरविंद कालेज
		17.	दीन दयाल उपाध्याय कालेज
(XXIX)	लक्षद्वीप	1.	कावरत्ती
(XXX)	पांडिचेरी	1.	पांडिचेरी

विदेशी सहायता से होटलों का निर्माण

8122. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार होटलों के निर्माण के लिए विदेशी सहायता लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विदेशी होटल श्रृंखलाओं द्वारा होटलों की स्थापना एवं प्रबंधन में विदेशी-पूंजी निवेश तथा सहयोग की अनुमति देने के लिए एक नीति की घोषणा की है। इस नीति के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

24-7-1991 को संसद में प्रस्तुत की गई नई औद्योगिक नीति और सरकार द्वारा बाद में जारी किए गए प्रेस नोट में उन उद्योगों की सूची दी गई है जो विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के स्वत: अनुमोदन तथा 51% इक्विटी अनुमोदन के पात्र हैं। इसमें होटल तथा पर्यटन से संबंधित उद्योग शामिल हैं।

"होटल" शब्द में रेस्तरां,समुद्रतट विहार-स्थल और अन्य पर्यटक परिसर शामिल हैं जो पर्यटकों को आवासीय और/अथवा केटरिंग तथा भोजन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। "पर्यटन संबंधी उद्योग" में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी :—

(1) यात्रा अभिकरण, यात्रा प्रचालन अभिकरण और पर्यटक परिवहन प्रचालन अभिकरण;

(2) पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक साहसिक तथा वन्यजीव अनुभव के लिए सुविधाएं मुहैया कराने वाले एकक;

(3) पर्यटकों के लिए स्थल, वायु एवं जल परिवहन सुविधाएं;

(4) पर्यटकों के लिए अवकाश, मनोरंजन, मनबहलाव, खेल तथा स्वास्थ्य एकक;

(5) समागम/सेमिनार एकक तथा संगठन।

दिनांक 24-7-1991 की औद्योगिक नीति के विवरण के पैरा 39-बी के अनुसार उपर्युक्त होटल तथा पर्यटन संबंधी उद्योग 51% विदेशी इक्विटी तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी-निवेश के लिए अनुमोदन पाने के पात्र होंगे। इस प्रयोजनार्थ, दिनांक 20-8-1991 की प्रेस नोट सं० 11 (1991 की श्रृंखला) और दिनांक 19-11-1991 की प्रेस नोट सं० (1991 की श्रृंखला) में अनुमोदन हेतु उल्लिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी।

जहां तक केवल होटल उद्योग में विदेशी प्रौद्योगिकी करारों का सम्बन्ध है, औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण के पैरा 39-सी (1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर स्वतः अनुमति मिल जाएगी;

(क) तकनीकी तथा परामर्शी सेवाएं :

एक-मुश्त फीस जो 200,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी

(ख) फ्रेंचाइजिंग तथा मार्केटिंग/प्रचार सहायता :

सकल कमरा बिक्री की 3% तक।

(ग) प्रबंधन शुल्क :

विदेशी मुद्रा आय के 10% तक बशर्ते कि विदेशी पार्टी 25% इक्विटी में निवेश करे।

इसमें मार्केटों तथा प्रचार सहायता के लिए किए गए भुगतान भी सम्मिलित होंगे।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेल लाइनों को दोहरी लाइनों में बदलना

3123. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कितनी रेल लाइनों को दोहरी लाइनों में बदला जा रहा है तथा प्रत्येक लाइन पर कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन राज्यों में उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य रेल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश

तथा महाराष्ट्र में दोहरी लाइन बिछाने के चल रहे कार्य तथा उन पर 30.09.91 तक हुई प्रगति इस प्रकार है :- –

	कार्य का नाम	राज्य	प्रतिशत प्रगति
	1	2	3
1.	पोलापाथर-बरबतपुर (18.38) कि० मी०	म० प्र०	28.10.91 को यातायात के लिए खोल दी गई।
2.	पोलापाथर-कालाआखर (6.64 कि० मी०)	,,	87.7
3.	कीरतगढ़-काला आखर (22.25 कि० मी०)	,,	30.75
4.	जुकेही-अमदारा (19.64 कि० मी०)	,,	72.48
5.	झांसी-आगरा, धेर तक इकहरी लाइन वाले पुल का भाग (चम्बल पुल)	,,	— —
6.	जैतवार-मानिकपुर (57.51 कि० मी०)	,,	85.90
7.	माता टीला-बसई (7.88 कि० मी०)	,,	78.16
8.	नर्मदा पुल	,,	40.00
9.	कुरवाई केथोरा-बीना नदी (2.7 कि० मी०) तथा बेतवा "ए" केबिन तथा "बी" केबिन (2.64 कि० मी०)	,,	65.14
10.	हेतमपुर-धेर चम्बल पुल तक	,,	97.75
11.	शुजालपुर-काला पीपल (12.59 कि० मी०)	,,	64.00
12.	पीर उमरोद-बेड़छा, बोलाई अंकोदिया	,,	30.00
13.	बैरागढ़-बकानिया भौंरी तथा बकानिया भौंरी-फांदा	,,	15
14.	काला पीपल-फांदा	,,	—
15.	मेतपांजरा-भारतवाड़ा (38.38 कि० मि०)	महाराष्ट्र	46.5
16.	नरखेड़-मेतपांजरा (34.34 कि० मी०)	,,	— —
17.	अमलनेर-टाकरखेडे (12.16 कि० मी०) तथा टाकरखेडे-धरनगांव (13.42 कि० मी०)	,,	30

(ख) इन राज्यों में उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध कराई जा रही अन्य प्रमुख रेल सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

	नई लाइनें	आमान परिवर्तन
महाराष्ट्र	आदिलाबाद-पिपंलकुट्टी (21 कि० मि०)	मनमाड-औरंगाबाद (114 कि० मी०)
मध्य प्रदेश	गुना-शिवपुरी (110 कि० मी०)	

यातायात सुविधाएं

महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश
बम्बई वी० टी०-दोहरे विसर्जन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने के लिए उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	हबीबगंज-कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं
बांद्रा-टर्मिनल सुविधाएं चरण-1	बिलासपुर-कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि
कुर्ला-नया यात्री टर्मिनल	

महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में आदर्श स्टेशनों से संबंधित ब्यौरा

	स्टेशन का नाम	प्रत्याशित लागत (लाख रुपए में)
महाराष्ट्र	अकोला	74.89
	बम्बई वी० टी०	129 51
	पुणे	50.29
	नागपुर	166.68
	शोलापुर	82.78
	नांदेड	79.90
	गोंदिया	36.90
	बम्बई सेन्ट्रल	90.68
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	239.29
	भोपाल	165.43
	जबलपुर	166.04
	बिलासपुर	108.85
	रायपुर	59.10
	इंदौर	63.79
	दुर्ग	60.88

इन राज्यों में यांत्रिक कारखानों और शेडों में उपलब्ध कराई जाने वाली रेल सुविधाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

क्रम सं०	सुविधा का नाम	प्रत्याशित लागत
1	2	3
1.	कुर्ला-टंकी माल डिब्बों के नामित आवधिक ओवरहाल तथा नेमी ओवरहाल के लिए मरम्मत लाइन का आधुनिकीकरण	3,24,84
2.	कालवा-कार शेड-ई० एम० यू० स्टाक के लिए छोटी-मोटी मरम्मत तथा अनुरक्षण सुविधाओं में वृद्धि	2,42,84
3.	परेल-कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-II)	21,42,48
4.	परेल कारखाना-कर्मशालाओं तथा पथों के फर्श का बदलाव	66,91
5.	वाडीबंदर-कोचिंग डिपो परिसर का आधुनिकीकरण	2,63,31
6.	भोपाल-पश्चिमी क्षेत्र के लिए नये सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना	64,87,23
7.	भुसावल-डाउन मरम्मत साइडिंग का आधुनिकीकरण तथा मरम्मत/अनुरक्षण सुविधाएं।	3,04,58
8.	भुसावल-ए० सी० बिजली रेल इंजन कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-III)	6,96,69
9.	मनमाड के सिविल इंजीनियरी कारखाने का आधुनिकीकरण	12,96,49
10.	नासिक रोड-एस० एल० एस० तथा कर्षण मोटर फ्रेमों के पुनर्स्थापन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	2,62,70
11.	न्यू कटनी-146 बी० ओ० एक्स "एन" माल डिब्बों वाले रेकों को सम्हालने के लिए सुविधाएं बढ़ाना	7,25,00

1	2	3
12.	सतना बी० सी० एन० रेकों के अनुरक्षण के लिए सुविधाएं	2,79,00
13.	ग्वालियर-क्वायल स्प्रिंगों तथा लीफ स्प्रिंगों के निर्माण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	55,54,00
14.	ग्वालियर-उन्नत-अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना	6,22,47
15.	वर्धा-अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाने सहित कल्याण पटरी झलाई संयंत्र सुविधाओं का बदलाव	4,93,00
16.	मिरज-गर्त लाइन तथा मरम्मत लाइनों के छादित शेड का प्रस्तावित विस्तार	50,00
17.	बिलासपुर-बी० सी० एन० माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाएं	6,33,73
18.	रायपुर-भविष्य में 100 रेल इंजन खड़े करने के लिए विस्तार सहित 60 डीजल रेल इंजन खड़े करने के लिए शेड	22,09,17
19.	बिलासपुर-नई कोचिंग मरम्मत लाइन का विकास तथा आधुनिकीकरण	2,66,19
20.	टाटा, भिलाई, बोंडामुंडा तथा बाल्तेर बिजली रेल इंजन शेडों में रिले तथा उपकरण परीक्षण सुविधाएं	55,83
21.	लोवर परेल-ए० सी० सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहाल के लिए सुविधाएं	2,16,15
22.	इंदौर-ए० सी० सवारी डिब्बों के लिए गौण तथा गाड़ी रोशनी अनुरक्षण सुविधाएं	58,19
23.	मऊ-मीटर लाइन का डीजल लोको शेड	5,08,21
24.	उज्जैन-मरम्मत लाइन के लिए सुविधाएं	94,95

महाराष्ट्र में रेल लाइनों को दोहरी लाइनों में बदलना

3124. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में रेल लाइनों को दोहरी लाइनों में बदलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितनी लाइनों को दोहरी किया गया; और

(ख) राज्य में रेल लाइनों को दोहरी लाइनों में बदलने हेतु आगामी पांच वर्षों के लिए बनायी गई अन्तरिम योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महाराष्ट्र में लाइनों के आमान-परिवर्तन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था तथा सातवीं योजना के दौरान किसी आमान परिवर्तन लाइन को नहीं खोला गया था।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित खंडों को दोहरीकरण के लिए अर्हक पाया गया है :—

(1) वर्धा-चितोदा

(2) दौंड-भिगवण

(3) शोलापुर-होटगी

(4) शोलापुर-पाकनी

(5) भिगवण-परेवाडी

(6) होटगी-अक्कलकोट रोड···

इन खंडों के दोहरीकरण का कार्य शुरू करने के बारे में अन्य खंडों के साथ-साथ परिचालनिक आधारों पर तुलनात्मक प्राथमिकता तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

फुलेरा में रेलवे स्कूल का खोला जाना

[अनुवाद]

3125. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेल के तहत रेलवे कालोनियों में चल रहे माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार फुलेरा में चल रहे वर्तमान प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ाकर माध्यमिक विद्यालय बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त स्कूल का दर्जा कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम रेलवे पर रेलवे कालोनियों में 3 मिडल और 2 माध्यमिक स्कूल कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन का दोहरीकरण

[हिन्दी]

3126. श्री राम नारायण बैरवा :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और अहमदाबाद के बीच रेल मार्ग की यातायात व्यस्तता को देखते हुए इसे दोहरा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को अनुदान

[अनुवाद]

3127. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत और अधिक कालेजों को शामिल करने के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न कालेजों को कितनी सहायता दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार जिन कालेजों ने सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित सम्बद्धन की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं तथा जो विश्व० अनु० आ० अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत शामिल है व धारा 12 (ख) के अधीन तैयार किए गए नियमों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उचित घोषित किए गए हैं, वे आयोग द्वारा आठवीं योजना में कालेजों के विकास के लिए निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। 7वीं योजना के दौरान आयोग ने देश के करीब 3000 पात्र कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की। विश्व० अनु० आ० ने आठवीं योजना में कालेजों से विकास सहायता के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कितने कालेज शामिल किए जायेंगे, इसका कोई वार्षिक अनुमान नहीं लगाया जाता। अनुमोदित योजना के भाग के रूप में अलग-अलग प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात आयोग के पास उपलब्ध निधियों तथा संस्थाओं की प्राथमिकता के अनुसार अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कालेजों को दिए गए अनुदानों का दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम तथा संबद्ध विश्वविद्यालय	सातवीं योजना के दौरान संबद्ध कालेजों को संस्वीकृत योजना अनुदान (इसमें इंजीनियरी, तकनीकी तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा शामिल नहीं है ।
	(रुपए लाखों में)
1	2
आंध्र प्रदेश	
आंध्र	290.21
हैदराबाद	1.50
ककाटिया	55.79
नागार्जुन	197.63
उस्मानिया	309.89
श्री कृष्ण देवराया	2.88
श्री पद्मावती महिला	0.09
श्री वेंकटेश्वर	108.47
अरुणाचल प्रदेश	
अरुणाचल	0.24
असम	
डिब्रूगढ़	141.30
गोहाटी	202.98
बिहार	
भागलपुर	110.39
बिहार	211.38
एल० एन० मिथिला	235.87
मगध	210.44

1	2
पटना	22.97
रांची	250.00
गोआ	
गोआ	15.90
गुजरात	
भावनगर	14.21
गुजरात	370.48
एम० एस० बड़ौदा	0.24
सरदार पटेल	57.32
सौराष्ट्र	102.35
दक्षिण गुजरात	176.83
उत्तर गुजरात	14.44
हरियाणा	
कुरुक्षेत्र	247.40
महर्षि दयानन्द	170.10
हिमाचल प्रदेश	
हिमाचल प्रदेश	107.96
जम्मू और कश्मीर	
जम्मू	95.46
कश्मीर	94.71
कर्नाटक	
बंगलौर	128.35
गुलबर्गा	77.32
कर्नाटक	169.38
मंगलौर	73.37
मैसूर	106.10

1	2
कर्वेम्पू	3.32
केरल	
कालीकट	202.35
कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	22.91
केरल	201.48
महात्मा गांधी जी	222.78
मध्य प्रदेश	
अवधेश प्रताप सिंह	100.99
बारकेतुल्लाह	145.82
देवी अहिल्या	132.61
गुरु घासीदास	61.40
डा० हरि सिंह गौर	128.42
इन्दिरा कला संगीत	4.10
जीवाजी	180.71
रवि शंकर	115.95
रानी दुर्गावती	52.81
विक्रम	122.07
महाराष्ट्र	
अमरावती	253.13
बम्बई	384.99
मराठवाड़ा	361.30
नागपुर	385.89
पूना	555.67
एस० एन० डी० वूमेन्स	33.60
शिवाजी	308.07
मणिपुर	
मणिपुर	91.41

1	2
मेघालय	
उत्तर पूर्व पर्वतीय	34.60
उड़ीसा	
बरहामपुर	81.70
सांबलपुर	100.02
उत्कल	244.70
पंजाब	
गुरु नानक देव	314.20
पंजाब	342.51
पंजाबी	154.22
राजस्थान	
अजमेर	108.15
जोधपुर	7.60
मोहन लाल सुखाड़िया	13.20
राजस्थान	465.40
तमिलनाडु	
अन्ना	0.19
भारतियार	276.66
भारतीदासन	307.47
मद्रास	473.38
मदुराई कामराज	714.97
पांडिचेरी	9.37
त्रिपुरा	
त्रिपुरा	0.05
उत्तर प्रदेश	
आगरा	302.19
इलाहाबाद	53.08
अवध	224.50

1	2
बनारस	11.83
बुंदेलखंड	82.28
गढ़वाल	81.61
गोरखपुर	381.38
कानपुर	292.44
कुमाऊं	50.72
लखनऊ	96.63
मेरठ	361.06
रोहिलखंड	546.76
पूर्वांचल	0.41
पश्चिम बंगाल	
बर्दवान	235.38
कलकत्ता	705.48
जादवपुर	3.97
कल्याणी	9.39
उत्तर बंगाल	112.78
दिल्ली	
दिल्ली	11294.01

कांजिरामट्टम में रेलगाड़ी रोकने की व्यवस्था

3128. श्री पी० सी० थामस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्नाकुलम के निकट कांजिरामट्टम में यात्री गाड़ियों को रोकने की सुविधा प्रदान करने तथा क्रासिंग स्टेशनों की मंजूरी देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस स्टेशन के लिए सीटों का कोटा निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई थी लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा के प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण

[हिन्दी]

3129. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के सुरक्षित प्राचीन स्मारकों के जिलेवार नाम बताइये;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या कतिपय स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित हरियाणा के जिलावार स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) हरियाणा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण पर हुए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1988-89	रु० 9,04,703.35
1989-90	रु० 16,64,331.97
1990-91	रु० 17,62,906.60

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिर भी, भावी पीढ़ियों के लिए स्मारकों के परिरक्षण की दृष्टि से, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर संरक्षण के उपाय किए जाते हैं।

विवरण

हरियाणा राज्य

क्र० सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	2
		जिला अम्बाला
1.	अम्बाला	मुगल कोस मीनार
		जिला भिवानी
2.	ओरंगाबाद	प्राचीन स्थल

1	2	3
		जिला फरीदाबाद
3.	अलापुर	कोस मीनार सं० 18
4.	अनंगपुर	बांध या डैम
5.	औरंगाबाद	कोस मीनार सं० 22
6.	बंचारी	—वही—सं० 24
7.	—वही—	—वही—सं० 25
8.	भुलवाना	—वही—सं० 27
9.	गुधपुरी	—वही—सं० 16
10.	—वही—	—वही—सं० 17
11.	होडल	—वही—सं० 26
12.	बाटेला	—वही—सं० 23
13.	खेड़ा सराय	—वही—सं० 21
14.	खुसरोपुर	—वही—सं० 20
15.	ख्वाजा सराय	—वही—सं० 10
16.	—वही—	बुढियावाला नाले पर मुगल ब्रिज
17.	लक्करपुर	सूरजकुंड पक्का बांध
18.	मवाई	कोस मीनार सं० 11
19.	मुजेस्सर	—वही—सं० 13
20.	पलवल	—वही—सं० 19
21.	सीकरी	—वही—सं० 15
		जिला गुड़गांव
22.	फर्रुखनगर	गौस अली शाह की बावली
28.	सराय अली वर्दी खान	अली वर्दी खान की मस्जिद
		जिला हिसार
24.	अगरोहा	टीला
25.	बनवाली खोतरा	बनवाली खोतरा स्थित प्राचीन स्थल

1	2	3
26.	बरवाला	छोटी बिना छत की मस्जिद
27.	फतेहाबाद	हुमायूं की मस्जिद
28.	—वही—	फिरोज शाह की लाट
29.	हांसी	बरसी द्वार
30.	—वही—	ध्वस्त किला
31.	हिसार	फिरोज शाह का महल एवं तहखाना
32.	—वही—	गूजरी महल
33.	—वही—	लाट-की-मस्जिद
34.	—वही—	फिरोज शाह की मस्जिद के पास किले के बुर्ज की बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण मूर्तियों वाला टेक
35.	—वही—	तलाकी गेट
36.	—वही—	चालीस हाफिज का मकबरा
		जिला कैथल
37.	सीवन	ढेर पोलार
		जिला करनाल
38.	मेनी कलां	कोस मीनार
39.	बाहा	—वही—
40.	घरौंदा	मुगल सराय का प्रवेश द्वार
41.	—वही—	दो कोस मीनारें
42.	करनाल	कंटोनमेंट चर्च टावर
43.	—वही—	कंटोनमेंट उत्तरी कब्रिस्तान
44.	—वही—	यूरोपियन सैनिकों की समाधियां
45.	—वही—	दो कोस मीनारें
46.	कोहंड	कोस मीनार
47.	कुटैल	—वही—
48.	तरौरी	दो कोस मीनारें

जिला कुरुक्षेत्र

49.	अघोर	कोस मीनार
50,	असीन	—वही—
51.	—वही—	प्राचीन टीला
52.	भिवानी खेड़ा	कोस मीनार
53.	फतेहपुर	—वही—
54.	गोहरी	—वही—
55.	थानेसर	"राजा करण का किला" नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टीला
56.	—वही—	कोस मीनार
57.	—वही—	पठार मस्जिद
58.	—वही—	शेख चिल्ली का मकबरा
59.	सराय सुखी	कोस मीनार
60.	शाहबाद	—वही—
61.	जैनपुरा	—वही—

जिला महेन्द्रगढ़

62.	आरनौल	जय महल एवं उससे लगी हुई जमीन
63.	—वही—	शाह इब्राहिम का मकबरा
64.	—वही—	शाह कुली खान का मकबरा

जिला पानीपत

65.	जतीपुर	कोस मीनार
66.	काला अंब	पानीपत की तीसरी लड़ाई की स्मृति में जिला स्तम्भ
67.	किवाना	कोस मीनार
68.	मनाना	—वही—
69.	पानीपत	बाब-ए-फैज गेट
70.	—वही—	काबुली बाग मस्जिद
71.	—वही—	इब्राहिम लोदी का मकबरा

1	2	3
72.	पानीपत तरफ उन्सर	दो कोस मीनारें
73.	तरफ अफगान	कोस मीनार
74.	सिवाली	--वही—
	जिला रोहतक	
75.	बाइयालपुर	मुगल कोस मीनार
76.	ओंकराकोट	ओंकराकोट नाम से प्रसिद्ध स्थल
77.	मेहम	शाहजहान बावली
78.	मोहन बाड़ी	प्राचीन शहर का स्थल
	जिला सिरसा	
79.	सिरसा	ठेर टीला
	जिला सोनीपत	
80.	अकबरपुर बरोटा	मुगल कोस मीनार
81.	मन्नौर	—वही –
82.	जगदीशपुर	—वही—
83.	जवाहरी	--वही—
84.	पंची गुजरान	—वही –
85.	राजपुर	—वही—
86.	सोनीपत	—वही—
87.	—वही—	ख्वाजा खिजार का मकबरा

देश में होम्योपैथी डिसपेंसरियां/अस्पताल

3130. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर होम्योपैथी, डिस्पेंसरियां/अस्पताल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में स्थापित की जाने वाली होम्योपैथी डिस्पेंसरियों/अस्पतालों का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 10 होम्योपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है । तथापि, आठवीं योजनावधि में एक होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । खोले जाने वाले औषधालयों की संख्या और उन्हें कब तक खोला जाना है, यह योजना बजट 92/93 तथा आठवीं योजना में दी जाने वाली राशि पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली और टाटा नगर के बीच रेलगाड़ी का पुन: चलाया जाना

3131. श्री कड़िया मुंडा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से टाटा नगर (टाटा एक्सप्रेस) स्थापित की गई मेल एक्सप्रेस को मूरी एक्सप्रेस गाड़ी का अन्य विकल्प की व्यवस्था करके पुन: शुरू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या मूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए गढ़वा स्टेशन हेतु बर्थों का कोटा बढ़ाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई दिल्ली के रास्ते अमृतसर से टाटा नगर को जाने वाली गाड़ी रद्द नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई

[अनुवाद]

3132. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने उनके मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों को परिवार कल्याण योजना के लिए चिकित्सा उपकरणों की सहायता की है;

(ख) क्या इन मदों को अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विभिन्न अनुमोदित उपकरणों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

उपकरण का नाम	कम्पनी का नाम
1	2
वाक इन कोल्ड रूम्स	(i) मैसर्स स्यूरे डेनमार्क
	(ii) मैसर्स फोस्टर फिनलैंड
वाक इन फ्रीजर रूम्स	(i) मैसर्स स्यूरे डेनमार्क
	(ii) मैसर्स फोस्टर फिनलैंड
आइस लाइन्ड-रेफरीजिरेटर 240 लीटर	मैसर्स इलेक्ट्रोलक्स, लक्स
चेस्ट फ्रीजर 300 लीटर चेस्ट फ्रीजर 140 लीटर आई० एल० आर० 300 लीटर आई० एल० आर० 140 लीटर	मैसर्स वेस्टफॉस्ट, डेनमार्क
कोल्ड बाक्स	(i) मैसर्स इलेक्ट्रोलक्स (लक्स)
	(ii) मैसर्स नाल्सा लि०
	(iii) मैसर्स ब्लो किंग्स लि०
वैक्सीन कैरियर वैक्सीन डे कैरियर	(i) मैसर्स नाल्सा लि० (ii) मैसर्स ब्लो किंग लि०
स्टीम स्टेरिलाइजर, डबलरैक (प्रेसर कुकर टाइप)	मैसर्स प्रेस्टीज मेडिकल इंग्लैंड
वोल्टेज स्टेबलाइजर	(i) मैसर्स सागर, इलेक्ट्रिकल्स, अम्बाला
	(ii) मैसर्स गार्वेया इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली
लेप्रोकेटर/लेपरोस्कोप	(i) मैसर्स कबोट मेडिकल कार्पो०, यू० एस० ए०
	(ii) मैसर्स कार्ल स्टेर्ज, पश्चिम जर्मनी

1	2
एम० टी० पी० सक्सन एस्पीरेटर	मैसर्स आनन्द मेडिकल प्रा० लि०, नई दिल्ली (भारत सरकार की तकनीकी मामलों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप एम० टी० पी० उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते हैं)

रेल विद्युतीकरण समिति

3133. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल विद्युतीकरण समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश मे, विशेषकर कर्नाटक में उन मार्गों के क्या नाम हैं जिनके शीघ्र विद्युतकरण का सुझाव दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। रेल विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग ने अप्रैल, 1989 में एक समिति का गठन किया था :

(ख) समिति ने रंजीतपुरा शाखा लाइन सहित जिसका एक हिस्सा कर्नाटक राज्य में पड़ता है, होसपेट-गुंतकल-रेणिगुंटा खण्ड के विद्युतीकरण की सिफारिश की है।

नये रेलवे फाटक

3134. श्री एन० डेनिस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मार्गों पर रेलवे फाटकों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, क्षेत्रवार, कितने फाटकों का निर्माण किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नई लाइनें बिछाते समय सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करके और अनुवर्ती 10 वर्षों में समपारों की व्यवस्था की जाती

है, इसके बाद राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक और आवर्ती व्यय को वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित करने पर ही समपारों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) मध्य रेलवे-4, उत्तर रेलवे-6, पूर्वोत्तर रेलवे-2

हजीरा में माइक्रोफास्फेट परियोजना

3135. कुमारी दीपिका चिखलिया :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हजीरा में माइक्रोफास्फेट परियोजना को बन्द कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इसे पुनः खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत द्वारा खड़े किए गए विमानों के लिए कल-पुर्जे

3136. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत के कितने विमानों को कलपुर्जों की कमी के कारण खड़ा किया गया है;

(ख) सभी खड़े किए गए विमानों को चालू करने के लिए कलपुर्जों की खरीद हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वायुदूत के तीन एच एस-748 और दो डोर्नियर-228 विमान, अतिरिक्त पुर्जों की कमी के कारण ग्राउन्ड कर दिए गए हैं जिसके लिए विदेशों के सप्लाईकर्ताओं को आदेश दिए गए है।

उच्च शिक्षा संबंधी शीर्ष संस्थाएं

3137. कुमारी दीपिका चिखलिया :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष संस्था के गठन का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन तथा इसे सौंपे जाने वाले कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०), 1986 में, अनुसंधान सहित योजना और उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास में अधिक समन्वय और एकीकरण लाने के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार एक सरकारी संकल्प द्वारा एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव था, परन्तु योजना आयोग और अध्यक्ष, वि०अ०आ० ने प्रस्ताव के कुछ पहलुओं के संबंध में कुछ टिप्पणियां व्यक्त की।

राममूर्ति समिति का जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की, उच्च शिक्षा में अधिक समन्वय की आवश्यकता को मानते समय, यह विचार था कि द्वि श्रेणी समन्वय संयंत्र जिसमें मंत्रियों की एक समिति और सचिवों की एक समिति पर्याप्त होगी इसलिए उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय की स्थापना के वास्ते एक संयंत्र पर सहमत होना संभव नहीं हुआ है।

कुमायूं विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

[हिन्दी]

3138. श्री जीवन शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कुमायुं विश्वविद्यालय में खेल सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु की गई सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी राशि का अनुदान दिया गया है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इस अनुदान से इस विश्वविद्यालय के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग को न तो कुमार्यु विश्वविद्यालय से और न ही भारतीय खेल प्राधिकरण से विश्वविद्यालय में खेल सुविधाओं के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। शिक्षा वृत्तियां उन उम्मीदवारों को दी जाती हैं जो इस प्रयोजन के लिए वि०अ०आ०/वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय को शिक्षा वृत्तियों का एक निर्धारित कोटा आवंटित किया जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को उन फालतू उम्मीदवारों के समायोजन के लिए, जिन्होंने उस वर्ष की राष्ट्रीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, अधिसंख्य शिक्षावृत्तियां भी दी जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा कुमायूं विश्वविद्यालय को आबंटित 25 स्थानों के कोटे के मुकाबले विश्वविद्यालय ने वर्ष 1989-90 के लिए 12 जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय में 1990-91 में कार्य कर रहे छात्रों के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, शिक्षावृत्ति भोगियों की परेशानी को दूर करने के लिए आयोग ने वर्ष 1990-91 के लिए 9.00 लाख रु० का "उचंती" अनुदान संस्वीकृत किया है।

ग्रामीण बच्चों में खेल प्रतिभा

[अनुवाद]

3139. श्री जीवन शर्मा :

श्री वाइडे शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कितने ग्रामीण खेल आयोजित किए गए तथा इन खेलों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन खेलों के लिए 'कैच देम यंग' योजना के अन्तर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कितने युवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों से चयन किया गया तथा प्रशिक्षण किया गया;

(ग) विभिन्न स्तरों पर ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट योजना के अन्तर्गत ऐसे टूर्नामेंट देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर चार वर्गों में प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए विविध खेलों का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण की अन्य योजनाओं जैसे विशेष क्षेत्र खेलों में प्रतिभा खोज और पोषण, एस०पी०डी०ए० तथा एन०एस०टी०सी० योजनाओं आदि के अन्तर्गत किया जाता है।

(ख) एस०ए०जी०, एन०एस०टी०सी०, एस०पी०डी०ए०, बाल कम्पनियां आदि जैसी विविध योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 1750 युवाओं को चुना गया है।

(ग) चुने गए बालक और बालिकाओं को वैज्ञानिक कोचिंग सहित आवासीय पर्यावरण में रखा जाता है तथा भारतीय खेल प्राधिकरण इन प्रशिक्षार्थियों के भोजन, खेल किटों, खेल उपस्कर प्रतियोगिता प्रदर्शन तथा अकादमियों पर व्यय करता है।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए रखी गई कुल वित्तीय सहायता लगभग 11.50 करोड़ रुपये है।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं में सुधार

3140. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अर्जित की गई तथा व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्हीं हवाई मार्गों पर अन्य एयरलाइन्स की सेवाओं की तुलना में इन एयर लाइनों की सेवाओं में सुधार नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं तथा समय निष्ठा के मामले में इन एयरलाइनों को अन्य एयरलाइनों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले दो वर्षों में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	अर्जित राशि (करोड़ रुपयों में)		व्यय की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
एयर इंडिया	841.59	1004.65	749.29	855.43
इंडियन एयरलाइंस	264.04	289.35	363.71	385.43

(ख) से (घ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों ही की सेवा के स्तर इस क्षेत्र की अन्य एयरलाइनों से तुलनीय है। तथापि दोनों एयरलाइनों द्वारा अपनी सेवाओं की समयबद्धता और उड़ानगत तथा भूमि पर यात्रियों को सुविधाओं में सुधार करने के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं। विलम्बों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियां

[हिन्दी]

3141. श्री रामशरण यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी ट्रेवल एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी एजेंसियां इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसी एजेंसियों से मान्यता वापिस लेने का विचार है जो इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ पंजीकृत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) सरकार की यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा प्रचालकों और पर्यटक परिवहन प्रचालकों को मान्यता प्रदान करने की एक योजना है जिसके लिए उन्हें कतिपय मानदण्डों को पूरा करना होता है ताकि पर्यटकों के लिए एक कुशल तथा विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित की जा सके। इन शर्तों के आधार पर अभी तक 233 यात्रा अभिकरणों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यात्रा अभिकर्ताओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनका आई ए टी ए के पास पंजीकृत होना भी एक शर्त है। तथापि, सरकार मान्यता प्राप्त करने की शर्तों की समीक्षा कर रही है ताकि इसे सरल एवं अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

चोकलेट में निकल

[अनुवाद]

3142. श्री विजय नवल पाटील :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि चोकलेट में निकल पाई जाती है जिससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो निकल खपत की अनुमत सीमा क्या है; और

(ग) बच्चों द्वारा अधिक मात्रा में चोकलेट खाने से निकल के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ जो एक छोटी सी निजी प्रयोगशाला है, ने चाकलेट के कुछ नमूनों की जांच की है और सूचित किया है कि चाकलेटों में निकल की मात्रा अधिक थी। वैसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन एक स्थायी अनुसंधान केन्द्र राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने विश्लेषण किए गए चोकलेट नमूनों के परिणाम डेनमार्क से सूचित किए मूल्यों अर्थात 1.26 मिलीग्राम/किलो ग्राम आंकड़ों सहित के अनुरूप पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अद्यतन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि निकल के इस्तेमाल से कैंसरजनित जोखिम होने के कोई प्रमाण नहीं है। वस्तुत: निकल को कुछ पादपों और जीवाणु संबंधी एंजाइमों में एक अनिवार्य ट्रेसमेंटल के रूप में दर्शाया गया है। इस सूचना के आधार पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने विचार व्यक्त किया है कि चाकलेट में निकल की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

लम्बित बिजली और सिंचाई परियोजनाएं

3143. श्री विजय पाटील :

श्री हरिन पाठक :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत-सी बिजली और सिंचाई परियोजनाएं काफी समय से पर्यावरण मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका राज्यवार और परियोजना वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और ये कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान इनके कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने के लिए इनमे से कुछ परियोजनाओं को निष्पादित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए निर्धारित नए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) संलग्न सूची के अनुसार तेईस विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी है।

(ग) एवं (घ) पूर्ण ब्यौरों तथा पर्यावरणीय कार्य योजनाओं के प्राप्त होने के पश्चात तीन माह की अधिकतम अवधि के भीतर अन्तिम निर्णय लिया जाता है। शीघ्र विचार करने और निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर तथा परियोजना प्रस्तावकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कब प्राप्त हुई	लंबित पड़े रहने के कारण
1	2	3	4
असम			
1.	नामरूप ताप विद्युत स्टेशन चरण-3	जुलाई, 1991	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
बिहार			
2.	चांडिल ताप विद्युत स्टेशन	फरवरी, 1991	पुनर्वास तथा साल वन आदि पर सल्फर डाई आक्साइड के प्रभाव से संबंधित ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
3.	नवी नगर ताप विद्युत स्टेशन	अप्रैल, 1991	जल संतुलन अध्ययन, फ्लाई ऐश के उपयोग, संयंत्र की विशेषता आदि के बारे में सूचना अभी प्राप्त होनी है।
गुजरात			
4.	नर्मदा ताप विद्युत स्टेशन	जनवरी, 1991	परियोजना प्राधिकारियों के अनुरोध पर परियोजना पर चर्चा को स्थगित किया गया।
5.	कच्छ टाइडल पावर परियोजना	फरवरी, 1990	विस्तृत पर्यावरणीय प्रबन्ध परियोजनाओं की प्रतीक्षा है।
6.	उकाई काकरापाड़ा केनाल मॉडर्नाइ-जेशन परियोजना	जनवरी, 1991	जल निकास, फसल पद्धति, कमान में उर्वरकों के प्रयोग आदि पर ब्यौरे प्रतिक्षित हैं।
हरियाणा			
7.	मारुति उद्योग लि० में कैप्टिव पावर संयंत्र	जून, 1991	जल के अधिकतम उपयोग के लिए योजना तथा दिल्ली में गैस पाइप लाइन की सुरक्षा से संबंधित मंजूरी की प्रतीक्षा है।
कर्नाटक			
8.	नांदीकुर (मंगलौर) सुपर थर्मल पावर परियोजना	अगस्त, 1990	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार-पोरेशन से फ्लाई ऐश के पूर्ण प्रयोग हेतु संशोधित योजना प्रतीक्षित है।
9.	कैगा एटामिक पावर संयंत्र यूनिटें-3-6	अप्रैल, 1991	उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
10.	कैप्टिव पावर प्लाण्ट चरण-2, कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० द्वारा	अप्रैल, 1991	संयुक्त साइकल प्रणाली पर ब्यौरे प्रतिक्षित हैं।
केरल			
11.	कयामकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना	जुलाई, 1991	मुख्य संयंत्र स्थल को राख निपटान केन्द्र के निकट से जाने के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
मध्य प्रदेश			
12.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	जनवरी, 1991	व्यापक पर्यावरणीय प्रबंध योजनाओं की प्रतीक्षा है।
13.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना	अगस्त, 1991	व्यापक पर्यावरणीय प्रबंध योजनाओं की प्रतीक्षा है।
उड़ीसा			
14.	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि० का कैप्टिव ताप संयंत्र	मई, 1991	परियोजना पर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया है।
राजस्थान			
15.	धोलपुर ताप विद्युत केन्द्र	मई, 1991	तुलनात्मक लागत सहित वैकल्पिक स्थान के ब्यौरों की प्रतीक्षा है क्योंकि प्रस्तावित स्थल धोलपुर शहर, नेशनल चंबल और वन विहार अभयारण्यों और वनों के पास ही है। ताजमहल पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के ब्यौरों की भी प्रतीक्षा है।
16.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिटें-5-8	अप्रैल, 1991	परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों की जांच की जा रही है।
सिक्किम			
17.	रोंगनिचु जलविद्युत परियोजना	अगस्त, 1991	जैव विविधता और वन जीवों के संबंध में ब्यौरों की प्रतीक्षा।

1	2	3	4
तमिलनाडु			
18.	पिल्लाइपेरुमलपुर में गैस-आधारित विद्युत परियोजना	मई, 1991	एन ओ एक्स उत्सर्जन पर चिमनी के व्यास और उससे निकलने वाली गैसों की मात्रा तापीय क्षमता आदि के बारे में सूचना की प्रतीक्षा है।
उत्तर प्रदेश			
19.	जमरानी सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 1989	व्यापक प्रबन्ध योजनाओं की प्रतीक्षा है।
पश्चिमी बंगाल			
20.	बालागढ़ ताप विद्युत केन्द्र	मार्च, 1990	राख के उपयोग के लिए प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
		संघशासित क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
21.	कामोंता में विद्युत घर	मार्च, 1989	आसपास के वनों, वर्तमान यूनिटों इत्यादि मानचित्र की प्रतीक्षा है और विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
22.	हेवलाक द्वीप में डी-जी सेट	मई, 1991	अपेक्षित ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
दिल्ली			
23.	बवाना में गैस आधारित ताप परियोजना	अक्तूबर, 1991	परियोजना प्राधिकारियों को वैकल्पिक स्थल का चयन करने की सलाह दी गई है। उसके लिए प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

शिक्षा सुधार संबंधी राममूर्ति समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

3144. श्री शिव शरण वर्मा :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक सुधार संबंधी राममूर्ति समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन और विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवीक्षा समिति (एन० पी० ई० आर० सी०) ने सरकार को 26 दिसम्बर, 1990 को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट की प्रतियां 9 जनवरी, 1991 को सभा पटल पर रख दी गई थीं।

(ग) राममूर्ति समिति की सिफारिशों पर विचारों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी० ए० बी० ई०) की सलाह लेने का निर्णय किया। तदनुसार, यह मामला सी० ए० बी० ई० के समक्ष इसकी 8-9 मार्च, 1991 बैठक के समय रखा गया था। रिपोर्ट की गहन जांच के लिए केब ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री एन० जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति की अब तक तीन बैठकें हुई हैं। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। एन०पी०ई० आर० सी० की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय के के विचारों की प्राप्ति केब बाद ही लिया जाएगा।

देश में हैजा, दस्त कुपोषण तथा आंत्रशोथ के मामले

3145. श्री शिव शरण वर्मा :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री के० प्रधानी :

श्री मानी भट्टाचार्य :

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस वर्ष और पिछले दो वर्षों के दौरान हैजे, दस्त, कुपोषण एवं आंत्रशोथ से राज्यवार कितने लोगों की मृत्यु हुई है; और

(ख) इन बीमारियों और कुपोषण के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1989 से 1991 तक के वर्षों के दौरान हैजे और जठरान्त्र शोथ के कारण हुई मौतों को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक कुपोषण और पेचिश के कारण हुई मौतों का सम्बन्ध है, कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पीने का साफ पानी प्रदान करने और पर्यावरणिक स्वच्छता और वैयक्तिक स्वच्छता सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि हैजा, जठरान्त्र शोथ और पेचिश जैसे पानी से होने वाले

रोग पानी के संदूषित होने के कारण होते हैं :

असुरक्षित वर्गों में पोषकों के औसत उपयोग में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(i) गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवस्था के दौरान स्कूल जाने की उम्र से छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच के नाजुक अन्तर को भरने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक आहार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है।

(ii) स्कूल—जाने की उम्र से छोटे बच्चों (1—5 वर्ष) में विटामिन 'ए' की कमी रोकने के लिए विटामिन 'ए' के वितरण का कार्यक्रम।

(iii) आयरन और फॉलिक एसिड गोलियों के वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम (रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम) :—गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और 10 वर्ष तक के बच्चों और परिवार नियोजन के स्वीकार कर्ताओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण।

(iv) आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों के लिए आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति।

(v) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति।

विवरण

भारत के राज्यों/संघ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1989-1990 और 1991 के दौरान सूचित की गई हैजा/जठरांत्रशोथ/अतिसार के कारण हुई मौतें

क्र०सं०		जठरांत्रशोथ	हैजा	जठरांत्रशोथ	हैजा	जठरांत्रशोथ	हैजा	निम्नलिखित तारीख तक
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	627	0	441	—	1003	2	16.11.91
2.	अरुणाचल प्रदेश			15	—	19	—	14.9.91
3.	असम			44	31	592	—	8.3.91
4.	बिहार	26	0	2785	—	1676	—	31.8.91
5.	गोवा			10	—	13	—	16.11.91
6.	गुजरात	149	5	333	2	218	2	16.11.91
7.	हरियाणा	149	0	2	—	26	—	12.11.91
8.	हिमाचल प्रदेश	97	0	96	—	164	14	16.11.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू व कश्मीर			40	—	66	+	31.11.91
10.	कर्नाटक	179	26	391	14	578	17	9.11.91
11.	केरल	141	7	49	9	103	24	2.11.91
12.	मध्य प्रदेश	621	1	415	3	3890	4	7.9.91
13.	महाराष्ट्र	314	2	369	22	776	47	16.11.91
14.	मणिपुर			25	—	60	—	2-11.91
15.	मेघालय			45	—	13	—	2.11.93
16.	मिजोरम			18	—	16	—	9.11.91
17.	नागालैंड			5	—	—	+	31.7.91
18.	उड़ीसा	958	—	1332	—	1003	—	16.11 91
19.	पंजाब	86	—	368	—	99	2	16.11.91
20	राजस्थान			61	—	36	—	9.11.91
21.	सिक्किम			31	—	9	—	16.11.91
22.	तमिलनाडु	124	30	251	4	407	10	16 11 91
23.	त्रिपुरा			47	—	14	+	31.3.91
24.	उत्तर प्रदेश	291	0	467	—	981	—	16.11.91
25.	पश्चिम बंगाल			3308	—	593	1	2.11.91
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह			9	—	—	2	2.12.91
27.	चंडीगढ़			—	—	4	—	16.11.91
28.	दादर व नगर हवेली			7	—	3	—	16.11.91
29.	दमण व द्वीव			—	—	7	—	16.11.91
30.	दिल्ली			16	2	11	2	16.11.91
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	2	—	2.11.91
32.	पाण्डिचेरी			80	—	76	—	2.11.91

टिप्पणी : र=रोगी म=मौतें —=शून्य =+अनुपलब्ध

आंकड़े अनन्तिम हैं और अस्पष्ट कवरेज के कारण तुलना नहीं की जा सकती।

लक्षद्वीप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

3146. श्री पी० एम० सईद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के अमीनी और अन्द्रोथ द्वीपसमूहों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों का सुधार कब तक कर लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, लक्षद्वीप प्रशासन, कुछ विशेषज्ञ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके अमीनी और अंद्रोथ में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए एक परियोजना पहले ही शुरू कर चुका है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और इसके 1991-92 तक पूरा होने की आशा है।

लक्षद्वीप में स्वास्थ्य सेवकों को नर्सिंग भत्ता

3147. श्री पी० एम सईद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के सरकारी अस्पताल में नियुक्त बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सेवकों को नर्सिंग भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इन कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) नर्सिंग भत्ते की अदायगी का लाभ अभी बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है।

जंगल माफिया

3148. श्री पी० एम० सईद :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ जंगल माफिया गिरोहों का पता लगाया है जो वनों को सुव्यवस्थित

ढंग से नष्ट करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वनों की रक्षा हेतु उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई तटीय क्षेत्र में प्रदूषण

3149. श्री राम कापसे :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बम्बई के आस-पास थाणे क्रीक, तारापुर, बेसीन क्रीक और धर्मस्टार तटीय क्षेत्र के कुछ भागों में औद्योगिक अपशिष्टों और घरेलू जल मल के विसर्जन के कारण समुद्री जल की गुणवत्ता में खराबी आई है।

(ख) इस क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) बम्बई नगर से समुद्र में विसर्जित किया जाने वाला कुल अपशिष्ट जल लगभग 2500 एम० एल० डी० है। बम्बई नगर निगम समुद्र में विसर्जित करने से पूर्व जल-मल के संग्रहण, शोधन और निपटान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(2) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार समुद्र तट के साथ-साथ उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

(3) दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तट क्षेत्र में 152 उद्योगों के खिलाफ स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण मामले दायर किए गए हैं।

(4) तट के साथ-साथ महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम का औद्योगिक एस्टेट है। महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम प्राधिकरणों से औद्योगिक एस्टेटों में साझा बहिस्राव संग्रहण और निपटान प्रणालियों की व्यवस्था करने को कहा गया है। निम्नलिखित औद्योगिक एस्टेटों में निपटान प्रणालियों को पूरा किए जाने की खबर है :—

(क) थाणे-बेलापुर

(ख) तरावली (कल्याण के निकट)

(ग) पाताल गंगा (रायगढ़ जिला)

(घ) रोहा (रायगढ़)

(ङ) डोम्बीवली (थाणे)

(च) तारापुर (थाणे)

(छ) महड (थाणे)

(5) महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम क्षेत्रों में उद्योगों को जल आपूर्ति तब तक नहीं की जाती जब तक उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार बहिस्राव शोधन और निपटान व्यवस्था न कर ली जाए। इस व्यवस्था को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है और केवल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश पर ही महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम द्वारा उत्पादन प्रयोजन के लिए जल की आपूर्ति की जाती है।

(6) थाणे, बेलापुर और तारापुर क्षेत्रों में स्थित लघु पैमाने के उद्योगों के समूह के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्कीमें तैयार की गई हैं।

(7) सरकार ने तट रेखा पर प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय क्षेत्र विनियम अधिसूचित किए हैं। इससे महाराष्ट्र खासकर बम्बई में समुद्र के जल में प्रदूषकों का विसर्जन कम होगा।

वनरोपण कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि

3.50. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, विभिन्न राज्यों में वनरोपण कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान वन क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों पर खर्च की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रु०)
1988-89	588.36
1989-90	506.87
1990-91	612.86*

*अनन्तिम

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण देश में वन क्षेत्र में वृद्धि/कमी का समय-समय पर मूल्यांकन करता है। पिछले तीन वर्षों के मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोंकण रेल परियोजना

3151. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सरकार द्वारा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोंकड़ रेल परियोजना का निर्माण कार्य एक स्वायत्त निकाय "कोंकड़ रेलवे निगम" को सौंपा गया है, रोहा से वसगांव और मंगलोरसे उदिपी खंड पर निर्माण कार्य जून, 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, अन्य खंडों पर कार्य प्रगति पर है।

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निगम को सभी सहायता दी जाती है।

(ग) परियोजना के पूरा होने की अवधि धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

वैदिक अंकगणित में अनुसंधान

[हिन्दी]

3152. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वैदिक अंकगणित में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो कि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, की सहायता से वैदिक गणित में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

—जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में क्रमश: दो-दो कार्यशालाओं और एक गोलमेज परिचर्चा का आयोजन।

—राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और अभिनव विद्या भारती के संयुक्त सहयोग से बंगलौर में एक सम्मेलन सह-कार्यशाला का आयोजन।

—वैदिक गणित में तीन-तीन प्रबंधों की शुरूआत करना।

—वैदिक गणित में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

(ख) अभी तक, रामानुजम गणित संस्थान ने मद्रास के भूतपूर्व निदेशक प्रो० टी० एस० भानुमूर्ति ने आधुनिक गणित सम्बन्धी संकल्पनाओं के सन्दर्भ में वैदिक गणित पर प्रमाण तैयार किए हैं।

बिहार में वानिकी परियोजना

[अनुवाद]

3153. श्री लखन सिंह यादव :

श्री राम टहलल चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के लिए एक वानिकी परियोजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस परियोजना को कब शुरू किया गया; और

(घ) इस परियोजना के लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त कर लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथोरिटी (सीडा) द्वारा प्रदान की गई सहायता से बिहार सामाजिक वानिकी परियोजना बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना वर्ष 1985-86 में शुरू की गई थी और मार्च, 1992 में समाप्त हो जाएगी। 53.85 करोड़ रुपये की मूल परियोजना लागत की तुलना में मार्च, 1991 में अन्त तक 42.01 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मार्च, 1991 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :—

	लक्ष्य	उपलब्धियां
ब्लाक वृक्षारोपण	39513 हैक्टेयर	45634 हैक्टेयर अवक्रमित वन भूमि और पट्टीदार भूमि पर रोपण की गई 11.80 मिलियन पौध।
पौध वितरण	145.51 मिलियन	144.12 मिलियन

देश में परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों का मूल्यांकन

[हिन्दी]

3154. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रियान्वित किए गए परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित किए गए राज्यवार लक्ष्य और इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) इसी अवधि के दौरान आवंटित की गई राशि और इसकी उपयोग में लाई गई प्रतिशतता क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित वित्तीय आवंटन/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के राज्यवार और तरीकेवार लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1988-89, 1889-90 और 1990-91 के दौरान नसबंदी के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि

आंकड़े अनन्तिम* जनवरी 1991 तक के मामले

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र एजेंसी	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	600000	477106	637000	435963	650000	452405
2.	असम	149000	58110	200000	60173	254000	72438
3.	बिहार	513000	514498	513000	332455	550000	268429
4.	गुजरात	293000	241079	293000	237255	258000	240461
5.	हरियाणा	100000	81426	100000	88686	102000	88850
6.	कर्नाटक	325000	301147	311000	289372	350000	282410
7.	केरल	200000	207457	110000	208537	200000	190547
8.	मध्य प्रदेश	400000	273584	350000	237386	350000	284815

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	महाराष्ट्र	500000	5101915	26000	525457	575000	552241
10.	उड़ीसा	200000	161547	209000	152614	220000	142329
11.	पंजाब	120000	96594	120000	138962	120000	92021
12.	राजस्थान	225000	107372	225000	122635	225000	147811
13.	तमिलनाडु	450000	407[illegible]52	425000	383132	425000	382512
14.	उत्तर प्रदेश	650000	729075	700000	483354	785000	439245
15.	पश्चिम बंगाल	437000	335873	450000	320212	500000	320052
16.	हिमाचल प्रदेश	30000	35164	30000	32591	34000	32574
17.	जम्मू व कश्मीर	36600	26146	36600	13973	38000	12406
18.	मणिपुर	7000	5740	7800	4631	10000	3550
19.	मेघालय	1000	470	700	538	890	506
20.	नागालैंड	1000	715	1500	1065	1500	996**
21.	सिक्किम	1100	973	1100	983	1000	889
22.	त्रिपुरा	1 000	6915	9000	7331	1[illegible]000	7670
23.	दा० नि० ह्वि० स०	2000	2061	2100	2138	2000	19[illegible]9
24.	अरुणाचल प्रदेश	1800	1560	1400	1486	2300	1331

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	चंडीगढ़	3500	2926	3500	2268	3500	2510
26.	द० न० ह०	1100	1163	800	863	1000	712
27.	दिल्ली	36000	31456	36000	31917	40000	33468
28.	गोवा	4500	4368	4500	4569	4500	4341
29.	द० एण्ड दी०	450	367	350	395	350	420
30.	लक्षद्वीप	60	40	60	22	70	22
31.	मिजोरम	3000	3145	3000	3581	3000	4147
32.	पांडिचेरी	3300	6074	5100	7437	5600	7813
	II. अन्य एजेंसियां						
	1. र० मं०	28800	19746	28900	20150	30800	19217
	2. रे० म०	38400	26519	38600	28191	40480	30883
	अखिल भारत	5374000	4678177	5449010	4181322	5803900	4121980

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आई० यू० डी० निवेशन राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

आंकड़े अनन्तिम** जनवरी, 1991 तक के आंकड़े

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/ संघ एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	321000	213648	421000	240647	450000	253553
2.	असम	68400	23512	30000	27703	90000	28471
3.	बिहार	355000	337869	400000	253737	475000	201095
4.	गुजरात	317000	358918	317000	356547	460000	451847
5.	हरियाणा	187000	194783	164000	170409	210000	155135
6.	कर्नाटक	210000	204693	223000	195555	262000	204006
7.	केरल	115000	115535	115000	125324	150000	119747
8.	मध्य प्रदेश	251000	306712	300000	334171	370000	357600

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	महाराष्ट्र	475000	396949	500000	435091	525000	472034
10.	उड़ीसा	148000	146188	168000	157497	200000	164442
11.	पंजाब	2700 0	314310	275000	356729	350000	406098
12.	राजस्थान	210000	173062	250000	191727	250000	178438
13.	तमिलनाडु	453000	548664	415000	431817	550000	419192
14.	उत्तर प्रदेश	1151000	1310552	1250000	1340976	1535000	1579715
15.	पश्चिम बंगाल	168000	116864	175000	131126	225000	139672
16.	हिमाचल प्रदेश	43200	35287	43000	37420	50000	41796
17.	जम्मू व कश्मीर	2[illegible]700	15953	25700	14792	26000	15516
18.	मणिपुर	7000	8026	8200	7151	8000	7728
19.	मेघालय	5300	1454	2000	1610	2000	2015
20.	नागालैंड	4100	646	2500	834	2500	053**
21.	सिक्किम	1700	1384	1700	1471	1300	1568
22.	त्रिपुरा	4000	1867	4500	2560	2500	2379
23.	अ० नि० दि० समूह	1700	1889	1500	1695	1500	1694
24.	अरुणाचल प्रदेश	4200	2169	2000	2116	2400	2350

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	चंडीगढ़	10000	6020	10000	5644	10000	5511
26.	दादर व नगर हवेली	180	200	210	160	100	231
27.	दिल्ली	110000	69402	90000	70641	126000	71454
28.	गोवा	3050	3055	3500	3695	3500	3533
29.	दमन व दीव	250	124	330	120	330	162
30.	लक्ष्य द्वीप	100	44	100	65	150	120
31.	मिजोरम	2700	2100	2700	2580	2700	2570
32.	पांडिचेरी	3300	3924	3200	4121	4200	4236
	अन्य एजेंसी						
	1. र० मं०	26100	12645	20000	13115	24000	13360
	2. रे० मं०	18200	13070	28700	13851	20320	14222
	अखिल भारत	4970000	4851483	5252840	4936693	6400000	6322143

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ताओं के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/सं० क्षेत्र/एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धियां	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धियां	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	773000	601396	1014000	750786	1078300	826262
2.	असम	119000	33343	60000	37414	40000	36647
3.	बिहार	202000	205570	202000	185759	359100	153791
4.	गुजरात	650000	671876	650000	869108	600000	801892
5.	हरियाणा	628000	628000	660530	698272	552360	612438
6.	कर्नाटक	222000	223846	246000	223703	264630	228417
7.	केरल	271000	238730	271000	292139	297200	306889
8.	मध्य प्रदेश	961000	1002491	1150000	1230744	1100000	1317050
9.	महाराष्ट्र	849000	806822	850000	916241	969000	1110249

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	उड़ीसा	268000	268476	306000	306666	291600	300761
11.	पंजाब	462000	521597	429000	580799	473600	493371
12.	राजस्थान	627990	428755	400000	445570	400000	297285
13.	तमिलनाडु	320000	342840	280000	324752	389000	296591
14.	उत्तर प्रदेश	1183000	1138745	1300000	1265976	1459500	1576380
15.	पश्चिम बंगाल	410000	252470	425000	319860	418700	312268
16.	हिमाचल प्रदेश	693000	57935	69000	69087	75000	73991
17.	जम्मू व कश्मीर	21200	14016	21200	14731	16000	11708
18.	मणिपुर	3900	2786	4600	3732	5100	2509
19.	मेघालय	13600	1407	3000	2264	3000	1668
20.	नागालैंड	640	17	700	31	900	14**
21.	सिक्किम	600	246	600	463	800	514
22.	त्रिपुरा	8100	3074	4000	4420	1600	4287
23.	अंडमान निकोबार	1300	1402	1402	1702	1580	1845
24.	अरुणाचल प्रदेश	1700	628	600	882	300	1205
25.	चंडीगढ़	14200	9975	140	8482	11180	7933

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दादरा और नगर हवेली	600	497	700	503	940	59
27.	दिल्ली	345000	319313	360000	319973	450000	298593
28.	गोवा	17700	16253	12000	14762	12900	14154
29.	दमन व द्वीप	1400	281	750	578	7595	332
30.	लक्षद्वीप	790	91	1000	261	1000	192
31.	मिजोरम	2200	1091	2200	1649	4240	1473
32.	पांडिचेरी	8400	10194	8300	11241	9900	8368
	अन्य एजेंसियां						
1.	रक्षा मंत्रालय	82700	50058	90800	68661	61350	65118
2.	रेल मंत्रालय	402000	315895	342000	378592	400000	324782
3.	वाणिज्यिक वितरण	4200000	4220000	4850000	5036528	5330000	5318889
	अखिल भारतीय	13043320	12421943	14015550	14105511	15079530	14706935

* = आंकड़े अनन्तिम

* = जनवरी, 1991 को उपलब्धि के आंकड़े

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान खाई जाने वाली गर्भ नि॰ गोलियों के उ॰ क॰ के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र॰सं॰	राज्य/सं॰ राज्य/एजें॰	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उप॰	लक्ष्य	उप॰	लक्ष्य	उप॰
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	151000	139221	194000	170939	225128	192416
2.	असम	12900	7804	15000	2031	30000	9242
3.	बिहार	20700	20164	20700	37210	5970	47208
4.	गुजरात	78000	114888	78000	118368	90000	114478
5.	हरियाणा	25000	40994	40000	38440	32800	37615
6.	कर्नाटक	65000	75608	49800	74249	77900	74682
7.	केरल	34500	37557	34500	43427	50300	40651
8.	मध्य प्रदेश	32000	191491	200000	222042	2[illegible]0000	257054
9.	महाराष्ट्र	181000	249594	350000	303363	286600	430283
10.	उड़ीसा	37700	55438	42100	57675	53900	63279

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	31000	53837	50000	61523	47900	63073
12.	राजस्थान	45990	45234	50000	66647	50000	59254
13.	तमिलनाडु	82100	164212	150000	189094	173600	176695
14.	उत्तर प्रदेश	112000	169.12	180000	186252	224900	213336
15.	पश्चिम बंगाल	44700	83572	100000	99701	124600	106832
16.	हिमाचल प्रदेश	9500	9000	9500	9806	12000	13002
17.	जम्मू और कश्मीर	2600	3020	3200	2946	4000	4083
18.	मणिपुर	190	556	220	565	500	521
19.	मेघालय	2500	1282	2000	1200	2000	1045
20.	नागालैंड	980	100	1000	137	1000	93[illegible]
21.	सिक्किम	2100	1467	2200	1768	1300	1619
22.	त्रिपुरा	2900	2581	2900	2660	2100	2861
23.	अंडमान निकोबार	280	407	320	419	380	483
24.	अरुणाचल प्रदेश	1600	985	1000	1047	700	1013
25.	चंडीगढ़	420	363	500	240	90	294

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दादर नगर हवेली	40	88	100	142	180	220
27.	दिल्ली	2000	3891	4 00	3484	8000	5642
28.	गोआ	1950	1686	2000	2054	2300	2380
29.	दमन द्वीप	150	78	120	118	120	140
30.	लक्षद्वीप	50	50	250	69	300=	58
31.	मिजोरम	920	1328	920	98	1580	1106
32.	पांडिचेरी	990	1000	960	1080	1040	927
	अन्य एजेंसियां						
33.	रक्षा मंत्रालय	3800	3221	4200	4279	2960	5524
34.	रेल मंत्रालय	3700	4012	4100	4454	4100	5041
35.	वाणिज्यिक वित्त*	1050000	931462	500000	1032077	700000	1174615
	अखिल भारत	2140260	2416190	2094090	2740384	2492788	3107010

* — आंकड़े अनन्तिम

** — जनवरी, 91 तक की उपलब्धि के आंकड़े

वर्ष 1988-89 1989-90 और 1090-91 के दौरान टी० टी० (गर्भवती महिलाओं) के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं०	राज्य/संघ रा० क्षेत्र/ एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1534 00	1271164	1743300	1349320	1730170	1770820
2.	असम	784000	172627	830800	224884	842520	406363
3.	बिहार	2599000	1838073	3040000	1487654	3197130	1692120
4.	गुजरात	1100000	899793	1115800	1041589	1101610	1077500
5	हरियाणा	489000	368709	483500	385691	467000	392678
6.	कर्नाटक	11 7 00	972970	1207800	1042119	1298000	1174829
7.	केरल	621000	657321	621000	638582	623730	643001
8.	मध्य प्रदेश	17710 0	1353872	2176400	1411550	2159960	1583272
9.	महाराष्ट्र	1694000	1586320	1851600	1592791	1791150	1685322
10.	उड़ीसा	855000	712937	902800	700953	900010	766917

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	491000	414098	477100	465767	459440	421543
12.	राजस्थान	1409000	947895	1647500	1105299	1651650	1260179
13.	तमिलनाडु	1217000	1052866	1323400	1182799	1332600	1286288
14.	उत्तर प्रदेश	4458000	2304442	4991900	3548000	5043360	3885000
15.	प० बंगाल	1617000	1059878	1764100	1059117	1758370	1219746
16.	हिमाचल प्रदेश	133000	86588	142000	94115	140130	101842
17.	जम्मू व कश्मीर	205000	66959	231500	65769	203530£	69056£
18.	मणिपुर	36000	31025	41000	34242	44800	33547
19.	मेघालय	61000	38739	61400	32074	40339£	37508£
20.	नागालैंड	24000	4875	13200	4898	21160££	5557££
21.	सिक्किम	13000	4583	13300	5043	13430	5654
22.	त्रिपुरा	64000	14794	63900	12613**	47640£££	16549£££
23.	अंडमान निकोबार	7000	3778	4000	4621	16840£	4450£
24.	अरुणाचल प्रदेश	15000	8514	25800	9349	25600	19786
25.	चंडीगढ़	16000	13343	16300	13476	14730£	11555£
26.	दा० न० हवेली	4000	2027	4500	2848	4480	3009

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दिल्ली	260000	161136	268400	178125	240000	194514
28.	गोवा	22000	11725	21900	10637	20330	18351
29.	दमन व द्वीप	2000	796	1600	933	1720	1423
30.	लक्षद्वीप	2000	970	1600	1364	1460	1331
31.	मिजोरम	22000	19626	20600	11317	23650	15690
32.	पांडिचेरी	22000	15484	15100	16032	15170	17911
1.	रक्षा मंत्रालय	@	37789	@	37200	@	25349££££
2.	रेल मंत्रालय	@	59445	@	61881	@	66174
	अखिल भारत	22664000	16185161	25124100	17832657	28221700	19916834

नोट : पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारत योग राज्यवार आंकड़ों से मेल नहीं खाता है।

* आंकड़े अनन्तिम

** जनवरी, 90 तक के आंकड़े

£ फरवरी, 91 तक के आंकड़े

££ जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££ दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

££££ नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

@ अलग से कोई लक्ष्य आवंटित नहीं।

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सी० पी० टी० के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1988-1989 लक्ष्य	1988-1989 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1246000	1116421	1343500	1187729	1346280	1606438
2.	असम	596000	235037	626100	310885	784370	635072
3.	बिहार	2083000	1982374	2305800	1994681	2731240	2559537
4.	गुजरात	882000	857399	848300	983572	1010150	1051000
5.	हरियाणा	397000	447321	370000	451833	432820	449416
6.	कर्नाटक	900000	883043	935900	912903	1201700	1150141
7.	केरल	513000	563388	515000	669178	581840	590814
8.	मध्य प्रदेश	1460000	1498619	1626800	1674122	1835420	1754242
9.	महाराष्ट्र	1413000	1536601	1442500	1630561	1675470	1873842
10.	उड़ीसा	650000	696417	671000	701220	794130	743292

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	397000	450155	370700	476518	429790	516823
12.	राजस्थान	1111000	891977	1243000	1199503	1482540	1362283
13.	तमिलनाडु	972000	1104755	1021300	1103034	1197300	1261753
14.	उत्तर प्रदेश	3389000	2758979	3710100	4049000	4410000	4469000
15.	पश्चिम बंगाल	1294000	1097148	1361800	1206350	1617310	1486397
16.	हिमाचल प्रदेश	112000	107032	109100	110263	132560	112874
17.	जम्मू व कश्मीर	164000	131678	177600	141321	203280	128714
18.	मणिपुर	36000	37571	35500	37676	41780	32304
19.	मेघालय	49000	30335	46800	34129	32080£	31810£
20.	नागालैंड	21000	8979	19700	7453	19810££	7470££
21.	सिक्किम	10000	7326	10200	7932	12170	10371
22.	त्रिपुरा	52000	33709	49500	17958**	43720£££	23964£££
23.	अंडमान नि० द्वीप स०	6000	6603	5700	6052	6360£	6305£
24.	अरुणाचल प्रदेश	15000	11906	19600	14317	23160	15007
25.	चण्डीगढ़	13000	10539	13100	11443	14290£	11378£
26.	दादर व न० हवेली	3000	3059	3400	3422	4030	4576

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दिल्ली	207000	178919	209400	181112	230400	202409
28.	गोवा	18000	17138	17300	16720	18890	19600
29.	दमन व द्वीप	000	1747	1400	1528	1600	2631
30.	लक्ष द्वीप	1000	1395	1200	1571	1400	1629
31.	मिजोरम	18000	15416	17600	14421	21140	17516
32.	पांडिचेरी	14000	18168	12100	17483	14140	20151
33.	रक्षा मंत्रालय	@	26090	@	32449	@	19928££££
34.	रेल मंत्रालय	@	52768	@	64542	@	68274
	अखिल भारत	18044000	16809992	19141000	19273165	22351170	22246961

पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारतीय राज्यवार लक्ष्यों से मेल नहीं खाता

* आंकड़े अनन्तिम

** जनवरी, 90 तक के आंकड़े

£ फरवरी, 91 तक के आंकड़े

££ जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££ दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

££££ नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

@ अलग से कोई लक्ष्य आवंटित नहीं।

वर्ष 1988-89, 1889-90 और 1990-91 के दौरान पोलियो के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र एजेंसी	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1246000	1074465	1343500	11835 9	1346280	1613968
2.	असम	596000	208308	626100	308398	784370	637440
3.	बिहार	2083000	1914449	2305800	1976194	2731244	2121744
4.	गुजरात	882000	869762	848300	1025113	1010150	1063900
5.	हरियाणा	397000	445744	370000	450962	432830	45[illegible]011
6.	कर्नाटक	900000	871275	935900	908705	1021700	1152211
7.	केरल	513000	577179	515000	694805	581840	607516
8.	मध्य प्रदेश	1460000	1390337	1626800	1654093	1835420	1783970
9.	महाराष्ट्र	1413000	1462545	1442500	1653565	1675470	1960194
10.	उड़ीसा	650000	691155	671000	695183	794130	742858

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	397000	438931	370700	475650	429790	518280
12.	राजस्थान	1111000	869897	1243000	1907723	1482530	1364932
13.	तमिलनाडु	972000	1084868	1021300	1117621	1197300	1274634
14.	उत्तर प्रदेश	3389000	2266971	3710100	4952000	441 000	4332 00
15.	पश्चिम बंगाल	1294000	1020879	1361800	1209719	1617310	1525810
16.	हिमाचल प्रदेश	112000	103617	109100	111143	132760	113159
17.	जम्मू व कश्मीर	164000	158368	177600	146651	203280	125803
18.	मणिपुर	36000	31112	35500	36744	41780	32622
19.	मेघालय	49000	30877	46800	33988	32080£	32434£
20.	नागालैंड	21000	4845	19700	6680	19810££	8788££
21.	सिक्किम	10000	7315	10200	7350	12170	8869
22.	त्रिपुरा	52000	34622	49500	17650**	43720£££	23473£££
23.	अ० नि० द्वि० स०	6000	6864	5700	6070	6360£	6584£
24.	अरुणाचल प्रदेश	15000	11840	19600	14444	23160	15115
25.	चंडीगढ़	13000	10985	13100	11509	14290£	12229£
26.	दा० न० न० ह०	8000	3067	3400	3422	4030	4576

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दिल्ली	207000	180006	209400	180750	230400	202851
28.	गोवा	18000	17604	17300	17303	18890	20079
29.	द० एवं दी०	2000	1747	1400	1528	1600	2744
30.	लक्षद्वीप	1000	1227	1200	1491	1400	1720
31.	मिजोरम	18000	14195	17600	15457	21140	17305
32.	पांडिचेरी	14000	18952	12100	17515	14140	20557
33.	र० मं०	@	26351	@	33713	@	20521££££
34.	रे० मं०	@	53119	@	66682	@	69961
	अखिल भारत	18044000	15903479	19141000	19136386	22351170	21890846

पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारतीय राज्यवार लक्ष्यों से मेल नहीं खाता है।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

**जनवरी, 90 तक के आंकड़े

£फरवरी, 91 तक के आंकड़े

££जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

££££नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

@वजन से कोई लक्ष्य आवंटित नहीं।

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बी० सी० जी० के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/संघ एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि*	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1246000	1286215	1343500	1443674	1346280	1673245
2.	असम	596000	266317	626100	208142	784370	715288
3.	बिहार	2083000	2350154	2305800	2299290	2731240	2215471
4.	गुजरात	887000	922512	848300	1042134	1010150	1072700
5.	हरियाणा	397000	452317	370000	516654	432830	505562
6.	कर्नाटक	900000	995848	935900	1067960	1201700	1225048
7.	केरल	513000	599704	515000	729340	581840	656370
8.	मध्य प्रदेश	1460000	1568299	1626800	1862376	1835420	1956128
9.	महाराष्ट्र	1431000	1592184	1442500	1867319	1675470	1946212
10.	उड़ीसा	650000	661450	671000	738474	794130	825513

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	397000	451731	370700	556848	429790	510383
12.	राजस्थान	1111000	846947	1243000	1087806	1482530	1351947
13.	तमिलनाडु	972000	1192365	1021300	1193028	1197300	1281890
14.	उत्तर प्रदेश	3389000	2387936	3710100	3632000	4410000	4269000
15.	पश्चिम बंगाल	1294000	1068637	1361800	1301734	1617310	1757630
16.	हिमाचल प्रदेश	112000	122013	109100	126258	132560	106121
17.	जम्मू व कश्मीर	164000	157407	177600	174639	203280	154962
18.	मणिपुर	36000	37788	35500	38962	41780	36658
19.	मेघालय	49000	30461	46800	34427	32080£	34388£
20.	नागालैंड	21000	3379	19700	6752	19810££	10566££
21.	सिक्किम	10000	8257	10200	8762	12170	10779
22.	त्रिपुरा	52000	46396	49500	28522**	43720क०	43697क०
23.	अ० नि० द्वी० समूह	6000	9360	5700	6172	63560£	6476£
24.	अरुणाचल प्रदेश	15000	14702	19600	18679	23160	14769
25.	चंडीगढ़	13000	15616	13100	15761	14290£	16104£
26.	दादर व नगर हवेली	3000	3572	3400	2647	4030	5100

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दिल्ली	207000	194709	209400	259613	230400	272057
28.	गोवा	18000	19880	17300	19554	18890	20567
29.	दमन व दीव	1000	1023	1400	1728	1600	2464
30.	लक्षद्वीप	2000	981	1200	1324	1400	1653
31.	मिजोरम	18000	14405	17600	17261	21140	20336
32.	पांडिचेरी	14000	23945	12100	25698	14140	28520
33.	र० मं०	@	39618	@	48138	@	27809द०द०
34.	रे० मं०	@	54696	@	74084	@	79039
	अखिल भारत	18044000	17437824	19141000	20460760	22351170	22854452

टिप्पणी : पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारतीय राज्यवार लक्ष्यों से मेल नहीं खाता है। अलग से कोई लक्ष्य आबंटित नहीं।

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

** जनवरी, 90 तक के आंकड़े

£ फरवरी, 1991 तक के आंकड़े

££ जनवरी, 91 तक के आंकड़े

द० दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

द०द० नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बसेरे के संबंध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धियां	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धियां*	1990.91 लक्ष्य	1990.91 उपलब्धियां*
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य संघ राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	1050000	916249	1343500	1027501	1346280	1442948
2.	असम	566000	122076	626100	120131	784370	574645
3.	बिहार	1701000	1531275	2305800	1816570	2731240	2261125
4.	गुजरात	821000	696130	848300	893546	1010150	1020500
5.	हरियाणा	397000	344783	370000	382633	432830	384704
6.	कर्नाटक	814000	681395	935900	733224	1201700	992704
7.	केरल	513000	399492	515000	557736	581840	543196
8.	मध्य प्रदेश	1068000	1151262	1626800	1480284	1835420	1752339
9.	महाराष्ट्र	1216000	964711	1442500	1418492	1675470	1694152
10.	उड़ीसा	611000	442557	671000	457394	794130	697532

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	397000	367245	370700	441886	429790	471403
12.	राजस्थान	921000	797218	1243000	1066608	1482530	1269960
13.	तमिलनाडु	873000	1067248	1021300	1093130	1197300	1217179
14.	उत्तर प्रदेश	2941000	1960055	3710100	3217000	4410000	4009000
15.	पश्चिम बंगाल	1163000	542794	1361800	746615	1617310	1182236
16.	हिमाचल प्रदेश	105000	87834	109100	100202	132560	130324
17.	जम्मू व कश्मीर	157000	81457	177600	104500	203280	94144
18.	मणिपुर	34000	27219	35500	2[illegible]864	41780	26619
19.	मेघालय	49000	8535	46800	11783	32080£	14901£
20.	नागालैंड	20000	3424	19700	3759	19810££	6834££
21.	सिक्किम	10000	4355	10200	5594	12170	7591
22.	त्रिपुरा	52000	14292	49500	11819**	943720£££	18370£££
23.	अंडमान निकोबार	6000	5296	5700	5376	6360£	5367£
24.	अरुणाचल प्रदेश	10000	5968	19600	9381	23160	9286
25.	चंडीगढ़	12000	5468	13100	7242	14290£	9 52£
26.	दादर न० हवेली	3000	1546	3400	3038	4030	3842

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दिल्ली	207000	127049	209400	160912	230400	183908
28.	गोवा	18000	12493	17300	12805	18890	17438
29.	दमन व द्वीप	2000	1610	1400	1216	1600	2241
30.	लक्षद्वीप	1000	753	1200	1472	1400	1655
31.	मिजोरम	18000	10303	17600	11649	21140	15390
32.	पांडिचेरी	14000	14769	12100	14153	14140	18401
II	अन्य एजेंसी						
1.	रक्षा मंत्रालय	@	19071	@	28768	@	18584££££
2.	रेल मंत्रालय	@	14236	@	33760	@	48134
	अखिल भारत	15760000	12430168	19141000	16008143	22351170	20145786

टिप्पणी : पूर्णांकित करने पर अखिल भारतीय राज्यवार लक्ष्यों से मेल नहीं खाता

* =आंकड़े अनन्तिम है
** =जनवरी, 90 तक के आंकड़े
£ =फरवरी, 91 तक के आंकड़े
££ =जनवरी, 91 तक के आंकड़े
£££ =दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े।
££££ =नवम्बर, 90 तक के आंकड़े
@ =कोई अलग से लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बच्चों के लिए डी० टी० प्रतिरक्षण के संबंध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/सं० राज्य/एजें०	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उप०	लक्ष्य	उप०	लक्ष्य	उप०
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य/संघ राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	1336000	1089549	1321900	1103663	1243560	1077290
2.	असम	692000	235087	615900	369408	547650	577068
3.	बिहार	2191000	568959	2266000	843348k	313870*s*	107254*s*
4.	गुजरात	902000	877811	852000	864773	728480£	622221£
5.	हरियाणा	386000	358643	364006	369018	373440	363349
6.	कर्नाटक	933000	714751	920800	731945	764420££	299320££
7.	केरल	519000	279279	519000	281165	532840	247646
8.	मध्य प्रदेश	1656000	1174474	1600000	1345966	1237990£	967397£
9.	महाराष्ट्र	1502000	1052646	1419000	1249773	1395770	1357053
10.	उड़ीसा	661000	658645	660000	741708	608830	780181

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	391000	330782	364900	388432	367840	37[illegible]172
12.	राजस्थान	1202000	670363	1223000	747613	1045460	524335
13.	तमिलनाडु	1015000	551176	1004000	484086**	999600	619896
14.	उत्तर प्रदेश	3585000	3124885	3691000	3316000	2788170£	2728000£
15.	प० बंगाल	1348000	948016	1340000	908597	1338460	1069028
16.	हिमाचल प्रदेश	109000	61634	107000	31519	103700	26749
17.	जम्मू व कश्मीर	170000	45504	169000	27878***	4999@@@	8898@@@
18.	मणिपुर	35000	35793	34800	19355**	36270	24950
19.	मेघालय	30000	24626	25000	23910	35200£	21271£
20.	नागालैंड	10000	6648	19400	4927	18930££	3929££
21.	सिक्किम	9800	6682	10000	5487	9010	7603
22.	त्रिपुरा	49000	29175	48600	12023**	39030£££	12902£££
23.	अंडमान निकोबार	5000	5506	5500	5820	5390£	5932£
24.	अरुणाचल प्रदेश	10000	12097	10000	11300	13860£££	4503£££
25.	चंडीगढ़	6000	2491	12800	1719	14060£	5109£
26.	दा० न० हवेली	3000	2936	1500	2050	2490£	1614£
27.	दिल्ली	200000	59516	100000	93226	179520	219072
28.	गोवा	17000	4004	8000	4272	23570	3510

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन व द्वीप	11000	719	1200	1071	1990	8200
30.	लक्ष द्वीप	1000	30	1100	127	870£	64£
31.	मिजोरम	16000	9063	17100	7042	14230	12972
32.	पांडिचेरी	12000	13191	11800	15054	15100	18504
II	अन्य एजेंसी						
1.	रक्षा मंत्रालय	13000	6806	@	6204	s	6976££££
2.	रेल मंत्रालय	15000	26873	@	36264	s	33047
	अखिल भारत	1894080	12988360	18746300	1454749	14849930	12229924

टिप्पणी : पूर्णांकित करने पर अखिल भारत का योग राज्यवार लक्ष्यों के योग से मेल नहीं खाता ।

* आंकड़े अनन्तिम हैं

** जनवरी, 90 तक के आंकड़े

s मई, 91 तक के आंकड़े

@@@ जुलाई, 91 तक के आंकड़े

k फरवरी, 90 तक के आंकड़े

*** नवम्बर, 89 तक के आंकड़े

£ फरवरी, 91 तक के आंकड़े

££ जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££ दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

££££ नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

@ कोई लक्ष्य से लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बच्चों (10 वर्ष) को टी० टी० के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1988-1989		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	744000	401647	1277000	579910	1135420	638719
2.	असम	262000	84772	594900	115526	525340	158218
3.	बिहार	1116000	516417	2191000	637412k	278540s	72920s
4.	गुजरात	488000	473183	823000	630311	696800£	604962£
5.	हरियाणा	200000	255465	351700	275604	331950	253790
6.	कर्नाटक	481000	394145	889600	557169	680330££	509517££
7.	केरल	295000	243040	472000	339392	507460	290021
8.	मध्य प्रदेश	820000	653254	1546000	927337	1138950£	819683£
9.	महाराष्ट्र	831000	768229	1370000	1203990	1332170	1368627
10.	उड़ीसा	351000	352459	637000	605544	582360	585209

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	270000	219440	352400	306208	367840	332915
12.	राजस्थान	557000	407175	1181500	522273	896110	415243
13.	तमिलनाडु	561000	667873	970000	649865**	907600	792611
14.	उत्तर प्रदेश	1714000	2151257	3565000	2247000	2375110£	1983000£
15.	पश्चिम बंगाल	734000	468516	1294000	569150	1171150	697555
16.	हिमाचल प्रदेश	60000	36137	103700	32084	94600	34468
17.	जम्मू और कश्मीर	81000	8671	163400	3281[illegible]	45830@@	2140@@
18.	मणिपुर	12500	11295	33000	14976**	33250	24282
19.	मेघालय	17500	9938	12000	9346	28060£	1564[illegible]£
20.	नागालैंड	8000	1991	18700	2159	17360££	3233££
21.	सिक्किम	1400	4363	9600	4799	8260	5948
22.	त्रिपुरा	20000	6259	47000	4519**	35780kg	4079kg
23.	अंडमान निकोबार	2900	4579	5300	5883	4940£	5469£
24.	अरुणाचल प्रदेश	8800	6743	8000	7362	12710££	3881££
25.	चंडीगढ़	5300	5607	12400	2309	13580£	10[illegible]£
26.	दादर नगर हवेली	1700	1358	860	1362**	[illegible]280£	1283£
27.	दिल्ली	76000	67201	100000	98017	164[illegible]60	1216[illegible]0
28.	गोवा	8400	2365	16400	7453	21610	3910

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन व द्वीव	440	1199	1200	1689	1830	2014
30.	लक्षद्वीप	250	338	1100	1448	800£	467£
31.	मिजोरम	7000	11783	16500	10066	13050	15268
32.	पांडिचेरी	5200	12241	11400	15909	13800	18257
33.	रक्षा मंत्रालय	29000	7856	@	6601	@	4065क०ख०
34.	रेल मंत्रालय	30000	29548	@	33296	@	33028
	अखिल भारत	9752000	8286344	18076200	10429250	13439470	9823117

नोट : पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारतीय लक्ष्य राज्यवारसदर्यों से मेल नहीं खाता है।

*	आंकड़े अनन्तिम
**	जनवरी, 90 तक के आंकड़े
s	मई, 91 तक आंकड़े
@@	जुलाई, 91 तक के आंकड़े
k	फरवरी, 90 तक के आंकड़े
@	अलग से कोई लक्ष्य आबंटित नहीं।
क०	नवम्बर, 89 तक के आंकड़े
क०ख०	नवम्बर, तक के आंकड़े
£	फरवरी, 91 तक के आंकड़े
££	जनवरी, 91 तक के आंकड़े
kg	दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

वर्ष 1988-89 1989-90 और 1090-91 के दौरान बच्चों के लिए टेटनस (16 वर्ष) रोग प्रतिरक्षण के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां।

क्रम सं०	राज्य/संघ रा० क्षेत्र/ एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	375000	188030	1218000	326559	1243560	425262
2.	असम	175000	58804	567500	67789	483220	95281
3.	बिहार	375000	302955	2090000	455189K	278540*s*	42505*s*
4.	गुजरात	500000	312958	785000	468009	665130£	451322£
5.	हरियाणा	138000	154960	335500	225938	304290	200393
6.	कर्नाटक	250000	191699	848600	351377	680330££	298737££
7.	केरल	213000	201770	451000	321181	507460	272723
8.	मध्य प्रदेश	313000	370013	1475400	619041	1089430£	600678£
9.	महाराष्ट्र	1000000	662085	1307800	1025308	1395610	1202978
10.	उड़ीसा	125000	161725	608000	479728	508830	499896

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	125000	161250	336200	267710	351110	286892
12.	राजस्थान	188000	203503	1127000	367537	821430	270081
13.	तमिलनाडु	925000	415968	926000	363705**	980900	540869
14.	उत्तर प्रदेश	750000	1801580	3401700	1867000	2271840£	1569000£
15.	पश्चिम बंगाल	250000	344395	1235000	414015	1226920	47818[illegible]
16.	हिमाचल प्रदेश	125000	17594	98900	24175	94600	20242
17.	जम्मू व कश्मीर	13000	1708	155900	1982***	45830@@@	1169@@@
18.	मणिपुर	6000	4857	32100	8354**	33250	18772
19.	मेघालय	6000	4143	8000	5745	28060£	14013£
20.	नागालैंड	8000	1670	17900	2231	173[illegible]0££	3030££
21.	सिक्किम	10000	2801	9200	2208	8260	2555
22.	त्रिपुरा	13000	3256	44700	4298**	35780£££	3128£££
23.	अण्डमान निकोबार	5000	7093	5100	5643	4940£	5664£
24.	अरुणाचल प्रदेश	2500	2582	4000	3970	12710££	2901££
25.	चंडीगढ़	3800	4264	11800	1800	1[illegible]950£	866££
26.	दादरा और न० ह०	[illegible]600	524	300	493	2280£	377£
27.	दिल्ली	62000	41427	80000	66869	164560	8983[illegible]
28.	गोवा	8560	832	15600	5394	21600	3438

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन व द्वीव	450	1188	1200	1382	1830	1705
30.	लक्षद्वीप	300	404	1000	875	800£	645£
31.	मिजोरम	13000	5792	15800	2178	13050	11192
32.	पांडिचेरी	6300	6088	10900	11343	13840	13914
	रक्षा मंत्रालय	13000	5985	@	4901	@	2 03££££
	रेल मंत्रालय	13000	20456	@	27890	@	26112
	अखिल भारत	6011500	5664359	17225100	7771875	13420300	7457067

टिप्पणी : पूर्णांकित करने पर अखिल भारत का योग राज्यवार लक्ष्यों के योग से मेल नहीं खाता ।

*—आंकड़े अनन्तिम हैं

**—जनवरी, 90 तक के आंकड़े

S—मई, 91 तक के आंकड़े

@@@—जुलाई, 91 तक के आंकड़े

K—फरवरी, 90 तक के आंकड़े

***—नवम्बर, 89 तक के आंकड़े

£—फरवरी, 91 तक के आंकड़े

££—जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££—दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

££££—नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

@—कोई अलग से लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए

वर्ष 1988-89, 1889-90 और 1990-91 के दौरान लाभार्थियों (महिलाएं) में पोषक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोध के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/ एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि*	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2180000	1459532	2180000	1567057	1384100	1445016
2.	असम	410000	213907	410000	290871	669500	208683£££
3.	बिहार	1400000	731045	1400000	668327K	2557700	52590°s°
4.	गुजरात	1055000	936663	1055000	1128849	881300	1105087£
5.	हरियाणा	520000	647290	520000	545476	373600	496010
6.	कर्नाटक	1200000	1207691	1200000	1398994	955600	1037275££
7.	केरल	680000	715995	680000	819616	530100	579047
8.	मध्य प्रदेश	1051000	1344995	1051000	1476627	1728000	132180 £
9.	महाराष्ट्र	3700000	3103572	3700000	3344842	1432900	2451904
10.	उड़ीसा	836000	973002	836000	990955	720000	820647

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	510000	545336	510000	590657	347600	504315
12.	राजस्थान	1200000	883670	1200000	792103	1321300	631365
13.	तमिलनाडु	1340000	1033110	1340000	889714**	1052600	979865
14.	उत्तर प्रदेश	3000000	3548673	3000000	2356000	4145200	2352000£
15.	पश्चिम बंगाल	1750000	2748460	1750000	1571759	1406700	374730££
16.	हरियाणा	208000	197040	208000	200776	112100	189734
17.	जम्मू व कश्मीर	200000	100573	200000	88821***	177600	39250@@@
18.	मणिपुर	26000	6265	26000	8601	35800	24456
19.	मेघालय	50000	47462	50000	47329	35200	32388£
20.	नागालैंड	26000	227	26000	3	20300	NR
21.	सिक्किम	15000	17129	15000	17645	10700	17288
22.	त्रिपुरा	50000	57551	50000	63857	50800	72519
23.	अ० नि० द्वि० स०	10000	7933	10000	8006	6000	9642
24.	अरुणाचल प्रदेश	21000	15278	21000	15053	20500	11187££
25.	चंडीगढ़	21000	19257	21000	18610	18000	14140£
26.	दा० व० न० ह०	10000	10536	10000	9825	3600	3861£
27.	दिल्ली	130000	122420	130000	166662	192000	149567
28.	गोवा	30000	36002	30000	48478	16300	20337

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमण व दीव	100	2979	1000	1736	1400	1430££
30.	लक्षद्वीप	8000	14306	8000	14634	1200	10582£
31.	मिजोरम	31000	28377	31000	9766	18900	8872
32.	पांडिचेरी	21000	23066	21000	18052	12100	12428
	अन्य एजेंसी						
1.	र० मं०	103000	87398	103000	80079	130000	53912££££
2.	रे० मं०	207000	238671	207000	278208	207000	280198
	अखिल भारत	21000000	22125376	22000000	19528088	20575700	15312151

टिप्पणी : पूर्णांकित करने पर अखिल भारत का योग राज्यवार लक्ष्यों के योग से मेल नहीं खाता।

**जनवरी, 90 तक के आंकड़े

*S*मई, 90 तक के आंकड़े

@@@जुलाई, 90 तक के आंकड़े

Kफरवरी, 90 तक के आंकड़े

***नवम्बर, 89 तक के आंकड़े

*आंकड़े अनन्तिम हैं

£फरवरी, 91 तक के आंकड़े

££जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े

££££नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

SSSअगस्त 90 तक के आंकड़े

NRअप्राप्य।

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान लाभार्थियों (बच्चों) में पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/ एजेंसी	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2500000	1318850	2500000	1503785	2385500	1437045
2.	असम	500000	252637	1500000	297997	1077700	248704£ʒ£
3.	बिहार	1300000	886292	1300000	565813k	2849100	49891*S*
4.	गुजरात	2000000	1028300	2000000	1423113	2079000	1461756£
5.	हरियाणा	700000	698798	700000	612298	687900	554681
6.	कर्नाटक	3000000	1059719	3000000	1464404	2500000	1080813££
7.	केरल	1600000	756483	1600000	947160	1600000	989803
8.	मध्य प्रदेश	2200000	1597046	2200000	2076222	2733300	1436429£
9.	उड़ीसा	2000000	1641714	2000000	1788236	1779200	1601923
10.	महाराष्ट्र	3350000	3036299	3250000	3046445	3200000	2829400

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	500000	464891	500000	571017	563800	560826
12.	राजस्थान	1300000	779913	1300000	761310	2107000	541587
13.	तमिलनाडु	3000000	2176911	3000000	1976292**	3000000	2630306
14.	उत्तर प्रदेश	2730000	2552736	2600000	2356000	4284200	2266800£
15.	पश्चिम बंगाल	1700000	2498320	1700000	1293301	2496000	324593SSS
16.	हिमाचल प्रदेश	300000	197444	300000	216536	195900	215416
17.	जम्मू व कश्मीर	350000	97592	350000	57022***	308900	28774@@@
18.	मणिपुर	50000	3375	60000	8973	66400	18969
19.	मेघालय	100000	80700	50000	49664	73200	52251£
20.	नागालैंड	50000	111	100000	3	39500	NR
21.	सिक्किम	20000	146[illegible]8	20000	15004	17700	14921
22.	त्रिपुरा	100000	31112	100000	52291	94100	53712
23.	अंडमान नि० द्वीप स०	5000	121[illegible]1	5000	8520	18700	53712
24.	अरुणाचल प्रदेश	5000	9307	10000	6809	12000	6056££
25.	चण्डीगढ़	10000	14214	10000	10169	26300	10601£
26.	दादर व न० हवेली	5000	8805	5000	9712	5600	7030£
27.	दिल्ली	50000	69940	100000	57377	100000	65275
28.	गोवा	47000	35570	47000	55231	38300	32603

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन व दीव	3000	3784	3000	2974	3200	1743££
30.	लक्ष्य द्वीप	15000	7615	5000	13184	2000	10300£
31.	मिजोरम	10000	26067	65000	34284	29200	56904
32	पांडिचेरी	10000	15669	1 000	10412	25400	19389
33.	रक्षा मंत्रालय	100000	46340	100000	43509	100000	29470££££
34.	रेल मंत्रालय	400000	250973	400000	297753	200000	357628
	अखिल भारत	30000000	21674397	29890000	21745790	34978600	19017780

टिप्पणी : पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारतीय राज्यवार लक्ष्यों से मेल नहीं खाता है।

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

** जनवरी, 90 तक के आंकड़े

S मई, 90 तक के आंकड़े

@@@ जुलाई, 90 तक के आंकड़े

k फरवरी, 90 तक के आंकड़े

*** नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

£ फरवरी, 1991 तक के आंकड़े

££ जनवरी, 91 तक के आंकड़े

£££ दिसंबर, 90 तक के आंकड़े

£££ नवम्बर, 90 तक के आंकड़े

88S अगस्त, 90 तक के आंकड़े

NR अप्राप्त

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि*	1990-91 लक्ष्य	1990-91 उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2500000	3956800	2500000	2943173	2100000	18 0359
2.	असम	500000	427335	500000	552541	951700	352399£££
3.	बिहार	1300000	1561582	1300000	1032501k	2504800	935599*s*
4.	गुजरात	2000000	3221969	2000000	3401760	1300000	3261812£
5.	हरियाणा	700000	928520	700000	1130204	562400	1411477
6.	कर्नाटक	3000000	5134939	3000000	2522356***	2000000	3633128
7.	केरल	1600000	1350369	1600000	1145125	1500000	1864024
8.	मध्य प्रदेश	2200000	4707896	2200000	4490026	2472700	3263359£
9.	महाराष्ट्र	3350000	4666910	3250000	5815762	2500000	4405766
10.	उड़ीसा	2000000	4060715	2000000	4119518	1795600	3293554

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	500000	1174[illegible]47	500000	1267208	563500	1[illegible]37758
12.	राजस्थान	1300000	1427399	1300000	1484801	1889400	1093126
13.	तमिलनाडु	3000000	2804850	3000000	151381[illegible]**	1800000	3202578
14.	उत्तर प्रदेश	2730000	1765000	2600000	1686000	4639400	1180000£
15.	प० बंगाल	1700000	2215405	1700000	2493816	2000000	743181sss
16.	हिमाचल प्रदेश	300000	609213	300000	581311	165800	388882
17.	जम्मू व कश्मीर	350000	252423	350000	106865***	270000	53013@@@
18.	मणिपुर	50000	15195	60000	27762	54000	56838
19.	मेघालय	100000	137031	50000	106789	71100	100549£
20.	नागालैंड	50000	497	100000	81	29900	NR
21.	सिक्किम	20000	7563	20000	22303	15500	26456
22.	त्रिपुरा	100000	29941	100000	65506	75200	68567
23.	अंडमान निकोबार	5000	7004	5000	7828	8700	17791
24.	अरुणाचल प्रदेश	5000	725	10000	13917	12000	15629££
25.	चंडीगढ़	10000	19758	10000	20095	19900	18002£
26.	दा० न० हवेली	5000	9667	5000	16235	5200	8083£
27.	दिल्ली	50000	64928	100000	71099	100000	115729
28.	गोवा	47000	59645	47000	84219	26300	62656

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन व द्वीव	3000	6910	3000	6027	2100	3418££
30.	लक्ष द्वीप	5000	6638	5000	5456	1800	4793£
31.	मिजोरम	10000	112397	65000	148514	26800	338784
32.	पांडिचेरी	10000	24316	10000	1749[illegible]	18400	42177
1.	रक्षा मंत्रालय	100000	147122	100000	129397	100000	9[illegible]938££££
2.	रेल मंत्रालय	400000	686295	400000	707732	400000	927514
	अखिल भारत	30000000	41602544	29890[illegible]00	37747436	29982200	33252939

टिप्पणी : पूर्णांकित करने के कारण अखिल भारत का योग राज्यवार आंकड़ों से मेल नहीं खाता है।

**	जनवरी, 90 तक के आंकड़े
s	मई, 90 तक के आंकड़े
@@@	जुलाई, 90 तक के आंकड़े
k	फरवरी, 90 तक के आंकड़े
***	नवम्बर, 89 तक के आंकड़े
**.*	सितम्बर, 89 तक के आंकड़े
*	आंकड़े अनन्तिम
£	फरवरी, 91 तक के आंकड़े
££	जनवरी, 91 तक के आंकड़े
£££	दिसम्बर, 90 तक के आंकड़े
££££	नवम्बर, 90 तक के आंकड़े
sss	अगस्त, 90 तक के आंकड़े
NR	प्राप्त नहीं हुए

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार व्यय

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4574.19	4823.91	4987.40
2.	असम	1178.32	1389.64	1541.13
3.	बिहार	3578.57	4247.74	4359.20
4.	गुजरात	3491.81	4666.43	4218.75
5.	हरियाणा	1363.55	1446.67	1344.21
6.	हिमाचल प्रदेश	750.08	792.48	1532.52
7.	जम्मू और कश्मीर	448.61	471.23	603.29
8.	कर्नाटक	3498.46	4310.65	3857.59
9.	केरल	3102.62	4229.35	3973.03
10.	मध्य प्रदेश	2811.22	4395.98	4477.51
11.	महाराष्ट्र	4953.65	5738.40	6507.63
12.	मणिपुर	262.24	303.84	273.45
13.	मेघालय	133.66	158.89	160.53
14.	नागालैंड	141.45	142.30	87.13
15.	उड़ीसा	2185.03	2663.60	3191.66
16.	पंजाब	1078.46	1359.31	1108.94
17.	राजस्थान	2558.77	3219.79	4118.51
18.	सिक्किम	75.57	93.30	121.00
19.	तमिलनाडु	2876.25	3611.58	3736.19
20.	त्रिपुरा	180.54	267.93	292.58
21.	उत्तर प्रदेश	10426.14	11770.21	13696.44

1	2	3	4	5
22.	पश्चिम बंगाल	4560.73	6391.85	5192.29
23.	अरुणाचल प्रदेश	33.23	36.20	65.31
24.	गोआ	65.33	78.26	80.96
25.	मिजोरम	94.82	65.64	118.57

*अनन्तिम

मुम्बई हवाई अड्डे पर उड़ान को गलत मार्गदर्शन

[अनुवाद]

3155. श्री आर्क्स फर्नान्डीज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अगस्त, 1991 को पटना से आने वाले इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग विमान 737 को मुम्बई हवाई अड्डे पर गलत मार्गदर्शन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) राडार द्वारा गलत मार्ग बताये जाने के कारण ऐसा हो गया। जांच प्राधिकारियों द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अरावली पहाड़ियों के लिए जापानी सहायता

3156. श्री आर्क्स फर्नान्डीज :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने अरावली पहाड़ियों के लिए कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राजस्थान में "अरावली पहाड़ियों के वनीकरण" की एक परियोजना का, वित्तीय सहायता के प्रावधान हेतु ओवरसीज इकानामिक कोऑपरेशन फण्ड (ओ० ई० सी० एफ०), जापान द्वारा मूल्यांकन किया गया है। परियोजना की प्रस्तावित लागत 166.90 करोड़ रुपये है जिसे कि राजस्थान की अरावली पहाड़ी क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना में 1,50,000 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करने, 750 लाख पौधों के वितरण करने, मृदा और नमी संरक्षण कार्य तथा संबद्ध कार्यकलाप चलाए जाने की व्यवस्था है। निकट भविष्य में जापान के साथ परियोजना पर अन्तिम रूप से बातचीत किए जाने की आशा है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों को सुविधाएं

3157. श्री आर्क फर्नान्डीज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : इण्डियन एयरलाइन्स ने अपनी सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, यात्रियों के लिए आराम और नम्रता जैसे क्षेत्रों का चयन किया है जिन पर जोर दिया जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

— अखिल भारत आधार पर मानकीकृत तीन अंकों वाली दूरभाष पूछताछ सेवा उपलब्ध कराई गई है।

— दूरदर्शन के माध्यम से दिल्ली में पहले ही उपलब्ध टेलिटैक्स्ट सेवा को बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

— "रेपिड" नामक कम्प्यूटरीकृत विलंब सूचना प्रसार प्रणाली शुरू करना जिसके द्वारा जिन यात्रियों को टेलीफोन नम्बर इण्डियन एयरलाइन्स के पास उपलब्ध होता है, उनको विलंबित उड़ानों तथा उनके पुनः प्रस्थान के नये समय के बारे में स्वचालित रूप से टेलीफोन से सूचना मिल जाती है। यह प्रणाली दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है तथा यदि इसे सफल पाया गया तो अन्य स्थानों पर भी इसका विस्तार किया जा सकता है।

— कम्प्यूटरीकृत और मुक्त चैक-इन सुविधा दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलूर में उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का भी विस्तार अन्य स्टेशनों के लिए क्रमिक रूप से किया जा रहा है।

— आन-टाईम निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी।

— उड़ानगत खान-पान व्यवस्था में, 14 विभिन्न नये मीनू शुरू करने और इक्जेक्यूटिव श्रेणी में नयी क्राकरी और कटलरी की व्यवस्था करने, गुणवत्ता नियंत्रण जांचों के माध्यम से सुधार किया गया है।

उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर अध्ययन

3158. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली ने उड़ीसा के आदिम कंधीकें कुटला कौंडलिस तथा मध्य प्रदेश के बस्तर आदिवासी समूहों के आदिवासी स्वास्थ्य के आनुवंशिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारकों पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशों तथा दिए गए सुझावों सहित

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणात्मक जागरूकता; पोषण; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य; आनुवंशिक विकार; स्कूली शिक्षा और भूमि तथा वन से संबंधित हैं।

गोंदिया से कोल्हापुर तक महाराष्ट्र एक्सप्रेस चलाया जाना

3159. श्री प्रफुल पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गोंदिया से नागपुर की बजाय कोल्हापुर तक चलाए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गोंदिया तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधन की तंगी के कारण इस गाड़ी को बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

साइबेरियाई सारसों की संख्या में कमी होना

3160. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना (भरतपुर) पक्षी विहार में साइबेरियाई सारसों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सारसों की संख्या बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) प्रति वर्ष शीतकाल में केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले साइबेरियाई सारसों की संख्या में कमी आई है। इस कमी के सही कारण ज्ञात नहीं हैं। इसका कारण साइबेरिया में इस पक्षी के प्रजनन क्षेत्रों में इसका कमजोर प्रजनन, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान की ओर आने की लम्बी अवधि के दौरान विभिन्न देशों से गुजरते हुए उनका मारा जाना या केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में बार-बार सूखा पड़ने के कारण इन पक्षियों का शीतकाल में किसी दूसरी जगह चले जाना हो सकता है।

(ग) साइबेरियाई सारस को बचाने के लिए किए किए गए/प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) साइबेरियाई सारस को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है, इस प्रकार इसको अधिकतम सम्भाव्य कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(2) सूखा पड़ने पर उससे निपटने के लिए सहायता सहित केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान के विकास और संरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(3) राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि सूखा पड़ने पर केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को प्राथमिकता के आधार पर पानी दिया जाए।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक ऐसी नमभूमियों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया है। जिनमें शीतकाल के दौरान साइबेरियाई सारसों के आने की सम्भावना होती है। इन अभयारण्यों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(5) भारत सरकार प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्बन्धी कन्वेंशन की एक पक्षकार है, जो साइबेरियाई सारस जैसी संकटापन्न प्रवासी प्रजातियों के परिरक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक है।

बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस का हाल्ट स्टेशन बनाना

3161. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस रुकवाए जाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो जिले में औद्योगिक महत्व को देखते हुए यहां इस रेलगाड़ी का हाल्ट स्टेशन कब बनाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) बालासोर स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को ठहराव देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नीलांचल एक्सप्रेस का निर्धारित समय से पीछे चलना

3162. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली और पुरी के बीच चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस सदैव ही निर्धारित समय से पीछे चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) खतरे की जंजीर का खींचा जाना, दुर्घटनाएं, आंदोलन तथा उपस्करों की खराबी ।

(ग) कड़ी नजर तथा नियमित निगरानी रखना ।

शुल्क-मुक्त दुकानों का निजीकरण

3163. श्री हरिकिशोर सिंह :

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क-मुक्त दुकानों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग बम्बई और इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली के पारगमन क्षेत्रों के शापिंग प्लाजा के विकास के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किए हैं । ऐसा वर्तमान शापिंग परिसर के स्तरोन्नयन और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को शापिंग परिसर से होने वाली वर्तमान आय को बढ़ाने के उद्देश्य से, किया गया है । इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

यहूदी कलाकृतियों का निर्यात

3164. श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के यहूदी समाचारों से बहुमूल्य यहूदी कलाकृतियों का निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) सरकार ने इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) रिपोर्ट मिली है कि वर्ष 1990 के दौरान कोचीन से काष्ठ-निर्मित जर्जर यहूदी पूजागृह, जो केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है, के कुछ सदस्यों ने गैर-कानूनी तरीके से कलाकृतियों का निर्यात किया है । सम्बन्धित एजेंसियां उपयुक्त कारंवाई करने के लिए इस रिपोर्ट की जांच कर रही हैं । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश के कानून के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से कार्रवाइयां की जाती हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	138	246	205	290	151
8.	हिमाचल प्रदेश	54	181	119	—	18
9.	जम्मू और कश्मीर	176	934	540	271	7
10.	कर्नाटक	171	925	261	67	175
11.	केरल	196	594	88	—	16
12.	मध्य प्रदेश	2199	6345	1032	435	282
13.	महाराष्ट्र	810	2805	862	697	690
14.	मणिपुर	16	31	105	—	—
15.	मेघालय	18	14	8	—	—
16.	मिजोरम	37	30	7	4	—
17.	नागालैंड	6	—	4	—	—
18.	उड़ीसा	182	653	174	78	42
19.	पंजाब	83	86	96	6	78
20.	राजस्थान	712	1346	2070	17	130
21.	सिक्किम	5	3	1	—	—
22.	तमिलनाडु	238	719	312	899	122
23.	त्रिपुरा	66	106	65	4	9
24.	उत्तर प्रदेश	1363	1850	2166	2208	1364
25.	पश्चिम बंगाल	489	258	341	128	392
	योग (राज्य)	8973	20174	10852	7242	4093
	केन्द्र शासित प्रदेश					
26.	अण्डमान और निकोबार	4	31	13	9	—
27.	चण्डीगढ़	7	8	16	23	1
28.	दमन और दीव	—	—	—	—	—
29.	दादर और नागर हवेली		2	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
30.	दिल्ली	131	160	685	2414	109
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	6	19	22	246	2
योग (केन्द्र शासित प्रदेश)		150	220	737	2692	112
	कुल योग	9123	20394	11589	9934	4205

नोट :— (I) आंकड़े राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मासिक आपराधिक सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अनन्तिम माना जाए।

(II) "———" का अभिप्राय है— सूचना "शून्य" है।

वर्ष 1990 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दहेज के कारण हुई मौतें	बलात्कार	छेड़छाड़ से तंग करना	अपहरण तथा भगा ले जाना
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	344	599	1721	547
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	18	40	29
3.	असम	24	423	192	650
4.	बिहार	243	731	517	419
5.	गोआ	—	10	26	19
6.	गुजरात	125	232	802	718
7.	हरियाणा	126	131	186	131
8.	हिमाचल प्रदेश	21	54	164	124
9.	जम्मू और कश्मीर	8	118	327	925
10.	कर्नाटक	216	159	806	252
11.	केरल	11	174	688	131

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	397	2302	6300	1271
13.	महाराष्ट्र	858	859	2782	898
14.	मणिपुर	1	14	28	84
15.	मेघालय	—	29	7	7
16.	मिजोरम	—	63	39	3
17.	नागालैंड	—	1	—	3
18.	उड़ीसा	64	239	614	187
19.	पंजाब	103	57	45	99
20.	राजस्थान	166	740	1412	2844
21.	सिक्किम	—	3	8	2
22.	तमिलनाडु	86	243	593	414
23.	त्रिपुरा	5	74	145	68
24.	उत्तर प्रदेश	1516	1524	2345	2124
25.	वैस्ट बंगाल	420	543	357	458
	कुल (राज्य)	4734	9340	19968	10997
	केन्द्र शासित प्रदेश				
1.	अण्डमान एण्ड निकोबार	—	3	14	9
2.	चंडीगढ़	—	11	4	21
3.	दादर और नागर हवेली	—	3	5	4
4.	दमन और द्वीप	—	1	1	...
5.	दिल्ली	102	150	176	663
6.	लक्ष द्वीप	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	—	10	26	5
	कुल (केन्द्र शासित)	102	178	226	702
	कुल (पूरे भारत)	4836	9518	20194	11699

नोट : आंकड़े मासिक आपराधिक सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अनन्तिम माना जाए।

राज्य खेल प्राधिकरणों को आवंटित धनराशि

[हिन्दी]

3168. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्य खेल प्राधिकरणों को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक प्राधिकरण ने उसे दी गई निधि में से वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : राज्यवार कोई भी राशि आवंटित नहीं की जाती है। खेल अवस्थापनाओं और सुविधाओं के सृजन की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की जाती है और प्रत्येक मामले के आधार पर पृथक से दी जाती है। राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता उनसे प्राप्त होने वाले व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की अवस्थापना योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

जारी की गई धनराशि के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा राज्य सरकारों द्वारा दिया नहीं गया है।

विवरण

क्रम सं० राज्य	राज्य	988-89 रुपये	1989-90 रुपये	1990-91 रुपये
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55,87,500	9,34,340	7,29,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	37,500	—
3.	असम	45,37,500	2,75,000	70,00,000
4.	बिहार	41,09,350	—	8,59,350
5.	गोआ	1,24,56,000	31,17,825	69,43,000
6.	गुजरात	13,55,300	6,89,000	1,95,000
7.	हरियाणा	55,34,000	63,075	—
8.	हिमाचल प्रदेश	11,58,050	21,83,100	9,50,708
9.	जम्मू और कश्मीर	1,25,000	45,00,000	—

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	6,22,750	27,35,130	28,56,400
11.	केरल	61,44,500	9,95,000	65,583
12.	मध्य प्रदेश	26,38,510	57,49,000	1,00,50,000
13.	महाराष्ट्र	1,55,21,775	97,75,760	12,20,479
14.	मणिपुर	—	—	8,590
15.	मेघालय	36,65,600	—	—
16.	मिजोरम	1,47,34,130	20,28,380	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	4,27,425	98,49,750	3,30,230
19.	पंजाब	3,65,44,350	[illegible],17,500	5,00,000
20.	राजस्थान	17,63,990	38,50,000	2,82,940
21.	सिक्किम	23,26,800	—	18,41,900
22.	तमिलनाडु	8,08,690	8,03,820	21,95,730
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	37,24,155	1,73,73,492	36,91,273
25.	पश्चिम बंगाल	21,75,414	9,17,475	41,28,739
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37,700	—	8,50,000
27.	चंडीगढ़	40,00,000	79,00,000	—
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
29.	दमन और द्वीप	—	—	—
30.	दिल्ली	11,59,000	2,50,000	19,32,621
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	10,000	—	—
	कुल	13,21,67,439	7,41,05,147	4,6137,443

उड़ीसा में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण

3169. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में उन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां रेल टिकटों की बुकिंग कम्प्यूटर द्वारा की जाती है और वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन स्थानों पर टिकट बुकिंग को कम्प्यूटरीकृत करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और कटक में पहले ही कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा से संबंधित विस्तार कार्य पुरी में 1991-92 के दौरान शुरू किया गया है।

बिहार में औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल और वायु प्रदूषण

[अनुवाद]

3170. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री छेदी पासवान :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के नामों और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इकाइयों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या कारंवाई की है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के लिए इन इकाइयों के लिए कोई मार्गनिर्देश तय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बिहार में औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख इकाइयां बिहार राज्य बिजली बोर्ड तथा दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत ताप विद्युत संयंत्रों, भारतीय उर्वरक निगम की सिन्द्री इकाई तथा घाटसिला में स्थित हिन्दुस्तान कापर लि० की प्रगालक इकाई की जानकारी दी गई है। इनके अलावा, धनबाद और हजारीबाग जिलों में कोलियरियों तथा कोलवाशरीज द्वारा काफी जल प्रदूषण होता है।

(ख) से (घ) सरकार ने वायु और जल प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

(3) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(4) उद्योगों को बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(5) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक समयबद्ध कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(6) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(7) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(8) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है।

मदरसा/पाठशाला शिक्षा का दर्जा बढ़ाना

3171. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मदरसा और पाठशाला शिक्षा का आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण अथवा इसका दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) चालू वर्ष और आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर कितना व्यय करने का विचार है; और

(घ) इसके अनुमानतः कितनी शैक्षिक संस्थाओं और विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। सरकार का मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार करने का प्रस्ताव है। तथापि, मदरसा/पाठशाला शिक्षा का व्यावसायीकरण करने तथा इसका दर्जा बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रस्तावित योजना को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है। अतः परिव्यय प्रस्तावित करने तथा लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या के अनुमान लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन का मूल्यांकन

3172. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के सन् 2000 तक

क्रियान्वयन होने के कार्य का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सन् "2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" पर किसी भी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, रोगप्रतिरक्षण पर एक प्रौद्योगिकी मिशन चल रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा तथा कम से कम 85 प्रतिशत (1990-91 में शत-प्रतिशत) बच्चों को टेटनस, डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, क्षयरोग, खसरा और पोलियोमेलिटिस नामक छह वेक्सीन निवार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है।

2. कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर किया जाता है जिसमें स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण भी शामिल हैं। इन आकलनों/अध्ययनों से पता चलता है कि शिशुओं और माताओं को प्रदान की जा रही सुरक्षा पिछले वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप लक्षित रोगों की घटनाओं में भी कमी आई है।

3. आकलनों/अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ बाधाएं भी हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान औषधें/इंजेक्शन लेने में अनिच्छा का होना है। इस कारण गर्भवती महिलाओं द्वारा टेटनस टॉक्साइड एंटीजन कम लिया जाता है और अन्धविश्वासों के कारण खसरा एंटीजन नहीं लिया जाता। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि मूल्यांकित कवरेज स्तरों और राज्यों द्वारा सूचित कवरेज स्तरों में कुछ भिन्नता है।

इतिहास का पाठ्यक्रम

3173. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की समकालीन इतिहास (1946—1996) के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य विषयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु कोई व्यापक प्रयास करने हेतु कोई व्यापक प्रयास करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सरकार यह महसूस करती है कि आजादी के लगभग 50 वर्षों के दौरान हमारी उपलब्धि इतिहास पाठ्यक्रमों विशेषकर स्कूल और अवर स्नातक स्तरों पर उपयुक्त रूप से प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। प्रयोग के लिए अनिवार्य विषय-सूची और रूपात्मकताओं के सम्बन्ध में प्रख्यात इतिहासविदों और शिक्षाविदों के साथ इस समय विचार-विमर्श चल रहे हैं।

(ग) और (घ) अन्य विषयों के लिए नये पाठ्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"मजोरिटी अपोज इंडिया प्लेइंग इन शारजाह" शीर्ष से प्रकाशित समाचार

3174. श्री सनत कुमार मंडल :

प्रो० प्रेम धूमल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1991 (नई दिल्ली संस्करण) के समाचार पत्र "हिन्दू" में "मजोरिटी अपोज इंडिया प्लेइंग इन शारजाह" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ध्यानपूर्वक इस रिपोर्ट की टिप्पणियों को नोट किया है। इसी प्रकार के आरोप अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बारे में अपनी टिप्पणी देने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से और ब्यौरा प्राप्त होने पर सरकार हाल ही के शारजाह क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों अर्थात क्रिकेटर्स बेनीफिट फन्ड सीरिज के साथ अपने क्रिकेटिंग विनिमय की समीक्षा करेगी।

बच्चों को भारी बस्तों से छुटकारा दिलाना

3175. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष बाल दिवस के अवसर पर बड़े बच्चों को पाठ्यक्रम में उचित तथा प्रासंगिक परिवर्तन करके तथा शिक्षा को सामाजिक रूप से और अधिक प्रासंगिक बनाकर, भारी बस्तों के भार से छुटकारा दिलाने के लिए प्रमुख कदम उठाने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो बड़े और छोटे बच्चों पर भारी बस्तों के भार को कम करने हेतु क्या प्रारम्भिक कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से किए जाने वाले अपेक्षित ठोस कदम उठाने का सुझाव देने के लिए अभिभावकों, अध्यापकों, बाल-मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदो, बाल रोग चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करेगा।

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

3176. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1992 में रियो में होने वाले पर्यावरण और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण के व्यापक वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से जटिल/आवश्यक और गहरी समझ-बूझ के संदर्भ में पर्यावरण के संरक्षण के लिए भविष्य में उत्तर और दक्षिण देशों की भूमिका के बारे में वार्ता हेतु कोई तैयारी का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा कार्य योजना

[हिन्दी]

3177. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी की सफाई पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक राज्य में अब तक कितना कार्य पूरा किया गया है और कितना कार्य शेष है; और

(ग) गंगा नदी के जल को राज्यवार किस सीमा तक प्रदूषण से मुक्त किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक 256.18 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) पूरी की गई और चल रही स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पूरी की गई स्कीमों के परिणामस्वरूप लक्ष्य किए गए 873 मिलियन लीटर प्रति दिन अपशेष जल की जगह 405 मिलियन लीटर प्रति दिन अपशेष जल का दिशा-परिवर्तन किया जा चुका है। दिशा-परिवर्तन किया गया अपशेष जल उत्तर प्रदेश में 295 मिलियन लीटर प्रति दिन, बिहार में 27 मिलियन लीटर प्रति दिन और पश्चिम बंगाल में 83 मिलियन लीटर प्रति दिन है। जहाँ दिशा-परिवर्तन एवं प्रदूषण दूर करने के कार्य पूरे कर लिए गए हैं, उन स्थानों पर नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिलते हैं।

विवरण

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पूरी की गई और चल रही स्कीमों की सूची

राज्य	उत्तर प्रदेश		बिहार		पश्चिम बंगाल		स्कीमों की कुल सं०
	पूरी की गई स्कीमों की सं०	पूरी की जा रही स्कीमों की सं०	पूरी की गई स्कीमों की सं०	पूरी की जा रही स्कीमों की सं०	पूरी की गई स्कीमों की सं०	पूरी की जा रही स्कीमों की सं०	
1. अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन	31	9	13	4	9	22	88
2. सीवेज उपचार संयंत्र	6	7	—	7	1	14	35
3. अल्प लागत स्वच्छता	11	3	7	—	21	1	43
4. विद्युत शवदाह गृह	1	2	5	3	13	4	28
5. नदी तटाग्र विकास	6	2	3	—	21	3	35
6. विविध	22	6	3	—	—	1	32
कुल	77	29	31	14	65	45	261

हिन्दी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

[अनुवाद]

3178. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हिन्दी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किन-किन तारीखों को आयोजित किए गए थे;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो अगला सम्मेलन कब तक और कहां आयोजित किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा जो एक स्वैच्छिक संगठन है तथा जिसे हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार तथा संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त होता है, ने विगत में वर्ष 1975 और वर्ष 1983 में भारत में दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में बेल्लारी के लिए अतिरिक्त आरक्षण कोटा

3179. श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेल्लारी के लिए रेल गाड़ियों में एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने सहित सभी डिब्बों में आरक्षण के अतिरिक्त कोटे हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 6591/6592 होसपेट-बेंगलूर हम्पी एक्सप्रेस में 20-.2-1991 से दूसरे दर्जे के दो और शयनयान लगाए जा रहे हैं; होसपेट/बेंगलूर दिशा की ओर इन सवारी डिब्बों को बेल्लारी से बुक किया जाएगा।

दक्षिण रेलवे में खान-पान की वस्तुओं के मूल्य

3180. श्री ए० चारलेस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में खान-पान की वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधाएं

3181. श्री मदन लाल खुराना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों/पेंशन भोगियों को हार्ट पेसमेकर, रिप्लेसमेंट आफ हार्ट वाल्वस, इनगियोग्राफी, बाईपास सर्जरी, रिप्लेसमेंट ऑफ पल्स चेंजर इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी निःशुल्क दन्त चिकित्सा और रीढ़ की हड्डी की चोटों की चिकित्सा के हकदार है;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ये सुविधाएं अपनी पसन्द के अस्पतालों में उपलब्ध कराने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) केवल नेमी किस्म का उपचार उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस समय उपचार सुविधाएं सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को कुछ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा वसूल की जा रही अत्यधिक दरों के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनकी पसंद के अस्पतालों में उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

सासाराम स्टेशन पर आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

3182. श्री छेदी पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुगल सराय-गया ग्रांड कोर्ड रेल लाइन पर सासाराम स्टेशन पर रुकने वाली यात्री गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने और वहां डीलक्स एक्सप्रेस को रोकने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा आरक्षण कोटा मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

सासाराम स्टेशन का आधुनिकीकरण

3183. श्री छेदी पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सासाराम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की आवश्यकताओं और सापेक्ष प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। अपेक्षित होने पर सासाराम स्टेशन का भी आधुनिकीकरण तथा विस्तार किया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

ऋषीकेश से कर्णप्रयाग के लिए नई रेल लाइन

[अनुवाद]

3184. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषीकेश से कर्णप्रयाग (गढ़वाल) के लिए नई रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में खान-पान

3185. श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के 7083 स्टेशनों में से खान-पान की सुविधा केवल 3014 स्टेशनों पर ही उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो शेष सभी स्टेशनों पर खान-पान की सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) खान-पान/वेंडिंग सुविधाओं की व्यवस्था उन्हीं स्टेशनों पर की जाती है जहां ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण पाया जाता है। किसी भी स्टेशन पर खान-पान/वेंडिंग सुविधाओं की व्यवस्था यात्री यातायात की मात्रा, ठहरने वाली गाड़ियों की संख्या और समय और यात्रियों की मांग आदि को ध्यान में रखकर की जाती है।

खाद्य पदार्थों में कीटनाशी अवशेष

3186. श्री नवल किशोर राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोध अध्ययनों ने खाद्य पदार्थों में कीटनाशी अवशेषों के उच्च मात्रा में होने की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परीक्षण एवं विश्लेषण किए गए खाद्य पदार्थों की संख्या कितनी है एवं उनमें पाया गया कीटनाशी संदूषण का स्तर क्या है और उसकी स्वीकार्य सीमा क्या है; और

(ग) इन खाद्य पदार्थों को कीटनाशी अवशेषों से मुक्त कराने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कीटनाशकों की निगरानी के बारे में एक प्रमुख परियोजना के अन्तर्गत कीटनाशक अवशिष्टों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 1132 नमूनों का विश्लेषण किया गया। इन नमूनों में से 1093 नमूनों में कीटनाशकों की मौजूदगी का पता चला। वैसे, इन कीटनाशकों के अवशिष्ट अधिकतर नमूनों में स्वीकार्य सीमाओं के भीतर ही थे। स्वीकार्य सीमाओं सहित इन नमूनों में पाया गया कीटनाशी प्रदूषण स्तर इस प्रकार है :—

कीटनाशक का नाम	स्वीकार्य सीमाएं (मि० ग्रा०/कि० ग्रा०)	प्रदूषण स्तर (मि० ग्रा०/कि० ग्राम०)
1	2	3
डी० डी० टी०	0.1	0.000 से 1.1 तक
बी० एच० सी०	0.25	0.00 से 1.47 तक

1		2
डिऐल्ड्रिन	0.01	0.00 से 0.8 तक
एण्डोसल्फान	0.1	0.00 से 0.24 तक
हेप्टेक्लोर	0.01	0.00 से 0.03 तक

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की अधिकतम सह्य सीमाएं निर्धारित करता है। बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीटनाशक विशिष्ट निर्धारित सीमाओं के काफी भीतर हो।

दिल्ली में स्मारक

3187. **श्री नवल किशोर राय :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेकों स्मारकों की मरम्मत, देखभाल और अनुरक्षण की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का रखरखाव एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

चालू वित्तीय वर्ष में, 85 स्मारकों को संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

रेलवे में यात्रा सुविधाओं सम्बन्धी समिति

3188. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या रेलगाड़ियों (विशेषकर लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों) में सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुविधाओं की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति स्थापित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्योरा क्या है और इनको कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलें यात्री सुविधा समिति द्वारा यथा संस्तुत सुविधाओं की यथासंभव व्यवस्था करने का हरसंभव प्रयास करती हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए यथासंभव अधिकाधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सवारी डिब्बों में उपलब्ध सीमित स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए हर प्रयास किया जाता है।

(ख) शुरू में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति के दो सदस्यों को हटा दिया गया है तथा केवल श्री आर० एस० पंचहजारी एक सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

3190. श्री जी० माडेगौड़ा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान से ऋण की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ऋण के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली पर्यटक योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आई० सी० एफ०), जापान की वित्तीय सहायता से कर्नाटक में चुनिंदा पर्यटक स्थलों के विकास के लिए लगभग 110.6 करोड़ रुपये का एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है। इस परियोजना के मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, परिवहन, आवास, दूरसंचार सुविधाओं, जल एवं विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करना, भू-दृश्यांकन, मानव संसाधनों का विकास करना और हवाई पट्टियों का निर्माण/सुधार करने आदि जैसी आधारित संरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विकास और स्तरोन्नयन सम्मिलित है।

मुम्बई में स्टेशनों के नामों में परिवर्तन

[हिन्दी]

3191. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के विदेशी नामों को उचित भारतीय नामों में बदलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा स्टेशनों के नामों में किसी प्रकार का परिवर्तन संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश तथा गृह मंत्रालय की सहमति से ही किया जा सकता है। तदनुसार अभ्यावेदनकर्ताओं को सूचित कर दिया गया था।

आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

3192. श्री जे० चोक्काराव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 4 महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गाड़ी दुर्घटनाओं के आंकड़े और संबंधित सूचना रेलवेवार रखी जाती हैं न कि राज्यवार।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

3193. श्री जे० चोक्काराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में आपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना के अन्तर्गत किये गये अनेक स्कूल भवनों के निर्माण को धन के अभाव में बीच में ही रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बन्द हो जाने के कारण आपरेशन ब्लैक-बोर्ड के अन्तर्गत 633 कक्षा-कक्षों को पूरा नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा राज्य पंचायत राज इंजीनियरी विभाग को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे जवाहर रोजगार योजना की निधियों का उपयोग करके इनको पूरा कराएं।

नकली और घटिया औषधियों की समस्या

3194. श्री जे० चोक्काराव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान कानून घटिया और नकली औषधियों के निर्माण के प्रति बहुत उदार है; और

(ख) यदि नहीं तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध कितने मामले दायर किए गए हैं और कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान दायर किए गए और दण्ड दिए गए मामलों की संख्या संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य/क्षेत्रों द्वारा अभियोजित और दण्डित मामलों की संख्या का विवरण

वर्ष	संचालित अभियोजनों की संख्या	निर्णीत अभियोजन	जुर्माने के साथ/बिना जुर्माने के दोषसिद्धि	केवल जुर्माने के साथ दोषसिद्धि	दोष मुक्त किए गए मामलों की संख्या
1987-88	639	398	265	66	67
1988-89	611	392	281	31	80
1989-90	541	302	174	22	106

कलकत्ता में परिक्रमा रेलवे

3195. श्री समत कुमार मंडल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रस्तावित परिक्रमा रेलवे के निर्माण में काफी विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रिंसेप घाट और दमदम के बीच परिक्रमा रेलवे के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दमदम से प्रिंसेप घाट तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसे 17.6.90 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

देवास और मकसी के बीच रेल लाइन

3196. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवास और मकसी के बीच रेल लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन को बिछाने में कितनी लागत आने का अनुमान है और यह कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) लागत 26.99 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधन

3197. श्री आर्स्कर फर्नान्डीज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम संबंधी कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय युवा कार्य तथा खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

होटल उद्योग

3198. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पांच सितारा, चार सितारा और तीन सितारा होटलों की संख्या कितनी है;

(ख) विदेशी कम्पनियों के सहयोग से बनाये गये होटलों की संख्या क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में होटल उद्योग में क्या-क्या लक्ष्य रखे जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) श्रेणी-वार अनुमोदित होटलों की संख्या निम्नानुसार है :—

(I)	5-सितारा (डीलक्स)	—	31
(II)	5-सितारा	—	49
(III)	4-सितारा	—	48
(IV)	3-सितारा	—	117

(ख) 1988, 1989 और 1990 वर्षों के दौरान 12 कम्पनियों ने होटल उद्योग के संबंध में विदेशी सहयोग करार किया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अनिवासी भारतीयों के निवेश से शुल्क-मुक्त दुकानों की स्थापना

3199. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों के निवेश से शुल्क मुक्त दुकानों का नेटवर्क स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग बम्बई और इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली के पारगमन क्षेत्रों में शापिंग प्लाजा के विकास के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किए हैं। ऐसा, वर्तमान शापिंग परिसर के स्तरोन्नयन और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को शापिंग परिसर से होने वाली वर्तमान आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

———

12.00 मध्याह्न

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, फिर भी मैं श्री एम० एल० फोतेदार, जो कुछ कहना चाहते हैं, को बोलने की अनुमति देता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय, केवल संसद सदस्य अथवा मन्त्री होने के नाते ही नहीं अपितु एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैंने बाबासाहेब अम्बेडकर को भारत के एक महान व आदर्श सपूत के रूप में सदा आदरणीय समझा है। सम्भवत: कुछ सांसद मेरी ऐसी भावना के पीछे की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। (व्यवधान)

अपने 35 वर्ष के छोटे से राजनैतिक जीवन के दौरान मैंने भारत के इस महान सपूत, जिसने हमें भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का विचार दिया, के लिए संघर्ष किया है। सदस्यों को शायद पता नहीं होगा कि मैं सदा गेट संख्या 4 से संसद भवन में प्रवेश करता हूं। जब कभी मैं संसद में आता हूं, तो उनकी मूर्ति को नमन करता हूं—वह भारत के एक महान व्यक्ति थे। बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रति मेरे मन में ऐसा ही आदरभाव है।

इसी सरकार ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना दिल्ली में की है जिसकी आधारशिला 19 नवम्बर को रोहिणी में भारत के प्रधान मंत्री ने अपने हाथों से रखी है।

यह पहली सरकार है जो 40 अथवा 45 वर्षों के पश्चात बाबासाहेब अम्बेडकर को एक नेता, एक व्यक्ति, गरीब तथा पीड़ितों के एक मसीहा के रूप मे उजागर करना चाहती है।

मैं इस रूप में उनका आदर करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाएं। हमने विभिन्न दलों के विभिन्न नेताओं से चर्चा की थी और दलों की यही इच्छा है कि सदन के समक्ष सही व वास्तविक तस्वीर उजागर की जाए और अब इस बात को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें इसे लम्बा नहीं खींचना चाहिए।

अब मुझे एक घोषणा करनी है।

———

12.04 म० प०

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

देश में उर्वरक उद्योग की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित किये जाने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। चर्चा का उत्तर देते समय कृषि मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सदन को यह आश्वासन भी दिया था कि उर्वरक उद्योग के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जायेगी।

कृषि मंत्री ने 8 अक्तूबर, 1991 को ऐसी एक समिति का गठन करने का आग्रह करते हुए मुझे एक पत्र लिखा था।

मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है कि लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के अन्तर्गत 11 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है जिसमें मेरे द्वारा नामनिर्दिष्ट 7 लोक सभा के सदस्य हैं और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट 4 राज्य सभा के सदस्य हैं, की एक समिति। इन सदस्यों नाम इस प्रकार हैं :—

लोक सभा से

1. श्री प्रताप राव बी० भोंसले – सभापति
2. श्री दिग्विजय सिंह
3. श्री अयूब खां
4. श्री पी० सी० चाक्को
5. श्री एच० डी० देवगौड़ा
6. श्री शंकर सिंह वाघेला
7. श्री सैफुद्दीन चौधरी

राज्य सभा से

8. श्री विंदेश्वरी दुबे
9. श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव
10. श्री सोमपाल, तथा
11. श्री वीरेन जे० शाह

समिति के निदेश पद यह होंगे :—

(i) उर्वरकों के विभिन्न निर्माताओं के लिए अवधारित मूल्यों की संगणना की वर्तमान विधि की समीक्षा करना है; और

(ii) यह सुझाव देना कि क्या वर्तमान व्यवस्था में उर्वरकों की कीमत में कमी करने की कोई गुंजाइश है, या क्या राजकोष पर अनुचित दबाव डाले बिना उर्वरकों की कीमतों के नियतन हेतु कोई नई विधि तैयार की जानी चाहिए और साथ ही किसानों को उचित मूल्य और निर्माताओं को उचित लाभ सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति हेतु समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई होगी।

अन्य बातों में लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों के संबंध में प्रभावित नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

समिति को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

यह समिति अपना प्रतिवेदन छः मास के भीतर लोक सभा अध्यक्ष को दे देगी।

———

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय कृषि मंत्री ने "इकोनामिक टाइम्ज" को हाल ही में दिये एक साक्षात्कार में बहुत ही अपमानजनक बातें कही हैं। ग्रामीण श्रम आयोग के सभापति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभापति कुटिल मस्तिष्क के व्यक्ति है। यह एक अनादरपूर्ण टिप्पणी है। निश्चय ही उन्होंने इस बात से इन्कार कर दिया है, किन्तु इस आयोग के सभापति तथा इसके प्रतिवेदन के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया है कि भूमि वितरण में तेजी लाई जानी चाहिए और मार्च तक सम्पूर्ण अतिरिक्त भूमि वितरित कर दी जायेगी। किन्तु इस समय मंत्री महोदय का कहना है कि अतिरिक्त भूमि है ही नहीं और न ही कोई जमींदार है। ऐसा कहने से केवल सरकार द्वारा बनाई गई भूमि संबंधी नीति में बाधाएं ही उत्पन्न होंगी। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार तथा प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मंत्री जी द्वारा आयोग के सभापति—जिनकी नियुक्ति स्वयं सरकार ने की है—के विरुद्ध ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने ऐसा सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किये बिना तथा इसे अन्तिम रूप दिये बिना ही कह डाला। इस प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित नीति के लागू करने में सरकार की असमर्थता ही उजागर होती है।

———

12.06 म० प०

खाद्य तेलों के मूल्यों के बारे में

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मान्यवर, खाद्य तेलों की खुले बाजार में बिक्री अचानक बन्द हो गई है। बाजार में परिस्थिति यह पैदा हो गई कि आज देशभर में विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में खाद्य तेल बाजार में नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह गुजरात के गांधीनगर में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम और सिविल सप्लाई मंत्री श्री कमालुद्दीन अहमद ने एक मीटिंग की। गुजरात के सभी व्यापारियों को बुलाया और शाम को पत्रकार परिषद में कहा कि आने वाले तीन महीनों में खुले बाजार में 38 रुपये प्रति किलो मूंगफली का खाद्य तेल मिलेगा। ऐसी ही ऐनाउंसमेंट उन्होंने बम्बई में की। इस ऐनाउंसमेंट के 48 घंटे के बाद, वित्त मंत्री यहां पर मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गुजरात से तेल गायब हो गया। अब तेल नहीं मिलता है। 50 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो तक काले बाजार में चोरी-छिपे तेल मिलने लगा है। हजारों, लाखों लोग टीन के डिब्बे लेकर गांवों, शहरों में सुबह-शाम खड़े रहते हैं लेकिन उनको तेल नहीं मिलता है। ऐनाउंसमेंट करने के बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है।

12.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कोई खास नीति की घोषणा

करे। गुजरात में और बाकी अन्य प्रान्तों को केन्द्र से तेल का कोटा तुरन्त रिलीज करें। ऐसी नीति बनाएं, जो उन्होंने जाहिर की है, कि लोगों को उनकी जरूरीयात के अनुरूप 38 रुपये प्रति किलो मूंगफली का तेल मिले। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : वित्त मंत्री सदन में मौजूद हैं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, वित्त मंत्री को एक वक्तव्य देना है। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : वित्त मंत्री की मुम्बई में घोषणा के बाद यह परिणाम निकला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, देश में तेल की कमी और इस घोषणा के बाद कि उसके दाम घटेंगे, क्या वित्त मंत्री के ध्यान में लाया गया है ? यह मामला सदन में उठाया जा रहा है और वह बातचीत में मशगूल हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं सभा से क्षमा याचना करता हूं। मुझे ध्यान देना चाहिए था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मामला उठा है, इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि तेल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। मैम्बर्स का प्रश्न यह नहीं था कि वह माफी मांगें लेकिन वित्त मंत्री जी हमें यह बताएं कि तेल के आयात के बावजूद भी और उनके एश्योरेंस के बाद भी तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ? इतना ही नहीं राशन का सामान भी मार्किट से गायब है। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के वहां जाने से तेल मिलना बन्द हो गया है। वह तेल गुजरात और बम्बई में मिलना गायब हो गया है। अगर वह वहां नहीं जाते तो अच्छा था। कम से कम लोगों को तेल तो मिलता। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वघेला (गोधरा) : वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों को बुलाकर मीटिंग की, लेकिन फिर भी एडिबल आयल के दाम नहीं घटे। इस कारण वह सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, समाचारपत्रों में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार माननीय वित्त मंत्री ने मिल मालिकों के साथ बातचीत की थी और इसमें यह कहा गया था कि खाद्य तेलों का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो घटाया जाएगा। मिल मालिकों के साथ मंत्री महोदय की बैठक तथा मूल्य तय करने के बाद गुजरात के बाजारों में तेल उपलब्ध नहीं है और देशभर में तेल उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर मूल्य बढ़कर 55 से 60 रुपये प्रति किलो हो गया है। आम आदमी पर इसका भारी बोझ पड़ा है और सरकार, जिसने मूल्य कम करने का वादा किया था, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह मूल्यों को कम करे। उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि बाजार में खाद्य तेल उपलब्ध

होगा। ये दो समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं और इन्हें मिल मालिकों से वित्त मंत्री की बैठक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : एडिबल आयल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसमें आपको इंटरवीन करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि गोदामों में हजारों टन मूंगफली यूं ही पड़ी हुई है और वह खराब हो रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने वहां जो मीटिंग की उसमें एन० डी० पी० के प्रतिनिधि नहीं आए। आप तेल की कीमतों पर कुछ तो कंट्रोल करिए।

[अनुवाद]

महोदय, गुजरात में खाद्य तेलों में वृद्धि के बारे में बहुत आप संवेदनशील हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में कई सदस्य अपनी शिकायतें व्यक्त करना चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। वह इस बात का जवाब दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैंने एक सवाल उठाया था कि फारेन कालेबरेशन से हिन्दुस्तान में जो परियोजनाएं बन रही हैं, वे बसगुना महंगी···(व्यवधान)···

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात का वित्त मंत्री जी जवाब दें। इसकी एनाउन्समेंट के बाद भी तेल मिलना बन्द क्यों हो गया है। व्यापारियों के इसका कहना क्यों नहीं माना? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूं। बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि हुई है और ये दुगने हो गए है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वित्त मंत्री मुम्बई गए थे और मिल मालिकों के साथ उनकी लम्बी बातचीत हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे खाद्य तेलों का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो कम करने जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक के तुरन्त बाद से बाजार में तेल उपलब्ध नहीं है। हमने समाचार पत्रों में एक और समाचार देखा कि देश में खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है और इससे मूल्यों में भी कमी आयेगी। लेकिन इसके बावजूद बाजार से खाद्य तेल गायब हो गया है। इसके मूल्य 60 रुपये से 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। गुजरात सारे देश के तेल बाजार का नियंत्रण कर रहा है। जब गुजरात में ही तेल नहीं है तो हम देश के अन्य हिस्सों की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। वित्त मंत्री को हमें बताना चाहिए कि मिल मालिकों से उन्होंने क्या बात की थी। उन्होंने इन्हें क्या आश्वासन दिया और ये स्थिति क्यों पैदा हुई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यह विषय ऐसा नहीं है कि जिस पर केवल सदन में सदस्य कुछ अपना भाव व्यक्त कर दें और सरकार की ओर से कोई प्रत्युत्तर न आये। मुझे विश्वास है

कि यहां पर न भी कहा जाता तो भी वित्त मन्त्री इस बात की जानकारी तो रखते ही होंगे कि उनके कथन के बाद स्थिति क्या बनी है। उनको आश्वासन दिया गया है कि कीमतें नीचे लाई जाएंगी और स्थिति यह आ गई कि तेल गायब हो गया। इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या निराकरण उपाय कर रही हैं, यह सरकार, यह सदन जानना चाहेगा। इसीलिए वित्त मन्त्री से निवेदन है कि हमको तेल के विषय में जानकारी दें।

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, यह सवाल इसलिए गम्भीर बन गया है कि मनमोहन सिंह जी कल बम्बई में थे और बम्बई में उनकी तेल व्यापारियों के साथ बातचीत हुई लेकिन उनकी बातचीत और आश्वासन के बावजूद तेल लोगों को नहीं मिल रहा है और तेल का दाम एकदम ऊंचा भी हो रहा है तो मैं इनको आपके जरिये कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत एसेंसियल कमोडिटी है, करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और मैं देख रहा हूं कि सारा सदन और सारा देश इसके बारे में चिन्तित है। तो मैं आपके जरिये मनमोहन सिंह जी से कहूंगा कि तेल कैसे लोगों को मिले, किस दाम पर मिले, जो दाम उन्होंने एश्योर किया है, यह सदन को बतायें। मैं चाहूंगा कि सदन और देश-वासियों को आश्वासन देने के लिए वे सदन में इस सम्बन्ध में बयान दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि वित्त मन्त्री जवाब दें कुछ और सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं उन्हें एक-एक करके बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : हां-हां, सुन लिया जाय।

मान्यवर, मैं बिहार राज्य से आता हूं और वह एकदम देहात का इलाका है। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था और वहां 6-7 दिन घूमा, इस दौरान मैंने अपने वित्त मन्त्री का बयान भी पढ़ा था मुझे लगा कि राहत मिलेगी लेकिन उसके ठीक बाद से तेल का इतना भाव हो गया कि गरीब-गुरबा जो बेचारे दो-चार रुपये का तेल लेकर अपना गुजर करना चाहते हैं उनको देहात में बिल्कुल तेल नहीं मिल रहा है, इतना तेल का अकाल बिहार के लोग भुगत रहे हैं। मान्यवर, वित्त मन्त्री जी की अर्थ नीति बड़ी अच्छी है लेकिन इनकी अर्थ नीति से उल्टा ही हो रहा है···(व्यवधान)···जैसा कि सुना गया है, कि कहीं इन्होंने पूंजीपतियों के साथ समझौता तो नहीं कर लिया है, इसलिए वित्त मन्त्री को अपना बयान यहां देना चाहिए और खाद्य तेल को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। (व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो बातें माननीय वित्त मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

एक तो उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें तेल का आयात करें तो मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकारों के पास विदेशी पूंजी का कोई बहुत बड़ा कोष कहां है, उनको इस मामले में भी आपके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए वह तेल कैसे आयात करेंगी, यह उनके लिए कठिनाई है। दूसरे, यहां पर जो एस० टी० सी० है, जो वस्तु व्यापार निगम है, वह आयात करेगा लेकिन वह भी आयात नहीं कर रहा है इसलिए मांग और आपूर्ति में जो गैप है, उसकी आप कैसे पूर्ति करने जा रहे हैं? इसी कारण तेल गायब हो रहा है और दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं इसलिए माननीय वित्त मन्त्री इसको क्लियर करें। मध्यप्रदेश जो सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है वहां तेल मिलना कठिन हो गया है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं इस बात में अन्य सदस्यों के साथ हूं कि तेल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है और यह देश भर में उपलब्ध नहीं है। मैं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी हूं, साथ ही मैं अपने चुनाव क्षेत्र से लौटा हूं मैंने देखा कि वहां तेल की कमी है और बाजारों में तेल उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जबकि वित्त मन्त्री इस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं और वह इस समस्या को सुलझाने जा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वह विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहेंगे ताकि हमें वहां की स्थिति के बारे में पता चल सके। इस समस्या को सुलझाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करना जरूरी है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) समाचारपत्रों में छपा था कि वित्त मन्त्री ने मुम्बई में व्यापारियों से बातचीत की थी और इसके परिणामस्वरूप खाद्य तेलों का मूल्य 5 रुपये कम किया गया था। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि दुर्भाग्य से बाजारों में से तेल गायब हो रहा है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उन्हें मूल्यों को 5 रुपये कम करने को मनाया जो एक स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ-साथ हम उनसे मांग करते हैं कि वह देश की स्थिति से हमें अवगत करायें। श्री भक्त ने बताया कि अंडमान में तेल उपलब्ध नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। चाहे जैसी भी स्थिति हो देश की वर्तमान स्थिति के बारे में वित्त मन्त्री जी को सदन को बताना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) महोदय मैं इस मामले में अन्य माननीय सदस्यों के साथ हूं। तेल की कमी से आम आदमी के लिए परेशानी हो रही है। केरल में हम राशन की दुकानों से पाम आइल और अन्य खाद्य तेलों का वितरण कर रहे हैं। इस वक्त खाद्य तेल की कमी के कारण आम आदमी संकट में पड़ा हुआ है। नारियल के तेल का मूल्य भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे भी आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है, राज्य सरकार अन्य देशों से भी खाद्य तेलों के आयात की स्थिति में नहीं हैं। अत: मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में समुचित कदम उठाएं ताकि खाद्य तेल उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही कीमतें भी कम की जा सकें।

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : मैं सिर्फ माननीय सदस्यों की भावनाओं का समर्थन कर रहा हूं। केरल में बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। यह एक उपभोक्ता राज्य है और यहां प्रत्येक वस्तु दूसरे राज्यों से लाई जा रही है। खाद्य तेल भी नहीं मिल रहा है और इसकी तुरन्त आवश्यकता है। अतः, मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रत्येक कार्डधारक को कम-से-कम एक किलोग्राम खाद्य तेल तो दिया ही जाए।

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : बाजार में खाद्य तेल की कमी है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य तेल है ही नहीं और अन्य तेलों के मूल्य भी बढ़कर 60 रुपये अथवा 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। इस स्थिति को नियंत्रण में करने की आवश्यकता है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य तेल की तत्काल सप्लाई करे।

श्री सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : मुझे इस बात से खुशी हुई है कि वित्त मन्त्री महोदय इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए संबंधित व्यक्तियों के पास गए हैं और मूल्यों को नीचे लाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं और यह सुझाव भी देता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय और सरकार इस बात पर नजर रखने के लिए

पूरे प्रयास करें कि घटा हुआ मूल्य तत्काल रूप से लागू किया जाए। मैं केरल के अपने अन्य मित्रों की इस बात का भी समर्थन करता हूं कि वहां पाम आयल की कमी है जिसके कारण केरल में भारी समस्या उत्पन्न होने जा रही है, जहां कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस समय बड़े प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की गई है। अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह केरल राज्य मे वितरण हेतु पाम आयल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले नाम इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि यह सबजेक्ट आज स्पीकर साहब की तरफ से आएगा। स्पीकर साहब ने आज एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के कहने पर एक कमेटी की घोषणा की (व्यवधान)...

आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए क्योंकि मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। (व्यवधान) तेल की बात कहने वाले कहते रहें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, पहले मन्त्री जी जवाब दे दें, उसके बाद आप दूसरे विषय को लीजिएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां ऐसे अनेक लोग हैं जो देश के विभिन्न कोनों से आए हैं। मेघालय में क्या स्थिति है? अंडमान में क्या स्थिति है? लक्षद्वीप में तेल की सप्लाई की स्थिति क्या है? इसलिए वे अपनी शिकायतें पहुंचाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दीजिए। (व्यवधान) हम उनकी बात धैर्य से सुनें। (व्यवधान) श्री मिर्धा, क्या आप इसी विषय पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)। अब यहां तेल की कम सप्लाई के बारे में चर्चा की जा रही है। क्या आप इसी विषय पर बोल रहे हैं अथवा किसी अन्य विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : महोदय, मैं किसी अन्य विषय पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में अवसर दिया जाएगा?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि व्यापारी लोग मूल्य बढ़ाते हैं, तो बात हमारी समझ में आ सकती है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि बाजार से अचानक पूरा स्टाक गायब हो रहा है। प्रशासन में कहीं-न-कहीं कुछ खामी है।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें जिन्होंने स्टाक गायब किए हैं और इस बात का भी पता लगाएं कि किसी व्यापारी की विभिन्न राज्यों के राजनीतिज्ञों, मंत्रियों, तथा नागरिक पूर्ति मंत्रियों के साथ साठ-गांठ तो नहीं है। मेरा आप से अनुरोध है कि आसूचना सेवाओं को सक्रिय किया जाए और जहां भी स्टाक हों, उनका पता लगाएं।

[हिन्दी]

श्री डी० के० टंडेल (दमण और दीव) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र दमण और दीव में 6 महीने से पामोलीन आयल नहीं है। सस्ती दर की दुकानों में अभी तक तेल नहीं आया है। परसों वहां पर

एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं और पूरे दमण और दीव को बन्द रखने का लोगों ने ऐलान किया है, ऐसी स्थिति हो गई है। मुझे आज ही वापस दमण जाना होगा। आज 6 महीने से वहां पर तेल बिल्कुल नहीं है, जबकि दूसरी स्टेट्स में तेल मिल रहा है। इसके लिए 10 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार को दे भी दिया है, लेकिन अभी तक तेल उपलब्ध नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 2 दिन के अन्दर वहां पर तेल की व्यवस्था होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी 2 दिन के अन्दर वहां पर तेल की गाड़ी पहुंच जानी चाहिए।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं सभी माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं और मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी जो तेल की कमी है, उसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। वहां पर दूरदराज में पहाड़ी क्षेत्र हैं जो शीघ्र ही बर्फ से ढक जाएंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि भारत के अन्य भागों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी तेल की समुचित व्यवस्था करने का प्रयत्न करें और तेल की कीमतें कम करने के लिए मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसको भी पूरा करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री पी० को० नारायणन (गोबिचेट्टियालयम) : मैं खाद्य तेल की कमी के बारे में अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं। खाद्य तेल का मूल्य बढ़ गया है। यह निर्धन लोगों और मध्यमवर्गीय लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कि वह खाद्य तेल का मूल्य कम करने के लिए सशक्त कदम उठाएं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में खाने के तेल की बहुत कमी है और कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। यह सरकार सत्ता में इसी आश्वासन पर आई थी कि 100 दिन के अन्दर महंगाई कम कर देंगे और खाने के तेल लिए तो विशेषतौर पर वादा किया गया था, जो लिस्ट दी गई थी, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में चूंकि दूर-दराज और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इसलिए शीघ्र ही सस्ती दर पर तेल उपलब्ध कराया जाए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वायदा किया था कि तीन महीने में महंगाई कम कर देंगे। बिहार में तेल की इतनी कमी है कि सरसों का तेल 70-80 रुपये प्रति किलो मिलता है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र बिहार को खाने का तेल मुहैया करवाया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : महोदय, सामान्य स्थिति में भी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार का अभाव रहता है और इस संचार के अभाव के कारण वहां आवश्यक वस्तुओं की भी नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती है, इसके अतिरिक्त जब पूरा देश खाद्य तेल की कमी का सामना कर रहा है, तो आप इस बात का आसानी से अन्दाज लगा सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषरूप से असम की क्या स्थिति होगी? अतः, मामले की गम्भीरता को देखते हुए यह समस्या तत्काल हल की जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में खाने के तेल की कमी है। वहां तेल बहुत महंगा मिलता है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से खाने के तेल की सप्लाई की जाए, जिस तरह से राशन में गेहूं और चीनी दी जाती है। मंत्री जी से यदि महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो खाने का तेल जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं दे सकते तो आडवाणी जी से जैसे और कामों में सहायता लेते हैं, सहायता ले लें, जिससे कि तेल की कमी बिहार में न हो।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खगरिया संसदीय क्षेत्र में खाद की समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे किसान को काफी कठिनाई हो रही है। उनकी फसल बरबाद हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र कैल्शियम खाद की व्यवस्था कीजाए जिससे किसान की समस्या सालव हो सके और फसल बरबाद न होने पाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रत्येक राज्य ने तेल की सप्लाई में कमी और मूल्य वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन दिये है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब अन्य राज्य तेल की कमी को इतना अधिक महसूस कर रहे हैं, स्वाभाविक ही है कि राजस्थान भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। अतः क्या अब मैं माननीय मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए कहूं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं से विशेषरूप से सम्बन्धित यह समस्या है। खाद्य तेल के अभाव ने महिलाओं को संकट में डाल दिया है, क्योंकि आजकल शादी-विवाह के दिन हैं, बारात और मेहमानों के आने के दिन हैं। खाद्य तेल के अभाव में मेजबानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय को चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बयान देकर बाजार भाव पर अपनी पकड़ देख लिया करें। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने तेल का प्रयोग बन्द ही कर दिया है। मध्यम वर्ग की रसोई से भी व्यंजनों की खुशबू बन्द हो गई है। अतः मंत्री महोदय नियंत्रित मूल्य पर खाद्य तेल वितरण की व्यवस्था करें ताकि नागरिकों को तेल उपलब्ध हो सके। तेल संकट जब तक है तब तक इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य ने तेल की कमी के बारे में अपनी शिकायतें बता दी हैं और इस चर्चा में हमारा आधे घंटे से अधिक समय लग गया है। क्या अब मैं माननीय वित्त मंत्री से जवाब देने के लिए अनुरोध करूं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल की कमी के बारे में जो चर्चा हो रही है, एक माहोल बनता जा रहा है और वित्त मंत्री को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। इसका इलाज वे बताएंगे कि खाद्य तेलों का हम आयात करते जा रहे हैं। यह इसका इलाज नहीं है। श्री राजीव गांधी के शासन काल में भी एक बार खाद्य तेल का आयात हुआ। और उसको मुल्क भुगत रहा है। खाद्य तेल आयात करने से सस्ती लोकप्रियता सरकार को मिल सकती है कि हमने संकट का समाधान कर दिया और तेल उपलब्ध करा दिया। लेकिन उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, उसको इस मामले में लगाया जाता है। यह काम नहीं होना चाहिए। इससे तिलहन उत्पादक किसानों पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेन्ट चिल्लाए तो उसको रसगुल्ला देने के समान है, यह नहीं होना चाहिए। जो होर्डिंग हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। इस खाद्य तेल के आयात से संकट का समाधान नहीं हो सकता है। उनकी जो राय है, वह आज समाचारपत्रों में छपी है। विदेशी मुद्रा का संकट दूर हो गया है और आठ हजार करोड़ हमारे रिजर्व में हैं। अगर खाद्य तेल का आयात करेंगे तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर होगा। लेकिन इस देश में कठोर आर्थिक संकट का दौर फिर से शुरू होगा। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट दौर शुरू हुआ है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर यह था कि 1988-89 का तेल का आयात 1987 में किया गया, श्री राजीव गांधी के शासन काल में एक पापुलिस्ट मेजर्स के रूप में। हम यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का पापुलिस्ट मैजर न उठाएं बल्कि देश के अन्दर इस संकट के समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी पक्षों द्वारा खाद्य तेलों के मूल्यों के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं। हमारे देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तर है। वनस्पति तेलों का आयात करने हेतु हमारे पास गत एक वर्ष से विदेशी मुद्रा नहीं थी। अनेक कारणों में से एक कारण यह भी था। लेकिन यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आयात के जरिए कमियों की इन समस्याओं का हल निकालने की भी एक सीमा होती है। विदेशी मुद्रा के मामले में गत पांच माह पूर्व की तुलना में आज हमारी स्थिति पहले से कुछ बेहतर है। लेकिन अभी भी हम संकट से बाहर नहीं आए हैं और इसलिए मात्र यह कहना कि और अधिक आयात कर खाद्य तेल की समस्या हल की जाए, इस समस्या से निपटने का गलत तरीका होगा।

हम थोड़ा-बहुत आयात करेंगे। लेकिन ऐसा हम इस प्रकार से करेंगे कि देश में तिलहनों का अधिक उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा हो सके। कमी की समस्या को मात्र उत्पादन बढ़ाकर ही हल किया जा सकता है।

साथ ही, कमी की इस घड़ी में, सामान्य आम धारणा यह है कि छापों की संख्या में वृद्धि की जाए। हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम है। जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु हमारी सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

लेकिन अनेक व्यापारिक संगठन मुझसे आकर मिले। उन्होंने कहा, "आप हमारे साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते ? हम इस संकट को दूर करने हेतु स्वैच्छिक नियंत्रक उपायों के जरिये सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं।" मैं यह कहना चाहता हूं कि हमार सरकार इस बड़ी आर्थिक समस्या

का आम हल निकालने हेतु समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर कार्य करना चाहती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मैं और मेरे साथी, माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्री अहमदाबाद गए थे। हमने व्यापारिक समाज के साथ बातचीत की और उन्होंने स्वेच्छा से मूल्य नियंत्रित करने के उपाय का प्रस्ताव रखा था।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि गुजरात के बाजारों से तेल गायब हो गया है। मैंने गुजरात सरकार से स्थिति का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि एक दो दिन कुछ दिक्कत रही थी लेकिन बाद में उन्हें दूर कर दिया गया था। (व्यवधान)

महाराष्ट्र के सम्बन्ध में, महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री की उपस्थिति में, व्यापारिक समाज ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जो मूल्य वे स्वेच्छा से निश्चित करेंगे उन मूल्यों पर वे पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध कराएंगे। यह फैसला परसों ही किया गया था। इस योजना के साथ न्याय होना चाहिए। यदि व्यापारी समाज देश की इस समस्या को हल करने में सहायता करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि सदन के सभी पक्षों को इसका समर्थन करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे इस समस्या को सहमति के आधार पर हल कर सकें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मेरे क्षेत्र अहमदाबाद में आपने प्रेस कांफ्रेंस की थी कि खुले बाजार में 31 रुपये प्रति किलो व्यापारी देंगे, तीन महीने क्या तीन दिन तक नहीं चला।

[अनुवाद]

महोदय, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर भी बाजार में उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

मैं प्रश्न उठाने से पहले 11 बजे टेलीफोन पर बात की है, यह मैं आपको वहां की स्थिति बता रहा हूं।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : माननीय मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहा है। वहां खाने का तेल नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सीमा का पता है। प्रश्न काल समाप्त होने के तत्काल बाद जब सदन में कोई मामला उठाया जाता है तो सरकार उस पर ध्यान देती है। उसका तुरन्त उत्तर मांगना भी उचित और युक्तिसंगत नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : क्या सरकार को अब तक इसकी जानकारी नहीं थी?

श्री फूल चन्द वर्मा : महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में आपने कहा है। मध्य प्रदेश के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। वहां पर एक तिहाई लोग या तो आदिवासी हैं या हरिजन हैं, वहां बिजली नहीं है। मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय मध्य प्रदेश

के बारे में कुछ तो बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल बात यह है कि जब पीठासीन अधिकारी खड़े हों, तो यह उम्मीद की जाती है कि माननीय सदस्य अपने स्थान से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। शून्य काल के दौरान आपने एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाया है और सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है। सर कार इस समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। अब यदि आप इस मसले पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं, तो आप किसी अन्य रूप में पेश करें, तत्पश्चात् इस पर चर्चा की जायेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज ने जो कहा है, वह सच नहीं है। सरकार को इन कमियों की जानकारी है और भरकस कोशिश कर रही है।

जी हां, श्री मिर्धा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपका नाम आयेगा।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं इस पर एक चर्चा चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक कर आपका नाम लूंगा। मेरी कुछ सीमा है।

श्री नाथू राम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अभी जिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 11 आदमी रखे है, उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। फर्टिलाइजर के और कई प्रश्न भी हैं जिनको उस दायरे में यह समिति नहीं देख सकेगी। अभी बुवाई का समय है और बुवाई के समय में किसानों को डी० ए० पी० खाद चाहिए। डी० ए० पी० की खाद के साथ व्यापारी उन पर दबाव डालता है कि यूरिया खरीदो। किसानों के पास लिमिटेड फण्ड है और उसको जिस खाद की जितनी जरूरत होती है उसके साथ उसे यूरिया को भी खरीदना पड़ता है। डी० ए० पी० खाद की जरूरत है इस समय और उसके साथ यूरिया को भी चिपका देना, यह गलत काम है। यह कमेटी के दायरे में प्रश्न नहीं आयेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा अहम् है। अभी बुवाई के समय में उन्हें डी० ए० पी० खाद चाहिए और व्यापारी यूरिया दे रहे हैं, वैसे भी खाद के दाम महंगे हो गये हैं अतः आप इसको रोकिये। जहां तक तेल के बारे में नीतिश कुमार ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं।

उस वक्त 18 लाख टन तेल का बाहर से इम्पोर्ट हुआ है और इस कारण से किसानों की चीजों की कीमतें बहुत गिर गई हैं और उसके बाद किसानों ने बुवाई का काम कम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके इम्पोर्ट से बड़ा घाटा हुआ। मैं श्री नीतीश कुमार जी की बातों से सहमत हूं। वित्त मन्त्री जी ने जिन सीमित दायरों में जो कुछ इलाज बताया है, वह अब स्थिति नहीं है। इसलिए जो थोड़ा-बहुत किया जा सकता है, वह करें।

चीनी प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के बारे में

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैंने सुबह नोटिस भेजा था उस घटना को लेकर जिसको इस सदन में उठाते हुए बहुत कष्ट हो रहा है। परसों से दिल्ली में सरकार की ओर से या पुलिस की

ओर से तिब्बती लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। चीन के प्रधानमन्त्री का हिन्दुस्तान में स्वागत करने का यह मतलब नहीं हो सकता है कि एक जमाने से यहां पर बसे हुए तिब्बती लोगों को उठ-उठा कर जेलों में बन्द कर दें या पुलिस थानों में बन्द कर दे या उन्हें अपने घरों के भीतर बन्द रखें। उपाध्यक्ष जी, यह न केवल घोर अन्याय मात्र है बल्कि बहुत ही शर्मनाक चीज है। आज हमारे मेहमान चीन के प्रधान मन्त्री 30 वर्षों के बाद यहां आ रहे हैं और जिस देश के साथ हमारे विवाद हैं, उन बातों को हमारे प्रधानमन्त्री बात करते वक्त निपटाने का काम करेंगे। हमने एक पत्र भी लिखा है कि कैसे सीमा, तिब्बतियों की आजादी का प्रश्न, कैसे बर्मा को जो हथियार पहुंचाये जा रहे हैं और स क को ओसलों में नोबल प्राइज मिल रहा है लेकिन पिछले एक साल में चीन द्वारा बर्मा को ढाई हजार करोड़ रुपये के हथियार बेचने का काम हुआ और वहां पर प्रजातांत्रिक आन्दोलन को खत्म करने के लिए वे हथियार इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इस प्रकार यह जो परिस्थिति अपनी जगह है, जब चीन के प्रधानमन्त्री हमारे प्रधानमन्त्री से मिलेंगे तो बात कर लेंगे लेकिन उन तिब्बतियों की गिरफ्तारी हमें किसी भी परिस्थिति में मंजूर नहीं है। हम इस सदन में मांग करते हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए और हम सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि यदि तिब्बती लोगों को गिरफ्तार करके रखना हो तो हम में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का काम करिये। चूंकि वे इस देश में मान-सम्मान के साथ रहने वाले लोग हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना इस देश की बेइज्जती करना है और वह बेइज्जती देश की न हो, यह सरकार से प्रार्थना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, चीन के प्रधानमन्त्री यहां आ रहे हैं। वे हमारे सम्मानित मेहमान हैं, उनका यथोचित स्वागत हो और राष्ट्रीय हितों की जो अपेक्षायें हैं, आवश्यकतायें हैं, उसके अनुसार उनकी वार्ता हो। इसके लिए तो सब लोग स्वागत करेंगे लेकिन उनके यहां आने से तिब्बती लोगों को गिरफ्तार किया जाये, इस प्रकार से मैं समझता हूं कि यह सरासर गलत बात है। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की इस भावना से सहमत हूं कि हमारे जैसे लोकतंत्रीय देश के लिए यह सम्मान की बात नहीं है, हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। और भी कई सारे लोकतंत्रीय देश हैं, जहां पर तिब्बती लोग रहते हैं और वहां पर अगर चीन के प्रधानमन्त्री जाते हैं तो इस प्रकार की गिरफ्तारियां नहीं होतीं। यद्यपि वहां पर रहने वाले तिब्बतियों के मन में वही आशंकायें, वही आपत्तियां, वही तकलीफें हैं जो यहां पर बसने वाले तिब्बतियों के मन में हैं। तिब्बत के ऑटोनमस स्वरूप के बारे में और तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके बारे में वे सारी आशंकायें होते हुए भी ऐसा व्यवहार दूसरे लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता, हिन्दुस्तान में यह हो, हमारे लिए कष्ट की बात है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, जो माननीय आडवाणी जी ने कहा है, उससे सहमत हूं। मेरा निवेदन है कि मजनूं का टीला, बुद्ध विहार से बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के पास अभी भी एक बड़ी लम्बी सूची है। मेरा निवेदन करना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोकतांत्रिक देश के नाते, उन लोगों को रिहा तो किया ही जाना चाहिए लेकिन जो फरदर गिरफ्तारियां करने की तैयारियां चल रही हैं, उनको तुरन्त इस सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए रोका जाना चाहिए ताकि जो हमारे मेहमान चीन के प्रधानमन्त्री आ रहे हैं, उनसे हमारे प्रधानमन्त्री बात कर सकें।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं जॉर्ज फर्नान्डीज और आडवाणी जी के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं कि तिब्बती लोग हमारे मेहमान हैं। दलाई लामा के ये अनुयायी लोग हैं। मैं इस बात से चिन्तित हो गया हूं कि जो हमारे मेहमान चीन के प्रधान मन्त्री आने वाले हैं, उनके आने से पहले इन

लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। असल में हमको तकलीफ है कि चीन के राजदूत ने दो दिन पहले इस बारे में जो बयान देकर कहा था कि तिब्बती लोगों को चीन के खिलाफ काम करने के लिए भारत सरकार इजाजत देती हैं, उसके लिए आज भारत सरकार की तरफ से जो एक्सप्लानेशन दिया गया है कि इनको चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने इजाजत नहीं दी है। इसलिए हमको लगता है कि भारत सरकार ने चीन को खुश करने के लिए ऐसा काम किया है। उनके राजदूत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, यह इनडिप्लोमैटिक है। बीजिंग की तरफ से उनको यहां रखा गया है और ये अपनी होस्ट कंट्री की राजधानी में बैठकर भारत सरकार को चुनौती देते हैं तो यह सरकार किसी भी इंटरनेशनल एटीकेट के खिलाफ है। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि चीन के प्रधानमंत्री के आने से पहले उन्होंने ये बयान दिया है, तो क्या इस सिलसिले में तिब्बतन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या जिनको हम मेहमान की तरह रख रहे हैं, उनको आप बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट करेंगे? आज क्या हो रहा है? मैं आपके जरिए भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि आज शाम से पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए ताकि भारत सरकार के ऊपर धब्बा न लगे और जिनको हमें मेहमान की तरह रखना चाहिए उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार न हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जिन पर चर्चा करना जरूरी हो गया है।

चीन के प्रधान मन्त्री हमारे निमंत्रण पर आ रहे हैं। चीन के साथ हमारे संबंध सुधरें, यह सारे देश की इच्छा है। हमारे प्रधान मन्त्री चीन के प्रधान मन्त्री से बातचीत करेंगे, सारे मामले उस बातचीत में आएंगे,

लेकिन चीन के नई दिल्ली स्थित राजदूत के लिए यह उचित नहीं था कि वह तिब्बतियों के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है, इस पर नई दिल्ली में बैठकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते कूटनीतिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, यह इंप्रॉप्राइटी है।

अमेरिका से हमारे मतभेद होते हैं तो अमेरिका में हमारे राजदूत वहां सार्वजनिक रूप से अमेरिका की सरकार की आलोचना नहीं करते। कूटनीतिक क्षेत्र में इस परम्परा का पालन किया जाता है। लेकिन चीन के राजदूत ने इसका पालन नहीं किया।

कल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत को बुलाकर तिब्बत के बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट की है। क्या उन्होंने चीन के राजदूत से यह भी पूछा कि आपको तिब्बतियों के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान देने की क्या जरूरत थी अगर चीन को कोई शिकायत है? और दुर्भाग्य यह है कि देश की पुरानी सरकार ने तिब्बत को चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन मान लिया, उस भूल का हम आज तक परिमार्जन नहीं कर सके हैं। लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। तो वार्ता में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है।

भारत एक लोकतन्त्रवादी देश है। यहां लोगों को बोलने की आजादी है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने की स्वतन्त्रता है। चीन के शासकों को भी यह समझना चाहिए कि दुनिया बदल गई है। सारे संसार में लोकतन्त्र की एक लहर चली है। दलाई लामा तिब्बतियों के एक महान नेता के रूप में सारे विश्व में उभरे हैं। प्रधानमन्त्रियों के बीच तिब्बत की चर्चा भी होगी। राजदूत महोदय ने स्वयं कहा कि तिब्बत की चर्चा होगी।

उस चर्चा में हम अपनी ओर से कह सकते हैं कि आपने तिब्बत को जो ऑटोनोमस रीजन माना था, उसका भी पालन नहीं हुआ। तिब्बती असंतुष्ट हैं और असंतोष को ज्यादा दिनों तक दमन से नहीं दबाया जा सकता है। यह यूरोप में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे कि क्या चीन से राजदूत से उसने कहा कि इस तरह से आपको सरकार के आचरण के खिलाफ वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैं रवि राय जी से सहमत हूं कि यह कदम जो हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है।

जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, लोगों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने तिब्बती मित्रों से भी कहेंगे कि चीन के प्रधानमंत्री हमारे मेहमान होकर आ रहे हैं। उन्हें जो कुछ कहना है, वे भारत सरकार से कहें या अगर चीन से कहना चाहते हैं तो चीन के प्रधानमन्त्री को जाकर मिलें। चीन के प्रधानमन्त्री के सामने अगर यहां प्रदर्शन हो, काले झण्डे दिखाये जायें या उपद्रव किया जाये तो हमारे सम्बन्ध सामान्य बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें लाभ नहीं होगा! वर्षों बाद चीन के प्रधानमन्त्री यहां आ रहे हैं। चीन के साथ हमारे सम्बन्ध युद्ध की विभीषिका में से निकले हैं। संसार की बदली हुई परिस्थिति में, अगर दोनों देश निकट आते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए और इसके लिए सब तरफ से संयम का व्यवहार करने की आवश्यकता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : हम भारत के दौरे पर आये कामरेड ली पेंग का स्वागत करते हैं तथा हमें आशा और विश्वास है कि एशिया के दो विशाल देशों के इन दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच यह ऐतिहासिक बैठक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सामान्य बनाने के लिए नई दिशाएं प्रदान करेगी। हमें इसका विश्वास है। हम अपनी पार्टी की ओर से इस देश में कामरेड ली पेंग का स्वागत करते हैं।

मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे मेरे माननीय मित्र तिब्बत के बारे में भारत की नीति को स्पष्ट करने का साहस दिखाएंगे। तिब्बत के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति इसे एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने या मान्यता देने की रही है और इसलिए तिब्बत से सम्बन्धित सभी मामलों को बीजिंग में बैठी सरकार का अन्दरूनी मामला माना गया है।

12.57 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं चाहता हूं कि कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। स्वभावत:, मैं नहीं सोचता कि किसी स्वतंत्र और संप्रभुता सम्पन्न देश, खासकर लोकतांत्रिक गण-राज्य चीन जैसे देश के आन्तरिक मामले के बारे में बोलना उचित होगा जिसके साथ हम अपने संबंधों को सुधारना अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाना तथा शांतिपूर्ण ढंग से एवं बातचीत द्वारा सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं।

चीन के प्रधान मंत्री का यह दौरा 31 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद हो रहा है। यह प्रक्रिया स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा दिए गए उस निमंत्रण से आरम्भ हुई है जब पिछली बार उन्होंने चीन का दौरा किया था। इसलिए, मैं चाहता हूं और समझता हूं कि मेरी पार्टी के साथ अनेक लोग सहमत होंगे कि इस अवसर का प्रयोग किया जाना चाहिए और मैं भूतपूर्व विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रशंसा करता हूं कि हमें यह एक अवसर मिला है जिसमें चीन और भारत के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं आपके माध्यम से इस सदन का तथा सम्पूर्ण देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन में कुछ समय पहले एक संकल्प पारित किया गया था, मुझे इसकी वास्तविक तिथि याद नहीं है, जब हमने एक निर्णय लिया था। मैं अनेक सदस्यों के साथ इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आज स्थिति में बदलाव आ गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इस समय, उसकी चर्चा क्यों की जा रही है ?

श्री चित्त बसु : मैं इस पर आ रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में, सीमा विवाद को निपटाने के लिए, व्यापार और अन्य सम्बन्धों में सुधार करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय सहमति बनाई जानी चाहिए। केवल इसी के लिए, मैं इस सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज से तीन दशक पहले इस सदन में जो भी निर्णय लिया गया हो, इसी सदन में इस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है और भारत तथा चीन के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि एक राष्ट्रीय सहमति बन सके।

1.00 म० प०

मैं आशा करता हूं कि वे इस सुझाव की सराहना करेंगे और इसके लिए राष्ट्रीय सहमति विकसित करने हेतु उपयुक्त मंच का उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि जहां तक तिब्बत के सम्बन्ध में भारत की नीति का सम्बन्ध है, उसे यथास्थिति में रहने देना चाहिए।

जहां तक तिब्बत के लोग की समस्याओं का सम्बन्ध है, उन पर तिब्बत के प्रतिनिधियों को बीजिंग सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं इसे ठीक नहीं समझता कि इस मामले को इस सदन में उठाया जाए, किन्तु दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई और मैं समझता हूं कि चीन के राजदूत ने यदि इस बयान को सार्वजनिक नहीं किया होता, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वे एक राजनयिक पद पर हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे जाने दें। हमें नहीं मालूम कि उन्होंने यह बयान दिया है अथवा नहीं। यह तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, भारत सरकार ने एक बयान दिया है जिसमें चीनी राजदूत के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया है। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यह समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है। यह एक गम्भीर स्थिति है। यही कारण है, इसे यहां उठाया है। मेरा कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार को स्थिति स्पष्ट करने दें···(व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, प्रत्येक व्यक्ति चीन के प्रधान मंत्री के दौरे का स्वागत कर रहा है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दौरा है। यह केवल हमारे पारस्परिक हित में ही नहीं है बल्कि यह आज की विश्व-स्थिति के हित में भी है। हमें उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार उनसे बातचीत कर बेहतर तरीके से निपट सकती थी तथा उन्हें

समझा-बुझा सकती थी। इसलिए हम सब इस दौरे का स्वागत करते हैं। हमारे सम्बन्धों में यह एक बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक मोड़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दो बातों ने मामले को पेचीदा बना दिया था। हम यही बात बताना चाहते हैं। हम सब इस दौरे का स्वागत करते हैं। हम इस दौरे से यह आशा कर रहे हैं कि इससे हमारे सम्बन्धों में नया मोड़ आएगा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, जैसा कि हम यहां देखते हैं। मैं समझता हूं कि हमें "पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना" के प्रधान मंत्री के आगमन के प्रति सभा की, उनके स्वागत की सर्वसम्मत विचारधारा व्यक्त करनी चाहिए। 31 वर्ष के अन्तराल के बाद यह दौरा हो रहा है और यह विशेषकर उस समय हो रहा है जब विश्व की स्थिति गुण-दोषों के आधार पर बदल रही है और बदल भी चुकी है। ऐसी स्थिति में, केवल सामान्यीकरण ही नहीं, बल्कि पंचशील के आधार पर अच्छे पड़ोसी के रूप में भारत-चीन मित्रता, जिसकी शुरूआत 1950 के दशक के पूर्वार्ध में की थी, को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। पंचशील के आधार पर इस अन्तराल को भरने तथा सामान्य मैत्री सम्बन्ध बनाने की फिर से यह शुरूआत की जानी चाहिए।

व्यापार और अन्य विषयों से संबंधित मामलों को—मेरा आशय सीमावर्ती व्यापार से है। भूमि मार्ग से व्यापार, मानसरोवर आदि अन्य तीर्थस्थलों को तीर्थ यात्रियों का जाना—सामान्य बनाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारे प्राचीन सम्बन्ध सेना एवं सशस्त्र बलों के माध्यम से नहीं थे। फाह्यान यहां आए, ह्वेन सांग यहां आए और बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध धर्म के सैकड़ों अनुयायी वहां गए। यही हमारी मित्रता थी। इसी मित्रता को पुनः स्थापित करना है। इसमें हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं, ऐतिहासिक सम्बन्ध और अच्छे पड़ोसी होने की बातें भी शामिल हैं।

जहां तक सीमा का सवाल है, इस समय इसके विस्तार में जाना अच्छी बात नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय है। किसी दिन हिमालय का जल विभाजक ही हमारे बीच प्राकृतिक सीमा बन जाएगा। मैं अन्य मामलों का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सामान्य रूप से मैं इतना कहूंगा कि छोटे-छोटे मामलों, इधर-उधर दिए गए वक्तव्यों के शब्दों से हमारे संबंधों के खतरे में नहीं डालना चाहिए। इन मामलों को अपने प्रमुख राष्ट्रीय हितों तथा समूचे एशियाई लोगों एवं विश्व के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

मैं समझता हूं कि आप समूची सभा की ओर से उनका सर्वसम्मत स्वागत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष जी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जो कदम उठाया था उसी का नतीजा है कि आज चीन के प्रधान मंत्री हमारे देश में पधार रहे हैं। 31 साल के बाद में इस क्षेत्र में एक नया वातावरण पैदा होने जा रहा है। इससे चीन और भारत दोनों देश मिलकर, जो आज दुनिया भर में परिवर्तन की लहर चल रही है, इसके अंदर काम कर सकेंगे। आज श्री राजीव गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मांग थी, उसके पूरा होने के रास्ते में हमने कुछ कदम आगे बढ़ाया है। बहुत सारी शंकाएं जो बताई गई कि तिब्बती लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो एक शुरूआत हुई है, उसके लिए अगर कोई छोटी-मोटी बात उठती है तो उसमें हम लोगों बहुत धीरज के साथ निपटना चाहिए। वाजपेयी जी ने जो बात कही, वह बात सही है कि तिब्बती लोग हमारे देश के मेहमान हैं। हम अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए कोई ऐसा काम न करें जिससे उनको कोई ठेस पहुंचे। मैं सबसे यह प्रार्थना करता हूं कि चीन के प्रधान मंत्री का बहुत अच्छे ढंग से सम्मान होना चाहिए

जिससे भारत की मर्यादा आगे बढ़ सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वाजपेयी जी, श्री योगेन्द्र झा जी, श्री चन्द्रजीत जी, श्री बसु जी, श्री मनोरंजन भक्तजी और अन्य सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मुझे विश्वास है कि यह सभा एकमत से कह रही है कि हम चीन के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे का स्वागत करते हैं। श्री वाजपेयी जी संबंधों के विवरण तथा इसकी जटिलताओं को जानते हैं। उन्होंने बड़ी सार्थकता से मामले को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे श्री भक्त जी, श्री वाजपेयी जी, श्री चन्द्रजीत जी, बसु जी और अन्य सदस्यों की जानकारी पर बिल्कुल सन्देह नहीं है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि समाचारपत्रों में प्रकाशित मामलों की पुष्टि की जाएगी, इसके पश्चात ही हमें इन मामलों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने चाहिए। इस तरह दौरे के बारे में यदि कोई बात समाचारपत्र में प्रकाशित होती है तो यह बेहतर होगा कि हम उस पर बहस के करें या हमें तथ्यों का पता लगाकर ही इस पर बहस करनी चाहिए। बहरहाल, सदस्यों का इरादा इन बातों को एकदम सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

इस दौरे का स्वागत करने के मामले में सर्वसम्मति है। मुझे विश्वास है कि यह सभा समझती है कि चीन और भारत एशिया के देश एवं समूचे विश्व के देश शान्ति, खुशहाली एवं प्रत्येक व्यक्ति की समूची प्रगति के लिए वातावरण बनाने में एकजुट हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : तिब्बतियों की गिरफ्तारी के बारे में होम मिनिस्टर यहां कुछ बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, नेताओं ने बड़ी सतर्कता एवं सुविचारित रूप से जो कुछ कहा है आपको इसे समझना चाहिए। यदि इस मामले में कोई बात है तो इसकी जांच की जा सकती है। हमें प्रामाणिक जानकारी मिलने दो, तब हम इस पर बहस करेंगे। मैं इस बात की प्रशंसा करता, यदि शून्य काल में यह मामला बिना किसी पुष्टि के नहीं उठाया जाता क्योंकि ये मामले काफी नाजुक होते हैं और इन मामलों को सावधानीपूर्वक निपटाया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : गिरफ्तारी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गिरफ्तारी तथा राजदूत के वक्तव्य के बारे में यही कह रहा हूं। हमें इन मामलों के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सभा को प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूं।...

अध्यक्ष महोदय : जार्ज फर्नान्डीज ी सब सदस्यों में, एक महान देशभक्त के रूप में, आप ऐसी बहस उठाना चाहेंगे, जिससे दो देशों के बीच सम्बन्धों को क्षति पहुंचे। मैं आशा करता हूं कि यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : देशभक्ति और मानवाधिकार—क्या वे परस्पर विरोधी * ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। देशभक्ति, मानव अधिकार और विकास परस्पर विरोधी नहीं हैं।

———

1·05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलाजी नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूनियम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखेगए। देखिए संख्या एल० टी०—909/91]

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—910/91]

(2) 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उनकी भर्ती के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—911/91]

लाला रामस्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली का वर्ष 1989 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) लाला रामस्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1989 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला रामस्वरूप क्षय रोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1989 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—912/91]

(3) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—913/91]

(5) (एक) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—914/91]

———

1.11 म० प०

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय—रेलों में संरक्षा और सुरक्षा—संबंधी प्राक्कलन समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.06½ म० प०

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री ए० आर० अन्तुले (कोलाबा) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(I) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड—दोषयुक्त बिलेटों का आयात—के बारे में पहला प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश।

(II) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट(इंडिया)लिमिटेड—विदेशी परियोजनाओं के निष्पादन में हानि—के बारे में दूसरा प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नार्थ आरकोट अम्बेडकर जिले में वैल्लोर के समीप अरनी कस्बे को रेललाइन द्वारा कटपड़ी जंक्शन से जोड़ने की आवश्यकता

श्री बी० अकबर पाशा (वैल्लोर) : महोदय, नार्थ आरकोट अम्बेडकर जिले में वैल्लोर के निकट अरनी कस्बा काफी बड़ा कस्बा है जिसकी जनसंख्या लगभग एक लाख है। हालांकि इस क्षेत्र में काफी व्यापारिक गतिविधियां हैं फिर भी रेल सम्पर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इस कस्बे को इस स्थान के समीप के रेलवे स्टेशन कटपड़ी जंक्शन से जोड़ा जाए।

(दो) उड़ीसा में वन भूमि को उन आदिवासियों को, जो उस पर 50 वर्ष से अधिक समय से खेती करते आ रहे हैं, स्थायी रूप से देने की नीति बनाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में सुन्दरगढ़ के आदिवासियों, जो बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, की दयनीय दशा की ओर दिलाती हूं।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के सुबदेगा खण्ड में फिराखाना मौजा के जनजातीय लोग 1935 से आरक्षित वन को 500 एकड़ से भी अधिक भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के लेफरीपाड़ा, राजगंगपुर खण्ड में सोबोर, तेलें डीही, आंगेरगुडी तथा बाकराबोर मौसा

के आदिवासी भी वन भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से खेती करते आ रहे हैं। ये आदिवासी, उस भूमि को अपने हक में नियमित कराने के लिए यहां-वहां भागदौड़ कर रहे हैं परन्तु सब व्यर्थ है। आदिवासी जब वन अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने इस बात पर अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि उन्हें सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त आदिवासियों को शारीरिक तथा वित्तीय रूप से तंग किया जा रहा है।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह उन आदिवासियों को जिन्होंने 50 वर्ष से अधिक समय से जंगल को साफ कर भूमि को खेती योग्य बनाया और जो पूर्णरूपेण खेती पर निर्भर करते हैं, स्थायी रूप से देने हेतु नीति बनाएं।

(तीन) बिलासपुर, मध्य प्रदेश में मुख्यालय वाला एक रेलवे जोन खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगड़े (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में दसवां रेलवे जोन खोलने के लिए कई वर्षों से मांग होती रही है। पूर्व में सरकार ने आश्वासन दिया था कि जब नये जोन खोलने के बारे में विचार किया जाएगा तब पहली प्राथमिकता बिलासपुर को दी जाएगी।

भारतीय रेल का बिलासपुर डिवीजन रेलवे के सभी 58 डिवीजनों में सर्वाधिक आय देता है। बिलासपुर डिवीजन की रूट लम्बाई 1127 किलोमीटर है एवं प्रति किलोमीटर यह 76 लाख की आय देता है, जबकि भारतीय रेलों का औसत 13 लाख है।

बिलासपुर रेलवे डिवीजन ने इस वर्ष 42 मिलियन टन लोडिंग का रिकार्ड स्थापित किया है, जो भारतीय रेल के कुल लोडिंग का 12 प्रतिशत है। आज यह डिवीजन 5000 वैगनों का लदान प्रतिदिन कर रहा है एवं 860 करोड़ रुपये की आय दे रहा है। मुनाफे की दृष्टि से बिलासपुर मण्डल 156 करोड़ की शुद्ध आय दे रहा है, जो शुद्ध आय का 20 प्रतिशत है।

प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की दृष्टि से भी बिलासपुर उपयुक्त स्थान है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में दसवें रेलवे जोन की स्थापना तत्काल की जाए।

(चार) वाहनों के कारण उत्पन्न प्रदूषण से ताजमहल को बचाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, आगरा में पर्यावरण मंत्रालय की सूचना के अनुसार ताजमहल के तीन किलोमीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले वाहनों से लगभग 65 किलो सल्फर डाई आक्साइड निकलता है जो कि ताजमहल के पत्थर के लिए घोर हानिकारक है।

आगरा से ताजमहल से पांच किलोमीटर की परिधि में होकर तीन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली-कलकत्ता राजमार्ग, आगरा-बम्बई राजमार्ग और आगरा-जयपुर राजमार्ग भी निकलते हैं। इसके अलावा और भी प्रादेशिक राजमार्ग भी निकलते हैं। उन सभी पैट्रोलियम पदार्थों से चालित वाहन निकलते हैं। इन सबसे निकलने वाला धुंआ सल्फर डाई आक्साइड आगरा के उद्योगों से निकलने वाले धुएं के सल्फर डाई आक्साइड के लगभग बराबर होता है। वरद राजन कमेटी ने भी इसका उल्लेख किया है।

शासन ने उद्योगों पर तो पाबंदी लगा दी लेकिन वाहनों के निकलने के लिए ताजमहल से दूर

[श्री भगवान शंकर रावत]

मुद्रिका मार्ग का निर्माण नहीं किया। इस कारण ताजमहल के सौंदर्य व जीवन को लगातार हानि पहुंच रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा में तीनों राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ने वाला मार्ग बनाकर ताजमहल को वाहनों के प्रदूषण से बचाएं जिससे विश्व की यह धरोहर नष्ट होने से बच सके।

[अनुवाद]

(पांच) देश में रेल दुर्घटनाएं रोकने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : देश में रेल दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। पिछले दो महीने के दौरान ही तीन प्रमुख रेल दुर्घटनाएं हुई हैं :—

(क) आन्ध्र प्रदेश में वारंगल तथा काजीपेट के बीच नक्सलवादियों द्वारा तोड़-फोड़ के कारण दुर्घटना हुई।

(ख) कर्नाटक में भारी वर्षा के बाद पटरियों पर चट्टानों के गिरने के कारण कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में नाडीकुडी के पास नरसापुर एक्सप्रेस पटरियों से उतर जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई।

देश में हाल ही में और भी कई रेल दुर्घटनाएं हुई थीं। कई लोग मारे गए और करोड़ों रुपये मूल्य की रेलवे सम्पत्ति की इन दुर्घटनाओं में क्षति हुई।

मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इन दुर्घटनाओं के कारणों की पूरी जांच कराएं तथा विभिन्न भूल-चूकों के बारे में जांच कराएं। मैं टूटीफूटी पटरियों, जो बहुत पुरानी तथा चार-पांच दशक पहले बिछाई गई थीं, को बदलने के लिए निवेदन करता हूं। यात्री डिब्बों तथा रेकों, जिनका आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जा रहा है तथा पर्याप्त मरम्मत तथा रखरखाव के बिना प्रतिदिन हजारों किलोमीटर चलाया जा रहा है, को भी तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है। यात्री डिब्बों, रेकों तथा माल डिब्बों की समय-समय पर पूरी जांच की जानी चाहिए।

(छः) बिहार में कोडरमा में अभ्रक उद्योग का विकास करने और एम० आई० टी० सी० ओ० का एम० एम० टी० सी० के साथ विलय करने की आवश्यकता

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : महोदय, कोडरमा एक समय अभ्रक उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और इस अभ्रक का विदेशों को निर्यात किया जाता था। लगभग साढ़े चार लाख कर्मचारी/श्रमिक इस उद्योग में कार्यरत थे, जो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। परन्तु अब केवल 2,500 श्रमिक ही इस उद्योग में कार्यरत हैं और बाकी बेरोजगार हो गए, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में भारी बेरोजगारी है।

सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एम० आई० टी० सी० ओ० की स्थापना की थी। परन्तु यह संगठन भी भारी घाटे में चल रहा है और यह भारी संख्या में श्रमिकों तथा लिपि-

कीय कर्मचारियों की चरणबद्ध आधार पर छंटनी करने जा रहा है। एम० आई० टी० सी० ओ० को एम० एम० टी० सी० के साथ मिलाने का प्रस्ताव था, परन्तु इसका कुछ भी नहीं हुआ।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक उद्योग के विकास हेतु उपाय करे तथा एम० आई० टी० सी० ओ० को एम० एम० टी0 सी० व्यापकतौर से कर्मचारियों के लाभ हेतु, के साथ शीघ्र मिलाने के लिए उपाय करे।

(सात) असम पर्वतीय क्षेत्र उप योजना में प्रति व्यक्ति योजना निवेश को पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य पर्वतीय राज्यों में इस प्रकार के निवेश के समान बनाने की आवश्यकता

डा० जयन्त रंगपी (स्वायत्तशासी जिला) : महोदय, असम की छठी अनुसूची में आने वाले क्षेत्र यानि कारबी एंगलोंग तथा उत्तरी कछार हिल्स जिलों के लिए अलग से "हिल प्लान बजट" होता है। दूसरे छठी अनुसूची में आने वाले पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को 1971 से अलग राज्य, मेघालय तथा मिजोरम बना दिया गया है और उनका अपना राज्य योजना बजट होता है। अब असम के पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना में प्रति व्यक्ति योजना निवेश पूर्वोत्तर के अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में 200 से 300 प्रतिशत कम है। सिक्किम राज्य, जिसका क्षेत्रफल असम पहाड़ी जिले की तुलना में एक तिहाई है तथा जनसंख्या आधी से भी कम है, का प्रति व्यक्ति योजना निवेश असम पहाड़ी क्षेत्रों से दोगुना है। यही स्थिति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की है।

इसके फलस्वरूप साक्षरता दर, राजस्व अर्जन, स्वास्थ्य देखभाल सूचकांक, गरीबी तथा अन्य प्रमुख पहलुओं की दृष्टि से असम के पहाड़ी जिले पिछड़ गए हैं। इसलिए असम के दो पहाड़ी जिलों के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह असम हिल सारेमा सब प्लान में प्रति व्यक्ति योजना निवेश को कम से कम पूर्वोत्तर के अन्य पहाड़ी राज्यों के बराबर लाने के लिए योजना निधि आवंटन सम्बन्धी नीति में तत्काल परिवर्तन करे।

(आठ) केरल में उत्पादित मिर्च का न्यूनतम मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने और मिर्च की खेती करने वालों के हित में अन्य उपाय करने की आवश्यकता

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : देश में छोटे किसानों को मिर्च की खेती करने वाले भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारत में मिर्च की खेती मुख्य रूप से केरल में केन्द्रित है। 98% मिर्च का उत्पादन राज्य में होता है। तीन वर्ष पूर्व मिर्च का मूल्य 6,000/-रुपये प्रति क्विंटल था जो अब केवल 3,000/-रुपये (प्रति क्विंटल) है। पिछले तीन वर्षों से सभी अनुदानों तथा सेवाओं की लागत तिगुनी से अधिक हो गयी है। मूल्य में आयी इस गिरावट के अतिरिक्त, संक्रामक रोगों से अभूत पूर्व स्तर पर मिर्च की खेती का बहुत बड़ा भू-भाग पूरी तरह नष्ट हो गया है। इसके परिणाम-स्वरूप बेचारे निर्धन किसान पूर्णतया विनाश के कगार पर हैं।

मिर्च का निम्नतम मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस मारक रोग का पता लगाने तथा उसका निदान करने के लिए युद्ध स्तर पर अनु-संधान कार्य भी किया जाना चाहिए। अब तक हुई क्षति के लिए मुआवजा, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में पुन: पौधे लगाने के लिए अनुदानों और सहायता तथा विनष्ट किसानों के पुनर्वास की अविलम्ब व्यवस्था की जानी चाहिए। खेती तथा किसानों की हितों की रक्षा के लिए तुरन्त भारतीय मिर्च निगम की स्थापना की जानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कार्यवाही तुरन्त की जाय।

1.24 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर पच्चीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.28 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर अठाईस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेघालय राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

मेघालय राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा को रद्द करने के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुरकायस्थ भाषण जारी रखेंगे।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं जब मेघालय के संबंध में चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था किया सभा के अध्यक्ष, सभा के दार्शनिक, मार्गदर्शक तथा अभिरक्षक हैं, वे इस समस्या का बड़ी आसानी से समाधान कर सकते हैं। किन्तु समस्या हल करने के स्थान पर उन्होंने उसे और जटिल बना दिया है।

महोदय, यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने ऐसा किया। यह भी सत्य है कि जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, वह दल विहीन व्यक्ति बन जाता है तथा उनकी गतिविधियां दलगत नहीं रहती है और हर एक यही अपेक्षा करता है और हर जगह यही होता भी है। किन्तु, महोदय, मेघालय विधान सभा में हम सभी यह देख रहे हैं कि अध्यक्ष**...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुरकायस्थ, यहां पर आप अध्यक्ष के चरित्र की विवेचना नहीं कर सकते हैं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : मैं अध्यक्ष की भूमिका के बारे में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा करें। आपको मर्यादाओं का ज्ञान होना चाहिए, आप कोई आक्षेप नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वहां के स्पीकर महोदय कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए हैं। जब हम, कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से उनका व्यवहार और आचरण, जो निश्चित रूप से गलत हुआ है, की चर्चा करेंगे तो उसमें स्पीकर की बात भी आ जाएगी। इसका निदान क्या है ? यह हमारी मजबूरी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाय। आपको ऐसी बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो। हम इस सभा में दूसरी सभा के अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष चाहे किसी पार्टी का हो, किन्तु नियम यह है कि हम सभा में किसी भी अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : वे कांग्रेस पार्टी के लीडर थे।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह तथ्यात्मक रूप से गलत है; वह कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं। यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य वे हर बात कह रहे हैं और जो मर्जी आए आरोप लगा रहे हैं। यह कार्य वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम, किसी का बचाव करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : वे कांग्रेस पार्टी के लीडर अपने को मुख्यमन्त्री बनाने के लिए सोच रहे थे।

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : अध्यक्ष के विषय में, राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वह मुख्यमन्त्री बनना चाहते थे। क्या यह सच नहीं है ? मैं सिर्फ उतनी बात बता रहा हूं जो राज्य के राज्यपाल ने कहा था। यह सब नहीं होता अगर अध्यक्ष मुख्यमन्त्री बनने के बारे में नहीं सोचते की राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शासन स्वत: लागू हो जाता है। अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी पालन नहीं किया। यदि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य किया होता तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। अत:, हर तरफ से यह बिलकुल स्पष्ट है कि अध्यक्ष द्वारा अदा की गई भूमिका ही अन्तत: मेघालय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के लिए जिम्मेदार थी। अब आप मणिपुर का मामला देख सकते हैं और यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सभी पूर्वोत्तर राज्यों की यही हालत हो सकती है। मेघालय राज्य में व्याप्त संकट अन्य

[श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ]

मामलों में भी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है, मेरा अपना मत है कि मेघालय में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया जाना चाहिए और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति का माहौल पैदा होगा, इसलिए, मैं सदन और आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि मेघालय राज्य के लोगों के हित में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया जाये।

2.35 म० प०

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र, विपक्षी दल के नेता के आचरण की महानता का ही सम्मान नहीं करता हूं बल्कि उनके मस्तिष्क की प्रखरता का भी सम्मान करता हूं और मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि अधिकतर सदस्यों ने उनके भाषण की प्रखरता को समझा है। जैसा मैंने देखा है कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस सज्जन पर उतारा है जो विधान सभा अध्यक्ष था और बाद में उन्होंने सोचा कि किसी व्यक्ति के लिए यह अनोखी बात है जो अध्यक्ष था और जिसने विशिष्ट तरीके से कार्य किया तथा बाद में मुख्य मंत्री बनने के लिए दल का नेता बन गया।

महोदय, वास्तव में मैं श्री पीटर मरबनिआंग का मित्र हूं और मुझे यह तथ्य उन्हीं से पता चले हैं। मैं जानता हूं कि उनका एक वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रहने के अलावा विधायी सेवाओं में लम्बा अनुभव रहा है। वह 12 वर्षों तक मंत्री रहे और आज उनके पास बहुमत है। राष्ट्रपति ने केवल राज्यपाल की इस रिपोर्ट को स्वीकार किया कि वहां स्थायी सरकार बनाने का कोई अवसर नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने विधान सभा के पांच सदस्यों, जिन्हें दल-बदल के लिए सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया था, में से चार सदस्यों की सदस्यता को बहाल कर दिया था। यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

जब मैंने वर्तमान अध्यक्ष का स्वागत किया तो मैंने एक प्रश्न यह भी किया था, कि इन 36 वर्षों का उपेक्षा अनुभव मुझे नहीं था।—कि अध्यक्ष इस सदन की सार्वभौमिकता का केन्द्र बिन्दु है। वह अपनी सार्वभौमिकता का प्रतीक है और अपनी सार्वभौमिकता के माध्यम से वह इस सदन की सार्वभौमिकता दर्शाता है। वह किसी भी तरह से उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। उसे उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सम्मानों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि यह मामला स्पष्ट है।

उच्चतम न्यायालय, जहां मैंने उच्च पदों पर 39 वर्षों तक सेवा की है, के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय में क्या-क्या होता है। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से प्रायः भिन्न होता है। मुझे इसका कार्य रूप में अनुभव है।

मुझे 2½ वर्षों तक श्रीमती इन्दिरा गांधी के पक्ष में तब प्रतिवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था जब वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री थीं, मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था। परन्तु उन्होंने अपने बचाव के लिए सभी स्वतन्त्र सदस्यों में से मुझे अपना वकील चुना, मैं उन्हें दोषमुक्त कराने में समर्थ था। उन पर भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एस० सी० शाह की अदालत में मुकदमा चलाया गया जिन्होंने

उन पर अभियोग लगाने का भी आदेश दिया था। मैंने इन आदेशों को निरस्त कराया। एक बात जो मैंने वहां कही थी वह यह थी कि उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष के ऊपर कोई न्यायाधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते समय तो मैंने कहा था कि वह सार्वभौमिकता का केन्द्र बिन्दु है; वह अपने आप मे सार्वभौम है। उच्चतम न्यायालय उसे सम्मन भी नहीं दे सकता है। यदि उसे बुलाया जाता है तो वह इसे अनदेखा कर सकता है। यही एक बात है जहां मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय ने पांच अयोग्य घोषित सदस्यों में से चार सदस्यों की अयोग्यता को निरस्त करके गलती की थी। वहां पांच सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का सार्वभौमिक अधिकार केवल अध्यक्ष को ही था। मेघालय में केवल एक ही दल है। बाकी छोटे-छोटे समूहों के सदस्य हैं। किसी में चार सदस्य, दो सदस्य, तीन सदस्य इत्यादि है। इसलिए वहां पांच सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी ही बहुमत में होगी।

मेरा विचार है कि यहां दूसरा आरोप अकारण लगाया गया है। मैं इस सज्जन श्री लिंग्दोह को नहीं जानता हूं जिन्हें दल के नेता के नेता के रूप में चुना गया था। राष्ट्रपति ने विधान सभा को केवल निलम्बन की अवस्था में रखा है। वे पांच सदस्यों से मिल सकते थे तथा सरकार गठित कर सकते थे। यही इस समस्या का अन्त है। दुर्भाग्य की बात है कि सदन के नेता पद से सम्मानित व्यक्ति का आदर नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस तरह अनुचित उपयोग किया है कि पहले वह अध्यक्ष बने, उसके बाद सदस्यता रद्द करने की शक्ति का उपयोग करे और अन्ततः स्वयं मुख्य मंत्री बन जाये। वहां इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। एक श्री लिंग्दो को कांग्रेस दल का नेता चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश की शर्तों के अनुसार वे पांचों लोग वहां बैठक करते तथा बहुमत सिद्ध करते और सरकार गठित करते।

क्या मैं यह कह सकता हूं ? इस सम्मानीय सभा में यह मेरा 37 वां वर्ष है और इस देश ने ऐसे बिखराव का सामना कभी नहीं किया, जिसका सामना यह इस समय कर रहा है। पहले कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा। मैं नाम नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु उन लोगों का उद्देश्य क्या था, जिन्होंने बिखराव का रूप दिया ? इसका उद्देश्य मंगलमय है। स्पष्टतः इसका उद्देश्य राजनैतिक भ्रष्टाचार है। किसी प्रकार से अथवा दूसरी तरह से, उनका उद्देश्य छोटे-छोटे दलों का गठन करना है और उनमें से कोई भी लगभग बहुमत बनाने मे सफल नहीं रहते हैं किन्तु उन्होंने देश का पिछड़ापन ही बढ़ाया है। मुझे आंग्ल-भारतीय समुदाय का नेतृत्व करने का विशेषाधिकार और श्रेय प्राप्त है। मैं कहता हूं कि मैं तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा के एक पद के लिए सर्वप्रथम नाम निर्देशित किया गया था। तब हम विधान सभा के सदस्य थे। सारे देश के 65 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय ने मुझे अध्यक्ष और मुखिया चुना था। वाइसराय ने मुझे विधान सभा सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया, उसके बाद, मैं संविधान सभा के लिए चुना गया। संविधान सभा में दुर्भाग्यवश, मैं केवल अल्पसंख्यकों से संबंधित रहा और अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इसी अध्याय में रख दिया गया। जो हुआ, वह यही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उस समय यह संरक्षण मिला। हमने कुछ सेवाओं के लिए कोटा निर्धारित किया। हमारे पास वित्तीय कोटा था और धारा 334 के अन्तर्गत हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में संयुक्त उपबन्ध बनाये। मुसलमानों ने आरक्षण मांगा। उन्हें मना कर दिया गया। सिखों ने आरक्षण मांगा। उन्हें मना कर दिया गया। ईसाइयों ने आरक्षण मांगा। उन्हें मना

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

कर दिया गया। पारसियों के बारे में क्या हुआ ? मैं पारसियों की ओर से कुछ नहीं कहना चाहता हूं ? आज हम आंग्ल-भारतीयों के अनुपात में हैं। यदि आप आंग्ल-भारतीयों को कुछ देते हैं, तो आप हमें भी दें, किन्तु हम कुछ मांगते, कुछ नहीं।

मैं विशेष रूप से महात्मा जी के साथ और फिर सरदार पटेल, जो अल्पसंख्यक समिति के सभापति थे, के माध्यम से अनुच्छेद 331, 332 और 334 को संयुक्त अनुच्छेद बनवाने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों को सामूहिक रूप से आरक्षण उपलब्ध करवाने में समर्थ था। अनुसूचित जातियों के 15 मिलियन, अनुसूचित जनजातियों के 7 मिलियन लोग थे जो 22.5 प्रतिशत होते हैं। इसके आधार पर मेरा कोटा 60 प्रतिशत था। आज हमारे पास अनुच्छेद 334 में यह एकमात्र ऐसा उपबन्ध है, जिसके कारण इस सभा में हम दो आंग्ल-भारतीय नामनिर्देशित सदस्य हैं। स्थिति यह है।

मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा और सभ्य व्यवहार के बावजूद, एक सज्जन का व्यवहार और कहना कि यह एक बाजार है और वह बेलगाम, और बेबुनियाद हो गयी है, क्योंकि दल के नेता के रूप में उनके वापस आने का प्रश्न नहीं है। यदि इस सबके बावजूद वह अध्यक्ष के रूप में बने रहते और अध्यक्ष के रूप में उनका ही उद्देश्य पूरा होता।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल गृह राज्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके बाद मैंने प्रस्ताव रखा था कि यह सदन राष्ट्रपति की सिफारिश करे कि मेघालय में राष्ट्रपति शासन, जो अक्टूबर में लागू किया गया था, को वापिस लिया जाए। लगभग 15 सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया और अधिकांश ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उनके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

कुछ तथ्य सबके ध्यान में हैं और उसका उल्लेख सबने किया। मैं उनको संक्षेप में कहूंगा कि एम॰ यू॰ पी॰ पी॰ की सरकार लिंगदों के नेतृत्व में मार्च 1990 में बनी और अक्टूबर 1991 तक चली। पूरी देर उसे सदन में, विधान सभा में बहुमत था। दो बार शक्ति परीक्षण हुआ। एक बार अगस्त 7, 1991 को जब विश्वास का प्रस्ताव, जो मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया था, उसमें तीस सदस्यों ने उसके समर्थन में मत दिए और सत्ताईस सदस्यों ने उसके खिलाफ मत दिए। दूसरी बार 8 अक्टूबर 1991 को जब फिर से विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो मतदान के समय तीस सदस्यों ने उसके समर्थन में मत दिए और छब्बीस सदस्यों ने उसके विपक्ष में मत दिए। लेकिन उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने यह कहकर कि उन तीस में से मैं चार मत नहीं गिनता हूं क्योंकि मैंने उनका डिस्क्वालीफिकेशन किया है। इसलिए मतदान का जो निर्णय उन्होंने घोषित किया वह 26-26 किया और कहा कि यह तो टाई है, यह तो समान मतदान है और समान मतदान की स्थिति में अध्यक्ष को जो अपने निर्णायक मत देने का अधिकार है कास्टिंग वोट देने का अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए मैं इसके खिलाफ मत देता हूं। यह था निर्णय 8 अक्टूबर का जिसके बाद 11 अक्टूबर को राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ। अब इस सदन में, मैं समझता हूं कि बहुमत राष्ट्रपति शासन को लागू करने के खिलाफ है। जो सारी चर्चा हुई थी उसमें से भी यह ध्वनि निकलती थी। चर्चा में से

यह भी ध्वनि निकलती थी कि सदन यह चाहता है कि राष्ट्रपति का शासन वापिस लेकर जो पूर्व स्थिति वहां पर थी उसको फिर से कायमक किया जाए। यद्यपि ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा कि हमारी मान्यता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वहां पर सदन में सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए उस पार्टी के नेता को आमंत्रित किया जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि इस समय राज्यपाल ने सिफारिश की है कि सदन को भंग कर दिया जाए। हम लोग, जिन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि पूर्व स्थिति वापिस लाई जाए और उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता को बुलाकर उसकी सरकार बनाई जाए, उसमें से यह मत निकला कि पूरा सदन राज्यपाल की इस सिफारिश के खिलाफ है कि सदन को भंग किया जाए क्योंकि सदन को भंग करने के बाद तो कांग्रेस पार्टी के नेता को भी बुलाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमारी तरफ से जो राय है वह यह है कि सदन को भंग नहीं किया जाना चाहिए और शासन को अधिकार है केन्द्र सरकार को अधिकार है कि राज्यपाल की सिफारिश माने अथवा न माने। इस बीच में आज प्रातः काल प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। जिसमें गृह मंत्री भी उपस्थित थे, संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित थे और गृह मंत्रालय के व संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही यह चर्चा हुई। उसमें प्रधान मंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं और सभी उपस्थित लोगों को यह बताया कि यह सिफारिश राज्यपाल की चार दिन से सरकार के पास पड़ी है कि सदन को भंग किया जाये लेकिन फिर भी अगर हमने उसके अनुसार आचरण नहीं किया है तो उसका कारण है कि हमारे मन में यह इच्छा है कि अगर वहां कोई पापुलर सरकार बन सके तो अच्छा होगा। हम भी इस राय के हैं लेकिन इस समय स्थिति यह है कि आज 10 दिसम्बर है और 10 दिसम्बर तक अगर दोनों सदन राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय का अनुमोदन नहीं करते हैं तो एक संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा। उन्होंने जो हमारे सामने समस्या रखी वह यह है कि आज रात्रि 12 बजे तक अगर यह सदन इसको पारित नहीं करता और खास करके ऐसी स्थिति में जब वहां पर राज्यपाल ने सिफारिश की है कि यहां पर कोई स्थायी सरकार बन नहीं सकती, कोई नेता ऐसा नहीं है जिस को बुला कर मैं एक वायबल गवर्नमेंट दे सकूं, ऐसी स्थिति में अगर सदन में यह पारित नहीं करते तो एक कांस्टीट्यूशनल डेडलाक, एक कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन पैदा हो जायेगा, एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जायेगा जो कि उचित नहीं होगा। इस आधार पर हमारी राय ज्यों की त्यों रहते हुए भी हमने कहा कि कोई भी संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि बिना गतिरोध के समस्या का हल हो लेकिन हम साथ-साथ इस बात पर बल देना चाहेंगे और जो बात प्रधान मंत्री जी ने कही कि सदन की जो राय है वह राज्यपाल तक पहुंचायी जायेगी, राज्यपाल को कहा जायेगा कि इस सदन में लोगों ने यह राय रखी और उसमें अगर सार कहूं तो यह कहूंगा कि यह सदन आज विधान सभा को भंग करने के पक्ष में नहीं है। आज की स्थिति में उसको भंग किया जाये, इसके साथ हम सहमत नहीं हैं।

दूसरी राय हमारी यह है, विपक्ष की राय, अधिकांश लोगों की राय कि राष्ट्रपति शासन वापिस लिया जाये और पूर्व स्थिति फिर से कायम की जाये, लेकिन मैं इस संवैधानिक पहलू से परिचित हूं जो सरकार ने हमारे सामने रखी। यह एक ऐसा एरिया है जिस के बारे में केन्द्र सरकार कभी राज्यपाल को निर्देश नहीं देती, यह उसके डिसक्रेशन का एरिया है कि विधान सभा में अगर सरकार बननी है तो सरकार किसकी बने, उसका नेता कौन हो? इसीलिए मैं इस बात को समझता

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हूं कि इसके बारे में निर्देश नहीं दिये जा सकते, लेकिन उन तक यह बात पहुंचायी जा सकती है कि जो सरकार विधिवत पिछले साल बनी थी और जो सरकार डेढ़ साल तक काम करती रही, कभी भी अल्पमत में नहीं आई, बहुमत नहीं खोया और यहां तक कि चार सदस्यों को अमान्य करके, जिसका उल्लेख राज्यपाल की स्वयं की पहली रिपोर्ट में है, जिस में उन्होंने कहा है कि :

[अनुवाद]

"अत: यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान नहीं लिया है।"

[हिन्दी]

पिछले सप्ताह जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी उसमें फिर से इस बात का उल्लेख किया कि मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारी राय उन तक पहुंचायी जाये कि हम चाहेंगे कि पूर्व स्थिति पैदा हो और यह भी पहुंचायी जाये कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को वहां आमंत्रित किया जाये जिसका कुल मिला कर सार यह निकला कि उसको भंग न किया जाये, चुनाव न करवाये जायें।

दूसरी बात जिस पर मैं और बल देना चाहूंगा वह यह कि इस प्रकार की चर्चा जब भी होती है, उन चर्चाओं का निष्कर्ष हमेशा यह निकलना चाहिये कि किसी पार्टी को बहुमत है अथवा नहीं है या कोई सरकार बहुमत में है या बहुमत खो चुकी है, इसका निर्णय राजभवन में कभी नहीं होना चाहिये, यह निर्णय हमेशा विधान सभा में होना चाहिये। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ, लेकिन इस आधार पर फिर वहीं पर चर्चा हुई थी कहा गया कि यह निर्णय कब करेंगे, तो सब ने कहा कि इस निर्णय में अधिक समय नहीं लगना चाहिए तो प्रधान मंत्री जी ने हमको कहा कि आप जो भी समय उचित समझें, वह मान लें तो सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर इसका निर्णय हो जाना चाहिए, 16 तारीख के अन्दर-अन्दर और जिसके आधार पर सभी विपक्ष के सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम यद्यपि राष्ट्रपति के शासन को लागू करना उचित नहीं समझते लेकिन, क्योंकि, हम संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे लेकिन उसमें यह आश्वस्ति भी साथ जुड़ी हुई है। मैं स्वयं इस मत का था कि यह प्रस्ताव भी पास हो सकता था, जो मैंने प्रस्तुत किया और वह भी पास हो सकता था, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं लेकिन एक आशंका प्रकट की गई कि एक परम्परा सी बन जायेगी, इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने की और इसीलिए आज न किया जाय तो अच्छा होगा।

मैं यह मानता हूं कि यह सदन राष्ट्रपति की सिफारिश करे या सरकार आश्वासन दे, दोनों का महत्व है। सरकार जब आश्वासन देती है, इस मामले में, जो बात प्रधान मंत्री जी ने विपक्ष के सदस्यों को कही, वही बात आज अगर यहां पर गृह मंत्री जी भी कह देंगे तो सदन के सामने एक आश्वासन हो जायेगा, जिसके आधार पर हम इन दोनों प्रस्तावों के बारे में उचित अपना निर्णय दे सकेंगे।

मैं एक बार पुन: सदन के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस जटिल विषय पर ठीक प्रकार से चर्चा करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया, सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर यह सुनिश्चित करने की गहरी इच्छा व्यक्त की कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थिरता बहाल की जाये, मैं उनके भाषणों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, जब सभी ने सोचा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शान्तिपूर्ण जन जीवन बहाल करना होगा, यह सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हमेशा ही वचन बद्ध रही है, क्योंकि विगत के किन्हीं भी कष्टों में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया।

यहां पर स्थिति यह है यदि कुछ सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस का राज्य में दूसरी सरकार के स्थान पर कांग्रेस सरकार के गठन का इरादा है, यह सच नहीं है। तथ्यों को देखिये। राज्यपाल द्वारा पहले भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर हमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी करनी पड़ी, जिसकी पुष्टि के लिए मैं सभा के सम्मुख आया हूं···

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यदि आपने ऐसा नहीं कहा होता, तो मैं इसका उल्लेख नहीं करता, मैंने राज्यपाल की रिपोर्ट देखी है, जिसमें पृष्ठ-2 में कहा गया है।" आज कांग्रेस के दो नेता, जो केन्द्रीय मंत्री हैं, मुझसे मिले और सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया।"

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जेकब : जैसा कि आप राज्यपाल की रिपोर्ट से भली भांति जानते हैं कि उस समय की वास्तविक स्थिति यह थी कि दोनों पक्षों ने उस पर दावा किया था। परन्तु राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी और कहा 'मैं दूसरे विकल्प का सुझाव देता हूं। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि "अल्प अवधि के लिए विधान सभा को निलंबित करने और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।" तथापि यदि इस बात पर सहमति नहीं होगी तो मैं सरकार बनाने के लिए और तीन सप्ताह के अन्दर सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विपक्ष अर्थात् कांग्रेस के नेता को आमन्त्रित करूंगा।" मैंने सोचा कि जब मैं इस संकल्प को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करूंगा तो समूची सभा को प्रसन्नता होगी क्योंकि हमने राज्यपाल के इस विकल्प को नहीं स्वीकार किया था कि इस प्रयोग के लिए विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाए। हमें यह विश्वास दिलाना है कि उस राज्य में स्थायी सरकार होनी चाहिए। वहां स्थाई सरकार बनाना सम्भव नहीं था क्योंकि राज्यपाल ने इस प्रकार की सिफारिश की थी। सरकार राज्यपाल की सिफारिशों को केवल इस राज्य के लिए ही ईमानदारी से स्वीकार नहीं करती है बल्कि राज्यों के लिए भी। हम इस राज्य को एक उदाहरण के रूप में दिखाना चाहते थे क्योंकि इस सरकार के सामने इस प्रकार का यह पहला उदाहरण है। वहां राज्यपाल की सिफारिशें सही हैं। राज्यपाल दो विकल्पों की सिफारिश करता है कि या तो आप 'क' की सरकार बनाइए अथवा विधान सभा को निलंबित रखिए। हमने विधान सभा को निलंबित करना ही उचित समझा।

[श्री एम० एम० जैकब]

3.00 म० प०

यदि कोई बहुमत सिद्ध कर सकता है तो अच्छी बात है। इसी दौरान उच्चतम न्यायालय और अध्यक्ष की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई थी। इन सब बातों का राज्यपाल की बाद में बई अर्थात् 4 तारीख की दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। उस रिपोर्ट में भी राज्यपाल ने कहा था कि उन्हें विश्वास नहीं है कि इस समय कोई दल सरकार बना सकता है। इसलिए वह विधान सभा को तत्काल सक्रिय बनाने के पक्ष में नहीं हैं।

जैसाकि श्री आडवाणी ने अपने भाषण में कहा है कि आज हमने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें अधिकांश पार्टियों के नेता उपस्थित थे। इस बैठक में राज्यपाल की नवीनतम रिपोर्ट पर उपस्थित नेताओं के साथ विचार विमर्श किया गया था। हमने इसके लाभ और हानि दोनों पक्षों पर विचारविमर्श किया। यह सच है कि मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषण का आज आखिरीदिन है। इसलिए आज रात तक कोई निर्णय ले लिया जाए। सभी दल के नेताओं ने सोचा कि हमें राज्यपाल की सिफारिशों का समर्थन करना चाहिए। मैं सभी दलों के नेताओं का इस सुझाव के लिए आभारी हूं, कि हमें राज्यपाल की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। उसके आधार पर मैं इस संकल्प के समर्थन के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं।

इसके बाद इस बात पर भी विचारविमर्श किया गया कि यदि हम आज कुछ नहीं कर पाये तो कल क्या होगा। यह एक संवैधानिक संकट है। वहां पर कोई सरकार नहीं है और कोई मुख्यमंत्री नहीं है। किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हम यह नहीं जानते कि क्या अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति देंगे अथवा नहीं। यदि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी तो गतिरोध बना रहेगा। हमें इस बात की चिन्ता है : यदि उन चार अयोग्य सदस्यों के बारे में विचार किया जाएगा तो हाल ही चुनाव के बाद अब एक सदस्य कांग्रेस के लिए चुना जाता है और एक निर्दलीय सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो रहा है— संतुलन फिर बिगड़ेगा। हम यह नहीं जानते कि कल को क्या होगा। इसलिए राज्य और मेघालय की जनता के हित में हमने सोचा कि हम इन्तजार करें और देखें कि इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान किस प्रकार निकाला जा सकता है। हमारी किसी विशेष सरकार को बनाने में रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में आए।

हम विपक्ष के नेताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं से राज्यपाल को अवगत करा देंगे। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। मैं उनके द्वारा व्यक्त भावनाओं को तुरंत बता दूंगा कि हम सभा को भंग नहीं करना चाहते हैं हम यह देखना चाहते हैं कि कोई सरकार सत्ता में आए। जैसा कि आपने सुबह कहा था कि ये सब बातें राज्यपाल को बता दी जायेंगी; हमें अपने सहयोग से यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बनी रहे। यदि हम चाहें कि सत्ता पक्ष की सरकार हो अथवा विपक्ष की चाहे जो भी पक्ष हो, दल-बदल को बढ़ावा देते हैं तो यह बहुत बुरी बात है। मैं यह बिलकुल स्पष्ट रूप से कहता हूं। मैं ऐसा अन्तिम व्यक्ति होऊंगा जो किसी भी राज्य में जाकर दल-बदल के उपाय के बारे में सोचूंगा।

यद्यपि 1988 में मेघालय में सरकार थी, श्री पी० ए० संगमा मुख्य मंत्री थे कुछ वर्षों के बाद जब राष्ट्रीय परिवर्तन हुआ तो राज्य सरकार भी अचानक बदल गई तो इन्हीं मुख्यमंत्री श्री लिंगदोह; जो श्री संगमा के मंत्रिमंडल में मंत्री थे वे अपनी निष्ठा बदल कर एक नई पार्टी बना ली। इसलिए मैं

अभी भी कहता हूं कि सभा को वहां की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए।

मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करता हूं—क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूं—कि वहां कोई सरकार सत्ता में आए। वहां पार्टी सदस्य संख्या इस प्रकार है—एच० पी० यू०,(बी० बी)—4, एच० पी० यू० (बी० सी०)-7, एच० पी० यू० (ओ)-5; एच० एस०पी० डी० पी०-4; एच० एस० डी० डब्लू० पी०—2; पी० डी० आई० सी०—2; निर्दलीय-6 (5 सदस्य अयोग्य घोषित ठहरा दिये गए हैं) इस प्रकार सदस्य संख्या 30 है। यदि आप दूसरे पक्ष की तरफ ध्यान दें तो सदस्य संख्या इस प्रकार: कांग्रेस (इ)—22 एक सदस्य और है तथा सम्बद्ध सदस्य 6 है। इसका तात्पर्य यह है कि इसकी सदस्य संख्या 29 है।

इसलिए दोनों पक्ष राज्यपाल के पास गये और यह दावा किया कि उनकी संख्या 30 है। हमें वास्तविक स्थिति का पता नहीं है परन्तु यह एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है। जब दोनों पक्षों समान सदस्य संख्या का दावा करते हैं तो हमारे पास राज्यपाल से सलाह लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। सभा को तत्काल भंग करने के बजाए हमने आपसे सरकार तथा लोकतांत्रिक ढांचे को पुनः सक्रिय करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए अनुरोध किया। हमारा कार्य लोकतांत्रिक ढांचे को कायम रखना है और हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में लोकतांत्रिक ढांचे फले-फूले।

मैं श्री आडवानी को विश्वास दिलाता हूं कि जैसा वह सोचते हैं, हम सदन को भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जितना संभव हो मेघालय में कोई सरकार सत्ता में आये। उनके इरादों और इच्छाओं से राज्यपाल को अवगत करा दिया जायेगा।

"मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय अथवा लोक सभा अध्यक्ष महत्वपूर्ण हैं। इस पर अन्य राज्यों में भी चर्चा हो रही है। मणिपुर में, कल अध्यक्ष महोदय ने किसी बात पर बोलने की अनुमति नहीं दी। ये सारी समस्यायें वहां पर हैं। लेकिन हम उसकी चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं अध्यक्ष बनाम उच्चतम न्यायालय पर चर्चा को टाल रहा हूं क्योंकि मैं इस बहस को यहीं पर छोड़ रहा हूं। इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। (व्यवधान) यहां तक कि मैं अयोध्या का भी जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं केवल सीमित मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

एक माननीय सदस्य : आप मणिपुर का उल्लेख कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एम० एम० जेकब : अब केवल मेघालय पर चर्चा करेंगे। हम सभी मेघालय के बारे में चिन्तित हैं। मेरी आपसे केवल यह अनुरोध है कि 11 अक्टूबर को जारी की गई राष्ट्रपति की अधिसूचना में संशोधन करें। आज अन्तिम दिन है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस सरकार की स्थिति की प्रशंसा करेंगे और सांविधिक संकल्प का समर्थन करेंगे।

आडवानी जी मैं आप से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव पर जोर न दें। मैं आशा करता हूं कि आप इसे वापस ले लेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : 16 तारीख को दिये गए आश्वासन, का क्या हुआ जिसमें आपने कहा था कि कोई नई चीज होगी। (व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब: जब मैं कह रहा हूं कि आज सुबह हुई चर्चा के सारांश को पारित कर दूंगा तो इसमें वह भी शामिल है।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने विपक्ष के नेता का आशय यही समझा कि आज सुबह सर्वदलीय बैठक में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 16 तारीख तक कोई न कोई निर्णय ले लिया जायेगा। (व्यवधान)। क्या गृह मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि 16 तारीख के पहले वहां पर एक नई सरकार बन जायेगी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त, (मिदनापुर) नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उपस्थित है। वह जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री एम० एम० जैकब : ऐसा लगता है। कि कुछ सदस्यों ने मेरे शब्दों या वाक्यों का गलत अर्थ लगाया है। मैंने कहा कि—हम विपक्ष के नेता तथा दलों के अन्य नेता—सुबह जब मिले, तो सबने अपने अपने विचार रखे! हमने अपनी चिन्ता व्यक्त की और कहा कि एक सप्ताह के अन्दर वहां पर हम एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं।

मैंने एक भाषण में कहा कि मैं आज सुबह हुई सारी बातों से राज्यपाल को उनकी रिपोर्ट के लिए अवगत करा दूंगा। जैसी कि सुबह बताया गया था कि हमें तुरन्त रिपोर्ट मिल जायेगी। हमें आशा है कि तब तक सब ठीक हो जायेगा।

श्री श्रीकान्त जेना : 16 तक ?

श्री एम० एम० जैकब : 16 तक। मैंने यही कहा है—इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप प्रस्ताव वापस ले लेंगे और सांविधिक संकलन को पारित होने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जहां तक मेरे द्वारा कल प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव का संबंध है, मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है —

"कि यह सभा मेघालय राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 अक्तूबर 1991 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तुत किये गए सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किये जाने के बाद, श्री एल० के० आडवाणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव नियम 338 के अन्तर्गत आता है।

श्री लाल के० आडवाणी : मुझे खेद है कि अध्यादेश के सम्बन्ध में आपने निरनुमोदन प्रस्ताव की तुल्या की है जो कि इस मामले में ठीक नहीं है। इस मामले में सदन ने अब जो किया है वह सरकार द्वारा दो महीने पूर्ण लिये गए निर्णय को स्वीकृति दी है। इसके बाद भी मेरा यह विशेष प्रस्ताव वैध है। आज भी, यह संकल्प स्वीकार करने के बाद सदन इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है। इसलिए इस स्थिति में सदन ही यह निर्णय करेगा कि मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति है या नहीं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 338 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है—

"किसी प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए जो सारवान रूप में उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में पहले विनिश्चय कर चुकी है।"

मैं अध्यक्ष पीठ के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आडवाणी जी का प्रस्ताव निरनुमोदन प्रस्ताव नहीं है। यह एक हल्का प्रस्ताव है जिसमें निरसन की मांग की गई है और जो कि अनुवर्ती कार्यवाही न होकर पूर्ववर्ती कार्यवाही है। इसलिए इस प्रस्ताव का अपना आधार है और वापस लिये जाने के लिए सभा की अनुमति के लिए रखा जा सकता है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

कुछ माननीय सदस्य : हां!

(सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

3.12 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में मद संख्या 10, यानि नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा जो मैं उठा रहा हूं, वह आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल ही में हुई बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में है।

महोदय, मैं इस विषय पर दलगत रूप में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि चर्चा में एक दल द्वारा दूसरे दल पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए जायेंगे। स्थिति इतनी गम्भीर हो

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

गई है कि यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बन गया है। इस समय कानून तथा व्यवस्था की स्थिति विद्यमान नहीं है, अपितु पूर्ण अराजकता तथा अव्यवस्था है जो पूरे देश में फैल रही है और ऐसा रूप धारण करती जा रही है जिससे देश की एकता व अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस समस्या की गम्भीरता को हल्के रूप में नहीं लेगी। यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कभी यह देश के सीमान्त राज्यों की समस्या हुआ करती थी। किन्तु अब ऐसा नहीं है। आतंकवादी हिंसा जो कभी पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर विशेषकर कश्मीर की घाटी तक ही सीमित थी। अब उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, बिहार और देश के अन्य स्थानों में कैंसर की तरह फैल रही है, राजधानी दिल्ली जहां हम रहते और काम करते है की बात करना ही बेकार है। महोदय, आज कोई व्यक्ति दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, यह बात निश्चित है कि यदि आतंकवादी अथवा हिंसक तत्व दिल्ली में किसी व्यक्ति अथवा किसी स्थान पर आघात करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिये कोई सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं है। हम देख रहे हैं कि ऐसी कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं।

सुरक्षा बलों से लेकर न्यायपालिका तक इस देश की सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियां गतिहीन हैं। मैं एक पल के लिए भी सुरक्षा बलों द्वारा समय-समय पर किए गए अच्छे कार्य की निन्दा नहीं कर सकता। लेकिन सामान्य तौर पर देखते हुए हो रहे हमलों के परिप्रेक्ष्य में कानून व व्यवस्था तंत्र, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्यायपालिका कुछ गतिहीन-सी लग रही है। इसे इस तथ्य से और बढ़ावा मिलता है कि नौकरशाही, जो इन समस्याओं से निपटती है दिन-ब-दिन भ्रष्ट होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप जन-सामान्य नितांत बेसहारा तथा हतोत्साहित महसूस करते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है और सरकार को इससे राष्ट्रीय समस्या के तौर पर निपटना चाहिए।

यह आतंकवाद नये-नये कार्यक्षेत्रों की तलाश में है और इसने नये 'मारक क्षेत्र' ढूंढे हैं। उदाहरण के तौर पर दो-एक दिन पूर्व टोहाना, हरियाणा में हत्याकांड हुआ। आम चुनावों के प्रथम 100 दिनों के भीतर केवल तराई में 49 ऐसी घटनाओं में 38 लोग मारे गए और यह पीलीभीत के जघन्य हत्याकांड के अलावा है। रुद्रपुर, उत्तर प्रदेश में जब लोगों की एक भीड़ दशहरा से पूर्व 'रामायण' देख रही थी तो 50 लोगों की हत्या की गई।

मैं कहूंगा कि तराई में बसे हुए सिख कृषक, जो खेती-बाड़ी करते हैं, पुलिस के बरताव के कारण पृथक होते जा रहे हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि कोई भी सिख कृषक आतंकवादी हो सकता है और उनके बरताव से कृषक और अधिक पृथक हो जाते हैं।

जहां तक पंजाब का सवाल है तो आजकल हर कोई यह कहता है कि हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में हो रही आतंकवादी घटनाएं पंजाब में सेना तैनात करने के परिणामस्वरूप हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में भारी संख्या में सेना तैनात करने के कारण आतंकवादियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वे पड़ोसी राज्यों को अपना कार्यक्षेत्र बना रहे हैं।

3.18 म० प०

(राव रामसिंह पीठासीन हुए)

सेना तैनात किए जाने के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। बड़ी संख्या में सैनिकों को पंजाब में भेजा गया है। मुझे सही संख्या मालूम नहीं

हैं, शायद दो या तीन डिवीजन के बीच। अब वे एक अभियान चला रहे हैं जिसका संकेत नाम 'रक्षक दो' है। 'रक्षक एक' का क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसका क्या परिणाम निकला था ? मुझे संदेह है कि सरकार को जिन परिणामों की आशा थी वे प्राप्त हुए अथवा नहीं। अब हम 'रक्षक दो' अभियान चला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब में अब तैनात की गई तीन डिवीजनों को क्या कार्य सौंपा गया है। निस्संदेह पंजाब में अभियान वे राज्य प्रशासन के नियंत्रण में चलाएंगे। उन्हें तैनात करना राज्य प्रशासन के हाथ में है। दुर्भाग्यवश, पंजाब में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है और राज्य प्रशासन का मतलब राज्यपाल और उनके सलाहकारों से है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि पंजाब में तैनात की गई इस सेना को क्या कार्यभार सौंपा गया है। यह प्रश्न मैं विशेषतः इसलिए पूछ रहा हूं कि असम में एक दूसरा सैनिक अभियान चल रहा है जिसका नाम 'आपरेशन राइनो' है। महोदय, जो रिपोर्ट आ रही है—जो पूरी तरह से सही एवं सत्यापित हो भी सकती है और नहीं भी —उनसे मैं बहुत व्याकुलता महसूस कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इनसे सभी को व्याकुलता होनी चाहिए। ये बहुत ही गम्भीर किस्म के आरोप हैं। असम में जनता पर सेना द्वारा अत्याचार किए जाने के समाचार हैं। इनकी जांच करना सरकार का काम है।

अभी-अभी कुछ समय पहले गुवाहाटी से वकीलों का एक शिष्टमंडल यहां आया था। वह मुझसे भी मिला था। यह शिष्टमंडल, जिसे वह असम में सेना द्वारा आम नागरिकों पर अत्याचार करने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य बताते हैं, साथ लाये थे। यह किस हद तक ठीक हो सकता है, एक बात यह लगती है कि असम में सेना को लोगों को गिरफ्तार करने, घरों की तलाशी लेने, गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ करने की अनुमति दी जा रही है। यह आरोप है कि जिन लोगों को सैनिक कैम्पों में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। मैं नहीं कह सकता कि समाचारों में कुछ बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया हो। यह बताना मंत्री महोदय का कार्य है। लेकिन ऐसे मामलों में सेना को जो कर्तव्य सौंपा जाता है, मैं यह सेना और अन्य सभी के हितों को देखते हुए कह रहा हूं,—जहां तक मुझे सैन्य नियमों की जानकारी है और जिन्हें स्वयं सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी करके सम्पूरक बनाया जाता है—उसमें सेना को इस प्रकार का अभियान चलाने की अनुमति नहीं होती है। उनसे यह करने की अपेक्षा नहीं की जाती, वे ऐसा करना नहीं चाहते और उनको यह नहीं करना चाहिए। वे घरों में घुसना, लोगों को तलाश करना, उन्हें गिरफ्तार करना और सैनिक कैम्पों में ले जाकर उनसे पूछताछ करना पसन्द नहीं करते। यदि वे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें उसे निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपना होता है।

पंजाब से मुझे अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट अथवा आरोप सुनने को नहीं मिला है। हालांकि पुलिस के बारे में कई आरोप हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि पंजाब में सेना को सिवाय रात को गश्त लगाने के और कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है और यदि वे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो वे उसे पुलिस को सौंप देते हैं। उन्हें पूछताछ करने या घरों की तलाशी लेने की अनुमति नहीं है।

यदि यह सही है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पंजाब और असम में सेना के कार्य हेतु अलग-अलग नियमों के क्या कारण हैं। इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। मैं कहूंगा कि सेना के लिए भी उन्हें इस प्रकार का कार्य करने के लिए कहना उचित नहीं होगा। यह उनका कार्य नहीं है। यह कार्य अन्य अर्द्ध-सैनिक अथवा सुरक्षा बलों का है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के मतानुसार, उनका वक्तव्य समाचार पत्रों में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

निस्संदेह, मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है ? प्रत्येक को इनकी जांच करनी होगी। दहेज के कारण मौत का मतलब है असहाय महिलाओं की जानबूझकर हत्या करना अथवा उन्हें जलाना। कोई-न-कोई तो इसके लिए जिम्मेवार है। किसी असहाय महिला की हत्या करने अथवा उसे आत्मा हत्या के लिए उत्प्रेरित करने के बीच तकनीकी अन्तर स्थापित करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मुद्दा यह है कि कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है। इन आंकड़ों से हमें ऐसी किसी बात का पता नहीं चलता कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, कितनों को दंड मिला या क्या हुआ। इस वर्ष, दहेज के कारण मौत के 2448 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से, श्री जेकब के अनुसार, 1152 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, 568 महाराष्ट्र में हुई, 305 आंध्रप्रदेश में हुई। अन्यों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता।

इस वर्ष बलात्कार के 5916 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 152 मामले मध्य प्रदेश में, 928 उत्तर प्रदेश में और 403 बिहार मे दर्ज किए गए।

उत्पीड़न के 12902 मामले दर्ज किए गए हैं, ये उत्पीड़न अवश्य गंभीर रहे होंगे तभी इन्हें दर्ज कराया गया है; अपहरण और भगाने के 7116 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले महिलाओं से संबंधित हैं। ये सभी महिलाओं के प्रति अपराध हैं।

इसलिए, मैं कहूंगा कि आपको इसी प्रकार के आंकड़े हरिजनो पर, आदिवासियों पर किए गए हमलों के बारे में मिलेंगे इन्हें सदन की कार्यवाहियों में अनेकों बार रिकार्ड किया गया है। यह वक्र रेखा निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही है, नीचे नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है ? मैं समझता हूं कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि समाज के सुविधाविहीन वर्गों, कमजोर वर्गों, जिनमें मैं हरिजनों, महिलाओं और आदिवासियों को शामिल करता हूं, द्वारा अपने अधिकारों, सामाजिक और आर्थिक समानता की मांग की जा रही है, वे आत्म-सम्मान की मांग कर रहे हैं, और अब वे इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि लोग उनका शोषण करें और समाज में उनपर अत्याचार हो। पहले वे ऐसा किया करते थे। पहले विरोध की भावना अधिक मुखर नहीं थी। लेकिन अब विश्व में बदलाव आ रहा है। विश्व में सब कुछ बदल रहा है। अब ये लोग और अधिक समय तक इन सब बातों को चुपचाप सहन करने वाले नही है। वे विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध और अधिक उग्र प्रतिशोध लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन लोगों में कुछ नई जागृति आई है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस बात का स्वागत करना ही पर्याप्त नहीं है। यह सरकार और राज्य का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में उनकी सहायता करे। साथ ही उनके प्रति इस प्रकार के अपराध बढ़ते जायेंगे।

इसके पश्चात राजनीति के अपराधीकरण का मसला आता है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आजकल बाहुबल और पैसे की ताकत पर निर्भर रहने की आदत सी बन गई है। पैसे की ताकत के बिना निःसंदेह आप बाहुबल प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा तो कहना है कि यही धन की ताकत अथवा काले धन की ताकत है। अधिकाधिक मतो को अपनी ओर खींचने हेतु बाहुबल के लिए काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा सुझाव है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में सभी पार्टियों को अपने कार्यकरण की जांच करनी चाहिए। मैं सभी की बात कर रहा हूं। कुछ अधिक दोषी हो सकते हैं तो कुछ कम। कुछ बड़े पैमाने पर इसमें लिप्त हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज इस देश में यह चिरकालिक और घातक रवैया बन गया है कि आप बिना बाहुबल के मत प्राप्त नहीं कर

सकते, चुनाव नहीं जीत सकते जिसके लिए अत्यधिक काला धन खर्च करने की आवश्यकता होती है। इससे जाने-माने माफियाओं की पूछ होने लगती है। उन लोगों की पूछ होने लगती है जिन्हें अपने-अपने मुहल्लों और समुदायों में स्थानीय अपराधी या माफिया गिरोह का सदस्य माना जाता है। हम सभी इन लोगों को सम्मान दे रहे हैं। किसी की आत्मा को इस बात से चोट नहीं पहुंचती है कि इन लोगों का इस्तेमाल कुछ लोगों के मतदान के अधिकार को कुचलने तथा कुछ लोगों से जाली मतदान करवाने के लिए किया जा रहा है।

यहां तक कि हाल ही में हुए उपचुनावों में भी, मैं उन निर्वाचन क्षेत्रों का नाम नहीं लेना चाहता। भारी पैमाने पर धांधली किए जाने के व्यापक आरोप प्रत्यारोप लगाऐ गए हैं जब कि वहां धांधली की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि किसी उम्मीदवार को जीतने की पूरी उम्मीद थी। तो फिर वहां इतने बड़े पैमाने पर धांधली क्यों हुई? क्योंकि अब हमें इसकी आदत पड़ गई है।

मेरा विश्वास है कि अगले दिन प्रधान मंत्री जी ने भी अपने अन्तरंग मित्रों के साथ अपनी बातचीत में इस बात पर दुख जाहिर किया था कि जहां पर इस प्रकार की धांधली की जरूरत नहीं है वहां पर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं?

खैर, मेरा कहना है कि राजनीति के अपराधीकरण पर विशेषकर चुनावों के सम्बन्ध में जिसमें भारी पैमाने पर हिंसा, मौतें हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार विजय पाई जाय मेरा ख्याल है कि हमें इन बातों पर मौलिक रूप से विचार करना चाहिए और कुछ मूलभूत चुनाव सुधारों की, अत्यन्त आवश्यकता है। जिनकी हम सदा चर्चा करते रहते हैं।

राज्य का कर्तव्य है कि वह कमजोर वर्ग के लोगों के मतदान के अधिकार की रक्षा करे ताकि वे निर्भय व स्वतन्त्र होकर मतदान कर सकें। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मतदान करने से रोका जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है। यदि हम एक जुट होकर कुछ चुनाव सुधार कार्यक्रम नहीं बनाते हैं ताकि ये लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकें जिसकी गारन्टी संविधान में दी गई है। और यदि सालों-साल उनकी उपेक्षा की जाती रही, उनके अधिकार की उपेक्षा की जाती रही तो हमारे संविधान में निहित समूची चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता दाव पर लग जाएगी। हम ऐसा तो कह सकते है "हां, मैं जीता और आप हारे।" अथवा "आप जीते और मैं हारा," लेकिन समूची चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता जनता की आंखों में तेजी से गिरती जा रही है। और यदि चुनाव प्रणाली अन्ततः अपनी विश्वनीयता खो देगी तो मैं नहीं जानता कि तब इस व्यवस्था का क्या होगा जिसे हम लोकतन्त्र कहते हैं जिसके अन्तर्गत हमारी कार्य प्रणाली चल रही है वह लोकतान्त्रिक प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है। यदि इस वयस्क मताधिकार का उल्लंघन होता रहा, तथा इसे खण्डित किया जाता रहा, तो कुछ समय पश्चात इस व्यवस्था में कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा और वह क्षण इस देश में लोकतन्त्र के लिए, संसदीय लोकतन्त्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा।

यहां पर सदा साम्प्रदायिक हत्याएं होती है जातिगत हत्याएं होती रहती हैं। मैं तो कहता कि उग्र रूढ़िवादिता, चाहे वह हिन्दुओं की हो अथवा मुसलमानों की अथवा किसी और की उग्र रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता जिसके अन्तर्गत धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है, प्रमुख खतरों और देश के सामाजिक के जीवन मुख्य अब बन गए है।

इसके पश्चात बेरोजगार, बेरोजगार और कुंठित युवकों को हिंसा के मार्ग में ले जाना कठिन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

नहीं है ऐसा हो रहा है। क्या हम इस समस्या को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या मानकर इस बारे में चर्चा करते मात्र से इसको हल कर रहे हैं।

विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में जो उपेक्षित है, मैं विशेषरूप से विकासशील गतिविधियां चलाने की आवश्यकता है जिससे आदिवासी लोगों के जीवन में सुधार आयेगा। इसके बिना आप उन्हें चाहे नक्सलवादी कहें या जो चाहे कहें अथवा आन्ध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप कहें के प्रभाव में आने से नहीं रोक सकते हैं इसका मुख्य कारण इन लोगों का अपहरण किया जाना है और इनके जीवन स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन न आना है जिसके फलस्वरूप निहित स्वार्थों वाले लोगों द्वारा इन लोगों को हिंसा के मार्ग में प्रवृत्त कराने की सम्भावना बढ़ जाती है। आप जानते हैं? क्या हो रहा है हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। वे सरकारी अधिकारियों का अपहरण करने में सक्षम हैं उन्हें अपहरण करते हैं और चाहे तो रिहा कर देते हैं और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे इसके लिए फिरौती मांगते हैं तब या तो आप उन्हें छुड़ाने के लिए धन दो या अपहृत व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ती हैं। पुलिस भी असफल हो गई है। मुझे तो आशंका है कि उसमें कोई भी कार्यवाही करने का साहस नहीं रहा।

दूसरी बात मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने अपहरण की घटनाओं के बारे में कोई नीति तय नहीं की है। अपहरण के बारे में आपकी नीति क्या है? अब यह रोजमर्रा की बात हो गई है। किसी न किसी को छुड़ाने के लिए फिरौती की मांग की जाती है। अन्यथा अपहृत व्यक्ति मुक्त नहीं किया जाएगा। और किसी व्यक्ति को किसी अन्य गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बन्धक बनाया जाता है। आपकी इस बारे में क्या नीति है? क्या आपने कोई नीति तैयार करने के बारे में विचार किया है? राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों भिन्न-भिन्न दिशाओं में चल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे ऐसे सर्वसम्मत मानदण्ड या सिद्धान्त पर पहुंच पाएंगे जिससे कि इस अभियान में आगे बढ़ा जा सके। हमें कई भिन्न-भिन्न अनुभव हुए। जिनसे पता चलता है कि जहां तक सरकार का संबंध है इस मसले पर विचारों में पूर्ण अराजकता है।

हमें एक अनुभव कश्मीर में श्री मुफ्ति सईद की लड़की के अपहरण के समय हुआ था। उसके बाद कई राज्यों में ऐसे कई अनुभव हुए हमें एक विदेशी के अपहरण और उसकी हत्या का अनुभव भी हुआ। एक सोवियत इंजीनियर की असम में हत्या की गई। रोमानिया के दूतावास से रोमानिया के राजदूत श्री राडू का दिल्ली में उनके आवास के निकट दिन दहाड़े अपहरण किया गया और 48 दिन या इससे अधिक अवधि तक उनका अतापता नहीं चल पाया। जैसे कि हमें बताया गया है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा आपरेशन चलाया गया, सब प्रकार के वाहनों, वायरलैस, वाकी-टाकी से सज्जित प्रतिदिन हजारों पुलिस कर्मियों को इस काम में लगाया गया क्या नहीं किया गया, इन्होंने दिल्ली में हजारों घरों की तलाशी ली और इसके बावजूद वे कुछ नहीं कर सके। अन्ततः कारण चाहे जो भी रहे हों मैं अपहरणकर्ताओं की दयालुता को धन्यवाद देता हूं मैं नहीं जानता किन कारणों से, ये प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने चुपचाप उन्हें मुक्त किया और वे वापस घर आ गए।

दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निपट अक्षमता का इतना स्पष्ट प्रदर्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ था जितना राडू के इस मामले में। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें इसी शहर के किसी मकान में रखा गया था वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सारी सीमाओं को बन्द करने तथा इधर-उधर उनकी खोज करने में व्यस्त रहे। वे बिल्कुल अक्षम साबित हुए हैं और वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

आपको इस पूरे घटनाक्रम पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि यह इसका अन्त नहीं है। ऐसा होता रहेगा। आपको अपहरण के संबंध में कोई नीति बनानी होगी—नीति का अर्थ यह नहीं है कि आप इन लोगों के प्रति क्या रूख अपनाओगे किन्तु आधार भी बनाना होगा। आपके पास एक विशेष प्रकार का कृतिक बल अथवा ऐसा कुछ होना चाहिए जो इस प्रकार की स्थिति से निपट सके।

किसी का अपहरण करना या हत्या करना गलत है। किन्तु विदेशियों की हत्या करना। विशेष रूप से गलत है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से विदेशी तकनीशियनों और इंजीनियर हमारे देश में आने से हतोत्साहित होंगे। वे यहां तभी आते हैं जब वे किसी परियोजना से जुड़े होते हैं अथवा कुछ ऐसे कार्य करने के लिए जिससे हमारे देश को लाभ मिलेगा। यदि हमारी ख्याति इस प्रकार की हो जाती है कि यहां इस तरह की बातें हो सकती हैं और यहां कोई भी उपचारात्मक कदम नहीं उठाये जाते हैं, तो यहां कौन आना चाहेगा ? पूरे विश्व समुदाय मे हमारे देश में सर्वाधिक खतरा बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे यहां ऐसा नहीं था।

यह गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं चालू वर्ष के दौरान नवम्बर तक पंजाब में 1992 नागरिक मारे गये। आप जानते हैं कि किस तरह से उन निर्दोष व्यक्तियों की अन्धाधुन्ध और नृशंस हत्याएं हो रही हैं, जिन्हें खालिस्तान अथवा किसी और की राजनीति से कुछ लेना नहीं है ऐसा लोगों को अपने घरों तथा अपने गावों को छोड़कर और प्रवास करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से, आतंक का वातावरण पैदा करने हेतु किया जा रहा है। यह प्रतिशोध की भावना भड़काने के प्रयोजन से किया जा रहा है। ऐसा दबाव डालने के प्रयोजन से किया जा रहा है, ताकि शेष देश पर खालिस्तान की मांग पर सहमत होने के लिए दबाव पड़े, जिसपर मुझे आशा है कि हम कभी भी सहमत नहीं होंगे। किन्तु ऐसा किया जा रहा है। इस वर्ष नवम्बर तक 474 सुरक्षा कर्मी मारे गए। 2032 आतंकवादी अथवा संदेहास्पद आतंकवादी भी मारे गए हैं।

यदि सुरक्षा बल अपर्याप्त उपकरणों, अपर्याप्त हथियारों और जोखिम भरे कर्तव्यों, जिनके लिए उन्हें उन लोगों का सामना करने के लिए कहा जाता है, के बारे में शिकायत करते हैं, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ? बेशक उन्हें बेहतर उपकरण देना भी पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्हें उच्च स्तर की प्रेरणा देनी है। कुल मिलाकर ये लोग भी अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। घर में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। जिस तनाव में उन्हें दिन-रात, प्रतिदिन चौबीसों घन्टे, कार्य करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, उसके लिए उच्च स्तर की प्रेरणा नहीं मिलती है, ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करने चाहिये कि ज्यादतियां न हों। हताशा में निर्दोष लोगों और और नागरिकों के प्रति ज्यादतियां नहीं की जानी चाहिये। यदि हम यह सब नहीं रोक सके, तो केवल नये आतंकवादियों का ही जन्म होगा, ज्यादतियों और उत्पीड़न से और अधिक आतंकवादी पैदा होते हैं। अत: हमे इस बारे में सावधानी बरतनी है।

सभापति महोदय : श्री गुप्त, मैं आश्वस्त हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने वाद-विवाद आरम्भ किया। आपको अन्य सदस्यों को भी अवसर देना होगा। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि आपने लगभग 45 मिनट ले लिये हैं। कुल समय चार घन्टे निर्धारित हैं। मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। किन्तु मुझे विश्वास है कि आप अपने हित में अन्य सदस्यों को भी भाग लेने का अवसर देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, बिल्कुल सही है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपको टोकने का अवसर मिले। मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मेरा कहने का आशय यह है कि देश के समक्ष खतरा विभाजन का है। यह विघटन के स्तर तक पहुंच गया है। इसका कम आंकलित नहीं करना चाहिए और कम नहीं समझा जाना चाहिए।

अपने भाषण के अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी लाने की कुंजी क्या है, बेशक, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी है—हमारे देश में तनाव और हिंसक वाद-विवाद के लिए अन्तत: केन्द्र राज्य सम्बन्धों के मूलभूत ढांचे को पुन: निर्धारित किया जाना है। इसके बिना आप इस मामले का हल कभी भी नहीं निकाल पायेंगे। राज्यों को अपने संसाधनों, वित्तपोषण तथा अपनी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये, जैसे कि वे भीख मांग रहे हो तथा नई दिल्ली की उदारता पर निर्भर हो। इस समय यह भावना सारे देश में है। राज्य सरकार को चाहे कोई भी दल चला रहा हो दल का ध्यान दिये बिना ऐसा किया जाना चाहिए, कुछ लोग इस बारे में ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, तो कोई इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, किन्तु तथ्य यही है।

कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने इतने वर्ष पूर्व इसे कुछ आवश्यक नहीं समझा होगा। किन्तु वर्ष बीत गये; समय बीत गया, दुनिया बदल गयी और विश्व में लोकतन्त्र की भावना का सम्मान किया गया है। [श्री एस० बी० चव्हाण, देश में, अन्य देशों में तथा सोवियत संघ में हो रही घटनाओं से कुछ पाठ सीखने की कोशिश करें। यदि अत्यधिक केन्द्रीयकरण, अत्यधिक नौकरशाहीकरण तथा शक्तियों के केन्द्रीयकरण की भावना पैदा होगी, तो सभी प्रकार की अपकेन्द्री प्रवृतियां पनपेंगी। अत: देखिए अन्य देशों में क्या हुआ है। यदि हमें यहां वैसा नहीं होने देना है तो, कृपया समय पर कार्यवाही कीजिये। मुझे प्रसन्नता है—जब तक कि मैं सरकार की ओर से गत कुछ दिनों में कही गयी बातों को गलत न समझूं तो सिद्धान्त रूप में कम से कम ऐसा लगता है कि अलग झारखंड राज्य की विचार धारा से मना नहीं किया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसे कैसे परिभाषित किया जाएगा, इसका परिसीमन कैसे किया जायेगा, इन मामलों पर चर्चा करने की जरूरत है। किन्तु सिद्धान्त रूप में यह लगता है, कि आदिवासियों के लिए पृथक झारखंड राज्य का विचार न्यायालय ने पूर्णत: नियम विरुद्ध नहीं माना है। मैंने क्या पढ़ा है, प्रधान मंत्री और आपने क्या कहा था? उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में, जहां हाल ही में विनाशकारी भूकम्प आया है, उत्तराखण्ड राज्य का विचार मैं समझता हूं, नियम विरुद्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से उसे स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उसे स्वीकार किया है। ये अच्छी बातें हैं, किन्तु ये सारी बातें थोड़ी-थोड़ी करके की गयी हैं। कुछ दबाव बढ़ता है और झारखंड क्षेत्र का कोई व्यक्ति धमकी देता है कि यदि आपने हमें अलग राज्य नहीं दिया, तो यहां पर दूसरा पंजाब बना दिया जाएगा। जब इस तरह की भाषा बोली जाती है, तब आप आते हैं और कहते हैं, हां, हां, हम इस पर विचार करेंगे। ये बातें इस तरह से नहीं होनी चाहिए।

हमें संघ राज्य के पूरे ढांचे को व्यापक रूप से देखना है, जिन्हें हम इतने वर्षों से चला रहे हैं और देखें कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि संविधान को नया आकार दिया जाना चाहिए और केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों की मूल रूप से पुनर्संरचना की जानी चाहिए जिससे बहुत सहायता मिलेगी—यह किसी बात का सीमान्त उपचार नहीं है—किन्तु इससे विद्यमान हताशा, सन्देह तथा पागलपन की भावना का काफी निराकरण होगा। दुर्भाग्यवश, केन्द्र तथा देशों के विभिन्न भागों के बीच यह भाव विकसित हुआ है जिससे लोग हर तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जिनमें हिंसा में वृद्धि तथा अलगाव की बातें भी शामिल हैं। "यदि यहां हमें वह नहीं मिल सकता जो हम

चाहते हैं तो हम इस देश से बाहर हो जायेंगे। यदि हमें देश से बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो हम बंदूक उठा लेंगे।" आप इस स्थिति से टुकड़ों में कैसे निपटेंगे ? यह ऐसी समस्या है जो अब हमारे पूरे देश के भविष्य पर छायी हुई है और मैं अन्तत: सरकार से इस समस्या पर अधिक व्यापक तथा समग्र में करने और बहुत देर होने से पहले ही अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्य को हल किया करने हेतु अन्य राजनैतिक दलों तथा शक्तियों से विचार-विमर्श करके अधिक गहन चिन्तन करें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, नियम 193 के अन्तर्गत इस विषय के लिए चार घंटे का समय निर्धारित है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने लगभग 50 मिनट लिये हैं और अब हमारे पास लगभग 180 मिनट बचे हैं। लगभग 25-26 वक्ता हैं, जिससे प्रत्येक वक्ता के लिए लगभग 8 मिनट बचते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्ष पीठ से सहयोग करें।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मेरा सुझाव है कि केवल गणित पर न जायें। आज के संदर्भ में विषयों के महत्व का विचार करें। यदि मुझे केवल आठ मिनट बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं अपनी पार्टी की ओर से अपने समय का परित्याग कर दूंगा। यदि आपका रवैया यह है··· (व्यवधान)।

सभापति महोदय : अमल दत्त जी यदि आप कोई बेहतर हल सुझा सकें तो मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास लगभग छब्बीस सदस्यों की सूची है और मैं अपने आप से कुछ सदस्यों का नाम नहीं काट सकता हूं···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम हमेशा ही समय बढ़ाते आये हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, यह अलग बात है कि इस चर्चा के लिए समय 4 घंटे का अलाट किया गया है। आप नियम 193 जब देखेंगे तो उसमें एक ही घंटा दिया हुआ है, लेकिन विषय के महत्व को देखते हुए इस चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। अब यदि इसका महत्व और अधिक समझा जाएगा तो समय और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सदन सर्वोपरि है। आप 4 घंटे का समय पूरा होने दीजिए, उसके बाद सदन की राय जानी जाएगी सदन सर्वोपरि है, यदि सदन कहेगा कि चर्चा समाप्त की जाए तो मैटर वहीं समाप्त कर दिया जाएगा और यदि सदन चाहेगा तो समय और आगे बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है।

श्री रामनाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, सामान्यत: समय का बटवारा पार्टी की संख्या के अनुसार होता है, तो जिन 26 लोगों के नाम आपके पास आए होंगे, तो उनके बीच हर पार्टी की संख्या के अनुसार समय का बटवारा करके उनको बोलने का समय मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है किन्तु भाकपा के पास ठीक छह मिनट

हैं और उन्होंने पहले ही लगभग पचास मिनट ले लिये हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, उन्होंने डिबेट इनीशिएट की है, लेकिन बाकी लोगों को पार्टी की संख्या के अनुसार समय मिलना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : खैर, श्री एस० सी० दीक्षित।

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : धन्यवाद, श्रीमान्। पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को अत्यंत कुशलता के साथ सदन के सामने रखने के लिए बधाई देता हूं। मैं इस बात में उनसे पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूं कि इस विषय पर दलगत दृष्टिकोण से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि यह समस्या बढ़ रही है। किन्तु हमें यह समझना चाहिए कि यह सहसा ही नहीं बढ़ी है, बल्कि यह कानून के प्रति असम्मान के साथ शुरू हुई जिसमें यातायात नियमों के प्रति उपेक्षा तथा न्याय प्रणाली में आमतौर पर गिरावट भी शामिल हैं। मेरा अभिप्राय न्यायपालिका के प्रति कोई असम्मान प्रकट करना नहीं है परन्तु भारत के पूर्व—मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं एक बार टिप्पणी की थी कि न्याय प्रणाली ढह रही है। खैर, उस बात पर हम बाद में आयेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस समस्या को कैंसर जैसा बताया है वह बिलकुल उपयुक्त है। दुर्भाग्यवश, हमें कैंसर का पता तभी चलता है जब उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं और हमें यह ज्ञात नहीं होता कि अगली बार शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जायेगा। मैं, प्रारम्भ में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा।

[हिन्दी]

जो रिपोर्ट मेरे पास उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक इस साल टेररिस्ट वायलेंस की घटनाओं में चौगुनी वृद्धि हुई है। जिस रीजन में ओकेसेस पहले नहीं हुआ करते थे, उस रीजन में अब हत्याएं, बैंक लूट का प्रयास, बैंक लूट, शस्त्र लूट, वाहन लूट, पेट्रोल पम्प लूट, अपहरण, विस्फोट और मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं।

[अनुवाद]

4.00 म० प०

आंकड़ों से स्वयं उद्घाटित होता है कि 1 जनवरी से 30 नवंबर, 1991 तक इस वर्ष—ऐसे 157 मामले हुए जबकि पिछले वर्ष केवल 35 तथा उससे पिछले वर्ष केवल 29 मामले ही हुए थे।

[हिन्दी]

बहुत अच्छा एक्सपोजिशन इन्द्रजीत गुप्ता जी ने इस विषय पर कर दिया है। उसके अलावा मुझे कुछ कहने की जरूरत इस विषय पर नहीं है। लेकिन एक विषय पर मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर इसको हैण्डल किस तरह से किया जाए। समस्या है, बहुत गम्भीर समस्या है, पूरे देश की समस्या है और इसका प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ रहा है। सोशली इकोनामिकली,

इण्डस्ट्रियली इन्टरनेशनली, हर प्रकार से इसका प्रभाव पड़ रहा है।

जिन रियाज में टैरोरिज्म फैल गया है वहां एक प्रकार का कफ्यूं लग जाता है। इण्डस्ट्रिलिस्ट्स पलायन कर रहे हैं, लोग वहां से घर छोड़कर हटना चाहते हैं। लेकिन किया क्या जाए। मेरे विचार से इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक इमिडिएटली हमको क्या करना चाहिए, जिस प्रकार कोई मरीज घायल होता है, उसके खून बहने लगता है, डाक्टर कहता है इसकी ब्लीडिंग बन्द करो उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इस वक्त जो इमीडिएट प्राब्लम है उसको हम किस तरह से हल करें, यह देखना है। फिर जो और समस्याएं हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके, इन सब बातों पर गौर किया जाएगा। पहली बात तो यह माननी पड़ेगी कि

[अनुवाद]

आतंकवाद तथा इस प्रकार की यह हिंसा जो फैली है, यह कोई पुलिस समस्या नहीं है। यह राज्य का विषय नहीं है। यह मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

आप महज इसको, पुलिस को ब्लेम करके, उनकी एफीशिएंसी को ब्लेम करके सुधार नहीं सकते इमीडिएट रीमेडी यह है कि

[अनुवाद]

हमें बेहतर उपकरणों से लैस होना चाहिये।

[हिन्दी]

हमारे पास टैरोरिस्टस से अच्छे साधन होने चाहिए और हमारा एक्शन को-आर्डिनेटिड होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में तराई में एकाएक यह बात क्यों आ गयी। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों से ऐसे कुछ हालात थे जिनकी वजह से टैरोरिस्टस को वहां पर सिर उठाने का मौका मिल सकता था। इन्टरनेशनल बार्डर यू॰ पी॰ और नेपाल का खुला हुआ है, छोटे-क्रीमीनल्स भी उत्तर प्रदेश में अपराध करके नेपाल भाग जाया करते हैं। लेकिन इमीडिएटली यह समस्या जो उत्तर प्रदेश में बढ़ी है उसका कारण यह था कि पंजाब और अन्य जगहों पर हुए टैरोरिस्टस वायलेंस। वहां पर दबाव पड़ा बजाए इसके कि टैरोरिस्ट खत्म किए जाते, वे वहां से भागे और उन्होंने ऐसी जगह सापट टारगेट्स ढूंढने शुरू कर दिए और सबसे नजदीक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और तराई का रीजन मिला।

हमको इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो बार्डरिंग एरियाज हैं, वह पंजाब का लगभग खुला एरिया है।

[अनुवाद]

यह देश के राजधानी क्षेत्र से लगा हुआ है

[हिन्दी]

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान डिस्टर्ब हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा डिस्टर्ब

[श्री शिवशरण सिंह]

महोदय, हालांकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, देश में व्याप्त इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण, निश्चित रूप से संसद के लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसे सभा की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए सहमति दी है।

हिंसा आज समाज में स्वीकार्य बन गई है, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्थानों ने अपनी अर्थ और विश्वसनीयता खो दी हैं। न्याय व्यवस्था की प्रभाविता के बारे में संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। यहां तक कि इस महान सदन के लिए हुए चुनावों के नतीजों पर भी प्रश्नचिन्ह लगाए जा रहे हैं। संदेह व्यक्त किया जा रहा हैं।

मैं माननीय दीक्षित जी से इस बात पर सहमत हूं कि इस मुद्दे पर दल गत भावना से उन्मुक्त चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अगले ही क्षण उन्होंने एक वर्ष से भी कम पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में तथ्यों और आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया, तथ्यों को समुचित परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, हमें ऐसे में पूरे वाद-विवाद को भाजपा और कांग्रेस आई या सी०पी०आई० के बीच एक विवाद नहीं बनने देना चाहिए। बल्कि हमें आज देश के समक्ष उपस्थित गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इसके क्या कारण हैं। इसके कारण हैं बढ़ती हुई बेरोजगारी, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव, आर्थिक असमानता और न्याय प्रक्रिया में विलंब। समाज में हिंसा को इस हद तक स्वीकार कर लिया गया है कि अपराधी और माफिया नेता हीरो बन गए हैं। निःसंदेह आज देश में विद्यमान प्रणाली के बारे में असन्तोष और अविश्वास व्याप्त है। शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुखी नहीं है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनपर विचार करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

निराश शिक्षित युवक, जो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त हैं, के सामने अचानक एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वह सोचता है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। एकाएक वह अनुभव करता है कि उसके लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। वह किसी को बिना कुछ दिए कोई कार्य नहीं करा सकता है। ये ऐसे मुद्दे है जो युवाओं को स्वार्थ निहित स्वार्थी तत्वों और उन ताकतों जो आज विश्व में हमारा विरोध करती है, के हाथों की कठपुतलियां बना देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें समाज की मुख्य धारा मे वापस लाना है। केवल तब ही हम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते है।

जहां तक कश्मीर के मामले का संबंध है, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि तीन कश्मीरी मुसलमानों ने 1947 में पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया था और इस्लामी पाकिस्तान की बजाए धर्म निरपेक्ष भारत में ही रहना पसंद किया था, उनके बच्चे और पोते-पोतियां अचानक इस देश के खिलाफ कैसे हो गए। जहां तक पंजाब का संबंध है, क्या हम इस देश के स्वतन्त्रता संग्राम मे सिखों की भूमिका को भूल सकते हैं? उनके पुत्र और पुत्रियां अचानक खालिस्तान के समर्थक कैसे बन गए? असम के मामले को भी लीजिए। वास्तव में ये सभी युवक ऐसे निराश युवकों के अतिरिक्त अब कोई नहीं है जिन्हें इस राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा आतंकवाद मिथ्या राष्ट्रवाद और मिथ्या देशभक्ति के जरिए अपना साधन बनाया जा रहा है। इसे हमारे पड़ोसी देश बढ़ावा दे रहे हैं।

इसके लिए आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। पिछले 30 या 40 वर्षों में ऐसा कैसे हुआ?

क्या इसमें हमारी भूल है ? हमें अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए । इस संदर्भ में मैं महात्मा गांधी को उद्धृत करना चाहता हूं :

> "गलती को मानना ऐसी झाड़ू उठा लेने के समान है जो गंदगी दूर करके फर्श को साफ और सुन्दर बनाती है । मैं गलती को स्वीकार करने का समर्थक हूं ।"

हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए । हम दलीय आधार पर उत्तेजित न हों । हमने कश्मीर, पंजाब और असम में गलती की है तो हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए तथा हमें इन तीनों राज्यों के निराश युवकों को राष्ट्र की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए नए सिरे से शुरूआत करनी चाहिए । माननीय राजीव जी ने असम, नागालैंड और मिजोरम में, एक प्रयास किया था जहां देशद्रोह करने वालों को देश की मुख्यधारा में वापस लाया गया । उन्हें संविधान के ढांचे के अन्तर्गत लाया गया और अब इन राज्यों में पहले की तुलना में अधिक शान्ति है ।

हमने निश्चित रूप से उनका विश्वास खो दिया है । इस आस्था और विश्वास को पुनः पैदा करने में कुछ समय लगेगा । उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए हमें नये गतिरोध हटाने होंगे और नया आधार तैयार करना होगा । कश्मीर, असम और पंजाब में एक वर्ग तो युवकों का है, और हमें कट्टर अपराधियों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के बीच अन्तर करना है । एक कट्टर अपराधी तो पूर्णतः अपराधी ही होता है और उसे अपराधी ही समझा जाना चाहिए न कि राजनैतिक कार्यकर्ता । राजनैतिक कार्यकर्ता की विचारधारा कुछ भिन्न हो सकती है । संभव है स्वार्थ-निहित तत्वों ने उसे भ्रमित कर रखा है । उसे मुख्य धारा में वापस लाने के लिए मनाया जा सकता है । इसलिए मैं यह कहता हूं कि गृह मंत्रालय को इन तत्वों को अलग-अलग पहचान करनी चाहिए तथा कट्टर अपराधियों, मादक औषधियों के अवैध व्यापारियों माफिया तथा हथियारों की अवैध तस्करी करने वालों का पता लगाना चाहिए और उनके साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए ।

जहां तक अपहरणों का सम्बन्ध है, गृह मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन अपराधियों की धमकियों के आगे न झुकें और कट्टर अपराधियों के साथ अदला-बदली न करें ।

मैं श्री गुलाम नबी आजाद को बधाई देता हूं । जब उनके साले का अपहरण कर लिया गया था तो उन्होंने गृहमन्त्री और प्रधान मन्त्री से स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे जो कुछ हो हमें इन लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और न हम ऐसा कर सकते हैं । ये लोग कट्टर अपराधी और राष्ट्र के दुश्मन हैं जो इस देश को फिरौती के लिए लोगों को बन्धक बनाकर इस देश को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं । हमें इस प्रक्रिया को यहीं रोक देना चाहिए । भगवान के लिए, अब और चालेबाजी नहीं होनी चाहिए । बन्धकों के बदले में कट्टर अपराधियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए । यह सन्देश पृथकवाद के समर्थकों तक पहुंच जाना चाहिए कि भारत सरकार किसी भी प्रकार की धमकी और बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी । केवल तब ही आप अपहरण को रोक पायेंगे । अपहरण बहुत अधिक लाभप्रद धन्धा हो गया है । आज राजनैतिक उद्देश्य और धन के लिए अपहरण सबसे सरल आपराधिक तरीका है ।

परन्तु जैसा कि श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित ने कहा है, भारतीय दंड संहिता और अपराध दंड-संहिता की समीक्षा करने की आवश्यकता है । अपहरण के अपराध के लिए और अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाए । अपहरणकर्ताओं के साथ-साथ उन अपराधियों को भी पक्ष बनाया जाए जिनको अपहरणकर्ता बन्धक व्यक्तियों के बदले में रिहा करने की मांग करते हैं । उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ।

[श्री दिग्विजय सिंह]

पंजाब, असम और काश्मीर में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति तो अचानक ही बहुत धनवान हो गए हैं। वे सम्पत्ति खरीद रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं। वे धन संपदा पैदा कर रहे हैं। खुफिया विभाग इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करता ?

हम अमेरिका में 1920 के माफिया नेता अल कैपोने को न भूलें जिसको आपराधिक आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सका था। आयकर न देने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इसलिए ये बातें हैं। जब तक आप इन लोगों के लिए अपहरण को अलाभप्रद अपराध नहीं बनायेंगे तब तक आप ये अपराध नहीं रोक पायेंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक डाकू-ग्रस्त राज्य था। 1982-83 में हमने डकैती विरोधी अधिनियम नामक अधिनियम बनाया जिसके द्वारा हमने उन लोगों को भी इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जो डकैतों को पनाह देते थे। हमने उन लोगों को भी इन जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया जिन्हें डकैतों से कुछ मिलता था तथा जो डकैतों की धन संपदा के संरक्षक होते थे। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आज मध्य प्रदेश में डकैत नहीं हैं। हालांकि वहां कुछ छोटे-छोटे गिरोह अभी भी सक्रिय हैं। परन्तु [बड़े-बड़े गिरोहों को समाप्त कर दिया गया है।

न्यायिक तन्त्र की समीक्षा की भी जरूरत है।

महोदय, हम आज भी उसी पुराने न्यायिक तन्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं जो ब्रिटिश शासन ने हमें सौंपा था। इसकी गम्भीरता पूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है। अपील के लिए इतने अधिक स्तर क्यों बनाए जाते ? अग्रिम जमानत के लिए प्रावधान क्यों होना चाहिए ? ये ऐसे मुद्दे हैं जिनपर राष्ट्र को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। समूचे न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता तेजी से खत्म होती जा रही है। मेरा गृहमन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस संबंध में कुछ कार्यवाही करें। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने न्यायिक तन्त्र की समीक्षा के लिए एक चर्चा शुरू की थी। इस समय इस संबंध में कुछ करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी गांव में कोई भूमि-विवाद होता है तो इसकी राजस्व न्यायालय सिविल न्यायालय आदि में अपील के छः स्तर होते हैं। अन्ततः क्या आप यह आशा कर सकते हैं कि भूमिहीन श्रमिक अथवा छोटा और [मझोला किसान ऐसे न्यायिक तन्त्र में अपना मुकदमा लड़ सकता है जिसमें अपील के छः स्तर हों ? यह असम्भव है और प्रभावित किसान को कभी न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए ये ऐसे मसले हैं जिनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।]

अब मैं चुनाव सुधारों का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने चुनावी तन्त्र में धांधली की गहनता को सही ढंग से बताया है। इसकी कठोर शब्दों में निन्दा की जाए। परन्तु हमें कुछ आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने धांधली की कला में निपुणता हासिल कर ली है। वे चुनाव प्रक्रिया की कला में प्रवीण हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के तुरन्त बाद जब श्री कुशाभाऊ ठाकरे और श्री सुन्दर लाल पटवा ने बंगाल की यात्रा की तो मुझे बड़ी हंसी आई। ** ...(व्यवधान)

श्री भुवनचन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : क्या उन्होंने आपको सूचित किया था ? (व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : यह बात समाचार पत्रों में छपी थी।

श्री अमल दत्त : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ये नाम कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : श्री राम कापसे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह तथ्यात्मक बात है, मैं अभी बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री राम कापसे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

आप बैठिए।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, माननीय सदस्य जो नाम ले रहे हैं, उनका इस विषय से क्या सम्बन्ध है, मैं नहीं बता सकता। आप देश में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में कहने के लिए उनसे कहिए। (व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति जी, माननीय सदस्य अभी कुछ ऐसे लोगों के बारे में तथ्य सदन के सामने रख रहे थे जिसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है उनके बारे में कुछ कहना, मुझे लगता है कि रूल्स के मुताबिक नहीं है। इस तरह की बातें कहना भी उचित नहीं है जो विषय से सम्बन्धित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : वह बहुत ऊंचा स्तर बनाये हुए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : वे बातें रिकार्ड में नहीं रहनी चाहिए, यही मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि इसमें उक्त सज्जन के बारे में कोई अनादरपूर्ण बात कही गई होगी तो मैं यह देखूंगा कि उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं अपना वाक्य दूसरी तरह से कहूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री और अखिल भारतीय बी० जे० पी० के महासचिव पश्चिम बंगाल गए थे।

श्री राम कापसे : उन्हें पश्चिम बंगाल जाने का पूरा अधिकार है। यह बात आपको जाननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैंने केवल यही कहा कि निर्वाचक कानूनों में संशोधन करने की

[श्री दिग्विजय सिंह]

आवश्यकता है और मतदान में धांधली को रोकना है, मैं आपके विचारों का समर्थन करता हूं··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, इससे यह लगता है कि प्रधानमन्त्री···**···यदि मैं इस तरह कहूं तो कैसा लगेगा ? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं कि निर्वाचन कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप माफिया की अगुवाई कर रहे हो और आपको ऐसा कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं···

श्री राम नाईक : महोदय, कुछ तो शिष्टाचार दिखाना चाहिए, हमारे यहां नियम है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए जो सदन में मौजूद नहीं हैं और जो स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : जब से मैंने अपना विनिर्णय दिया है तब से उन्होंने कुछ भी अनावश्यक बात नहीं कही है, उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री पश्चिम बंगाल गए थे। इसमें क्या गलत है ?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब वह मध्य प्रदेश का मुख्य मन्त्री कहते हैं, जब वह पश्चिम बंगाल का मुख्यमन्त्री कहते हैं तो वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो सदन में स्वयं अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : वह देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को अच्छी तरह नहीं समझते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के गम्भीर न होने का पता चलता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दत्त, कृपया मुझे एक अवसर दीजिए, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम कापसे के व्यवस्था के प्रश्न के पश्चात् मैंने यह विनिर्णय दिया है कि यदि श्री दिग्विजय सिंह ने किसी भी मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई अपमानजनक बात कही है तो मैं रिकार्ड की जांच करके ऐसी बात कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा। उस विनिर्णय के पश्चात् उन्होंने केवल यही कहा है कि मुख्य मंत्री, श्री सुन्दरलाल पटवा पश्चिम बंगाल गये थे, इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं अब एक अलग मुद्दे पर बोलता हूं।

श्री अमल दत्ता : उन्होंने कहा, "मैं इस वाक्य को दूसरी तरह से कहूंगा।" (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दिग्विजय सिंह, कृपया विषय तक ही सीमित रहिये और विषय से सम्बन्धित बातों का ही उल्लेख कीजिए।

गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं समझता हूं कि श्री रामनाईक और श्री कापसे इस सदन के बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ कहा है। (व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम नाईक : महोदय, हमने कुछ भी नहीं कहा है।

श्री राम कापसे : महोदय, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो अपमानजनक हो।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपने प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ कहा है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, उन्होंने कहा कि यदि हम इस तरह के शब्द कहते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए यही मेरा कहना है, (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि प्रधान मंत्री के बारे में कुछ कहा गया है तो इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर हमको ज्यादा बहस करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर किसी के बारे में कुछ बात है तो वह एक्सपंज हो जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : तारीख तो बताइए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : इस देश में साम्प्रदायिक तनाव इस स्थिति में पहुंच गया है कि देश के विघटित होने का खतरा पैदा हो गया है, मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि हिन्दुओं और मुसलमानों का अति-रूढ़िवाद होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जब कभी भी दंगा होता है, एक तरफ रूढ़िवादी हिन्दू तथा दूसरी तरफ रूढ़िवादी मुसलमान होते हैं।

मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी की आपस में सांठ गांठ है, जब बाला साहेब देव रस बिहार गये थे तो वहां एक सार्वजनिक सभा में बिहार का जमात-ए-इस्लामी मुखिया उनका स्वागत करने के लिए मौजूद था। आज समय की मांग यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाये तथा इनके साम्प्रदायिक तत्वों, रूढ़िवादियों पर नियंत्रण रखा जाये।

जिस एकता यात्रा के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, माननीय प्रधान मंत्री ने श्री मुरली मनोहर जोशी को सही तरीके से जवाब दिया है। यदि वह एकता के बारे में अधिक उत्सुक हैं तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि एकता का मुद्दा किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं हो सकता है, एकता का मुद्दा एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए जिसमें देश की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी शामिल हो, अब हमें बैठकर विचार-विमर्श करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलायी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप 26 तारीख को आइये और झंडा फहराइये। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : झंडा हमेशा कश्मीर में लहराता है। वह आज भी लहरा रहा है। कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब वहां पर हिन्दुस्तान का झंडा नहीं लहराया गया होगा। आज राजप्रथम

[श्री दिग्विजय सिंह]

में भी झंडा लहरा रहा है और सरकारी भवनों में भी लहरा रहा है। वह रोज वहां लहरा रहा है।

[अनुवाद]

परन्तु महोदय, समय की यह मांग है कि इस देश में साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी ताकतों पर नियंत्रण किया जाये, इनका प्रत्येक स्तर पर मुकाबला किया जाना चाहिए, इस देश के प्रत्येक धर्म निरपेक्षवादी व्यक्ति को स्वयं के अधिकार से इनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और एक जुट होकर इस राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।

मैं गृहमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अब अंतर्राज्यीय सम्बंधों तथा राज्यों की तुलना में केन्द्र के अधिकारों की समीक्षा करने का समय आ गया है, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर सही तरीके से विचार किया जाना चाहिए। जब तक केन्द्र राज्य सम्बन्ध के पूरे मुद्दे की समीक्षा नहीं कर लेते और शक्तियां निम्न स्तर तक नहीं हस्तांरित करते हैं, राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करते है तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है।

[हिन्दी]

श्री राम सुन्दर दास (हाजीपुर) : मान्यवर, आज विधि व्यवस्था की जो चर्चा इस सदन में की जा रही है, कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आज की स्थिति का वर्णन किया। मैं कामरेड गुप्ता जी से सहमत हूं कि यह सवाल आज किसी एक पालिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी खास राज्य सरकार का नहीं है और न ही केन्द्र सरकार का है। यह सवाल आज राष्ट्रीय सवाल बन गया है आज जब हम इस पर विचार कर रहे हैं तो हम दलगत बातों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन बातों पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल से मान्यवर, स्थिति धीरे-धीरे इस देश के हाथ से निकलती जा रही है।

मैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें चलती हैं चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, अगर देश में उसकी साख हो और प्रशासन पर, जनता पर, आवाम पर और देश पर उसकी धाक हो तब ही देश अच्छी तरह चल सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम नजर डालते हैं तो हम को दीखता है कि आज न केन्द्र सरकार की कोई साख रह गई है, न राज्य सरकार की कोई साख रह गई है और न ही इस देश के लोगों के ऊपर किसी सरकार की कोई धाक रह गई है। दिवालिये की स्थिति है। जब साख टूट जाती है, किसी व्यक्ति की या किसी संस्था की तो वह निराधार हो जाती है।

लेकिन जिन लोगों पर इस देश को चलाने की जिम्मेवारी थी, लगता यह है कि जिस राजनैतिक पद्धति में हमारा और आपका विश्वास था, जिस राजनैतिक पद्धति को इस देश ने कबूल किया था, जाने-अनजाने में इस देश को चलाने वाले लोगों ने उन उसूलों को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का नहीं किया, मजबूत बनाने का काम नहीं किया।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। स्थिति क्या है, इस देश की, मैं फीगर्स में नहीं जाना चाहता, फीगर्स की चर्चा करना अब बेकार है इस देश में। आज जो फीगर हत्या की है, कब

वह दुगनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है किडनैपिंग की, दुगनी हो जाती है लूट की, चौगुनी भी हो जाती है, तो फीगर की चर्चा करके हम इस सदन का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते लेकिन दो एक बात कहना चाहते हैं। यह सवाल जो आज पैदा हुआ है, यह सवाल कोई आज तो पैदा हुआ नहीं, यह सवाल इस देश में बहुत पहले दिखाई देने लगा था और हम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद और 1857 के बीच की हिन्दुस्तान की हालात को देखें हैं तो आज लगता है कि इस देश की वही हालत है। उस समय भी लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं थी कोई कह नहीं सकता था कि जो घर से निकला हुआ है, सड़कों पर, अपने काम से वह सुरक्षित लौटकर आयेगा कि नहीं। आज भी हमारी यही हालत है कि हम कह नहीं सकते कि हम में से कोई आदमी, जो हालात हो गये हैं, उनमें वह सुरक्षित अपने घर में लौटकर आ जायेगा।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी, वे लोग आम लोगों को लूटते थे, सैण्टर-केन्द्र टूटता था, मुगल बादशाह का अन्तिम काल था तो सारे सूबेदार स्वतन्त्र हो गये थे और केन्द्र बिलकुल निर्बल पड़ गया था। वही हालत इस देश की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश लोगों की नजर में हम राजनैतिक पार्टियों की और राजनैतिक पार्टियों की सरकारों की जो विश्वसनीयता होनी होनी चाहिए, आज वह विश्वसनीयता नहीं रह गई है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर सही मानों में हम आतंकवाद पर चर्चा करना चाहते हैं, विधि-व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसकी जड़ में हमको जाना पड़ेगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम जो राजनीति में रहने वाले लोग है, मैंने आपसे चर्चा की कि हमने और सारे देश के लोगों ने इस देश में जनतांत्रिक पद्धति को अपनाया था, इसे स्वीकार किया था लेकिन आप जो रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, चव्हाण साहब बैठे हुए है और हम यहां बैठे हुए हैं, आपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि हमने उस पद्धति को कमजोर करने का काम किया है या उसको बलवान करने का काम किया है? "महाजनो ये न गता सः पंथा"।

चव्हाण साहब, आपने और आपके दल के लोगो ने इस देश को गलत राह दिखलाने का काम किया है और मैं यह भी स्वीकार करता हु कि हिन्दुस्तान की सारी राजनैतिक पार्टियों में कमोबेश वह बुराइयां आई हैं, सब में वह खामियां आई हैं, सब लोगों ने आपका अनुकरण करके इस देश को कमजोर करने का काम किया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हु हमारे मित्र दिग्विजय सिंह जी चले गए, बहुत चर्चा कर रहे थे। वे बूथ कैपचरिंग की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ज्योति बसु जी है जिनने बी० जे० पी० के लोग लाए थे, जो बातें मैं यहां कह रहा हु इसमें आप अपने ऊपर हंसने की बात मत कीजिए, आप भी कोई इससे अछूते नहीं होंगे। जो अधिकार इस देश में हर आदमी को, इस देश के मतदाताओं को मिला हुआ था, उस अधिकार को धड़ल्ले से लूटा जाता है। इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों के मतों को लूट होता है, इस देश मे मत लूटे जाते है। बिहार की बात जो कांग्रेस की तरफ के लोग कहते हैं वे मुझे यह कहने के लिए बाध्य कर रहे हे कि बिहार मे पहले-पहल बाय-इलेक्शन हुए थे, गोपालगंज विधान सभा मे, आपके नेता थे उम्मीदवार, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उस बाय-इलेक्शन में बूथ कैपचरिंग उन्होंने शुरू कराया था। इसलिए आपकी पार्टी बूथ लूटने जैसी मनोवृत्ति की जननी है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बीमारियों से, कमी और देश से सारी पार्टियां ग्रस्त है, क्या इसका इलाज आपके पास है और इसका इलाज अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो यह देश चलने वाला

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

बान है, सारी पार्टियां परेशान हैं। इस मसले को हल करने के लिए कोई तरीका नहीं निकला है। राजीव-लोंगोवाल पैक्ट हुआ। जब भी कभी राजीनामे की बात करते हैं, जब भी कोई सोल्यूशन, कोई हल तलाश करने की बात करते हैं। वे ताकतें, जिनका काम है कि वे फैसले न हों, अमन-अमान बहाल न हों, वे कुश्तेखून जोरों से शुरू कर देते हैं। यही पंजाब में हुआ। लोंगोवाल जी शहीद हुए, राजीव गांधी ने अपने खून का इंजेक्शन दिया, अपने जीवन की आहुति दी। वह वक्त हमें याद है जब महात्मा गांधी और सोहरावर्दी हिन्दू-मुस्लिम फसाद को खत्म करने के लिए नवाखाल की गलियों में कदमी पैमाइश करते थे।

5.00 म० प०

यह जमाना था और एक तरीका था अपने और नॉन वायलेंस का। लेकिन देश ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर ब्रिटानिया साम्राज्य की दीवार को तोड़कर आजादी दिलाई। आज देश में इतनी हिंसा फूल रही है तो इसका कारण क्या है। आज पंजाब के मसले पर सोचते हैं कि किससे बात की जाए मिलिटेंट्स से या उग्रवादियों से। एक वक्त था जब तारासिंह जी जो कहते थे वह सिख कौम के लिए हरफे आखिर था। उसके बाद संत फते सिंह हुए। उनका मैनडेट चलता था। उसके बाद संत लोंगोवाल हुए। लेकिन आज अकाली लीडर शिप दो-तीन धड़ों में बंटी हुई है। किससे बात करें, जब कोई अथारिटी न हो, जिसकी बात को कोई परवान चढ़ाएं, कोई फल चढ़ाएं और उसको स्वीकार करें कि इसने कह दिया जिस घर का मुरब्बी होता है तो कभी बात करने की कोशिश की जाती है तो उस वक्त सरासर गोलियां शुरू हो जाती हैं। अभी पंजाब में इलैक्शन कराने की कोशिश की है। पंजाब में हमारी केन्द्रीय सरकार ने अमन-बहाल करने के लिए फौज को भेजा है। फौज भेजने के बाद वहां के मिलिटेंट तबके का कोई ठिकाना नहीं रहा। हरियाणा, राजस्थान, यू० पी० और हिमाचल पंजाब से मिले हुए हैं। अब पंजाब को छोड़कर उन्होंने हरियाणा में घुसने की कोशिश की है। एक सप्ताह पहले क्या हुआ। टोहाना में 26 लोग मारे गए और उससे पहले सिरसा में दस आदमी मारे गए। हरियाणा में कोई गड़बड़ी नहीं है। पंजाब से निकले हुए एलीमेंट ने कोशिश की क्योंकि उनके हाइड-आउट्स पर रेड किए जा रहे हैं। असम उल्फा ने और तमिलनाडु में एल० टी० टी० ई० ने उत्पात मचा रखा है। यह वह देश है जहां प्यार और मोहब्बत की मुरलियां बजती थीं, वहां बुगजब इनाद के नाकूस फूंके जा रहे हैं। इसका कारण क्या है। आपने कहा कि पिछले इलैक्शन में कांग्रेस हारी। क्यों हारी। कांग्रेस ने फंडामेंट लिस्ट हिन्दुओं के जज्बात की परवाह नहीं की। वे यह चाहते थे कि कांग्रेस उनके साथ राम जन्म भूमि से संबंधित एक पार्टी बन जाए। कांग्रेस ने फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम के जज्बात की परवाह नहीं की। जो कोर्ट का फैसला होगा तो मंदिर-मस्जिद उसी तरह से किया जायेगा। फंडामेंटलिस्ट हिन्दू कांग्रेस के खिलाफ चले गए। राजस्थान के अन्दर यह हुआ कि बाबा लोग केसरी बाना पहनकर कमन्डल लेकर उसमें गंगा जल उठवाकर कहा कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ने उस पार्टी का साथ दिया जिन्होंने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में उनका साथ दिया इसलिए कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को इससे कोई अफसोस नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपना सिद्धान्त नहीं छोड़ा। वह अपने सिद्धान्त पर कायम रही। जो लोग कांग्रेस की पालिसी पर अटैक करते हैं तो वे अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। राज किसी भी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो देश कायम रहना चाहिए।

[अनुवाद]

(उपाध्यक्ष महोदय-पीठासीन)

5.05 म० प०

[हिन्दी]

कांग्रेस के सामने देश की एकता और अखण्डता ही एक निशाना रही है। लेकिन हुआ क्या है। आप देखिये पिछले चुनाव के पहले जो ड्रामा हुआ, एक रथ यात्रा निकाली गई, वह रथ यात्रा थी या वोट यात्रा थी, या नोट यात्रा थी। 10 करोड़ रुपया उस रथ यात्रा के अन्दर इकट्ठा किया गया। द्वारिका से चलकर दक्षिण भारत को चीरते हुए देश के अन्दर देश के खामोश समन्दर में आग लगती चली गई, मजहबी जज्बात को भड़काते चले गये, घास के सूखे हुए ढेर को आग लगाना आसान है लेकिन उसको बुझाना मुश्किल है। यह रथ यात्रा के नतीजे हम देख रहे हैं। और आज रथ यात्रा के बाद एकता यात्रा। किस चीज की एकता यात्रा। 26 जनवरी को कश्मीर में श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं एकता यात्रा के पुजारियों से···(व्यवधान)··· आप जरा धैर्य से सुनें, जरा खामोशी अख्तियार करें। क्या-क्या मुसलमानी अल्लाह-अल्लाह पुकारे। क्या कश्मीर के अन्दर पिछले 44 सालों से तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता रहा है। मेरे साथी, बीजेपी के भाई जिन्होंने पिछले 11 महीनों में जनता दल का साथ दिया था उसी जनता दल के शासन में रुबिया कांड हुआ था। वह केवल एक कांड ही नहीं था, देश के अन्दर अमन-चैन का जनाजा निकाल दिया था। उस वक्त की सरकार ने जो वह फैसला किया था वह निहायत बहुमकाना फैसला था। उसके बाद कश्मीर के लोगों ने देखा कि हिन्दुस्तानी कायर हैं, वे एक लाख नहीं, दो-तीन लाख लोग श्रीनगर के मैदान में खुलकर आये और कहा कि "यू इंडियन डाग्स गेट आउट।"

मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से जो शोर करते हैं, क्या कभी कांग्रेस के 41 साल के शासन में कश्मीर के अन्दर जहां 80 प्रतिशत मुसलमान और 20 प्रतिशत हिन्दू हैं, कभी हिन्दू-मुसलमान फसाद हुए, कभी खून की होली खेली गई और कभी वहां के मुसलमानों ने हिन्दुओं को या मुसलमानों को निकाला? अब वहां तमाम हिन्दू पण्डितों को निकाला जा चुका है। यह उस वक्त की सरकार की कायरता और बुजदिली और कमजोर पालिसी का नतीजा था। जिसके साथ हमारे बीजेपी के साथी जा रहे थे और उनका साथ दे रहे थे।

आज कश्मीर में जो हालात पैदा हुए हैं वह पिछली सरकार की देन है। कांग्रेस के राज में कभी कश्मीर के मुसलमानों ने, कभी यह सोचा नहीं, जुर्रत नहीं की, लेकिन उस राज के अन्दर गड़बड़ हुई और आज कश्मीर के अन्दर अलगाववाद, आतंकवाद इतना फैल रहा है, वरना पाकिस्तान तो पहले भी कश्मीर से मुहलगा था, उसके पड़ोस में था। क्या कभी इस तरह, बुरी तरह जो आज 10-10 और 20-20 लोगों के किडनेपिंग का सिलसिला चल रहा है, पहले था? यह उस जनता दल के शासन में शुरू हुआ कि एक को किडनेप कराओ और 6 को रिहा कराओ। यह आपका दिखाया हुआ रास्ता है, यह आपका ही मार्गदर्शन है यह आपकी दी हुई रोशनी है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आप ही उनकी रोशनी का मीनार बने थे।

कांग्रेस ने 44 साल में से साढ़े 41 साल शासन किया है और उस समय में चार प्रधान मंत्री रहे हैं, आपके साढ़े 3 साल के शासन में चार प्रधान मंत्री रह चुके हैं। कारण यह है कि राज वह करेंगे जिन्हें राज करना आता है, जो हजम कर सकते हैं, आपको सत्ता मिली और सत्ता का गलत

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

इस्तेमाल किया। अब यह एकता यात्रा क्या है ? हिन्दुस्तान की तमाम पार्टीज ने, हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों ने और हिन्दुस्तान के अमीर-गरीब ने इसका विरोध किया है। लेकिन हमारे बी०जे०पी० के नेतागण कह रहे हैं कि यह बन्द नहीं होगी और सरकार इस पर बैन लगायेगी तो हम हड़ताल करेंगे। यह तरीक है तो कहीं एक्स्ट्रीमिज्म है, कहीं अल्फा है, कहीं आनन्दमार्गी है और इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि 1977-79 तक सवा दो साल तक विरोधी दलों को राज करने का मौका मिला और उसी समय देश दस साल पीछे धकेल दिया गया। उसके बाद 1990-91 तक राज करने का मौका मिला जिसमें देश का खजाना का दिवाला निकाल दिया। देश में फिर कापरस्ती उभरकर सामने आयी और एक जुनून पैदा हुआ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सुझाव देता हूं कि फराखदिली से काम लो, अकल से काम लो और दूसरों के लिए सहनशक्ति रखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में हिन्दुस्तान ही सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। आज भी हमारे मुल्क में इतने मुसलमान हैं, शायद 14-15 करोड़ किसी भी मुल्क में नहीं हैं। क्या हिन्दुस्तान के हिन्दू उनको देश से निकाल सकते हैं, उनके जज्बात से खिलवाड़ कर सकते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला 1977 से 1979 तक क्यों नहीं खड़ा हुआ ? उस वक्त श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी केन्द्र में वजीर थे, उनकी खामोशी क्यों रही ? मैं भी भगवान राम का पुजारी हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। भगवान राम कब पैदा हुआ, क्या वह दो लाख या तीन लाख साल पहले पैदा हुआ ? रामायण कब हुई ? बाबर कब आया ? बाबरी मस्जिद बाबर ने कब बनायी ? जब राम का जन्म हुआ तो मन्दिर तब से चला आ रहा है ? बनारस में आज भी मस्जिद और मन्दिर की दीवारें मिली हुई हैं। इसकी आड़ लेकर हिन्दू-मुसलमानों के जज्बात को भड़का कर देश की एकता और अखण्डता को तबाह करने की साजिश नहीं है। तो और क्या है ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मजहब के ठेकेदार हैं, जो हिन्दुओं के रक्षक हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दू अगर अपने आपको महसूस करता है कि उसके हुकूक सुरक्षित नहीं हैं। मैं मजहबी नहीं हूं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह शर्म की बात है। हमारा हिन्दुस्तान वह देश है, यहां के बागीचे में सैंकड़ों प्रकार के फूल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं, मजहब हैं, कितने ही प्रकार की हवायें चलती हैं लेकिन कभी मजहबी जुनून इतने जोर से पैदा नहीं हुआ जितना हमारे बी० जे० पी० के दोस्तों ने किया है। यह आपकी देन है, यह आपकी गलत पॉलिसी है, यह आपकी रथ यात्रा और एकता यात्रा का नतीजा है कि उस देश में, जहां प्यार था, घृणा का बीज पैदा किया जा रहा है, इनसान को इनसान का दुश्मन बनाया जा रहा है और यह सब मजहब की आड़ लेकर किया जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मन्दिर बनाने के विरोध में नहीं हूं। यह कहां लिखा है कि मन्दिर बनाने के लिए सारे देश को चीरते जाओ। रथ यात्रा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पैसा बटोरना चाहते हैं। रथ यात्रा का निशान क्या था ? वह एक इलेक्शन स्टंट था। उसको सामने रखकर अपने मिशन में कामयाब हुए। कुछ हद तक प्रान्तों में इनकी सरकारें भी बनीं, लोकसभा में भी एक अच्छी तादाद में आये। इसका श्रेय आप लिए हुए हैं कि आपने लोगों के जज्बात को, जुनून को भड़काने का एक अच्छा हथियार अख्तियार किया। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, अब देखना यह है कि स्थिति कहां ले जायेगी ? यह देश कहां जायेगा ? जिस देश ने गांधी, नेहरु और मौलाना आजाद जैसे महापुरुषों को पैदा किया, वहां 1977 से पहले यह कभी नहीं हुआ था। सन् 1977 में कांग्रेस से सत्ता

छीन ली गयी और दो साल के अन्दर ही देश का बेड़ा गर्क किया, देश को तबाह कर दिया और आज यह सरमन्ज देते हैं कि आप लोग सबक सिखाते हैं। बड़े-बड़े महसूस करते हैं कि ये प्यार मोहब्बत की मुरली बजाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह इतना भयानक मसला है, इतना गंभीर सवाल है कि जिसमें बिना लिहाज जात-पात बिना लिहाज ऊंच-नीच, बिना लिहाज पार्टीबाजी, देश के सब निवासी, देश की सब पार्टियां अगर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर न चलेंगी, राजनीति तो चलती रहती है, देश में एक पार्टी आए, दूसरी पार्टी जाए, लेकिन वह ताकतें जो हिन्दुस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन होते हुए बरदाश्त नहीं कर सकती हैं, जिनके सीने पर सांप लोट रहा है, वह ताकतें अपने काम में कामयाब होंगी।

आज रूस का आप देख रहे हैं क्या हाल है। रूस पहले एक शक्ति हुआ करता था। हमें सबक लेना है दूसरे देशों से। और वह लोग जो हमारे देश में जहर फैलाना चाहते हैं, वह लोग जो हमारे देश को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं, वह लोग जो हमारे देश के ताने-बाने को तोड़ना चाहते हैं, हमें एकजुट होकर उनका मुकाबला करना है।

आज पंजाब में हमारी सरकार इलेक्शन कराने जा रही है जैसा कि गृह मंत्री ने ऐलान किया है। मैं गृह मंत्री जी, आपको बता देता हूं कि जब से सरकार ने यह फैसला किया कि वहां इलेक्शन कराने हैं और वहां पर फौज भेजकर अमन—व—अमान कायम करने की कोशिश की है, तभी से उन लोगों ने और ज्यादा कत्लो-गारत शुरू कर दिया और उसका असर मेरी स्टेट पर भी होना शुरू हो गया। मैं अपनी हरियाणा सरकार और पुलिस को इस चीज की बधाई देता हूं कि 5 उग्रवादियों को कल लिक्विडेट किया है, लेकिन जो सिरसा में हुआ, जो टोहाना में हुआ, किसी से बलात्कार चल रहा है, इनका मुकाबला करने के लिए आप हमें पैरा-मिलिट्री फोर्स, बी०एस०एफ० और सी०आर०पी० दें। हमें इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों पैदा हुई क्योंकि फौज को वहां काम करना पड़ा पंजाब में और उग्रवादियों के लिए जगह नहीं बची तो वह इधर आए। हमें एडीशनल पुलिस भरती करने की जरूरत है। इसके अलावा जो सॉफिस्टिकेटेड वीपन्स हैं, ए० के० 47 एक तरफ होती है और हमारा सिपाही 3.3 राइफल लेकर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं गृह मंत्री से इस बात के लिए खास तौर पर अर्ज करूंगा कि हरियाणा को इस मुसीबत से बचाने के लिए आप हमें पैरा मिलिट्री फोर्सज दें, साफिस्टिकेटेड वीपन्स दें, ऐडीशनल फोर्स भरती करने की इजाजत दें और जो लोग मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को भिन्न-भिन्न करना चाहते हैं, उनके मुंह में लगाम डालने की कृपा करें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, बहस हो रही है कि आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं के संदर्भ मे देश में लॉ एंड आर्डर की हालत खराब हो रही है। मुद्दा यह है और भाषण हो रहे हैं यहां राम जन्मभूमि पर।··· (व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले कारण खोजिए। मेरा कहना है कि कबूतर की तरह आंख बंद करके हम समस्या को टाल तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते जो भयंकर स्थिति पैदा हो रही है, अगर यह साम्प्रदायिकता के आधार पर आतंकवाद होता तो आज पंजाब के अन्दर हिन्दू-सिखों के बीच दंगे होते। अगर यह आतंकवाद सांप्रदायिकता के आधार पर होता तो आज जम्मू और कश्मीर में हिन्दू-मुसलमान के दंगे होते।

मेरा निवेदन यह है कि आज आतंकवाद का आधार साम्प्रदायिकता नहीं है, आज आतंकवाद देश को तोड़ने के लिए है। इसलिए आतंकवादी हिन्दू को भी मार रहा है, सिख को भी मार रहा है

[श्री मदन लाल खुराना]

और मुसलमान को भी मार रहा है। इसलिए हमें इसके पीछे मकसद देखना चाहिए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि यह इतना सिम्प्लीफाई करके क्योंकि बीजेपी को गाली देनी है और अपने लिए काम करना है। उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद कोई प्रदेश का सब्जेक्ट नहीं है।

आतंकवाद देशव्यापी हो गया है, इसलिए हमको उस दृष्टि के साथ इसको राष्ट्रीय समस्या समझकर ध्यान देना है।

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं अभी जम्मू से आया हूं, दो दिन पहले बहुत गम्भीर समस्या वहां है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अच्छा है, होम मिनिस्टर साहब इस समय सदन में मौजूद हैं, उनके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि आजकल कश्मीर में क्या हालत हो रही है। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि आतंकवादी गतिविधियों ने कश्मीर और पंजाब से बाहर भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ, घटनाएं पिछले दिनों सामने आयीं, गंगानगर में जो कुछ हुआ और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं मेरा निवेदन है कि जो स्टेटस आतंकवाद की समस्या से सम्बन्धित हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को बुलवाइये और कोई कोआर्डिनेटिड एफर्ट्स कीजिये। केवल एक प्रदेश के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं होगा। जैसा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वे इस समस्या से निबटने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक स्टेट की नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है आपको गम्भीरता से सोचना होगा कि इसका हल कैसे निकाला जाये। उत्तर प्रदेश शासन आपसे पी० ए० सी० की कुछ कम्पनियां मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, मेरा निवेदन है कि बहुत शीघ्र तमाम सम्बन्धित स्टेटस के मुख्यमंत्रियों को जहां गवर्नर का राज है, वहां के गवर्नर या लेफ्टीनेंट गवर्नर को आप बुलाइये और को-आर्डिनेटिड कुछ ऐसे तरीके अपनाईये ताकि उन स्टेटस में आतंकवाद पर सामूहिक कन्ट्रोल किया जा सके, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। यहां आतंकवाद का प्रभाव कुछ आया है लेकिन मुख्य समस्या यहां ला एण्ड आर्डर की है। यहां की जिम्मेवारी सीधे होम मिनिस्टर साहब की है क्योंकि दिल्ली एक केन्द्र शासित क्षेत्र है। आज दिल्ली में ला एण्ड आर्डर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली का आम आदमी अपने आप को असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं, लूटपाट, डाकाजनी और अपहरण की घटनाएं यहां लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

अपहरण के दो ही लक्ष्य होते हैं—पहला उद्देश्य होता है धन बटोरना और दूसरा, अपने किसी साथी, आतंकवादी को छुड़ाना। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र का एक उद्योगपति था, उसे उठावा कर लिया गया और उससे फिरौती की रकम रोहतक की जेल में वसूल की गयी। आपकी दिल्ली में मंत्री जी, लॉ एण्ड आर्डर की यह दुर्दशा है। वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान हाजीपीर पर भारतीय झण्डा जिस शख्स ने फहराया था और भारतीय ध्वज फहराने के कारण, भारत सरकार ने जिसे महावीर चक्र से सम्मानित किया था, उसी मेजर जनरल एस० एस० कलहों और उनके बेटे को दिन दहाड़े दिल्ली छावनी में हत्या कर दी गयी और हत्यारों को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। मैं स्वयं वहां गया था क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है उनकी बहुएं और बच्चे पूछ रहे थे कि जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों की

चिन्ता किये बगैर भारतमाता का सम्मान किया, क्या इसी प्रकार से उसका अंत होना था। क्या उसे इस तरह से मारा जायेगा। सरकार को हत्यारों को पकड़ने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए थे परन्तु आज तक किसी हत्यारे को पकड़ा नहीं जा सका। इससे लोगों को लगता है कि दिल्ली में ला एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है।

पिछले दिनों सुरा काण्ड के कारण 200 से ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई। कोई कहता है कि एक्साइज विभाग इसके लिए जिम्मेवार है, कोई कुछ कहता है, यानी अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। अगर यह ला एण्ड आर्डर की समस्या नहीं थी, तो मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि एक बेचारे एस० एच० ओ० को क्यों सस्पैंड किया गया, जब किसी की जिम्मेवारी थी ही नहीं। उसे क्यों आपने फांसी पर चढ़ा दिया, क्यों उसे सस्पैंड कर दिया गया। चूंकि होम मिनिस्टर साहब दिल्ली के अफेयर्स के इन्चार्ज हैं, इसलिए 200 हत्याओं और 50 लोग उस काण्ड में अंधे हो गये, इसकी जिम्मेवारी यदि आप किसी की समझते हैं तो उसे सजा क्यों नहीं देते।

रोमानिया के कार्यकारी राजदूत श्री राडू का दिल्ली में जिस तरह से अपहरण हुआ, दिल्ली पुलिस की शर्मनाक असफलता की गाथा मैं यहां सदन में बखान नहीं करना चाहता। मैं आपका ध्यान कश्मीर और पंजाब के आतंकवाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां किडनैपिंग या अपहरण का एक नया दौर शुरू हो गया है। मैंने पहले ही कहा कि अपहरण के पीछे दो ही उद्देश्य होते हैं—एक धन ऐंठना और दूसरे अपने साथी को छुड़ाना। पिछले कुछ दिनों से एक नया क्रम शुरू हो गया है कि ट्रकों को ही गायब कर दिया जाता है, ट्रकों का अपहरण कर लिया जाता है ताकि माल जो दूसरे प्रदेशों में जाता है उसे रोका जा सके। लगभग 150 ट्रकों का अपहरण पिछले कुछ समय में हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच सी० बी० आई० से करायें।

दूसरे अपहरण अपने साथियों को जेलों से छुड़वाने के लिए हो रहे हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में 30-40 अपहरण प्रतिदिन हो रहे हैं और अधिकतर लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। अगर इसको सख्ती से रोका नहीं गया तो पंजाब में कहीं पलायन न शुरू हो जाए। लोग यदि यह महसूस करेंगे कि हम यहां पर सुरक्षित नहीं हैं तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। पंजाब की वर्तमान स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से वहां पर पुलिस के परिवार वालों पर हमला शुरू हो गया है। जब डा० बलदेव प्रकाश पर हमला हुआ था तो मैं अमृतसर गया था। मुझे बताया गया कि पिछले एक महीने में सौ लोगों को जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर हैं, उनके परिवार वालों को मार डाला गया। उस कारण शहरों में जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर हैं उनका मनोबल गिर रहा है।

मैं कश्मीर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत अच्छा है कि होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं। मैं दो दिन जम्मू रीजन में होकर आया हूं। कुछ अखबार और तथ्यों को लाया हूं। कश्मीर घाटी में आज आतंकवादियों का कब्जा है, आतंकवादी खुलेआम सड़कों पर आ गए हैं। पहले अंडरग्राउंड होते थे आज प्रेस कान्फ्रेंस करते हैं। मेरे पास अखबार है, इसमें लिखा है श्री नगर के हजरत बल में वहां के आतंकवादी जिहाद कर रहे हैं। वहां का एक आतंकवादी जब अदालत में आता है तो वहां के लोग मिलने आते हैं जिसमें वहां के एक मिनिस्टर का फस्ट कजन भी है। यह उसका फोटो है। यह अखबार चार पेज का है, दो पेज का विज्ञापन सरकार दे रही है। सरकारी विज्ञापन से जो पैसा आता है उससे यह सब हो रहा है।

[श्री मदन लाल खुराना]

रात का जिक्र न कर रात तो गुजर गई
अगर है सुबह तो यह बता रोशनी कहां गई।

मैं कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर से कि आज जो कुछ वहां हो रहा है उसका जवाब देश को दीजिए। पहले आतंकवादी अंडरग्राउंड होते थे आज सड़कों पर बन्दूकें लेकर आ गए हैं, अपनी वर्दियां पहनकर प्रेस कान्फ्रेंस करते हैं।... (व्यवधान) यह किसने किया मैं जानता हूं। उस समय भी आडवाणी जी ने कहा था। उस समय के होम मिनिस्टर की बेटी का अपहरण हुआ और उन्हें जिस तरह से छुड़ाया गया हमें पसंद नहीं था। दोरास्वामी का अपहरण हुआ। उनकी मांग थी कि एक साला को छोड़ दिया जाए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वह 40 हत्याओं का जिम्मेदार है। आपने 11 को छोड़ा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे कथन को कंट्राडिक्ट करें। मैं अभी वहां होकर आया हूं, मुझे बताया गया कि 11 लोगों में साला भी है जिस पर 40 हत्याओं का केस चल रहा है।

मेरी इनफर्मेशन यह है कि वहां की सरकार इसको छोड़ने से इन्कार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र के किस नेता ने, किस मिनिस्टर ने समझौता करवाया और किस के कहने पर 11 लोग छोड़े।

मैं उदाहरण नम्बर दो यह देना चाहता हूं कि 15 नवम्बर को डोडा में इनकाउंटर में दो सी० आर० पी० एफ० के जवान घायल हुए और वे अभी भी अस्पताल में हैं। उसमें चार लोग इनकाउंटर में मारे गये। आपने उनको एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की, आतंकवादियों को मुआवजा, ऐसे में उन्होंने उसको लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि हमें हिन्दुस्तान का पैसा नहीं चाहिये। इससे बढ़ कर देश को लज्जित और आप क्या करना चाहते हैं? आपने इसकी भी इनक्वायरी करवा दी। आप जिन लोगों को इनस्टाल करवाना चाहते हैं लोग उन्हें पसन्द नहीं करते हैं। आप जनता दल की बात करते हैं। आप पहले अपने राज में तो देखिये कि क्या कुछ हो रहा है? आपके मिनिस्टर स्पेशल ऐरोप्लेन से जम्मू जाते हैं। फिर वहां से एक हैलिकाप्टर लेकर अखनूर जाते हैं और वहां केवल 100 लोगों की सभा में भाषण करके वापिस आ जाते हैं। वे वहां किसलिए गये? आखिर कश्मीर के मामले का जवाबदेह कौन है, होम मिनिस्टर हैं या कोई और है। वहां की जनता हम से यह सवाल पूछ रही है। कौन इसका फैसला करेगा? एक्स चीफ मिनिस्टर को अगर लेकर जाना है तो कश्मीर में ले जाइये और वहां झंडा फहराइये। वहां आज कोई घुस नहीं सकता है। डेढ़ साल से वहां कोई महानुभाव नहीं गया। उनका रिकार्ड क्या है? लोग हंसते हैं। हमसे पूछते हैं।

उस समय के नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट है और जिसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है, उसमें से मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं इसको क्वोट कर रहा हूं:

"जबकि कश्मीर के मुर्दे हाल संगीन हैं और कश्मीर के लोग अपने वतने अजीज फौज और नीम फौजी दस्तों के हाथों एक वसीम कब्रिस्तान में तब्दील होते देख रहे हैं। मैं मुल्क और बैरूनी मुल्क अर्थात विदेशों और इंसानियत के अलम्बरदारों से अपील करता हूं कि वह कश्मीर के इस इन्ताही खतरनाक सूरते हाल पर इन्टरफियर करके फौज और पैरा मिलिट्री के हाथों कश्मीर के कत्ले आमों को इन्टरनेशनल लेवल पर जांच कराने की आवाज उठायें।"

ऐसे में आप उनको इनस्टाल करना चाहते हैं। वह यहां पर कोई भाषा बोलेंगे और यहां दूसरी भाषा बोलेंगे। जिस आदमी की साख नहीं है—(व्यवधान) —मैं दूसरा नाम भी ले रहा हूं। आपकी खुशी के लिए एक और नाम ले रहा हूं।

एक वहां के भूतपूर्व गवर्नर जो आपके लाडले हैं, वह हिन्दू हैं। उनका अभी बयान छपा है वह आपको सुनाना चाहता हूं। उसका हैडिंग है "कर्ण सिंह के ख्याल में जो सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत ठीक नहीं हुए।" आजादी के 44 सालों के बाद कर्ण सिंह कहते हैं जो जो मेरे पिताजी ने दस्तखत किये वह ठीक नहीं किये थे। वह क्या संदेश देना चाहते हैं, यह क्या करना चाहते (व्यवधान) हैं। यह जाली है। इसमें आपकी सरकार के विज्ञापन हैं। जो पेज के विज्ञापन जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट के हैं। क्या जाली अखबारों में आप अपने विज्ञापन देते हैं। मेरा कहना यह कि जिन लोगों के ऊपर डिपेंड करके आप कश्मीर समस्या हल करना चाहते हैं उन पर लोगों को विश्वास नहीं है।

मैं एक और बात आपकी नजर में लाना चाहता हूं। यहां जिस तरह से भारत के खिलाफ प्रचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे पास यह अखबार है, उसके अन्दर मान साहब का एक बयान छपा है। किस तरह से झूठे, मनगढ़न्त और शरारतपूर्ण बयान छापे जाते हैं, अभी 24 नवम्बर, 1991 को सिमरन जीत सिंह मान का एक बयान छपा, जिसकी हैडिंग अभी मेरे पास है: "कश्मीरी नजरबन्दों की आंखें निकाल ली गई हैं, आज कश्मीर एक कब्रिस्तान बनकर रह गया है, मान"। आपकी तरफ से इसका कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है। यही जो अखबार है, यही फिर पाकिस्तान छापता है और हिन्दुस्तान का नाम बदनाम करता है। मेरा इसीलिए कहना यह है कि आप अपने प्रचार तंत्र को ठीक करिये।

पिछली बार कश्मीर पर जिस समय बहस हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी कि जो हमारे कश्मीरी माइग्रेन्ट्स हैं, अभी मेरे मित्र बड़े आंसू बहा रहे थे कि यह तो जगमोहन ने करवाया कि वहां से कश्मीरी हिन्दुओं को भिजवाया, मैंने पिछली बार कहा था कि वहां से जो कश्मीरी पण्डित आये हैं, उनके मकानों को जला दिया गया, यहां इस समय आजाद साहब बैठे हुए नहीं हैं, उन्होंने यहीं खड़े होकर कन्ट्राडिक्ट किया था, चुनौती दी थी। मैं कन्फर्म करके आया हूं, मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब अपने जवाब में कहें, क्या पिछले महीनों में, एक डेढ़ या दो महीनों में दो हजार से ज्यादा अर्जियां आपके पास आई हैं, एफ० आई० आर० लिखवाई गई हैं या नहीं ?

आजाद साहब आ गये, बहुत अच्छा किया आपने। आजाद साहब, आपने मुझे उस दिन चुनौती दी थी कि वहां किसी हिन्दू का मकान नहीं जला है। मेरा यह कहना है कि 2200 के लगभग वहां हिन्दुओं के मकानों को जला दिया गया। आपके पास एफ० आई० आर० लिखवाई गई है और उनमें से लगभग 5-6 सौ लोगों को आपने एक-एक लाख रुपया मुआवजा भी दे दिया है। आप कहते हैं कि एफ० आई० आर० दर्ज ही नहीं हैं···

संसदीय कार्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद : आप उस समय मन्दिर की बात कर रहे थे।

श्री मदन लाल खुराना : मंदिर भी जले हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2200 एफ० आई० आर० लिखवाई गई हैं और उनमें से 7-8 सौ को आपने एक-एक लाख रुपया दे भी दिया है। जांच करने के बाद यह सही पाया गया है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता, संक्षेप में करना चाहता हूं,

[श्री मदन लाल खुराना]

ईश्वर के लिए कश्मीर को जो आपने कुछ दरिन्दों के हाथों में सौंपकर आंख मूंद ली है, जागिए। उसको डील किसने करना है, इसका फैसला करिए। वहां कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, वहां के गवर्नर को रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला करिए। वहां अनसरटेन्टी है, इस अनसरटेन्टी को खत्म करिए। मैं कोई उसका वकील नहीं हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि कभी उसको यह हिन्ट दिया जाता है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, कभी यह कहा जाता है कि नहीं, तुम वहां रहो। जो भी करना है, यह एडहॉकिज्म खत्म करके कुछ फैसला करिए, यह मैं इसमें सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि कश्मीर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं।

वहां पर यात्रा जा रही है इसलिए केवल गाली देकर समस्या हल नहीं होगी, बल्कि आपको तो यात्रा का समर्थन करना चाहिए। ये कहते हैं, अभी इनके दो भाषण मैंने सुने। झण्डा तो हमारा फहराया जा रहा है। सरकार की रिपोर्ट है, इस बार केवल बी० एस० एफ० ने झण्डा फहराया। पिछले 30 सालों में 15 अगस्त को किसने झण्डा फहराया? 14 अगस्त को पाकिस्तानी झण्डा वहां फहराया गया और लाल चौक पर आपका झण्डा नहीं फहराया गया। वहां सैक्रेटेरिएट में केवल झण्डा फहराना कोई हिम्मत की बात नहीं। अगर मैं अपनी भारत भूमि के ऊपर भी राष्ट्रीय झण्डा नहीं फहरा सकता, मैं कोई बी० जे० पी० का झण्डा फहराने नहीं जा रहा हूं, मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने जा रहा हूं, राष्ट्रीय गीत वहां गाने जा रहा हूं, हिम्मत के साथ गाने जा रहा हूं और मैं यहां घोषणा कर रहा हूं, आप जितना चाहें रोक लें, जैसे हमने यह कहा था कि मंदिर में हम पहुंचेंगे, उसी तरह से यहां मैं घोषणा करता हूं कि 26 जनवरी को लाल चौक पर हम झण्डा फहराएंगे और दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती···

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : झण्डा फहराने की बात ठीक है लेकिन साथ में क्या करेंगे, यह भी देखने की बात है।

श्री मदन लाल खुराना : करवा तो आप भी सकते हैं। सरकार तो आपकी है और यह तो आपके ऊपर है। आप क्या कराएंगे, मुझे पता नहीं···

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आप लोग तो जाते नहीं, दूसरे कार्यकर्ताओं को भेज देते हो, लाठी खाने के लिए। सिर तो दूसरे लोगों के फूटते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : यह कोई दूध पीने वाले मजनूं नहीं हैं।

मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं···

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाकी जो मैंने कहा है कि जहां आतंकवाद फैल रहा है उसको रोकने के लिए कोआर्डीनेटेड एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन कश्मीर के बारे में जो हालात मैं व्यक्तिगत रूप से देख करके आया हूं ईश्वर के लिए, उसके लिए सरकार सावधान हो क्योंकि वहां हालात बहुत खराब हैं, जिसका हम यहां बैठ करके अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो घटनाएं मैंने यहां पर बताई हैं इससे भी कहीं ज्यादा हालात सीरियस हैं। इसके लिए प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि वे एडहाकिज्म की नीति, अनसरटेनिटी की नीति को खत्म करके और सभी दलों की एक मीटिंग कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और वहां पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब पर सामूहिक रूप से इस बारे में विचार करें और एक बार आतंकवाद के खिलाफ ऐसा धावा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बोलें ताकि

वहां लोगों में एक विश्वास पैदा हो सके, यह मेरा सुझाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मान्यवर, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अलगाववाद और आतंकवाद के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कानून और व्यवस्था की चर्चा करना तो बेकार है, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अक्सर यह देखा गया है कि कानून और व्यवस्था के सवाल को एक छड़ी के रूप में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब किसी राज्य सरकार को परेशान करना हो तो केन्द्र की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है वहां कार्यवाही की जाएगी। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि केन्द्र सरकार के जिम्मे जो इलाके हैं वहां कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आंकड़ों में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने सारे आंकड़ों को सदन के सामने रखा है इसलिए मैं सदन का समय बरबाद करना नहीं चाहता हूं।

अपहरण के सम्बन्ध में सरकार की विफलता की चर्चा करना, इस बारे में चाहे कितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। रोमानिया के राद्रू जी के अपहरण के मामले में सरकार की विफलता साबित हुई है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। हर बार जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं आतंकवादियों के द्वारा, अलगाववादियों के द्वारा या उग्रवादियों के द्वारा कोई बड़ी घटना घटती है तो केन्द्र सरकार के पास कोई रास्ता नहीं दिखता है और एक ही सुझाव दिया जाता है, जैसे अभी आतंकवाद की घटनाएं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बढ़ गईं तो केन्द्र ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश के शासन को, तराई क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। चंडीगढ़ को अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, इसका मतलब जब अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो पेरामिलिट्री फोर्सेस हम भेज सकते हैं, विशेष पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। लेकिन क्या जिन इलाकों में पहले से आतंकवाद की गतिविधियां मौजूद हैं और जो अशान्त क्षेत्र घोषित हैं, वहां बड़ी संख्या में पेरामिलिट्री फोर्सेस डेपलोय किया गया है, क्या वहां आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लग गया।

पंजाब का जिक्र होता है, आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या पंजाब के संदर्भ में सोचने की जरूरत नहीं है ? आज राजनीतिक प्रोसेस को पोलिटीकल प्रोसेस को शुरू करने का सवाल हो रहा है। जब बरनाला जी मुख्य मंत्री थे,—तो पहले इस सदन में उनकी वाहवाही की जाती है और एक महीने के बाद फिर उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाता है। किसने यह हालात पैदा किए ? पिछले दिनों वहां चुनाव हो रहा था तो कौन-सी शक्तियां थीं, कौन-से कारण थे जिसके कारण चुनाव को टाल दिया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम पंजाब के चुनावों में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब केन्द्र में सत्ता के करीब वे पहुंच रहे थे और उनको लग रहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो उस समय तो पंजाब का चुनाव टाल दिया गया और अब पंजाब के चुनाव में भाग लेने की सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमेशा से केन्द्र सरकार की शक्ति का इस्तेमाल इन्होंने किया है।

कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं और कश्मीर का जो अभी बयान किया, खुराना साहब और खुराना साहब बयान करें या न करें लेकिन ईमानदारी की बात है कि इस देश का एक-एक आदमी समझ चुका है कि कश्मीर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केन्द्र की कोई आथोरिटी नहीं है और वहां वही होता है जो वहां के लोग चाहते हैं जिनको हम अलगाववाद कह रहे हैं, जो वे चाहते हैं वही

[श्री नीतीश कुमार]

होता है, यह निश्चित नहीं है। आज फारूख अब्दुल्ला को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसी फारूख अब्दुल्ला को आपने शासन से हटाया। तो यह सारा खेल जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा खेला गया उसी का नतीजा यह मुल्क भुगत रहा है। किसी भी मोर्चे पर, कानून और व्यवस्था के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें, पब्लिक आर्डर के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें तो आज निराशा ही होती है। इस सदन में और सदन के बाहर इस सवाल पर बहुत चर्चा होती रही है और हर बार माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है; लेकिन सरकार एक ही होती है, उसका एक ही जवाब आ जाता है, हर बार लीपा-पोती का काम होता है, लेकिन उससे कोई रास्ता नहीं दीखता है, प्रति दिन यह समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर इसका समाधान क्या है ? पंजाब की स्थिति का समाधान क्या है। पंजाब में जो हालात हैं, चुनाव टाल दिए गए, अब फरवरी में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव होंगे या नहीं होंगे, यह बात साफ होनी चाहिए। अन्तिम समय तक कहा जाएगा कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर कहा जाएगा कि हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए चुनाव टाल दिए गए हैं। यह सब किया जाता रहा है।

मैं बधाई देना चाहता हूं श्री वी० पी० सिंह जी को, जिन्होंने पंजाब में एक राजनीतिक प्रोसेस शुरू किया। उस वक्त माइनारिटी गवर्नमेंट थी और जो सहयोगी लोग थे, उनके कहने पर पंजाब में चुनाव टालना पड़ा था, उस वक्त चुनाव कराने की स्थिति इसलिए नहीं थी। तब इस सदन में प्रधान मंत्री की हैसियत से उन्होंने अपनी गलती कबूल की थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि चुनाव पंजाब में नहीं कराए गए। लेकिन आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वे राजनीतिक मकसद से इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। क्या कारण है कि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं सौंपा गया ? क्या कारण है कि पानी के विवाद सुप्रीम कोर्ट में भेजकर हल नहीं करवाए गए। इसी तरह से कई तरह के सवाल हैं, उनका समाधान क्यों नहीं किया गया। वर्षों से इस बात की चर्चा होती रही है, लेकिन इन चीजों का समाधान नहीं किया जाता रहा। राजनीति के चलते राजनीतिक लाभ के चलते केन्द्र में आज सत्ता पर जो पार्टी काबिज है, उसके द्वारा यह किया जा रहा है। मैं पिछले 10 वर्षों के इतिहास में नहीं जाना चाहता, उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए आज की स्थिति गम्भीर है।

कश्मीर की बात होती है, अभी खुराना जी बोल रहे थे, संपूर्ण स्थिति जो देश में है, उसको आप देखिए, लेकिन नरसिंह राव जी की प्रशंसा की जाती है। नरसिंह राव जी की सरकार में क्या हो रहा है, आंकड़े दिए गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखिए, इस वक्त वह विषय नहीं है, इसलिए चर्चा करना मुनासिब नहीं है लेकिन आप देखिए कि अवमूल्यन बढ़ा है, मूल्य वृद्धि हो रही है, कानून-व्यवस्था की स्थिति देखिए तो अपहरण बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, लूट में वृद्धि हो रही है, दहेज और हर तरह के जुल्म बढ़ रहे हैं, छीना-झपटी में वृद्धि हो रही है, मतलब तरक्की की है नरसिंह राव जी की सरकार ने अवमूल्यन में, चीजों के दाम बढ़ाने में और दूसरी तरफ लूट में, हत्याओं में, अपहरण में, हरिजनों पर जो जुल्म हो रहे हैं और दंगों में। दंगे रोकने में यह सरकार सफल नहीं है। दंगों की काफी चर्चा होती है, लेकिन दंगों का मुकाबला सिर्फ पोलीटिकल विल से हो सकता है। बिहार की जब चर्चा होती है तो उस तरफ से कुछ लोग आवाजें कसते हैं। आज क्या कारण है कि बिहार में दंगे नहीं होते। इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सामाजिक न्याय का जो काम बिहार में हुआ, आज उसके चलते, राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते वहां दंगे नहीं होते हैं। इससे आपको सबक सीखना चाहिए, लेकिन सबक नहीं सीखते हैं। एक दूसरे पर ब्लेम करने का काम किया जाता है। दंगों से फायदा उठाने की कोशिश इस देश में होती रही है। दंगों को रोकने का काम जनता दल का माडल बन गया है। मैं इस चर्चा के विस्तार में नहीं जाना चाहता,

समय कम है। कहने का मतलब यह है कि नरसिंह राव जी की सरकार किस क्षेत्र में प्रगति कर रही है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : बिहार मे जो 16 घर जलाए गए, इसका पता है आपको ? (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : घर तो सब जगह जलाए गए हैं, अभी कहिए तो आंकड़े बता सकता हूं। आंकड़ों की चर्चा श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने कर दी है। यदि आप कहें तो 15 मिनट तक मैं आंकड़े बताता रहूं और आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस-आई शासित राज्यों में तथा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है।

मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो नरसिंह राव जी की सरकार की यह स्थिति है और दूसरी तरफ उनकी प्रशंसा होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कहा जाता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे ठीक आदमी श्री नरसिंह राव जी है। यही नहीं आर० एस० एस० के बड़े भारी आदमी हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग होना चाहिए, देश हित में सहयोग होना चाहिए। एक तरफ यह बात हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एक यात्रा निकाल रहे हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा चलाई थी, जिसमे उनका नाम हुआ था और अब श्री मुरली मनोहर जोशी एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका नाम एकता यात्रा रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो कहीं न कहीं मिलीभगत लग रही है मुझको पक्की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध हो रहा है, इससे उनको जम कर प्रचार मिल रहा है। एकता यात्रा में वे क्या करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये कहते हैं कि 26 जनवरी को कश्मीर में झंडा फहरा कर रहेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कश्मीर भारत का अंग है और 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को इस देश के हर नागरिक को अपने घरों पर झण्डा फहराने का हक होता है, प्राईवेट लैण्ड पर झण्डा फहराने का हक होता है। बाकी दिन तो सरकारी मकानों पर ही झण्डे फहरते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही प्राईवेट लैण्ड पर झण्डा फहराने का अधिकार होता है। 26 जनवरी को ये जाकर काश्मीर में झण्डा फहरायेंगे, मुझे इसमें कहीं से अजूबी बात नहीं लगती। अभी होम-मिनिस्टर उस पर मिटिंग बुला रहे हैं, प्रधान मंत्री अपील कर रहे हैं। ये सारी मिटिंग हो रही है। आखिर इसका क्या कारण है ? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तथा कथित "एकता यात्रा" है। जम्मू पहुंचते-पहुंचते माफी मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यह हालत होती, उनकी तरफ से अपील होती कि हम काश्मीर जाने वाले हैं, हमें फौज का संरक्षण दिया जाए। वे यह मांग करते। लेकिन आपने उसको ग्लोरीफाई करने का काम किया है, इनको इतना प्रचार दिया है कि फिर से उनको इलैक्शन का मुद्दा मिलता चला आ रहा है। जैसे रथ रूपी यात्रा मन्दिर तोड़ने के नाम पर, हिन्दू और मुसलमानों को लड़ा कर, हिन्दू वोट बैंक बनाना चाहते थे, उसी प्रकार तथाकथित "एकता यात्रा" कर के राष्ट्र में एकता पैदा करने का ढोंग कर रहे हैं। ये जानते हैं कि मन्दिर नहीं बनेगा। मैं भी जानता हूं कि मन्दिर नहीं बनेगा।...

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : इन्होंने पहले ही मांग की है संरक्षण देने की।

श्री नीतीश कुमार : आप इनको अनर्गल प्रचार दे रहे हैं, मुझे लगता है कि मिली भगत है। नरसिंह राव कहते है कि कांग्रेस (आई) की मदद होनी चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरसिंह राव सबसे सज्जन आदमी हैं। नरसिंह राव जी इनकी "एकता यात्रा" का प्रचार कर रहे हैं। तो यह इस देश में मिली भगत हो रही है। इस देश में भारतीय जनता

[श्री नीतीश कुमार]

पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मिली भगत हो रही है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों के खिलाफ, उसूलों के खिलाफ। हम यहां आतंकवाद, अलगाववाद, हमले और लॉ एण्ड आर्डर पर बहस करने के लिए उतरे हैं। क्या कारण है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ती चली जा रही है? क्या कारण है कि एक तरफ कुछ लोग धनी होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग गरीब होते चले जा रहे हैं? रोजगार के अवसर सिमटते चले जा रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, बेरोजगारी की स्थिति है? इस हालत में क्या करें, इस बारे में क्या कभी गम्भीरता पूर्वक सोचा गया?

आज कानून और व्यवस्था के इनके पास जो रिकार्ड रहते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं, उनके रिकार्ड रहते हैं। ये उनको मारते है, पीटते हैं, पकड़ते हैं और बन्द करते हैं और खाना पूरी करते हैं। जो सही अपराधी है, जो या तो शोक में करते हैं या जो बम्बइया फिल्में इस देश में दिखायी जाती हैं, जिसमें क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। आज कम उम्र के लड़के हैं, कच्ची उम्र के लड़के हैं उनको ऐसा लगता है कि हम इसी रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। वे अमिताभ बच्चन को देखते हैं, अकेला आदमी सैकड़ों लोगों को ध्वस्त कर देता है। कच्ची उम्र का लड़का समझता है कि मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। जो फिल्म में काम हो रहा है, पर्दे पर काम हो रहा है उसको वह लड़का समझता है कि जीवन में हो रहा है। एक तरफ यह कारण हैं। दूसरी तरफ है बढ़ती हुई बेरोजगारी। लोगों का शौक भी है, बड़े घरों के लड़के अपहरण के काम में पाए जा रहे हैं, बड़े घरों के लड़के और दूसरे कामों में पाए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कहीं शौक है, कहीं फिल्म देख कर मन में सपना जगता है कि हम भी ग्लोरीफाई होंगे समाज में, यही एक प्रगति का रास्ता है।

समाज में जो ऊंच-नीच का भेदभाव है, फूलन देवी कहां से पैदा होती है, कभी सोचा है क्या? फूलन देवी क्यों बनी "फूलन देवी"? जब उसके परिवार के लोगों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई; उनके साथ अत्याचार की घटनाएं हुई तो 'फूलन देवी' पैदा होती है। कभी हमने गौर किया है क्या? समाज में जिसको ऊंचा स्थान मिला है समाज में जिसको कुछ करने का अधिकार है उनके द्वारा क्या सलूक किया जाता है साधारण लोगों के साथ? क्यों नहीं साधारण लोगों के बीच में से ऐसे लोग पनपेंगे।

मैं जेल मे था स्वर्गीय इन्दिरा गांधी के राज में, एमरजेंसी में मैं जेल में था। हम लोग मीसा में बन्द थे। हम लोगों को पनिया मिलता था। जेल के अन्दर हमने सर्वे किया, 98 परसेंट लोग जो कैदखाने में बन्द किए गए थे वे पिछड़े वर्ग के, हरिजन और आदिवासी समुदाय के थे। हमें जो पनिया मिला था खाना बनाने के लिए उसको हमने पूछा "तुम कितने दिनों ऐसे बन्द हो"। उसने कहा साढ़े चार वर्ष से बन्द हूं। क्या अपराध किया, यह पूछने पर उसने कहा भूख लगी थी और मैंने एक कटोरी खड़ी चुरा ली थी। उसके चलते साढ़े चार साल से जेल में बन्द था। भूख की आग को शान्त करने के लिए रोटी की चोरी की और साढ़े चार साल तक जेल में बन्द था। किस तरह से अपराध बनाए जाते हैं, किस प्रकार लोगों को जलील कर के नेक्सलाइट बनाया जाता है। इन तमाम सवालों पर ठण्डे दिल से विचार करने की जरूरत है। न मैं इन तमाम बातों को दिमाग में प्वाइंट स्कोर करने के लिए कह रहा हूं। और न मैं यह कहता हूं कि इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है और न देश ही बचेगा। पंजाब और काश्मीर में भारत सरकार की नीति नहीं चलती है, चाहे जितनी

बार कह लीजिए। अब सरकारी क्षेत्र की बारी है और फिर नार्दर्न रीजन की बारी आयेगी। नार्दर्न रीजन में जिस प्रकार से राजनीति की तिकड़म का सहारा लिया जा रहा है तो वह दूर नहीं है। यह देश विखंडित होता जा रहा है। हम लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाकर सदन का समय बर्बाद करेंगे। आज पार्टी की परिधि से ऊपर उठकर क्या सोचते हैं। क्या पंजाब के बारे में कोई नजरिया या नीति है। नयी सरकार आती है तो पंजाब में एक राज्यपाल बना देती है। राज्यपाल और भारत सरकार का गृह मंत्रालय कुछ कहता है। इस तरह से परस्पर विरोधी बातें होती रहती हैं, कोई नीति नहीं है। क्या आतंकवाद वहां नहीं बढ़ा है, क्या वहां फेक एनकाउंटर नहीं दिखाए गए, क्या खानापूरी करने के लिए निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा गया। क्या आपकी गलत नीतियों के कारण आतंकवादी पैदा नहीं कर रहे हैं। इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। जितनी बार बहस कर लें लेकिन एक बार राष्ट्र हित में इन तमाम सवालों पर अन्य चीजों से ऊपर उठकर जब तक विचार नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के सवाल पर और आर्थिक गड़बड़ी को दूर करने के लिए जब तक सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लेंगे और कदम नहीं बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य अंधकारमय होगा। आगे आने वाली पीढ़ी इस पीढ़ी को दोषी ठहरायेगी। हम पुरानी पीढ़ी का नाम गौरव के साथ लेते हैं कि उसने हमें पोलिटिकल, सोशल और इकोनोमिक इंडीपेंडेंस दिलाई। लेकिन जिस प्रकार से हम गिरते जा रहे हैं और जिस प्रकार से राष्ट्र पर संकट के बादल लहराते जा रहे हैं, तो हम लोगों का अनुभव लेना चाहिए। पूरी दुनिया में बिखराव हो रहा है जबकि अब शांति से बैठने की स्थिति नहीं है। सोवियत रूस यूगोस्लाविया और कई मुल्कों में बिखराव होता जा रहा है। अब घर में बैठने की स्थिति नहीं है। चाहे पंजाब, काश्मीर, तराई, नार्दर्न रीजन या कोई भी मसला हो तो इन भेदों से ऊपर उठकर विचार करें और एक नतीजे पर पहुंचकर इस मुल्क को एक रखने के लिए, तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए और रास्ता मजबूत बनाने के लिए हम कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकंदराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देश की विशेषकर कश्मीर, पंजाब, असम और हरियाणा की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

हाल की घटनाओं में हरियाणा के टोहना में 6 दिसम्बर को 26 लोग मारे गए। 9 नवम्बर को सिरसा में 12 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। टोहना की घटना के बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक समाचार छपा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री जी० पी० कल्याण ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से अर्ध-सैनिक बलों, गोली-बारूद की पूर्ति के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने पर्याप्त मात्रा में इसकी पूर्ति नहीं की। मारे गए लोगों की संख्या के बारे में सुनकर बड़ी शर्म महसूस हुई जैसे कि हम क्रिकेट में स्कोर देख रहे हो। जैसे कि इमरान खान क्रिकेट खेल रहे हों और रन बना रहे हों, लोग रोज टी० वी० और रेडियो द्वारा पंजाब और कश्मीर में मारे गए लोगों की संख्या पता करते हैं। यहां तक कि तमिलनाडु में 'जेहाद समिति' के नाम पर उन्होंने 19 अगस्त को एक पोस्टर में उन आठ हिन्दू नेताओं के नाम का उल्लेख किया है जिन्हें वे समाप्त करना चाहते हैं। 5 सितम्बर को रस्मी में शामिल लोगों में से एक श्री शिव शंकर को मार दिया गया है। तमिलनाडु में भी साम्प्रदायिक भावना पैदा हो गई है। आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व मंत्री श्री टंगीराचारी को मार दिया गया। आदिलाबाद में पूरी एक रेलगाड़ी जला दी गई। रेलगाड़ी जला दिए जाने के कारण काकतीया एक्सप्रेस में 47 लोग मर गए।

आन्ध्र प्रदेश में माननीय मंत्री ने स्वयं कहा कि इन नक्सलियों के लिट्टे से संबंध हैं। उन्होंने यह

[श्री दत्तात्रेय बंडारू]

बात 20 अगस्त, 1991 को विधान सभा में कही। लिट्टे से 60 ए० के० 47 राइफल और 20 स्टेनगन ली गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कब तक बोलेंगे ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं कल जा रहा हूं। मैं अपना भाषण पूरा करूंगा। मैं दो या तीन मिनट का समय और लूंगा। मैं अपना भाषण पूरा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जल्दी पूरा करें।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : यहां तक कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट); कांग्रेस, भाजपा, तेलुगुदेशम, एम० सी० पी० आई० के कार्यकर्ता भी मारे गए थे। मैं ठीक-ठीक उनकी संख्या नहीं दे सकता। यहां तक कि मंत्रियों के घरों को उड़ा दिया गया था। वित्त मंत्री श्री संतोष रेड्डी का घर बम से उड़ा दिया गया था। शहरी आवास और नगर पालिका मंत्री श्री नरसिंहा रेड्डी का मकान उड़ा दिया गया था। विधायक श्री चेन्ना रेड्डी को मार दिया गया था। राजधानी हैदराबाद में ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष तथा विधायक और पूर्व मंत्री के पुत्र श्री सुधीर कुमार का अपहरण कर लिया गया था। हमारे विधायक श्री जयपाल को भी अपहरण कर लिया गया था।

नक्सलवादियों ने 140 लोगों को जान से मारा, जिसमें से 141 लोग कमजोर वर्ग के थे।

हाल ही में वारंगल जिले में 58 लोगों को मार दिया गया, करीमनगर में 48, निजामाबाद में 26, पूर्वी गोदावरी में 23 और हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में 22 लोग मौत के घाट उतार दिए गए।

बड़ी संख्या में अपहरण हुए हैं।

वारंगल में 93 लोगों का अपहरण हुआ।

करीमनगर में 35 लोगों का अपहरण हुआ।

आदिलाबाद में 17 लोग अपहृत किए गए।

इस वर्ष नक्सलवादियों ने 224 लोगों का अपहरण किया।

तीन मण्डलाध्यक्ष, 12 सरपंचों, चार उप-सरपंचों और एक विधायक का कत्ल हुआ।

जैसे कि मैंने कहा—43 पुलिसकर्मी मारे गए। नक्सलियों के शिकार हुए, शेष लोग छोटे और सीमांत किसान थे।

इस वर्ष सार्वजनिक सम्पत्ति का जो नुकसान हुआ उसमें 990 में 117 बसों की तुलना में आर० टी० सी० की 168 बसों को जला दिया गया। राज्य के 13 जिलों में नक्सलवादी भरे पड़े हैं। वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। पूरे तेलंगाना जिले में समानान्तर सरकार चल रही है। मैं माननीय मंत्री से स्थिति से कड़ाई से निपटने का अनुरोध करता हूं।

यहां तक कि प्रधान मंत्री की भूमि पर भी खेती नहीं हो पा रही है। यह नक्सलवादियों के कब्जे में है।

हरिजनों और जनजातियों को दी गई भूमि में से कई भूमियों को नक्सलवादियों ने आपस में बांट लिया है।

आन्ध्र प्रदेश के गृह मंत्री को राज्य के लोगों को नक्सलवादियों से रक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

हाल के चुनावों के सम्बन्ध में, हमारे मित्र आन्ध्र प्रदेश में फर्जी मतदान के बारे में बात कर रहे थे। मैं चुनावों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

लेकिन मैं यह विशेषरूप से कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने नान्द्याल से चुनाव लड़ा। वहां निर्दलीय उम्मीदवारों को अपहृत कर लिया गया। आठ निर्दलीय उम्मीदवारों का अपहरण कर लिया गया है और जो भी नामांकन पत्र दाखिल करने आता उसे पुलिस का विशेष दस्ता भगा देता था। उन्हें कांग्रेस विधायकों द्वारा चलाये जा रहे समाचार भवन ले जाया जाता। बाद में नान्द्याल में सभी विपक्षी दलों के पोलिंग एजेंटों को अपहृत कर लिया गया। उन्हें अनेकों धमकियां दी गईं। समाचारपत्र में इस बात का उल्लेख है कि विधि मंत्री ने यह कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों का कोई जनाधार नहीं है और वे अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए रिक्शावालों को ला रहे हैं। यह बात लिखित रूप में दर्ज है। मैंने माननीय विधि मंत्री से प्रश्न किया कि "क्या रिक्शावाले भारत के नागरिक नहीं हैं?" वह भारत के नागरिक का अपमान कैसे कर रहे हैं? उसी प्रकार कानून मंत्री होने के नाते उन्होंने इन चीजों का प्रचार किया। मतदान केन्द्र से सभी पोलिंग एजेंटों को घसीटकर बाहर कर दिया गया।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां तक आकाशवाणी ने 1.20 अपराह्न में घोषणा की कि केवल 10-20 प्रतिशत मतदान हुआ। 3 बजे चुनाव अधिकारी ने कहा कि 35 प्रतिशत मतदान हुआ और 10 बजे सायं आन्ध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने घोषणा की कि वह 56 प्रतिशत था। अन्त में सुबह के समाचार में यह घोषणा की गई कि वहां 72 प्रतिशत मतदान हुआ। नान्द्याल में जो हुआ वह प्रजातंत्र का नया रूप था। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से, जो इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, जिनमें जीवन की गरिमा है, जिन्हें एक नीतिवान व्यक्ति समझा जाता है—से अनुरोध करता हूं कि क्या उनमें इतना साहस है और क्या वे इतने स्वच्छ छवि वाले हैं कि वह स्थानीय कांग्रेस दल द्वारा किए गए अवैध कार्यों की जांच के लिए जांच समिति नियुक्त करने की सिफारिश करेंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री के ऊपर कलंक लग गया है। यद्यपि प्रधान मंत्री देश के सर्वोच्च व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं फिर भी उन पर कलंक लग गया है। उन्हें यह कलंक दूर करके शुद्ध आचरण दिखाना चाहिए। मैं आन्ध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था के बारे में बता रहा था। कमजोर वर्गों की दो औरतों को नंगा कर दिया गया था। एक औरत मल्लम्मा को नंगा करके गलियों में घुमाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कर रहे हैं या नहीं?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं समाप्त कर रहा हूं। हाल ही में पिछले महीने तेलंगाना में श्रीमती दुर्गाबाई को नंगा करके गलियों में घुमाया गया। इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू, मैंने आपको इस आशा से अनुमति दी थी कि आप दो मिनट में समाप्त कर देंगे अपराह्न के 6.05 हो गए हैं आप और बोलेंगे या समाप्त कर रहे हैं? हम लोग 6 बजे के बाद बैठने वाले नहीं थे। हमने सभा की अनुमति भी नहीं ली है। मैं सोच रहा था कि आप दो मिनट में समाप्त कर रहे हैं। क्या आप कल भी बोलेंगे?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल एक मिनट का समय दूंगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, अन्त में मेरे मित्र बिहार के बारे में बता रहे थे। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है मुझे बिहार के बारे में भी पता चला। देश को पता होना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिज्ञ कहते हैं कि वहां राजनीति में अपराधी भरे पड़े हैं। पिछले 16 महीनों के दौरान बिहार में 600 अपहरण और 8000 हत्याएं हुई। बिहार में यही सब हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे दुःखद बात यह है कि वहां हत्या, लूट और बलात्कार में विधायक भी लिप्त हैं। वहां यही हो रहा है।

इसलिए, मैं एक बार पुनः केन्द्रीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि उसका कोई हल ढूंढें। यह उन्हें ही सोचना है कि इसका सर्वोत्तम हल क्या है। एक तरफ तो वहां आतंकवादी अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी ओर अन्य लोग, जिनके पास ताकत है या जिनके पास पैसा है, हरिजनों तथा कमजोर वर्गों को सता रहे हैं। इसीलिए मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह देश में इन दो ताकतों से कमजोर वर्गों की रक्षा करें। मैं एक बार पुनः माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन पहलुओं पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू ने अपना भाषण समाप्त कर दिया। सभा कल 11 बजे मध्याह्न पूर्व पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

6.08 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 1991/20 अग्रहायण, 1913 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सिंहवाहिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053

पी.एल.एस. 48/2/20/91 (एन)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।